Fourteenth Lok Sabha
XIV Session (21/07/2008 to 23/12/2008)

लोक सभा

समाचार—भाग 1

(कार्यवाही का संक्षिप्त वृत्तांत)

सोमवार, 21 जुलाई, 2008/30 आषाढ़, 1930 (शक)

संख्या 305

पूर्वाह्न 11.00 बजे

1. **राष्ट्रगान**

राष्ट्रगान की धुन बजाई गई।

पूर्वाह्न 11.02 बजे

2. **शपथ**

सात सदस्यों ने निम्नानुसार शपथ ली, सदस्यों की नामावली में हस्ताक्षर किए और सभा में अपना स्थान ग्रहण किया:—

अंग्रेजी में 2
तेलुगु में 2
हिन्दी में 2
मराठी में 1

पूर्वाह्न 11.11 बजे

3. **निधन संबंधी उल्लेख**

अध्यक्ष ने ग्यारहवीं लोक सभा के सदस्य श्री मोहम्मद मकबूल डार; छठी लोक सभा के सदस्य श्री चिमन भाई शुक्ला; आठवीं लोक सभा के सदस्य श्री गोपेश्वर; छठी लोक सभा के सदस्य श्री रामप्रकाश त्रिपाठी; और छठी से नौवीं लोक सभा तथा ग्यारहवीं से तेरहवीं लोक सभा के सदस्य श्री जी॰ एम॰ बनातवाला के निधन के बारे में उल्लेख किया।

उन्होंने अनुभवी सैनिक और 1971 के युद्ध के नायक फील्ड मार्शल एस॰एच॰एफ॰जे॰ मानेकशॉ के निधन के बारे में भी उल्लेख किया।

उन्होंने 29 जून, 2008 को उड़ीसा के मलकानगिरि जिले में हुए नक्सली हमले, जिसमें आंध्र प्रदेश और उड़ीसा पुलिस के 50 से अधिक सुरक्षा कार्मिकों की मृत्यु हुई, के बारे में भी उल्लेख किया।

उन्होंने 19 जुलाई, 2008 को नरबल, जम्मू और कश्मीर में हुए आतंकवादी हमले, जिसमें 10 सैनिक शहीद हुए और लगभग 14 सैनिक घायल हो गए, के बारे में भी उल्लेख किया।

उन्होंने 7 जुलाई, 2008 को काबुल में भारतीय दूतावास के परिसर पर हुए आतंकवादी हमले, जिसमें दूतावास के 5 कर्मचारियों और लगभग 60 से अधिक अफगानी नागरिकों की मृत्यु हुई, के बारे में भी उल्लेख किया।

तत्पश्चात् सदस्यगण दिवंगत आत्माओं के सम्मान में थोड़ी देर मौन खड़े रहे।

पूर्वाह्न 11.18 बजे

4. सभा पटल पर रखे गए पत्र

निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखे गए:—

(1) कर्नाटक राज्य के संबंध में संविधान के अनुच्छेद 356 के खंड (2) के अधीन राष्ट्रपति द्वारा 30 मई, 2008 को जारी उद्घोषणा, जिसके द्वारा, उनके द्वारा 20 नवम्बर, 2007 को जारी की गई पूर्व उद्घोषणा का प्रतिसंहरण किया गया है, तथा जो संविधान के अनुच्छेद 356(3) के अंतर्गत जो 30 मई, 2008 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा॰का॰नि॰ 415(अ) में प्रकाशित हुई थी, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(2) राज्यपाल (उपलब्धियां, भत्ते और विशेषाधिकार) अधिनियम, 1982 की धारा 13 की उपधारा (3) के अंतर्गत राज्यपाल (भत्ते और विशेषाधिकार) संशोधन नियम, 2008 जो 8 जुलाई, 2008 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा॰का॰नि॰ 506(अ) में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(3) जम्मू-कश्मीर राज्य के संबंध में जम्मू-कश्मीर के संविधान की धारा 92 के अंतर्गत जम्मू-कश्मीर के राज्यपाल द्वारा 10 जुलाई, 2008 को जारी उद्घोषणा जो 10 जुलाई, 2008 के जम्मू-कश्मीर सरकार के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(4) संविधान के अनुच्छेद 123(2)(क) के अंतर्गत कर्मचारी राज्य बीमा (संशोधन) अध्यादेश, 2008 (2008 का संख्यांक 7) की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

पूर्वाह्न 11.19 बजे

5. लोक सभा की सदस्यता से त्यागपत्र

अध्यक्ष ने सभा को सूचित किया कि उन्हें कर्नाटक के बेल्लारी संसदीय निर्वाचन क्षेत्र के निर्वाचित सदस्य श्री जी॰ करुणाकर रेड्डी, से लोक सभा की सदस्यता से त्यागपत्र देने संबंधी 3 जून, 2008 का पत्र प्राप्त हुआ है और यह कि उन्होंने 3 जून, 2008 से उनका त्यागपत्र स्वीकार कर लिया है।

6. सभा की बैठकों से सदस्यों की अनुपस्थिति संबंधी समिति का प्रतिवेदन

श्री राजेश वर्मा ने सभा की बैठकों से सदस्यों की अनुपस्थिति संबंधी समिति का दसवां प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत किया।

पूर्वाह्न 11.22 बजे

7. प्रस्ताव—विचाराधीन

उपलब्ध समय	: 12 घंटे
लिया गया समय	: 9 घंटे 42 मिनट
शेष समय	: 2 घंटे 18 मिनट

डा॰ मनमोहन सिंह ने निम्नलिखित प्रस्ताव पेश किया:—

''कि यह सभा मंत्रिपरिषद में अपना विश्वास व्यक्त करती है।''

निम्नलिखित सदस्यों ने वाद-विवाद में भाग लिया:—

1. श्री लाल कृष्ण आडवाणी
2. श्री मोहम्मद सलीम
3. श्री प्रणब मुखर्जी

(सभा अपराह्न 2.09 बजे स्थगित हुई और अपराह्न 3.02 बजे पुन: समवेत हुई।)

4. प्रो॰ राम गोपाल यादव

(सभा में व्यवधान के कारण, लोक सभा अपराह्न 3.32 बजे स्थगित हुई और अपराह्न 3.45 बजे पुन: समवेत हुई।)

5. श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव
6. श्री ब्रजेश पाठक
7. श्री टी॰आर॰ बालू
8. श्री अनंत गंगाराम गीते
9. श्री भर्तृहरि महताब
10. श्री आनंद शर्मा
11. श्री गुरुदास दासगुप्त
12. श्री सैयद शाहनवाज हुसैन
13. श्री प्रफुल पटेल
14. श्री सुखदेव सिंह ढींढसा
15. श्री प्रभुनाथ सिंह
16. श्री खारबेल स्वाईं

चर्चा पूरी नहीं हुई।

रात्रि 10.10 बजे

(लोक सभा मंगलवार, 22 जुलाई, 2008 के पूर्वाह्न 11 बजे तक के लिए स्थगित हुई)

पी॰ डी॰ टी॰ आचारी,
महासचिव।

GMGIPMRND—2624LS—21-07-2008.

लोक सभा

समाचार—भाग 1

(कार्यवाही का संक्षिप्त वृत्तांत)

मंगलवार, 22 जुलाई, 2008/31 आषाढ़, 1930 (शक)

संख्या 306

पूर्वाह्न 11 बजे

1. भारतीय जूनियर हॉकी टीम को बधाई

अध्यक्ष ने सभा की ओर से भारतीय जूनियर हॉकी टीम को दक्षिण कोरिया के विरुद्ध जूनियर एशिया हॉकी कप जीतने पर बधाई दी।

2. अनुपस्थिति की अनुमति

निम्नलिखित सदस्यों को उनके नाम के सामने उल्लिखित अवधि के लिए सभा की बैठकों से अनुपस्थिति की अनुमति प्रदान की गई:—

(1)	श्री कैलाश जोशी	–	15.11.2007 से 07.12.2007
(2)	डा॰ मो॰ शहाबुद्दीन	–	01.12.2007 से 07.12.2007
		–	25.02.2008 से 20.03.2008 और
		–	15.04.2008 से 09.05.2008
(3)	श्री तुकाराम गणपतराव रेंगे पाटील	–	03.03.2008 से 19.03.2008
(4)	श्री डी॰ सी॰ श्रीकांतप्पा	–	25.02.2008 से 20.03.2008 और
			15.04.2008 से 09.05.2008
(5)	श्री अतीक अहमद	–	25.02.2008 से 20.03.2008
(6)	श्री अटल बिहारी वाजपेयी	–	15.11.2007 से 07.12.2007
		–	25.02.2008 से 20.03.2008 और
		–	15.04.2008 से 25.04.2008

3. **कृषि संबंधी स्थायी समिति का प्रतिवेदन**

प्रो॰ राम गोपाल यादव ने 'कृषि उत्पादों की मूल्य निर्धारण नीति' के बारे में कृषि संबंधी स्थायी समिति का 41वां प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत किया।

4. **सूचना प्रौद्योगिकी संबंधी स्थायी समिति के प्रतिवेदन**

श्री निखिल कुमार ने सूचना प्रौद्योगिकी संबंधी स्थायी समिति (2007-2008) के निम्नलिखित प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत किए:—

(1) सूचना और प्रसारण मंत्रालय से संबंधित 'प्रसार भारती की भूमिका और इसकी भावी स्थिति' के बारे में समिति के 47वें प्रतिवेदन (चौदहवीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट समिति की सिफारिशों/टिप्पणियों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्यवाही संबंधी 60वां प्रतिवेदन।

(2) संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (सूचना प्रौद्योगिकी विभाग) से संबंधित 'सेंटर फॉर डेवल्पमेंट ऑफ एडवांस्ड कम्प्यूटिंग (सी-डैक) का कार्यकरण' के बारे में समिति के 49वें प्रतिवेदन (चौदहवीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट समिति की सिफारिशों/टिप्पणियों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्यवाही संबंधी 61वां प्रतिवेदन।

पूर्वाह्न 11.04 बजे

5. **प्रस्ताव - स्वीकृत**

लिया गया समय: 15 घंटे 11 मिनट

डा॰ मनमोहन सिंह द्वारा 21 जुलाई, 2008 को पेश किए गए निम्नलिखित प्रस्ताव पर चर्चा जारी रही:—

''कि यह सभा मंत्रिपरिषद में अपना विश्वास व्यक्त करती है।''

निम्नलिखित सदस्यों ने वाद-विवाद में भाग लिया:—

1. श्री पी॰ चिदम्बरम

2.@ प्रो॰ विजय कुमार मल्होत्रा

(सभा में व्यवधान के कारण, लोक सभा पूर्वाह्न 11.57 बजे स्थगित हुई और अपराह्न 12.15 बजे पुनः समवेत हुई।)

@उन्होंने अपना भाषण सभा के पुनः समवेत होने के पश्चात् पूरा किया।

3.@ श्री राहुल गांधी

(सभा में व्यवधान के कारण, लोक सभा अपराह्न 12.57 बजे स्थगित हुई और अपराह्न 2.00 बजे पुनः समवेत हुई।)

4. श्री अनंत कुमार

5. श्री लालू प्रसाद

6. श्री बसुदेव आचार्य

(सभा में व्यवधान के कारण, लोक सभा अपराह्न 4.04 बजे स्थगित हुई और अपराह्न 4.15 बजे पुनः समवेत हुई।)

(सभा में व्यवधान के कारण, लोक सभा अपराह्न 4.19 बजे स्थगित हुई और अपराह्न 5.00 बजे पुनः समवेत हुई।)

(सभा में व्यवधान के कारण, लोक सभा सायं 5.01 बजे स्थगित हुई और सायं 6 बजे पुनः समवेत हुई।)

(सभा में व्यवधान के कारण, लोक सभा सायं 6.03 बजे स्थगित हुई और सायं 6.30 बजे पुनः समवेत हुई।)

7.* श्री असादूद्दीन ओवेसी

8.* सुश्री महबूबा मुफ्ती

9. श्री उमर अब्दुल्ला

10.** प्रो॰ महादेवराव शिवनकर

11.** श्रीमती बोत्चा झांसी लक्ष्मी

12.** श्रीमती किरण माहेश्वरी

13.** श्री जोवाकिम बखला

14.** श्री हंसराज गं॰ अहीर

15.** श्री भानु प्रताप सिंह वर्मा

16.** श्री चन्द्रकांत खैरे

@ उन्होंने अपना भाषण सभा के पुनः समवेत होने के पश्चात् पूरा किया।

* उन्होंने अपने लिखित भाषण के कुछ अंश सभा पटल पर भी रखे।

** लिखित भाषण सभा पटल पर रखे गए।

17.**डा॰ सी॰ कृष्णन
18.**श्री अधीर चौधरी
19.**श्री नवीन जिंदल
20.**श्री अविनाश राय खन्ना
21.**प्रो॰ एम॰ रामदास
22.**श्री श्रीपाद येसो नाइक
23.**ले॰ जनरल (सेवानिवृत्त) तेजपाल सिंह रावत, पीवीएसएम, एवीएसएम
24.**श्री एस॰ सुधाकर रेड्डी
25.**चौधरी विजेन्द्र सिंह
26.**श्री बिक्रम केशरी देव
27.**श्रीमती मेनका गांधी
28.**श्रीमती नीता पटैरिया
29.**डा॰ सत्यनारायण जटिया
30.**श्री एस॰के॰ खारबेनथन
31.**श्री बची सिंह रावत 'बचदा'
32.**श्री पी॰ करूणाकरण
33.**श्री पी॰एस॰ गढ़वी
34.**श्री बी॰ विनोद कुमार
35.**श्री फ्रांसिस फैन्थम
36.* श्रीमती संगीता सिंह देव
37.**श्रीमती करूणा शुक्ला
38.**श्री विजयेन्द्र पाल सिंह
39.**श्री के॰ फ्रांसिस जार्ज
40.**श्री सुखबीर सिंह बादल
41.**श्री आलोक कुमार मेहता
42.* श्री एम॰पी॰ वीरेन्द्र कुमार
43. श्री सानछुमा खुंगुर बैसीमुथियारी

*उन्होंने अपने लिखित भाषण के कुछ अंश सभा पटल पर भी रखे।
**लिखित भाषण सभा पटल पर रखे गए।

44. श्री मणि चारेनामै

45.* श्री किन्जरप्पु. येरननायडु

46. श्रीमती रंजीत रंजन

47. श्री हेमलाल मुर्मू

डा॰ मनमोहन सिंह ने वाद विवाद का उत्तर दिया और अपने भाषण का कुछ अंश सभा पटल पर भी रखा।

प्रस्ताव पर सभा में मतदान हुआ: पक्ष में 275; विपक्ष में 256

तद्नुसार प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

6. ** **सदस्यों द्वारा निवेदन**

सभा में विश्वास प्रस्ताव पर अपने मताधिकार के प्रयोग के बारे में एक केन्द्रीय एजेन्सी द्वारा बहुजन समाज पार्टी के सदस्यों को दी गई कथित धमकी के बारे में।

श्री ब्रजेश पाठक ने सभा में विश्वास प्रस्ताव पर मताधिकार के प्रयोग के बारे में एक केन्द्रीय एजेन्सी द्वारा उनके दल के सदस्यों को दी गई कथित धमकी के बारे में निवेदन किया।

सर्वश्री अकबर अहमद डम्पी, बेनी प्रसाद वर्मा, प्रभुनाथ सिंह, बसुदेव आचार्य, गुरुदास दासगुप्त और अनंत गंगाराम गीते सहयोजित हुए।

रात्रि 8.23 बजे

7. **राष्ट्रीय गीत**

राष्ट्रीय गीत की धुन बजाई गई।

रात्रि 8.24 बजे

(लोक सभा 8.24 बजे अनिश्चित काल के लिए स्थगित हुई)

पी॰ डी॰ टी॰ आचारी,
महासचिव।

---

*उन्होंने अपने लिखित भाषण के कुछ अंश सभा पटल पर भी रखे।

**अपराह्न 2.00 बजे से अपराह्न 2..22 बजे तक।

GMGIPMRND—2638LS—22-07-2008.

लोक सभा

समाचार—भाग 1

(कार्यवाही का संक्षिप्त वृत्तांत)

शुक्रवार, 17 अक्तूबर, 2008/25 आश्विन, 1930 (शक)

संख्या 307

पूर्वाह्न 11.00 बजे

1. **राष्ट्रीय गान**

राष्ट्रीय गान की धुन बजाई गई।

2. **निधन संबंधी उल्लेख**

अध्यक्ष ने श्री डी॰ सी॰ श्रीकांतप्पा, वर्तमान सदस्य और बारहवीं तथा तेरहवीं लोक सभा के सदस्य; श्री किशन लाल दिलेर, वर्तमान सदस्य और ग्यारहवीं, बारहवीं तथा तेरहवीं लोक सभा के सदस्य; श्री राजेन्द्र अग्निहोत्री, नौवीं, दसवीं, ग्यारहवीं और बारहवीं लोक सभा के सदस्य; श्री राम सजीवन, नौंवी, ग्यारहवीं और तेरहवीं लोक सभा के सदस्य; श्री तेज प्रताप सिंह, छठी लोक सभा के सदस्य; प्रो॰ पी॰ आर॰ रामकृष्णन, दूसरी और तीसरी लोक सभा के सदस्य; श्री शिव सम्पति राम, छठी लोक सभा के सदस्य; श्री प्रताप सिंह सैनी, ग्यारहवीं लोक सभा के सदस्य; और श्री सुल्तान सलाउद्दीन ओवेसी, आठवीं से तेरहवीं लोक सभा के सदस्य के निधन के बारे में उल्लेख किया।

आगे उन्होंने देश के विभिन्न भागों में हुई आंतकवादी घटनाओं, विशेष रूप से बंगलौर, जयपुर, अहमदाबाद, दिल्ली, मालेगांव और अगरतला शहरों में हुई श्रृंखलाबद्ध विस्फोटों, जिसके परिणामस्वरूप निर्दोष व्यक्तियों की मृत्यु हुई और संपत्ति नष्ट हुई, का उल्लेख किया। उन्होंने आतंकवाद के शिकार हुए व्यक्तियों और वीर सुरक्षाकर्मियों, जिन्होंने राष्ट्र के लिए सर्वोच्च बलिदान दिया, की मृत्यु पर भी शोक प्रकट किया।

इसके पश्चात् उन्होंने् 3 अगस्त, 2008 को हिमाचल प्रदेश स्थित बिलासपुर के नैना देवी मंदिर में मची भगदड़ जिसमें 142 व्यक्तियों की मृत्यु हुई और लगभग 85 व्यक्ति

घायल हुए तथा 30 सितम्बर, 2008 को जोधपुर के चामुंडा देवी मंदिर में हुए दूसरे भगदड़ जिसमें 147 व्यक्तियों की मृत्यु हुई और लगभग 55 व्यक्ति घायल हुए, का भी उल्लेख किया।

उन्होंने बिहार, उड़ीसा और असम में आए अप्रत्याशित बाढ़ जिसके परिणामस्वरूप जान माल की क्षति हुई और बड़ी संख्या में लोग बेघर हो गए, का भी उल्लेख किया।

सदस्यगण दिवंगत आत्माओं के सम्मान में थोड़ी देर मौन खड़े रहे और तत्पश्चात् सभा पूरे दिन के लिए स्थगित हुई।

3. **प्रश्न**

निधन संबंधी उल्लेख के पश्चात् सभा स्थगित होने के कारण तारांकित प्रश्नों को मौखिक उत्तर के लिए नहीं लिया जा सका। अत: कार्य-सूची में तारांकित प्रश्न संख्या 1—20 को अतारांकित माना गया और उनके उत्तर अतारांकित प्रश्न संख्या 1—162 के उत्तरों के साथ आज की कार्यवाही वृत्तांत में मुद्रित किए जाएंगे।

पूर्वाह्न 11.16 बजे

(लोक सभा सोमवार, 20 अक्टूबर, 2008 के पूर्वाह्न 11 बजे तक के लिए स्थगित हुई)

पी॰डी॰टी॰ आचारी,
महासचिव।

दिनांक 22.7.2008 के समाचार-भाग 1 की युक्तिका

पृष्ठ संख्या 5, क्रम संख्या 47, के पश्चात् क्रम संख्या 48 '' **श्रीमती रूबाब सईदा''
अंत:स्थापित करें।

GMGIPMRND—3409LS—17-10-2008.

लोक सभा

समाचार—भाग 1

(कार्यवाही का संक्षिप्त वृत्तांत)

सोमवार, 20 अक्तूबर, 2008/28 आश्विन, 1930 (शक)

संख्या 308

पूर्वाह्न 11.00 बजे

1. **प्रश्न**

सभा में व्यवधान के कारण तारांकित प्रश्नों को मौखिक उत्तर के लिए नहीं लिया जा सका। अत:, आज की कार्य सूची में सम्मिलित तारांकित प्रश्न संख्या 21—40 को अतारांकित प्रश्न माना गया और उनके उत्तर अतारांकित प्रश्न संख्या 163—392 के उत्तरों के साथ आज की कार्यवाही वृत्तांत में मुद्रित किए जाएंगे।

(सभा में व्यवधान के कारण लोक सभा पूर्वाह्न 11.02 बजे स्थगित हुई और मध्याह्न 12.00 बजे पुन:समवेत हुई)

अपराह्न 12.02 बजे

2. **सभा पटल पर रखे गए पत्र**

निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखे गए—

(1) आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 296 के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):—

(एक) आयकर (चौथा संशोधन) नियम, 2008 जो 13 मार्च, 2008 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या का॰आ॰ 493(अ) में प्रकाशित हुए थे तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(दो) आयकर (पांचवां संशोधन) नियम, 2008 जो 24 मार्च, 2008 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या का॰आ॰ 547(अ) में प्रकाशित हुए थे तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(तीन) आयकर (छठा संशोधन) नियम, 2008 जो 28 मार्च, 2008 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या का॰आ॰ 752(अ) में प्रकाशित हुए थे तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(2) आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 10 के अंतर्गत जारी निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):—

(एक) का॰आ॰ 82(अ) जो 14 जनवरी, 2008 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा वाटर एंड सेनिटेशन पूल्ड फंड, तमिलनाडु द्वारा जारी किए जाने वाले टैक्स फ्री पूल्ड फाइनांस डेवलपमेंट बांड्स को पूल्ड फाइनांस डेवलपमेंट फंड स्कीम के अंतर्गत विनिर्दिष्ट किया गया है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(दो) का॰आ॰ 91(अ) जो 15 जनवरी, 2008 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 10(39) के प्रयोजनार्थ राष्ट्रमंडल खेल परिसंघ को व्यक्ति के रूप में और भारत में आयोजित होने वाले राष्ट्रमंडल खेल, 2010 को अंतर्राष्ट्रीय खेलकूद कार्यक्रम के रूप में विनिर्दिष्ट किया गया है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(3) आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 80-झ क की उपधारा (4) के अंतर्गत जारी औद्योगिकी पार्क (संशोधन) स्कीम, 2008 जो 2 जुलाई, 2008 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या का॰आ॰ 1605(अ) में प्रकाशित हुई थी, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(4) आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 48 के अंतर्गत जारी अधिसूचना संख्या का॰आ॰ 2037(अ) जो 13 अगस्त, 2008 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जिसके द्वारा आयकर अधिनियम, 1961 की उक्त धारा के प्रयोजनों के लिए वित्तीय वर्ष 2008-09 के लिए लागत मुद्रास्फीति सूचकांक को 582 के रूप में विनिर्दिष्ट किया गया है, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(5) आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 80-झ ग की उपधारा (2) के अंतर्गत जारी अधिसूचना संख्या का॰आ॰ 2115(अ) जो 27 अगस्त, 2008 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जिसके द्वारा हिमाचल प्रदेश राज्य के कुछ क्षेत्रों को आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 80-झ ग(2)(क)(दो) के लाभ प्रदान किए गए हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(6) भारतीय डाकघर अधिनियम, 1898 की धारा 74 की उपधारा (4) के अंतर्गत भारतीय डाकघर (पांचवां संशोधन) नियम, 2008 जो 11 अगस्त, 2008 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा॰का॰नि॰ 588(अ) में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(7) कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 638 के अंतर्गत 31 मार्च, 2007 को समाप्त हुए वर्ष के लिए कंपनी अधिनियम, 1956 के कार्यकरण और वार्षिक प्रशासन के बारे में 51वें वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(8) उपर्युक्त (7) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(9) कंपनी सचिव अधिनियम, 1980 की धारा 40 के अंतर्गत कंपनी सचिव (परिषद के लिए निर्वाचन) संशोधन नियम, 2008 जो 24 जुलाई, 2008 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा॰का॰नि॰ 552(अ) में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(10) चार्टर्ड अकाउंटेंट अधिनियम, 1949 की धारा 30ख के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)—

(एक) चार्टर्ड अकाउंटेंट्स (परिषद के लिए निर्वाचन) संशोधन नियम, 2008 जो 24 जुलाई, 2008 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा॰का॰नि॰ 553(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(दो) अधिसूचना संख्या 1-सीए(7)/109/2008 जो 5 मार्च, 2008 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जिसके द्वारा सदस्यों के रजिस्टर में प्रविष्टि के लिए फीस का अवधारण किया गया है।

(तीन) अधिसूचना संख्या 1-सीए(7)/110/2008 जो 5 मार्च, 2008 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जिसके द्वारा फेलो के रूप में रजिस्टर में नामों की प्रविष्टि के लिए अतिरिक्त फीस का अवधारण किया गया है।

(चार) अधिसूचना संख्या 1-सीए(7)/112/2008 जो 4 मार्च, 2008 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जिसके द्वारा प्रत्येक सदस्य द्वारा संदेय वार्षिक सदस्यता शुल्क का अवधारण किया गया है तथा उसका एक शुद्धिपत्र जो 18 मार्च, 2008 की अधिसूचना संख्या 1-सीए(7)/112/2008(40) (केवल अंग्रेजी संस्करण) में प्रकाशित हुआ था।

(पांच) अधिसूचना संख्या 1–सीए(7)/113/2008 जो 5 मार्च, 2008 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जिसके द्वारा सदस्यों के रजिस्टर में पुन: प्रविष्टि के लिए अतिरिक्त फीस का अवधारण किया गया है।

(छह) अधिसूचना संख्या 1–सीए(7)/121/2008 जो 19 अगस्त, 2008 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जिसके द्वारा इंस्टिट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया की काउंसिल को अनुशासनिक निदेशालय का प्रमुख अभिहित करने की शक्ति प्रदान की गई है।

(सात) चार्टर्ड अकाउंटेंट्स (संशोधन) विनियम, 2008 जो 25 सितम्बर, 2008 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या 1–सीए(7)/116/2008 में प्रकाशित हुए थे।

(11) उपर्युक्त (10) की मद संख्या (दो) से (छह) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाले पांच विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(12) लागत और संकर्म अकाउंटेंट अधिनियम, 1959 की धारा 40 के अंतर्गत लागत और संकर्म अकाउंटेंट (परिषद के लिए निर्वाचन) संशोधन नियम, 2008 जो 24 जुलाई, 2008 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा॰का॰नि॰ 554(अ) में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(13) प्रतिस्पर्धा अधिनियम, 2002 की धारा 63 की उपधारा (3) के अंतर्गत प्रतिस्पर्धा अपीलीय अधिकरण (चयन समिति की अवधि) और नामों के पैनल के चयन की रीति नियम, 2008 जो 19 मई, 2008 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा॰का॰नि॰ 387(अ) में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(14) (एक) ब्रह्मपुत्र बोर्ड, गुवाहाटी के वर्ष 2006–2007 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) ब्रह्मपुत्र बोर्ड, गुवाहटी के वर्ष 2006–2007 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(15) उपर्युक्त (14) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(16) कर्मचारी राज्य बीमा निगम के वर्ष 2008–09 के वित्तीय प्राक्कलनों और निष्पादन बजट की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(17) केन्द्रीय कृषि विश्वविद्यालय अधिनियम, 1992 की धारा 26 के अंतर्गत अधिसूचना संख्या 5-20/2007-सीएयू जो 25 जनवरी, 2008 के भारत के साप्ताहिक राजपत्र में प्रकाशित हुई थी और जिसके द्वारा केन्द्रीय कृषि विश्वविद्यालय, इम्फाल के परिनियमों में दूसरा संशोधन किया गया है।

(18) नाशक कीट और नाशक जीव अधिनियम, 1914 की धारा 3 की उपधारा (1) के अंतर्गत जारी पादप संगरोध (भारत में आयात का विनियमन) संशोधन आदेश, 2006 जो 17 जुलाई, 2006 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या का॰आ॰ 1121(अ) में प्रकाशित हुआ था, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(19) कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619क के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):—

(क) (एक) आंध्र प्रदेश स्टेट एग्रो इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट कारपोरेशन लिमिटेड, हैदराबाद के वर्ष 2006-2007 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) आंध्र प्रदेश स्टेट एग्रो इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट कारपोरेशन लिमिटेड, हैदराबाद का वर्ष 2006-2007 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

(ख) (एक) हिमाचल प्रदेश एग्रो इंडस्ट्रीज कारपोरेशन लिमिटेड, शिमला के वर्ष 2006-2007 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) हिमाचल प्रदेश एग्रो इंडस्ट्रीज कारपोरेशन लिमिटेड, शिमला का वर्ष 2006-2007 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

(ग) (एक) मध्य प्रदेश स्टेट एग्रो इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट कारपोरेशन लिमिटेड, भोपाल के वर्ष 2005-2006 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) मध्य प्रदेश स्टेट एग्रो इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट कारपोरेशन लिमिटेड, भोपाल का वर्ष 2005-2006 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

(20) उपर्युक्त (19) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाले तीन विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(21) कृषि उपज (श्रेणीकरण और चिह्नांकन) अधिनियम, 1937 की धारा 3 की उपधारा (3) के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):—

(एक) महुआ पुष्प श्रेणीकरण और चिह्नांकन नियम, 2008 जो 28 अगस्त 2008 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा॰का॰नि॰ 615(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(दो) सामान्य श्रेणीकरण और चिह्नांकन (संशोधन) नियम, 2008 जो 18 अगस्त, 2008 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा॰का॰नि॰ 598(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(22) आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 की धारा 3 की उपधारा (6) के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):—

(एक) का॰आ॰ 1935(अ) जो 4 अगस्त, 2008 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा 4 अगस्त, 2006 की अधिसूचना संख्या का॰आ॰ 1258(अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं।

(दो) का॰आ॰ 1900(अ) जो 31 जुलाई, 2008 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा उसमें उल्लिखित कस्टमाइज्ड उर्वरक के विनिर्देश को अधिसूचना में उल्लिखित विनिर्माताओं द्वारा विनिर्मित किए जाने के लिए तीन वर्ष की अवधि के लिए अधिूसचित किया गया है।

(तीन) का॰आ॰ 1243(अ) जो 28 मई, 2008 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा आयातित ट्रिपल सुपर फॉस्फेट के विनिर्देश को अधिसूचना में प्रकाशन की तारीख से दो वर्ष की अवधि के लिए अधिसूचित किया गया है।

(चार) का॰आ॰ 1740(अ) जो 22 जुलाई, 2008 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा मेसर्स कोरोमंडल फर्टिलाइजर्स लिमिटेड द्वारा विनिर्मित किए जाने वाले निम्नलिखित अनंतिम उर्वरकों के संबंध में विनिर्देश को अधिसूचना में प्रकाशन की तारीख से तीन वर्ष की अवधि के लिए नियत किया गया है।

(पांच) उर्वरक (नियंत्रण) दूसरा संशोधन आदेश, 2008, जो 22 जुलाई, 2008 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या का॰आ॰ 1741(अ) में प्रकाशित हुआ था।

(छह) का॰आ॰ 836(अ) जो 10 अप्रैल, 2008 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा मेसर्स कोरोमंडल फर्टिलाइजर्स लिमिटेड, सिकन्दराबाद, आंध्र प्रदेश द्वारा विनिर्मित किए जाने वाले जिंक सहित अनंतिम फर्टिलाइजर्स बेन्टोनाइट सल्फर के संबंध में विनिर्देशों को अधिसूचना में प्रकाशन की तारीख से तीन वर्ष की अवधि के लिए नियत किया गया है।

(सात) उर्वरक नियंत्रण (संशोधन) आदेश, 2008, जो 10 अप्रैल, 2008 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या का॰आ॰ 837(अ) में प्रकाशित हुआ था।

(23) (एक) राष्ट्रीय बागबानी बोर्ड, गुड़गांव के वर्ष 2006-2007 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) राष्ट्रीय बागबानी बोर्ड, गुड़गांव के वर्ष 2006-2007 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(24) उपर्युक्त (23) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(25) राष्ट्रीय डेरी विकास बोर्ड अधिनियम, 1987 की धारा 50 के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):—

(एक) राष्ट्रीय डेरी विकास बोर्ड अधिकारी (नियुक्ति, वेतन और भत्ते) (संशोधन) विनियम, 2008 जो 1 मई, 2008 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या डीईएल : एनडीडीबी 01/08 में प्रकाशित हुए थे।

(दो) राष्ट्रीय डेरी विकास बोर्ड कर्मकार (नियुक्ति, वेतन और भत्ते) (संशोधन) विनियम, 2008 जो 1 मई, 2008 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या डीईएल : एनडीडीबी 01/08 में प्रकाशित हुए थे।

(26) केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क अधिनियम, 1944 की धारा 38 की उपधारा (2) के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)—

(एक) सा॰का॰नि॰ 333(अ) जो 5 मई, 2008 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय 16 मई, 2001 की अधिसूचना संख्या 55/2001 सी॰शु॰ को रद्द करना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(दो) सा॰का॰नि॰ 334(अ) जो 5 मई, 2008 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा 31 मार्च, 2003 की अधिसूचना संख्या 52/2003-सी॰शु॰ में कतिपय संशोधन किए गए हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(तीन) सा॰का॰नि॰ 335(अ) जो 5 मई, 2008 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा उनमें उल्लिखित दो अधिसूचनाओं में कतिपय संशोधन किए गए हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(चार) सा॰का॰नि॰ 490(अ) जो 1 जुलाई, 2008 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क अधिनियम, 1944 की धारा 3क के प्रयोजनों के लिए पान मसाला, 15% से अनधिक सुपारी वाले पान मसाला को छोड़कर, और तम्बाकू युक्त पान मसाला जिनका विनिर्माण पैकिंग मशीन की सहायता से किया जाता है और पाउचों में पैक किया जाता है, को अधिसूचित करना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(पांच) पान मसाला पैकिंग मशीन (क्षमता अवधारण और शुल्क संग्रहण) नियम, 2008 जो 1 जुलाई, 2008 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा॰का॰नि॰ 491 (अ) में प्रकाशित हुए थे तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(छह) पान मसाला पैकिंग मशीन (क्षमता अवधारण और शुल्क संग्रहण) (संशोधन) नियम, 2008 जो 15 जुलाई, 2008 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा॰का॰नि॰ 528 (अ) में प्रकाशित हुए थे तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(सात) सा॰का॰नि॰ 221(अ) जो 27 मार्च, 2008 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा 31 जुलाई, 2001 की अधिसूचना संख्या 39/2001-के॰उ॰शु॰ में कतिपय संशोधन किए गए हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(आठ) सा॰का॰नि॰ 222(अ) जो 27 मार्च, 2008 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा 8 जुलाई, 1999 की अधिसूचना संख्या 32/99-के॰उ॰शु॰ में कतिपय संशोधन किए गए हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(नौ) सा॰का॰नि॰ 223(अ) जो 27 मार्च, 2008 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा 8 जुलाई, 1999 की अधिसूचना संख्या 33/99-के॰उ॰शु॰ में कतिपय संशोधन किए गए हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(दस) सा॰का॰नि॰ 224(अ) जो 27 मार्च, 2008 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा 14 नवम्बर, 2002, की अधिसूचना संख्या 56/2002-के॰उ॰शु॰ में कतिपय संशोधन किए गए हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(ग्यारह) सा॰का॰नि॰ 225(अ) जो 27 मार्च, 2008 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा 25 अप्रैल, 2007 की अधिसूचना संख्या 20/2007-के॰उ॰शु॰ में कतिपय संशोधन किए गए हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(बारह) सा॰का॰नि॰ 226(अ) जो 27 मार्च, 2008 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा 25 जून, 2003 की अधिसूचना संख्या 56/2003-के॰उ॰शु॰ में कतिपय संशोधन किए गए हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(तेरह) सा॰का॰नि॰ 227(अ) जो 27 मार्च, 2008 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा 14 नवम्बर, 2002 की अधिसूचना संख्या 57/2002-के॰उ॰शु॰ में कतिपय संशोधन किए गए हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(चौदह) सा॰का॰नि॰ 228(अ) जो 27 मार्च, 2008 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा 9 सितम्बर, 2003 की अधिसूचना संख्या 71/2003-के॰उ॰शु॰ में कतिपय संशोधन किए गए हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(पंद्रह) सा॰का॰नि॰ 597(अ) जो 14 अगस्त, 2008 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा 6 मार्च, 2006 की अधिसूचना संख्या 6/2006-के॰उ॰शु॰ में कतिपय संशोधन किए गए हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(सोलह) सा॰का॰नि॰ 629(अ) जो 1 सितम्बर, 2008 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा 1 मार्च, 2003 की अधिसूचना संख्या 8/2003-के॰उ॰शु॰ में कतिपय संशोधन किए गए हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(सत्रह) सा॰का॰नि॰ 634(अ) जो 2 सितम्बर, 2008 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय कतिपय शर्तों के अध्यधीन बिहार में बाढ़ प्रभावित लोगों को राहत और पुनर्वास के लिए दान में दी गई वस्तु या नकद दान से क्रय की गई वस्तु को मूल उत्पाद शुल्क से पूर्णत: छूट प्रदान करना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(अठारह) सा॰का॰नि॰ 316(अ) जो 29 अप्रैल, 2008 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा 1 मार्च, 2006 की अधिसूचना संख्या 6/2006-के॰उ॰शु॰ में कतिपय संशोधन किए गए हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(उन्नीस) सा॰का॰नि॰ 361(अ) जो 10 मई, 2008 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा 1 मार्च, 2006 की अधिसूचना संख्या 4/2006-के॰उ॰शु॰ में कतिपय संशोधन किए गए हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(बीस) सा॰का॰नि॰ 362(अ) जो 10 मई, 2008 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा 1 मार्च, 2008 की अधिसूचना संख्या 14/2008-के॰उ॰शु॰ को रद्द किया गया है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(इक्कीस) सा॰का॰नि॰ 410(अ) जो 28 मई, 2008 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा 24 फरवरी, 2005 की अधिसूचना संख्या 3/2005-के॰उ॰शु॰ में कतिपय संशोधन किए गए हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(बाईस) सा॰का॰नि॰ 426(अ) जो 4 जून, 2008 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा 1 मार्च, 2006 की अधिसूचना संख्या 4/2006-के॰उ॰शु॰ में कतिपय संशोधन किए गए हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(तेईस) सा॰का॰नि॰ 439(अ) जो 10 जून, 2008 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा 8 जुलाई, 1999 की अधिसूचना संख्या 32/99-के॰उ॰शु॰ में कतिपय संशोधन किए गए हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(चौबीस) सा॰का॰नि॰ 440(अ) जो 10 जून, 2008 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा 8 जुलाई, 1999 की अधिसूचना संख्या 33/99-के॰उ॰शु॰ में कतिपय संशोधन किए गए हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(पच्चीस) सा॰का॰नि॰ 441(अ) जो 10 जून, 2008 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा 31 जुलाई, 2001 की अधिसूचना संख्या 39/2001-के॰उ॰शु॰ में कतिपय संशोधन किए गए हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(छब्बीस) सा॰का॰नि॰ 442(अ) जो 10 जून, 2008 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा 14 नवम्बर, 2002 की अधिसूचना संख्या 56/2002-के॰उ॰शु॰ में कतिपय संशोधन किए गए हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(सत्ताईस) सा॰का॰नि॰ 443(अ) जो 10 जून, 2008 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा 14 नवम्बर, 2002 की अधिसूचना संख्या 57/2002-के॰उ॰शु॰ में कतिपय संशोधन किए गए हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(अट्ठाईस) सा॰का॰नि॰ 444(अ) जो 10 जून, 2008 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा 25 जून, 2003 की अधिसूचना संख्या 56/2003-के॰उ॰शु॰ में कतिपय संशोधन किए गए हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(उनतीस) सा॰का॰नि॰ 445(अ) जो 10 जून, 2008 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा 9 सितम्बर, 2003 की अधिसूचना संख्या 71/2003-के॰उ॰शु॰ में कतिपय संशोधन किए गए हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(तीस) सा॰का॰नि॰ 446(अ) जो 10 जून, 2008 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा 25 अप्रैल, 2007 की अधिसूचना संख्या 20/2007-के॰उ॰शु॰ में कतिपय संशोधन किए गए हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(इकतीस) सा॰का॰नि॰ 461(अ) जो 13 जून, 2008 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा 1 मार्च, 2006 की अधिसूचना संख्या 6/2006-के॰उ॰शु॰ में कतिपय संशोधन किए गए हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(बत्तीस) सा॰का॰नि॰ 483(अ) जो 27 जून, 2008 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा 16 मार्च, 1995 की अधिसूचना संख्या 63/95-के॰उ॰शु॰ में कतिपय संशोधन किए गए हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(तैंतीस) सा॰का॰नि॰ 492(अ) जो 1 जुलाई, 2008 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय पान मसाला, 15% से अनधिक सुपारी वाले पान मसाला को छोड़कर और तम्बाकू युक्त पान मसाला जिनका विनिर्माण पैकिंग मशीन की सहायता से किया जाता है और पाउच में पैक किया जाता है, पर लगने वाले उत्पाद शुल्क की दर को विनिर्दिष्ट करना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(चौंतीस) सा॰का॰नि॰ 527(अ) जो 15 जुलाई, 2008 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा 1 जुलाई, 2008 की अधिसूचना संख्या 42/2008-के॰उ॰शु॰ में कतिपय संशोधन किए गए हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(पैंतीस) सा॰का॰नि॰ 580(अ) जो 6 अगस्त, 2008 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा 1 मार्च, 2008 की अधिसूचना संख्या 4/2006-के॰उ॰शु॰ में कतिपय संशोधन किए गए हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(छत्तीस) केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क (तीसरा संशोधन) नियम, 2008 जो 23 मई, 2008 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा॰का॰नि॰ 397(अ) में प्रकाशित हुए थे तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(सैंतीस) सा॰का॰नि॰ 330(अ) जो 2 मई, 2008 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिसके द्वारा 12.2.2004 तक मेटलाइज्ड प्लास्टिक फिल्मों के विनिर्माताओं और क्रेताओं द्वारा लिए गए सेनवेट क्रेडिट को इस तथ्य के होते हुए भी कि ड्यूटी संदत्त फिल्म के मेटलाइजेशन की प्रक्रिया को उच्चतम न्यायालय द्वारा मेसर्स मेटलेक्स (आई) प्राइवेट लिमिटेड के मामले में लिए गए निर्णय के अनुसार उसे विनिर्माण नहीं माना गया है, को वापस न लिए जाने का आदेश दिया गया है, तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(27) उपर्युक्त (26) की मद संख्या (सात) से (चौदह) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(28) केन्द्रीय उत्पाद शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1985 की धारा 3 की उपधारा (1) के अंतर्गत जारी अधिसूचना संख्या सा॰का॰नि॰ 460(अ) जो 13 जून, 2008 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जिसके द्वारा उक्त अधिनियम की पहली अनुसूची में कतिपय संशोधन किए गए हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(29) केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क नियम, 2002 के नियम 17 के उपनियम (3) के अंतर्गत जारी अधिसूचना संख्या सा॰का॰नि॰ 398(अ) जो 23 मई, 2008 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जिसके द्वारा विनिर्मित माल, निकासी किए गए माल और आदान और पूंजीगत माल की प्राप्ति के संबंध में उसमें उल्लिखित मासिक विवरणी का प्ररूप विनिर्दिष्ट किया गया है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(30) वित्त अधिनियम, 1994 की धारा 94 की उपधारा (4) के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)—

(एक) सेवा कर (दूसरा संशोधन) नियम, 2008 जो 10 मई, 2008 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा॰का॰नि॰ 364(अ) में प्रकाशित हुए थे तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(दो) सेवाओं का निर्यात (दूसरा संशोधन) नियम, 2008 जो 10 मई, 2008 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा॰का॰नि॰ 365(अ) में प्रकाशित हुए थे, तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(तीन) सेवाओं का कराधान (भारत के बाहर से प्रदत्त और भारत में प्राप्त) दूसरा संशोधन नियम, 2008 जो 10 मई, 2008 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा॰का॰नि॰ 366(अ) में प्रकाशित हुए थे, तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(चार) सा॰का॰नि॰ 367(अ) जो 10 मई, 2008 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा 1 मार्च, 2006 की अधिसूचना संख्या 1/2006-सेवा कर में कतिपय संशोधन किए गए हैं, तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(पांच) सा॰का॰नि॰ 368(अ) जो 10 मई, 2008 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा उनमें उल्लिखित तीन अधिसूचनाओं में कतिपय संशोधन किए गए हैं, तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(छह) सा॰का॰नि॰ 369(अ) जो 10 मई, 2008 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा 6 अक्तूबर, 2007 की अधिसूचना संख्या 41/2007-सेवा कर में कतिपय संशोधन किए गए हैं, तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(सात) सा॰का॰नि॰ 405(अ) जो 27 मई, 2008 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा 1 मार्च, 2006 की अधिसूचना संख्या 1/2006-सेवा कर में कतिपय संशोधन किए गए हैं, तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(आठ) सा॰का॰नि॰ 482(अ) जो 26 जून, 2008 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय सड़क से माल के परिवहन के लिए प्रयुक्त की जाने वाली माल परिवहन एजेंसी को परिवहन वाहनों की आपूर्ति पर सेवा कर के उद्ग्रहण से उन पर उद्ग्रहणीय संपूर्ण सेवा कर से छूट प्रदान है, तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(31) वित्त अधिनियम, 2008 की धारा 90 के खण्ड (क) और (ख) के अंतर्गत जारी अधिसूचना संख्या सा॰का॰नि॰ 363(अ), जो 10 मई, 2008 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जिसके द्वारा 16 मई, 2008 की तारीख नियत की गई है जब उक्त अधिनियम के उपबंध प्रवृत्त होंगे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(32) सीमा-शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 की धारा 9क की उपधारा (7) के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)—

(एक) सा॰का॰नि॰ 264(अ) जो 4 अप्रैल, 2008 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय चीन जनवादी गणराज्य में उद्भूत अथवा वहां से निर्यातित होने वाले विटामिन ई के आयात पर, लगाए गए प्रतिपाटन शुल्क और संबद्ध शुल्क महानिदेशालय द्वारा की जा रही निर्णायक समीक्षा जांच के सम्पन्न होने तक, 16 मार्च, 2009 तक उसके समेत प्रतिपाटन शुल्क लगाना है, तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(दो) सा॰का॰नि॰ 276(अ) जो 10 अप्रैल, 2008 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय चीन जनवादी गणराज्य में उद्भूत अथवा वहां से निर्यातित होने वाले और भारत में आयातित डाईक्लोफिनेक सोडियम के आयात पर अनंतिम प्रतिपाटन शुल्क लगाना है, तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(तीन) सा॰का॰नि॰ 283(अ) जो 11 अप्रैल, 2008 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय चीन जनवादी गणराज्य में उद्भूत अथवा वहां से निर्यातित होने वाले और भारत में आयातित सभी रूपों और क्षमता में सल्फर ब्लैक के आयातों पर अनंतिम प्रतिपाटन शुल्क लगाना है, तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(चार) सा॰का॰नि॰ 284(अ) जो 11 अप्रैल, 2008 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय यूरोपीय संघ में उद्भूत अथवा वहां से निर्यातित सोडियम नाइट्राइट के आयातों पर, नामनिर्दिष्ट प्राधिकारी द्वारा निर्णायक समीक्षा जांच के अंतिम निष्कर्षों में संस्तुत दरों पर प्रतिपाटन शुल्क लगाना है, तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(पांच) सा॰का॰नि॰ 296(अ) जो 21 अप्रैल, 2008 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय चीन जनवादी गणराज्य में उद्भूत अथवा वहां से निर्यातित इस्पात अथवा फाइबर ग्लास मापी फीतों, उनके हिस्सों और संघटकों के आयात पर, नामनिर्दिष्ट प्राधिकारी की सिफारिश के आधार पर 3 अक्तूबर, 2008 तक उसके समेत, प्रतिपाटन शुल्क लगाना तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(छह) सा॰का॰नि॰ 308 (अ) जो 28 अप्रैल, 2008 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय चीन जनवादी गणराज्य में उद्‌भूत अथवा वहां से निर्यातित और भारत में आयातित हाइड्रोफ्लोरिक एसिड के आयात पर नामनिर्दिष्ट प्राधिकारी द्वारा निर्णायक समीक्षा जांच के अंतिम निष्कर्षों में संस्तुत दरों पर प्रतिपाटन शुल्क लगाना है, तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(सात) सा॰का॰नि॰ 309 (अ) जो 28 अप्रैल, 2008 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय चीनी ताइपे और जापान में उद्‌भूत अथवा वहां से निर्यातित और भारत में आयातित पेंटेरीथ्राइटोल के आयातों पर नामनिर्दिष्ट प्राधिकारी द्वारा निर्णायक समीक्षा जांच के अंतिम निष्कर्षों में संस्तुत दरों पर प्रतिपाटन शुल्क लगाना है, तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(आठ) सा॰का॰नि॰ 327(अ) जो 1 मई, 2008 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे, तथा जिनके द्वारा 1 मई, 2003 की अधिसूचना संख्या 73/2003-सी॰शु॰ में कतिपय संशोधन किए गए हैं, तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(नौ) सा॰का॰नि॰ 328 (अ) जो 1 मई, 2008 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे, तथा जिनके द्वारा 30 अप्रैल, 2007 की अधिसूचना संख्या 59/2007-सी॰शु॰ को रद्द किया गया है, तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(दस) सा॰का॰नि॰ 337 (अ) जो 5 मई, 2008 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय चीन जनवादी गणराज्य और कोरिया गणराज्य में उद्‌भूत अथवा वहां से निर्यातित और भारत में आयातित रबर रसायनों के आयात पर अनंतिम प्रतिपाटन शुल्क लगाना है, तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(ग्यारह) सा॰का॰नि॰ 378 (अ) जो 16 मई, 2008 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा 20 फरवरी, 2007 की अधिसूचना संख्या 15/2007-सी॰शु॰ में कतिपय संशोधन किए गए हैं, तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(बारह) सा॰का॰नि॰ 379 (अ) जो 16 मई, 2008 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय मेसर्स एच॰के॰ कारपोरेशन, कोरिया जनवादी गणराज्य द्वारा उत्पादित और निर्यातित किसी विनिर्देश के पालिएस्टर के पूर्णत: ड्रॉन यार्न या पूर्णत: प्रिंटेड यार्न या स्पिन ड्रॉन यार्न या फ्लैट यार्न के

आयात पर अनंतिम प्रतिपाटन शुल्क लगाना है, तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(तेरह) सा॰का॰नि॰ 419 (अ) जो 2 जून, 2008 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय मेसर्स जुन्मा टायर कॉर्ड कंपनी लिमिटेड द्वारा चीन गणराज्य से निर्यातित किए जाते समय नायलान टायर कॉर्ड फैब्रिक के आयात पर नामनिर्दिष्ट प्राधिकारी द्वारा अधिसूचित नई शिपर समीक्षा को ध्यान में रखते हुए प्रतिपाटन शुल्क लगाना है, तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(चौदह) सा॰का॰नि॰ 420 (अ) जो 2 जून, 2008 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा 29 अगस्त, 2006 की अधिसूचना संख्या 84/2006-सी॰शु॰ को रद्द किया गया है, तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(पंद्रह) सा॰का॰नि॰ 447 (अ) जो 10 जून, 2008 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय कोरिया गणराज्य में उद्भूत अथवा वहां से भारत में निर्यातित एसिटोन के आयात पर अंतिम प्रतिपाटन शुल्क लगाना है, तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(सोलह) सा॰का॰नि॰ 450 (अ) जो 11 जून, 2008 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा 20 फरवरी, 2004 की अधिसूचना संख्या 37/2004-सी॰शु॰ में कतिपय संशोधन किए गए हैं, तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(सत्रह) सा॰का॰नि॰ 457 (अ) जो 13 जून, 2008 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय लौह अयस्क, ऑल शॉर्ट्स पर निर्यात शुल्क को 20% तक बढ़ाने की दृष्टि से सीमा-शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 की दूसरी अनुसूची में संशोधन करना है, तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(अठारह) सा॰का॰नि॰ 484(अ) जो 27 जून, 2008 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय चीन जनवादी गणराज्य में उद्भूत और वहां से निर्यातित ग्रेफाइट इलेक्ट्रोड्स पर एक वर्ष की अवधि के लिए अर्थात् 6 जुलाई, 2009 तक प्रतिपाटन शुल्क लगाना है, तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(उन्नीस) सा॰का॰नि॰ 485(अ) जो 27 जून, 2008 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय चीन जनवादी गणराज्य में उद्भूत अथवा वहां से निर्यातित विट्रिफाइड और पोर्सिलेन टाइलों विट्रिफाइड इंडस्ट्रियल टाइलों

से भिन्न, के आयात पर, नामनिर्दिष्ट प्राधिकारी द्वारा निर्णायक समीक्षा जांच के अंतिम निष्कर्षों में संस्तुत दरों पर निश्चित प्रतिपाटन शुल्क लगाना है, तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(बीस) सा॰का॰नि॰ 516(अ) जो 11 जुलाई, 2008 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा 19 अप्रैल, 2004 की अधिसूचना संख्या 54/2004-सी॰शु॰ में कतिपय संशोधन किए गए हैं, तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(इक्कीस) सा॰का॰नि॰ 533(अ) जो 16 जुलाई, 2008 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय चीन जनवादी गणराज्य और हांगकांग के विनिर्दिष्ट उत्पादकों तथा निर्यातकों से विट्रिफाइड और पोर्सिलेन टाइलों के भारत में आयातों पर विनिर्दिष्ट अवधि के दौरान कोई प्रतिपाटन शुल्क नहीं लगाया जाना है, तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(बाईस) सा॰का॰नि॰ 534(अ) जो 16 जुलाई, 2008 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा 9 मार्च, 2007 की अधिसूचना संख्या 39/2007-सी॰शु॰ को रद्द किया गया है, तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(तेईस) सा॰का॰नि॰ 551(अ) जो 23 जुलाई, 2008 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय चीन जनवादी गणराज्य हांगकांग और चीनी ताइपे में उद्भूत अथवा वहां से निर्यातित सभी प्रकार के डिजीटल वर्सेटाइल डिस्क्स रिकार्डेबल पर अनंतिम प्रतिपाटन शुल्क लगाना है, तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(चौबीस) सा॰का॰नि॰ 556(अ) जो 24 जुलाई, 2008 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय मलेशिया, थाईलैंड, चीन जनवादी गणराज्य और कोरिया गणराज्य में उद्भूत अथवा वहां से निर्यातित कैथोड रे कलर टेलीविजन पिक्चर ट्यूबों पर अनंतिम प्रतिपाटन शुल्क लगाना है, तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(पच्चीस) सा॰का॰नि॰ 565 (अ) जो 30 जुलाई, 2008 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय चीन जनवादी गणराज्य में उद्भूत अथवा वहां से निर्यातित तथा भारत में आयातित डाइक्लोफिनेक सोडियम पर निश्चित प्रतिपाटन शुल्क लगाना है, तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(छब्बीस) सा॰का॰नि॰ 566 (अ) जो 30 जुलाई, 2008 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा 10 अप्रैल, 2008 की अधिसूचना संख्या 46/2008-सी॰शु॰ को रद्द किया गया है, तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(सत्ताईस) सा॰का॰नि॰ 570 (अ) जो 1 अगस्त, 2008 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा 27 जून, 2008 की अधिसूचना संख्या 82/2008-सी॰शु॰ में कतिपय संशोधन किए गए हैं, तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(अट्ठाईस) सा॰का॰नि॰ 614 (अ) जो 27 अगस्त, 2008 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय चीन जनवादी गणराज्य में उद्भूत अथवा वहां से निर्यातित तथा भारत में आयातित सेफ्ट्रिआक्सोन सोडियम स्टराइल के आयात पर निश्चित प्रतिपाटन शुल्क लगाना है, तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(उनतीस) सा॰का॰नि॰ 626 (अ) जो 29 अगस्त, 2008 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा 29 सितम्बर, 2004 की अधिसूचना संख्या 101/2004-सी॰शु॰ में कतिपय संशोधन किये गए हैं, तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(तीस) सा॰का॰नि॰ 641 (अ) जो 4 सितम्बर, 2008 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय चीन जनवादी गणराज्य, यूरोपीय संघ, इंडोनेशिया, कोरिया गणराज्य और तुर्की में उद्भूत अथवा वहां से निर्यातित तथा भारत में आयातित हाइड्रोजन पेरॉक्साइड के आयात पर अंतिम प्रतिपाटन शुल्क लगाना है, तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(इकतीस) सा॰का॰नि॰ 642 (अ) जो 4 सितम्बर, 2008 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय चीन जनवादी गणराज्य और चीनी ताइपे में उद्भूत अथवा वहां से निर्यातित प्लास्टिक ऑफ्थल्मिक लेंसों पर एक वर्ष की अवधि के लिए अर्थात् 4 सितम्बर, 2009 तक प्रतिपाटन शुल्क लगाना है, तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(बत्तीस) सा॰का॰नि॰ 649 (अ) जो 10 सितम्बर, 2008 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा 7 अक्तूबर, 2003 की अधिसूचना संख्या 147/2003-सी॰शु॰ में कतिपय संशोधन किए गए हैं, तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(33) उपर्युक्त (32) की मद संख्या (दो) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(34) सीमा-शुल्क अधिनियम, 1962 की धारा 159 के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):—

(एक) सा॰का॰नि॰ 257 (अ) जो 31 मार्च, 2008 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा 4 अक्तूबर, 2005 की अधिसूचना संख्या 89/2005-सी॰शु॰ में कतिपय संशोधन किए गए हैं, तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(दो) सीमा शुल्क, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क और सेवा कर ड्राबैक संशोधन नियम, 2008 जो 29 मई, 2008 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा॰का॰नि॰ 413 (अ) में प्रकाशित हुए थे, तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(तीन) सा॰का॰नि॰ 474 (अ) जो 24 जून, 2008 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा 16 जुलाई, 2007 की अधिसूचना संख्या 68/2007-सी॰शु॰ (एन॰टी॰) में कतिपय संशोधन किए गए हैं, तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(चार) सा॰का॰नि॰ 510 (अ) जो 8 जुलाई, 2008 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा 16 जुलाई, 2007 की अधिसूचना संख्या 68/2007-सी॰शु॰ (एन॰टी॰) में कतिपय संशोधन किए गए हैं, तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(पांच) सा॰का॰नि॰ 590 (अ) जो 13 अगस्त, 2008 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा शुल्क मुक्त टैरिफ अधिमान स्कीम के अंतर्गत विनिर्दिष्ट अल्प विकसित देशों से आयातित वस्तुओं पर सीमा शुल्क की रियायती दरें लगाई गईं हैं, तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(छह) सा॰का॰नि॰ 616 (अ) जो 28 अगस्त, 2008 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा 13 अगस्त, 2008 की अधिसूचना संख्या 96/2008-सी॰शु॰ में कतिपय संशोधन किए गए हैं, तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(सात) सा॰का॰नि॰ 635 (अ) जो 2 सितम्बर, 2008 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय कतिपय शर्तों के अध्यधीन बिहार में बाढ़ प्रभावित लोगों को राहत और पुनर्वास के लिए दानार्थ आयातित

वस्तुओं को 28 फरवरी, 2009 तक मूल सीमा शुल्क और अतिरिक्त सीमा शुल्क से पुर्णत: छूट प्रदान करना है, तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(आठ) सा॰का॰नि॰ 338 (अ) जो 6 मई, 2008 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा उनमें उल्लिखित दो अधिसूचनाओं में कतिपय संशोधन किए गए हैं, तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(नौ) सा॰का॰नि॰ 346 (अ) जो 8 मई, 2008 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा उनमें उल्लिखित नौ अधिसूचनाओं में कतिपय संशोधन किए गए हैं, तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(दस) सा॰का॰नि॰ 349 (अ) जो 9 मई, 2008 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय मूल सीमा शुल्क (बीसीडी) को 5% से कम करके 3% करना है तथा निर्यात बाध्यता और विनिर्माण शब्दों को स्कीम के प्रयोजनार्थ पुन: परिभाषित करना है, तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(ग्यारह) सा॰का॰नि॰ 350 (अ) जो 9 मई, 2008 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा उनमें उल्लिखित चार अधिसूचनाओं में कतिपय संशोधन किए गए हैं, तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(बारह) सा॰का॰नि॰ 389 (अ) जो 19 मई, 2008 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा उनमें उल्लिखित तीन अधिसूचनाओं में कतिपय संशोधन किए गए हैं, तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(तेरह) सा॰का॰नि॰ 532 (अ) जो 16 जुलाई, 2008 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा उनमें उल्लिखित दो अधिसूचनाओं में कतिपय संशोधन किए गए हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(चौदह) सा॰का॰नि॰ 627 (अ) जो 29 अगस्त, 2008 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा वर्ष 2008-09 के लिए ड्यूटी ड्रा बैक की सभी ओद्यौगिक दरों को अधिसूचित किया गया है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन। ये दरें 1 सितम्बर, 2008 से प्रभावी हो गयी हैं।

(पन्द्रह) सा॰का॰नि॰ 273 (अ) जो 9 अप्रैल, 2008 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा उनमें उल्लिखित दो अधिसूचनाओं में कतिपय संशोधन किए गए हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(सोलह) सा॰का॰नि॰ 297 (अ) जो 21 अप्रैल, 2008 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय कतिपय शर्तों के अध्यधीन बांग्लादेश

से आयातित पोशाक और परिधान सामग्रियों पर 8 मिलियन पीसेज के टैरिफ दर कोटा से छूट प्रदान करना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(सत्रह) सा॰का॰नि॰ 299 (अ) जो 22 अप्रैल, 2008 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा 1 मार्च, 2000 की अधिसूचना संख्या 26/2000–सी॰शु॰ में कतिपय संशोधन किए गए हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(अठारह) सा॰का॰नि॰ 315 (अ) जो 29 अप्रैल, 2008 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा 1 मार्च, 2002 की अधिसूचना संख्या 21/2002–सी॰शु॰ में कतिपय संशोधन किए गए हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(उन्नीस) सा॰का॰नि॰ 359 (अ) जो 10 मई, 2008 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय विनिर्दिष्ट लौह और इस्पात उत्पादों तथा बासमती चावल पर निर्यात शुल्क की रियायती दर प्रदान करना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(बीस) सा॰का॰नि॰ 360 (अ) जो 10 मई, 2008 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा 1 मार्च, 2008 की अधिसूचना संख्या 22/2008–सी॰शु॰ को रद्द किया गया है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(इक्कीस) सा॰का॰नि॰ 401 (अ) जो 26 मई, 2008 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा 1 मार्च, 2002 की अधिसूचना संख्या 21/2002–सी॰शु॰ में कतिपय संशोधन किए गए हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(बाईस) सा॰का॰नि॰ 425 (अ) जो 4 जून, 2008 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा 1 मार्च 2002 की अधिसूचना संख्या 21/2002–सी॰शु॰ में कतिपय संशोधन किए गए हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(तेईस) सा॰का॰नि॰ 456 (अ) जो 13 जून, 2008 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा 10 मई, 2008 की अधिसूचना संख्या 66/2008–सी॰शु॰ में कतिपय संशोधन किए गए हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(चौबीस) सा॰का॰नि॰ 458 (अ) जो 13 जून, 2008 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय सभी प्रकार के लौह अयस्क पर मूल्यानुसार निर्यात शुल्क में 15% की रियायती दर देना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(पच्चीस) सा॰का॰नि॰ 459 (अ) जो 13 जून, 2008 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा 3 मई, 2007 की अधिसूचना संख्या 62/2007-सी॰शु॰ को रद्द किया गया है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(छब्बीस) सा॰का॰नि॰ 493 (अ) जो 1 जुलाई, 2008 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा 30 जून, 2006 की अधिसूचना संख्या 68/2006-सी॰शु॰ में कतिपय संशोधन किए गए हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(सत्ताईस) सा॰का॰नि॰ 508 (अ) जो 8 जुलाई, 2008 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा दिनांक 1 मार्च, 2002 की अधिसूचना संख्या 21/2002 सी॰शु॰ में कतिपय संशोधन किए गए हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(अट्ठाईस) सा॰का॰नि॰ 569 (अ) जो 1 अगस्त, 2008 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा दिनांक 14 सितम्बर, 2007 की अधिसूचना संख्या 102/2007 सी॰शु॰ में कतिपय संशोधन किए गए हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(उनतीस) सा॰का॰नि॰ 572 (अ) जो 4 अगस्त, 2008 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय इंजेक्शन प्रोजेस्टेरॉन पर मूल सीमा शुल्क 10% से घटाकर 5% करना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(35) उपर्युक्त (34) की मद संख्या (एक) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारणों को दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(36) (एक) नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फाइनेंसियल मैनेजमेंट, फरीदाबाद के वर्ष 2007-2008 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फाइनेंसियल मैनेजमेंट, फरीदाबाद के वर्ष 2007-2008 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(37) भारतीय प्रतिभूति तथा विनिमय बोर्ड अधिनियम, 1992 की धारा 31 के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):—

(एक) भारतीय प्रतिभूति तथा विनिमय बोर्ड (निक्षेपागार और भागीदार) (दूसरा संशोधन) विनियम, 2008 जो 8 अगस्त, 2008 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या एलएडी-एनआरओ/जीएन/2008/18/134585 में प्रकाशित हुए थे।

(दो) भारतीय प्रतिभूति तथा विनिमय बोर्ड (स्टॉक ब्रोकर एंड सब-ब्रोकर्स) (संशोधन) विनियम, 2008 जो 11 अगस्त, 2008 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या एलएडी-एनआरओ/जीएन/2008/20/134766 में प्रकाशित हुए थे।

(तीन) भारतीय प्रतिभूति तथा विनिमय बोर्ड (पोर्टफोलियो मैनेजर्स) (संशोधन) विनियम, 2008 जो 11 अगस्त, 2008 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या एलएडी-एनआरओ/जीएन/2008/19/134764 में प्रकाशित हुए थे।

(चार) भारतीय प्रतिभूति तथा विनिमय बोर्ड (म्यूचुअल फंड्स) (संशोधन) विनियम, 2008 जो 16 अप्रैल, 2008 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या एलएडी-एनआरओ/जीएन/2008/03/123042 में प्रकाशित हुए थे।

(पांच) भारतीय प्रतिभूति तथा विनिमय बोर्ड (म्यूचुअल फंड्स) (दूसरा संशोधन) विनियम, 2008 जो 22 मई, 2008 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या एलएडी-एनआरओ/जीएन/2008/09/126202 में प्रकाशित हुए थे।

(छह) भारतीय प्रतिभूति तथा विनिमय बोर्ड (विदेशी संस्थागत निवेशक) (संशोधन) विनियम, 2008 जो 22 मई, 2008 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या एलएडी-एनआरओ/जीएन/2008/10/126204 में प्रकाशित हुए थे।

(सात) भारतीय प्रतिभूति तथा विनिमय बोर्ड (इंटरमीडियरीज) विनियम, 2008 जो 26 मई, 2008 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या एलएडी-एनआरओ/जीएन/2008/11/126538 में प्रकाशित हुए थे।

(आठ) भारतीय प्रतिभूति तथा विनिमय बोर्ड (पब्लिक ऑफर एंड लिस्टिंग ऑफ सेक्यूरीटाईज्ड डेट इंस्ट्रूमेंट्स) विनियम, 2008 जो 26 मई, 2008 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या एलएडी-एनआरओ/जीएन/2008/12/126567 में प्रकाशित हुए थे।

(नौ) भारतीय प्रतिभूति तथा विनिमय बोर्ड (इश्यू एंड लिस्टिंग ऑफ डेट सेक्यूरीटीज) विनियम, 2008 जो 6 जून, 2008 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या एलएडी-एचआरडी/जीएन/2008/13/127878 में प्रकाशित हुए थे।

(दस) भारतीय प्रतिभूति तथा विनिमय बोर्ड (कस्टडियन ऑफ सिक्युरिटीज) (संशोधन) विनियम, 2008 जो 4 जुलाई, 2008 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या 11/एलसी/जीएन/15/2008/130775 में प्रकाशित हुए थे।

(38) अधिसूचना संख्या एलएडी-एनआरओ/जीएन/2008/01/122441 जो 8 अप्रैल, 2008 को भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जिसके द्वारा 21 अप्रैल, 2008 को भारतीय प्रतिभूति तथा विनिमय बोर्ड (म्युचुअल फंड्स) (दूसरा संशोधन) विनियम, 2007 के विनियम 2 के उपविनियम (एक) के प्रयोजनार्थ अधिसूचित तारीख विनिर्दिष्ट किया गया है; और उक्त विनियम के अधीन जारी भारतीय प्रतिभूति तथा विनिमय बोर्ड (विदेशी संस्थागत निवेशक) (दूसरा संशोधन) विनियम, 2007 का विनियम 2 की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(39) सिक्युरिटी प्रिंटिंग एंड मिंटिंग कारपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड तथा वित्त मंत्रालय के बीच वर्ष 2008-2009 के लिए हुए समझौता ज्ञापन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(40) निक्षेप बीमा और प्रत्यय गारंटी निगम अधिनियम, 1961 की धारा 32 की उपधारा (दो) के अधीन 31 मार्च, 2008 को समाप्त हुए वर्ष के लिए निक्षेप बीमा और प्रत्यय गारंटी निगम के वार्षिक प्रतिवदेन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरिक्षित लेखे।

(41) भारतीय निर्यात-आयात बैंक अधिनियम, 1981 की धारा 39 की उपधारा (तीन) के अधीन अधिसूचना संख्या एक्जीम/पेंशन/2007/एफ नं॰ 11/3/2001-आईआर (खंड-तीन) जो 8 सितम्बर, 2007 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी, के भारतीय निर्यात-आयात बैंक (कर्मचारी) पेंशन (संशोधन) विनियम, 2007 की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(42) उपर्युक्त (41) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारणों को दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(43) भारतीय स्टेट बैंक (संशोधन) सामान्य विनियम, 2007 जो भारतीय स्टेट बैंक अधिनियम, 1955 की धारा 50 की उपधारा (4) के अधीन 17 मई, 2008 के

भारत के साप्ताहिक राजपत्र में अधिसूचना संख्या 45-6 नवंबर, 1999 में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(44) बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) अधिनियम, 1970 की धारा 19 की उपधारा (4) के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):—

(एक) बैंक ऑफ महाराष्ट्र ऑफिसर इंप्लाइज (अनुशासन और अपील) (संशोधन) विनियम, 2003 जो 15 सितम्बर, 2007 के भारत के साप्ताहिक राजपत्र में अधिसूचना संख्या संदर्भ सं॰ एएक्स 1/एसटी/डी एम/173/2007 में प्रकाशित हुए थे।

(दो) इंडियन ओवरसीज बैंक (अधिकारी) सेवा संशोधन विनियम, 2008 जो 5 अप्रैल, 2008 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या एसओ पीएडी/एसयूपी/177 में प्रकाशित हुए थे।

(45) उपर्युक्त (44) की मद संख्या (एक) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारणों को दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(46) (एक) इन्स्टिट्यूट ऑफ टेक्सटाइल मैनेजमेंट, कोयम्बटूर के वर्ष 2007-2008 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) इन्स्टिट्यूट ऑफ टेक्सटाइल मैनेजमेंट, कोयम्बटूर के वर्ष 2007-2008 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(47) (एक) मैन-मेड टेक्सटाइल्स रिसर्च एसोसिएशन, सूरत के वर्ष 2007-2008 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) मैन-मेड टेक्सटाइल्स रिसर्च एसोसिएशन, सूरत के वर्ष 2007-2008 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(48) भारतीय तार अधिनियम, 1885 की धारा 7 की उपधारा (5) के अंतर्गत भारतीय तार (संशोधन) नियम, 2008 जो 18 जुलाई, 2008 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना

संख्या सा॰का॰नि॰ 547(अ) में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(49) भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण अधिनियम, 1997 की धारा 37 के अंतर्गत दूरसंचार अंतर्संबंध प्रयोग प्रभार (नौवां संशोधन) विनियम, 2008 जो 28 मार्च, 2008 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या एफ संख्या 409-22/2007-एफ॰एन॰ में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(50) उपर्युक्त (49) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(51) भारतीय डाकघर अधिनियम, 1898 की धारा 74 की उपधारा (4) के अंर्तगत भारतीय डाकघर (चौथा संशोधन) नियम, 2008 जो 26 मई, 2008 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सा॰का॰नि॰ 400 (अ) में प्रकाशित हुए थे की एक प्रति।

(52) कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 619क की उपधारा (1) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):—

(एक) हिन्दुस्तान वेजिटेबल ऑयल कारपोरेशन लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 2004-05 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) हिन्दुस्तान वेजिटेबल आयल्स कारपोरेशन लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 2004-05 के वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

(53) उपर्युक्त (52) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(54) (एक) भारतीय खाद्य निगम, नई दिल्ली के वर्ष 2005-06 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) भारतीय खाद्य निगम, नई दिल्ली के वर्ष 2005-06 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(55) उपर्युक्त (54) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(56) भारतीय खाद्य निगम के वर्ष 2006-07 के वार्षिक प्रतिवेदनों तथा लेखापरीक्षित लेखाओं को लेखा वर्ष की समाप्ति के पश्चात् नौ माह की नियत अवधि के भीतर

सभा पटल पर न रखे जाने के कारणों को स्पष्ट करने वाले विवरण की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(57) आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 की धारा 3 की उपधारा (6) के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)—

(एक) सा॰का॰नि॰ 278(अ)/आ॰व॰/गन्ना जो 10 अप्रैल, 2008 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनमें वर्ष 2007-08 के लिए उसमें उल्लिखित राज्यों के संबंध में गन्ना का न्यूनतम मूल्य निर्धारित करने संबंधी आदेश अंतर्विष्ट है।

(दो) सा॰का॰नि॰ 601(अ)/आ॰व॰/गन्ना जो 19 अगस्त, 2008 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनमें वर्ष 2007-08 के लिए उसमें उल्लिखित राज्यों के संबंध में गन्ना का न्यूनतम मूल्य निर्धारित करने संबंधी आदेश अंतर्विष्ट है।

(58) संविधान के अनुच्छेद 123(2) (क) के अंतर्गत 13 अक्तूबर, 2008 को राष्ट्रपति द्वारा प्रख्यापित कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण (संशोधन) अध्यादेश, 2008 (2008 का संख्यांक 8) की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

3. **विधेयकों पर अनुमति**

(I) महासचिव ने 17 अप्रैल, 2008 को सभा द्वारा दी गई पिछली सूचना के पश्चात् चौदहवीं लोक सभा के तेरहवें सत्र के दूसरे भाग के दौरान संसद की दोनों सभाओं द्वारा पारित तथा राष्ट्रपति की अनुमति प्राप्त निम्नलिखित 4 विधेयक सभा पटल पर रखे:—

1. विनियोग (रेल) संख्यांक 3 विधेयक, 2008;

2. विनियोग (संख्यांक 2) विधेयक, 2008;

3. वित्त विधेयक, 2008; और

4. जवाहरलाल स्नातकोत्तर आयुर्विज्ञान शिक्षा और अनुसंधान संस्थान, पुडुचेरी विधेयक, 2008।

(II) महासचिव ने राज्य सभा के महासचिव द्वारा विधिवत् अधिप्रमाणित संसद की दोनों सभाओं द्वारा पारित और राष्ट्रपति की अनुमति प्राप्त निम्नलिखित चार विधेयकों की

प्रतियां भी सभा पटल पर रखे:—

1. परिसीमन (संशोधन) विधेयक, 2008;
2. लोक प्रतिनिधित्व (संशोधन) विधेयक, 2008;
3. रेल (संशोधन) विधेयक, 2008; और
4. प्रसार भारती (भारतीय प्रसारण निगम) संशोधन विधेयक, 2008।

4. **संविधान की दसवीं अनुसूची के अंतर्गत अध्यक्ष के विनिश्चय**

महासचिव ने निम्नलिखित पांच मामलों में संविधान की दसवीं अनुसूची और लोक सभा सदस्य (दल-परिवर्तन के आधार पर निरर्हता) नियम, 1985 के अंतर्गत लोक सभा अध्यक्ष के विनिश्चयों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखी:—

(1) संविधान की दसवीं अनुसूची और उसके अधीन नियमों के अंतर्गत श्री अवतार सिंह भडाना, संसद सदस्य द्वारा श्री कुलदीप बिश्नोई के विरुद्ध दी गई याचिका पर दिनांक 10 सितम्बर, 2008 का विनिश्चय।

(2) संविधान की दसवीं अनुसूची और उसके अधीन नियमों के अंतर्गत प्रो॰ राम गोपाल यादव, संसद सदस्य द्वारा श्री जय प्रकाश के विरुद्ध दी गई याचिका पर दिनांक 11 सितम्बर, 2008 का विनिश्चय।

(3) संविधान की दसवीं अनुसूची और उसके अधीन नियमों के अंतर्गत प्रो॰ राम गोपाल यादव, संसद सदस्य द्वारा प्रो॰ एस॰पी॰ सिंह बघेल के विरुद्ध दी गई याचिका पर दिनांक 12 सितम्बर, 2008 का विनिश्चय।

(4) संविधान की दसवीं अनुसूची और उसके अधीन नियमों के अंतर्गत श्री प्रभुनाथ सिंह, संसद सदस्य द्वारा श्री रामस्वरूप प्रसाद के विरुद्ध दी गई याचिका पर दिनांक 3 अक्तूबर, 2008 का विनिश्चय।

(5) संविधान की दसवीं अनुसूची और उसके अधीन नियमों के अंतर्गत श्री संतोष गंगवार, संसद सदस्य द्वारा डा॰ एच॰ टी॰ संगलिअना के विरुद्ध दी गई याचिका पर दिनांक 3 अक्तूबर, 2008 का विनिश्चय।

अपराह्न 12.08 बजे

5. **प्राक्कलन समिति का प्रतिवेदन**

श्री सी॰ कुप्पुसामी ने सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय—नि:शक्त व्यक्तियों के कल्याण हेतु कार्यक्रम और योजनाओं के बारे में प्राक्कलन समिति का 18वां प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत किया।

6. लोक सभा सदस्यों के अवचार की जांच करने संबंधी समिति का प्रतिवेदन

श्री वी॰ किशोर चंद्र एस॰ देव ने लोक सभा सदस्यों के अवचार की जांच करने संबंधी समिति के तीसरे प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखी।

7. रेल अभिसमय समिति का प्रतिवेदन

श्री मदन लाल शर्मा ने ''वर्ष 2008-2009 के लिए लाभांश की दर तथा अन्य अनुषंगी मामले'' के बारे में रेल अभिसमय समिति (2004) का 9वां प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत किया।

8. महिलाओं को शक्तियां प्रदान करने संबंधी समिति का प्रतिवेदन

श्रीमती कृष्णा तीरथ ने 'अनिवासी भारतीय पतियों द्वारा परित्यक्त भारतीय महिलाओं की दुर्दशा' विषय पर महिलाओं को शक्तियां प्रदान करने संबंधी समिति (2008-09) के 12वें प्रतिवेदन (चौदहवीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्यवाही के बारे में समिति का 17वां प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत किया।

9. सूचना प्रौद्योगिकी संबंधी स्थायी समिति के प्रतिवेदन

श्री निखिल कुमार ने सूचना प्रौद्योगिकी संबंधी स्थायी समिति (2008-2009) के निम्नलिखित प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत किए:—

(1) संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (डाक विभाग) से संबंधित बैंकिंग और बीमा कार्यकलापों के माध्यम से डाक विभाग द्वारा निधियों के प्रबंधन संबंधी 62वां प्रतिवेदन।

(2) सूचना और प्रसारण मंत्रालय की अनुदानों की मांगों (2008-09) संबंधी 55वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट समिति की टिप्पणियों/सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्यवाही के बारे में 63वां प्रतिवेदन।

(3) संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (दूरसंचार विभाग) की अनुदानों की मांगों (2008-09) संबंधी 57वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट समिति की टिप्पणियों/सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्यवाही के बारे में 64वां प्रतिवेदन।

(4) संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (सूचना प्रौद्योगिकी विभाग) की अनुदानों की मांगों (2008-09) संबंधी 58वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट समिति की टिप्पणियों/सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्यवाही के बारे में 65वां प्रतिवेदन।

(5) संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (डाक विभाग) की अनुदानों की मांगों (2008-09) संबंधी 56वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट समिति की टिप्पणियों/सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्यवाही के बारे में 66वां प्रतिवेदन।

10. **रक्षा संबंधी स्थायी समिति का प्रतिवेदन**

श्री बालासाहिब विखे पाटील ने 'रक्षा और सम्बद्ध सेवाओं में विवाहित व्यक्तियों के लिए आवास की स्थिति' विषय पर रक्षा संबंधी स्थायी समिति (2008-09) का 30वां प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत किया।

11. **रेल संबंधी स्थायी समिति के प्रतिवेदन**

श्री बसुदेव आचार्य ने रेल संबंधी स्थायी समिति के निम्नलिखित प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत किए:—

(1) 'नए रेलवे जोनों का कार्यनिष्पादन' के संबंध में 32 वें प्रतिवदेन (चौदहवीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट सिफारिशों/टिप्पणियों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई संबंधी 37वां प्रतिवेदन।

(2) 'रेलवे में औद्योगिक संबंध तथा कर्मचारी कल्याण' के संबंध में 33वें प्रतिवेदन (चौदहवीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट सिफारिशों/टिप्पणियों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई संबंधी 38वां प्रतिवेदन।

(3) 'उपनगरीय और मेट्रो रेलवे' के संबंध में 34वें प्रतिवेदन (चौदहवीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट सिफारिशों/टिप्पणियों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई संबंधी 39वां प्रतिवेदन।

12. **रेल संबंधी स्थायी समिति के विवरण**

श्री बसुदेव आचार्य ने रेल संबंधी स्थायी समिति के निम्नलिखित की-गई-कार्यवाही विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखे:—

(1) 'संसाधन जुटाना' के संबंध में 10वें की-गई-कार्यवाही प्रतिवेदन (14वीं लोक सभा) के अध्याय-एक में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्यवाही को दर्शाने वाला विवरण;

(2) 'रेल मंत्रालय की वर्ष 2005-2006 की अनुदानों की मांगों' के संबंध में 18वें की-गई-कार्यवाही प्रतिवेदन (14वीं लोक सभा) के अध्याय-एक और पांच में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्यवाही को दर्शाने वाला विवरण;

(3) 'महानगरीय शहरों में टर्मिनल सुविधाएं' के संबंध में 31वें की-गई-कार्यवाही प्रतिवेदन (14 वीं लोक सभा) के अध्याय-एक और पांच में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्यवाही को दर्शाने वाला विवरण; और

(4) 'रेल मंत्रालय की वर्ष 2007-2008 की अनुदानों की मांगों' के संबंध में 35वें की-गई-कार्यवाही प्रतिवेदन (14 वीं लोक सभा) के अध्याय-एक और पांच में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्यवाही को दर्शाने वाला विवरण।

13. **वक्फ संबंधी संयुक्त संसदीय समिति के प्रतिवेदन**

श्री चंद्रकांत खैरे ने वक्फ संबंधी संयुक्त संसदीय समिति के निम्नलिखित प्रतिवेदनों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखी:—

(1) वक्फ अधिनियम, 1995 का कर्नाटक में कार्यान्वयन और कर्नाटक राज्य वक्फ बोर्ड के कार्यकरण के बारे में छठा प्रतिवेदन;

(2) वक्फ अधिनियम, 1995 का तमिलनाडु में कार्यान्वयन और तमिलनाडु राज्य वक्फ बोर्ड के कार्यकरण के बारे में सातवां प्रतिवेदन; और

(3) वक्फ अधिनियम, 1995 का बिहार में कार्यान्वयन और बिहार राज्य सुन्नी और शिया वक्फ बोर्डों के कार्यकरण के बारे में आठवां प्रतिवेदन।

अपराह्न 12.13 बजे

14. **नारियल विकास बोर्ड के लिए निर्वाचन हेतु प्रस्ताव**

श्री शरद पवार ने निम्नलिखित प्रस्ताव पेश किया:—

''कि नारियल विकास बोर्ड नियम, 1981 के नियम 4(1)(एक) और (दो) के साथ पठित नारियल विकास बोर्ड अधिनियम, 1979 की धारा 4 की उपधारा 4(ङ), के अनुसरण में, इस सभा के सदस्य, ऐसी रीति से जैसा कि अध्यक्ष निदेश दें, उक्त अधिनियम के अन्य उपबंधों और उसके अंतर्गत बनाए गए नियमों के अध्यधीन नारियल विकास बोर्ड के सदस्यों के रूप में कार्य करने के लिए अपने में से दो सदस्य निर्वाचित करें।''

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

15. **राष्ट्रीय कैडेट कोर की केन्द्रीय सलाहकार समिति के लिए निर्वाचन हेतु प्रस्ताव**

श्री ए॰ के॰ एंटनी ने निम्नलिखित प्रस्ताव पेश किया:—

''कि राष्ट्रीय कैडेट कोर अधिनियम, 1948 की धारा 12 की उपधारा 1 के खण्ड (एक) के अनुसरण में, इस सभा के सदस्य, ऐसी रीति से जैसा कि अध्यक्ष निदेश दें, उक्त अधिनियम के अन्य उपबंधों और उसके अंतर्गत बनाए गए नियमों के अध्यधीन राष्ट्रीय कैडेट कोर की

केन्द्रीय सलाहकार समिति के सदस्यों के रूप में कार्य करने के लिए अपने में से दो सदस्य निर्वाचित करें।''

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

16. **कर्मचारी राज्य बीमा निगम के लिए निर्वाचन हेतु प्रस्ताव**

श्री ऑस्कर फर्नांडीस ने निम्नलिखित प्रस्ताव पेश किया:—

''कि कर्मचारी राज्य बीमा (केन्द्रीय) नियम, 1950 के नियम 2क के साथ पठित कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1948 की धारा 4 की उपधारा (एक), के अनुसरण में, इस सभा के सदस्य, ऐसी रीति से जैसा कि अध्यक्ष निदेश दें, उक्त अधिनियम के अन्य उपबंधों और उसके अंतर्गत बनाए गए नियमों के अध्यधीन कर्मचारी राज्य बीमा निगम के सदस्यों के रूप में कार्य करने के लिए अपने में से दो सदस्य निर्वाचित करें।''

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

*17. **मंत्री द्वारा वक्तव्य**

विदेश मंत्री ने भारत के असैनिक नाभिकीय पहल के बारे में एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखा।

18. **अनुदानों की अनुपूरक मांगें (सामान्य)**

श्री पी॰ चिदम्बरम ने वर्ष 2008-09 के बजट (सामान्य) की अनुदानों की अनुपूरक मांगों को दर्शाने वाला एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत किया।

अपराह्न 12.15 बजे

19. **सरकारी विधेयक-पुर:स्थापित**

रेल (दूसरा संशोधन) विधेयक, 2008

श्री लालू प्रसाद द्वारा विधेयक पुर:स्थापित करने की अनुमति के प्रस्ताव का विरोध किया गया। प्रस्ताव स्वीकृत हुआ और विधेयक पुर:स्थापित किया गया।

20. **सरकारी विधेयक-पुर:स्थापित**

कर्मकार प्रतिकर (संशोधन) विधेयक, 2008

---

*अपराह्न 12.01 बजे

#अपराह्न 12.19 बजे

21. अध्यक्ष द्वारा बधाई

अध्यक्ष ने सभा की ओर से बीजिंग ओलम्पिक, 2008 में पुरुष वर्ग के 10 मीटर एयर राइफल शूटिंग इवेंट में अब तक का पहला स्वर्ण पदक जीतने पर श्री अभिनव बिन्द्रा को और सर्वश्री विजेद्र कुमार तथा सुशील कुमार को क्रमश: पुरुष वर्ग की 75 किलोग्राम बॉक्सिंग तथा पुरुष वर्ग की 66 किलोग्राम फ्रीस्टाइल कुश्ती के मुकाबले में कांस्य पदक जीतने पर बधाई दी।

आगे उन्होंने श्री सचिन तेंदुलकर को टेस्ट क्रिकेट में सबसे अधिक रन बनाने के लिए तथा श्री सौरव गांगुली को टेस्ट क्रिकेट में 7000 से अधिक रन बनाने वाले चौथे भारतीय बनने पर बधाई दी। उन्होंने मोहाली में अपने पहले टेस्ट मैच में पांच विकेट प्राप्त करने की बड़ी उपलब्धि प्राप्त करने पर श्री अमित मिश्रा को भी बधाई दी।

उन्होंने उन युवा भारतीय खिलाड़ियों को भी बधाई दी जिन्होंने हाल ही में पुणे में आयोजित राष्ट्रमंडल युवा खेलों में 33 स्वर्णपदक समेत 76 पदक प्राप्त कर पदक-तालिका में सर्वोच्च स्थान प्राप्त कर देश के लिए सम्मान अर्जित किया।

(सभा में व्यवधान के कारण लोक सभा अपराह्न 12.37 बजे स्थगित हुई और अपराह्न 4.00 बजे पुन: समवेत हुई)

अपराह्न 4.01 बजे

22. प्रधानमंत्री द्वारा वक्तव्य

प्रधानमंत्री ने देश में आर्थिक स्थिति के बारे में एक वक्तव्य दिया।

*अपराह्न 4.18 बजे

23. सदस्यों द्वारा निवेदन

(एक) महाराष्ट्र में रेलवे बोर्ड की परीक्षाओं के दौरान उत्तर भारतीय छात्रों पर हुए हमले से उत्पन्न स्थिति के बारे में।

निम्नलिखित सदस्यों ने महाराष्ट्र में रेलवे बोर्ड की परीक्षाओं के दौरान उत्तर भारतीय छात्रों पर हुए हमले से उत्पन्न स्थिति के बारे में निवेदन किए:—

(1) श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव
(2) श्री रामजी लाल सुमन

#अपराह्न 12.22 बजे से अपराह्न 12.37 बजे तक सदस्यों ने अविलम्बनीय लोक महत्व के मामले उठाए।
*अपराह्न 4.18 बजे से सांय 5.08 बजे तक सदस्यों ने अविलम्बनीय लोक महत्व के मामले उठाए।

(3) श्री सैयद शाहनवाज हुसैन

(4) श्री राजीव रंजन सिंह 'ललन'

(5) श्री मोहम्मद सलीम

(6) श्री अनंत गंगाराम गीते

(7) श्री राजेश वर्मा

(8) श्री तथागत सत्पथी

(9) श्री गुरुदास दासगुप्त

(10) श्री खारबेल स्वाईं

(सभा में व्यवधान के कारण, लोक सभा पूरे दिन के लिए स्थगित हुई।)

सायं 5.08 बजे

(लोक सभा मंगलवार, 21 अक्तूबर, 2008 के पूर्वाह्न 11 बजे तक के लिए स्थगित हुई।)

पी॰डी॰टी॰ आचारी,
महासचिव।

GMGIPMRND—3472LS—20-10-2008.

लोक सभा

समाचार—भाग 1
(कार्यवाही का संक्षिप्त वृत्तांत)

मंगलवार, 21 अक्तूबर, 2008/29 आश्विन, 1930 (शक)

संख्या 309

पूर्वाह्न 11.00 बजे

1. **प्रश्न**

सभा में व्यवधान के कारण तारांकित प्रश्नों को मौखिक उत्तर के लिए नहीं लिया जा सका। अत: आज की कार्यसूची में सम्मिलित तारांकित प्रश्न संख्या 41—60 को अतारांकित प्रश्न माना गया और उनके उत्तर अतारांकित प्रश्न संख्या 393—622 के उत्तरों के साथ आज की कार्यवाही वृतांत में मुद्रित किए जाएंगे।

(सभा में व्यवधान के कारण लोक सभा पूर्वाह्न 11.06 बजे स्थगित हुई और मध्याह्न 12.00 बजे पुन: समवेत हुई)

मध्याह्न 12 बजे

2. **सभा पटल पर रखे गए पत्र**

निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखे गए:—

(1) निम्नलिखित शुद्धिपत्र की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)—

(एक) विद्यालय शिक्षा और साक्षरता विभाग, मानव संसाधन विकास मंत्रालय का वर्ष 2008-09 का परिणामी बजट।

(दो) उच्च शिक्षा विभाग, मानव संसाधन विकास मंत्रालय का वर्ष 2008-09 का परिणामी बजट।

(2) डिजाइन अधिनियम, 2000 की धारा 47 की उपधारा (4) के अंतर्गत डिजाइन (संशोधन) नियम, 2008 जो 17 जून, 2008 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना

संख्या का॰आ॰ 1460(अ) में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):—

(3) (एक) इंडियन इंस्टिट्यूट ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप, गुवाहाटी के वर्ष 2006-2007 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) इंडियन इंस्टिट्यूट ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप, गुवाहाटी के वर्ष 2006-2007 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(4) उपर्युक्त (3) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(5) कयर उद्योग अधिनियम, 1953 की धारा 26 की उपधारा (4) के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)—

(एक) कयर बोर्ड (कारबार का संव्यवहार, कर्मचारियों की सेवा की शर्तें और लेखाओं का अनुरक्षण) संशोधन उप-विधियां, 2007 जो 27 जून, 2007 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा॰का॰नि॰ 446(अ) में प्रकाशित हुई थीं।

(दो) कयर उद्योग (रजिस्ट्रीकरण) नियम, 2008 जो 18 अगस्त, 2008 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या का॰आ॰ 2061(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(6) उपर्युक्त (5) की मद संख्या (एक) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(7) नेशनल स्मॉल इंडस्ट्रीज कारपोरेशन लिमिटेड तथा सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय के बीच वर्ष 2008-2009 के लिए हुए समझौता ज्ञापन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(8) खादी और ग्रामोद्योग आयोग अधिनियम, 1956 की धारा 10 और 15 के अंतर्गत जारी निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):—

(एक) का॰आ॰ 2052(अ) जो 14 अगस्त, 2008 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा 1 मार्च, 2007 की अधिसूचना संख्या का॰आ॰ 306(अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं।

(दो) का॰आ॰ 2264(अ) जो 24 सितम्बर, 2008 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित

हुआ था तथा जिसके द्वारा 1 मार्च, 2007 की अधिसूचना संख्या का॰आ॰ 306(अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं।

(9) (एक) प्रौद्योगिकी विकास बोर्ड, नई दिल्ली के वर्ष 2006-2007 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) प्रौद्योगिकी विकास बोर्ड, नई दिल्ली के वर्ष 2006-2007 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(10) उपर्युक्त (9) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(11)(एक) श्री चित्रा तिरूनल इंस्टीट्यूट फॉर मेडिकल साइंसेज एण्ड टेक्नोलॉजी, तिरूवनंतपुरम के वर्ष 2006-2007 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) श्री चित्रा तिरूनल इंस्टीट्यूट फॉर मेडिकल साइंसेज एण्ड टेक्नालॉजी, तिरूवनंतपुरम के वर्ष 2006-2007 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(12) उपर्युक्त (11) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(13) (एक) सत्येन्द्र नाथ बोस नेशनल सेंटर फॉर बेसिक साइंसेज, कोलकाता के वर्ष 2006-2007 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) सत्येन्द्र नाथ बोस नेशनल सेंटर फॉर बेसिक साइंसेज, कोलकाता के वर्ष 2006-2007 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(14) उपर्युक्त (13) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(15) सीमा सुरक्षा बल अधिनियम, 1968 की धारा 141 की उपधारा (3) के अंतर्गत सीमा सुरक्षा बल, मुख्यालय आशुलिपिक संवर्ग भर्ती नियम, 2008 जो 30 अप्रैल, 2008 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा॰का॰नि॰ 90 में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(16)(एक) नवोदय विद्यालय समिति, नई दिल्ली के वर्ष 2006-2007 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) नवोदय विद्यालय समिति, नई दिल्ली के वर्ष 2006-2007 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(तीन) नवोदय विद्यालय समिति, नई दिल्ली के वर्ष 2006-2007 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(17) उपर्युक्त (16) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(18)(एक) सर्वशिक्षा अभियान राज्य मिशन, इटानगर के वर्ष 2006-2007 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) सर्वशिक्षा अभियान राज्य मिशन, इटानगर के वर्ष 2006-2007 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(19) उपर्युक्त (18) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(20)(एक) जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम और सर्वशिक्षा अभियान पश्चिम बंगाल, कोलकाता के वर्ष 2006-2007 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम और सर्वशिक्षा अभियान पश्चिम बंगाल, कोलकाता के वर्ष 2006-2007 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(21) उपर्युक्त (20) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(22)(एक) झारखण्ड एजुकेशन प्रोजेक्ट काउंसिल, रांची के वर्ष 2006-2007 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) झारखण्ड एजुकेशन प्रोजेक्ट काउंसिल, रांची के वर्ष 2006-2007 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(23) उपर्युक्त (22) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(24)(एक) सर्वशिक्षा अभियान प्राधिकरण, पंजाब, चंडीगढ़ के वर्ष 2005-2006 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) सर्वशिक्षा अभियान प्राधिकरण, पंजाब, चंडीगढ़ के वर्ष 2005-2006 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(25) उपर्युक्त (24) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(26) (एक) नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन, नई दिल्ली के वर्ष 2006-2007 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन, नई दिल्ली के वर्ष 2006-2007 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(तीन) नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन, नई दिल्ली के वर्ष 2006-2007 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(27) उपर्युक्त (26) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(28) श्री एस॰ एस॰ पलानीमनिक्कम संविधान के अनुच्छेद 280 के अंतर्गत अधिसूचना संख्या का॰आ॰ 2107(अ) जो 25 अगस्त, 2008 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जिसमें 13 नवम्बर, 2007 की अधिसूचना संख्या का॰आ॰ 1937(अ) में प्रकाशित आदेश का संशोधन करने वाला राष्ट्रपति का आदेश दिया गया है, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखेंगे।

(29) आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 की धारा 70 की उपधारा (1) के अंतर्गत राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के वर्ष 2006-2007 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(30) उपर्युक्त (29) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(31) राष्ट्रीय अल्पसंख्यक शैक्षिक संस्था आयोग अधिनियम, 2004 की धारा 17 के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)—

(एक) राष्ट्रीय अल्पसंख्यक शैक्षिक संस्था आयोग, नई दिल्ली का वर्ष 2006-2007 का वार्षिक प्रतिवेदन।

(दो) राष्ट्रीय अल्पसंख्यक शैक्षिक संस्था आयोग, नई दिल्ली के वर्ष 2006-2007 के वार्षिक लेखे तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(तीन) राष्ट्रीय अल्पसंख्यक शैक्षिक संस्था आयोग, के वर्ष 2006-2007 के वार्षिक प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर की गई कार्यवाही ज्ञापन।

(चार) राष्ट्रीय अल्पसंख्यक शैक्षिक संस्था आयोग, नई दिल्ली के वर्ष 2006-2007 के लेखापरीक्षा प्रतिवेदन की समीक्षा।

(32) उपर्युक्त (31) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(33)(एक) बाबासाहेब भीमराव अम्बेडकर विश्वविद्यालय, लखनऊ के वर्ष 2006-2007 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) बाबासाहेब भीमराव अम्बेडकर विश्वविद्यालय, लखनऊ के वर्ष 2006-2007 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(34) उपर्युक्त (33) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(35)(एक) इंडियन इंस्टि्टयूट ऑफ टेक्नालॉजी मद्रास, चेन्नई के वर्ष 2006-2007 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) इंडियन इंस्टि्टयूट ऑफ टेक्नालॉजी मद्रास, चेन्नई के वर्ष 2006-2007 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण), तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(तीन) इंडियन इंस्टि्टयूट ऑफ टेक्नालॉजी मद्रास, चेन्नई के वर्ष 2006-2007 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(36) उपर्युक्त (35) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(37)(एक) विश्व भारती, शांतिनिकेतन के वर्ष 2006-2007 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) विश्व भारती, शांतिनिकेतन के वर्ष 2006-2007 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण), तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(तीन) विश्व भारती, शांतिनिकेतन के वर्ष 2006-2007 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(38) उपर्युक्त (37) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(39) असम विश्वविद्यालय, सिलचर के वर्ष 2005-2006 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण), तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(40) उपर्युक्त (39) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(41)(एक) असम विश्वविद्यालय, सिलचर के वर्ष 2005-2006 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) असम विश्वविद्यालय, सिलचर के वर्ष 2005-2006 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(42) उपर्युक्त (41) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(43)(एक) असम विश्वविद्यालय, सिलचर के वर्ष 2006-2007 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) असम विश्वविद्यालय, सिलचर के वर्ष 2006-2007 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(44) उपर्युक्त (43) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(45)(एक) नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग, मुंबई के वर्ष 2006-2007 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग, मुंबई के वर्ष 2006-2007 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(तीन) नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग, मुंबई के वर्ष 2006-2007 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(46) उपर्युक्त (45) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(47)(एक) भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान दिल्ली, नई दिल्ली के वर्ष 2006-2007 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान दिल्ली, नई दिल्ली के वर्ष 2006-2007 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(तीन) भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान दिल्ली, नई दिल्ली के वर्ष 2006-2007 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(48) उपर्युक्त (47) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(49) दिल्ली विश्वविद्यालय, दिल्ली के वर्ष 2005-2006 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(50) उपर्युक्त (49) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(51) दिल्ली विश्वविद्यालय, दिल्ली के वर्ष 2006-2007 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(52) उपर्युक्त (51) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(53) तेजपुर विश्वविद्यालय, तेजपुर के वर्ष 2006-2007 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(54) उपर्युक्त (53) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(55) भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान, इलाहाबाद के वर्ष 2006-2007 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(56) उपर्युक्त (55) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(57) (एक) भारतीय प्रबंधन संस्थान, कोझीकोड के वर्ष 2006-2007 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) भारतीय प्रबंधन संस्थान, कोझीकोड के वर्ष 2006-2007 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(58) उपर्युक्त (57) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(59) (एक) भारतीय प्रबंधन संस्थान, लखनऊ के वर्ष 2006-2007 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) भारतीय प्रबंधन संस्थान, लखनऊ के वर्ष 2006-2007 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(60) उपर्युक्त (59) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(61) (एक) कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद विकास प्राधिकरण, नई दिल्ली के वर्ष 2006-2007 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(दो) कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद विकास प्राधिकरण, नई दिल्ली के वर्ष 2006-2007 के लेखा परीक्षित लेखा की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(62) उपर्युक्त (61) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

अपराह्न 12.03 बजे

3. **लोक सभा की सदस्यता से त्यागपत्र**

अध्यक्ष ने सभा को जानकारी दी कि उन्हें कर्नाटक के क्रमश: उदुपी और धारवाड़ दक्षिण संसदीय निर्वाचन क्षेत्रों से निर्वाचित सदस्य श्रीमती मनोरमा माधवराज और श्री मंजुनाथ कुन्नुर से दिनांक 18 और 20 अक्तूबर, 2008 को लोक सभा की सदस्यता से त्यागपत्र देने संबंधी पत्र प्राप्त हुए थे और यह कि उन्होंने 20 अक्तूबर, 2008 से उनके त्यागपत्र स्वीकार कर लिया है।

4. **सभा पटल पर रखे गए पत्रों संबंधी समिति के प्रतिवेदन**

श्री हन्नान मोल्लाह ने सभा पटल पर रखे गए पत्रों संबंधी समिति के 18वें और 19वें प्रतिवेदन $ (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) और उनके कार्यवाही सारांश सभा पटल पर रखा।

$18वां और 19वां प्रतिवेदन 31 जुलाई, 2008 को, जब सभा सत्र में नहीं थी, लोक सभा अध्यक्ष के निदेशों के निदेश 71 क के अंतर्गत माननीय अध्यक्ष को प्रस्तुत किया गया था। माननीय अध्यक्ष ने लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमों के नियम 280 के अंतर्गत प्रतिवेदनों के मुद्रण, प्रकाशन और परिचालन की सहर्ष अनुमति दे दी थी।

5. सरकारी आश्वासनों संबंधी समिति के प्रतिवेदन

श्री हरिन पाठक ने आश्वासनों को छोड़े जाने संबंधी अनुरोधों के बारे में सरकारी आश्वासनों संबंधी समिति के 23वें और 24वें प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत किये।

6. महिलाओं को शक्तियां प्रदान करने संबंधी समिति का प्रतिवेदन

श्रीमती कृष्णा तीरथ ने 'महिलाओं के लिए जीवन बीमा निगम की बीमा योजनाएं' विषय के संबंध में महिलाओं को शक्तियां प्रदान करने संबंधी समिति (2008-09) के 13वें प्रतिवेदन (चौदहवीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्यवाही के बारे में 18वां प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत किया।

7. रक्षा संबंधी स्थायी समिति का प्रतिवेदन

श्री बालासाहिब विखे पाटील ने 'सशस्त्र बलों में तनाव प्रबंधन' विषय के बारे में रक्षा संबंधी स्थायी समिति (2008-2009) का 31वां प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत किया।

8. वित्त संबंधी स्थायी समिति का प्रतिवेदन

श्री अनंत कुमार ने केन्द्रीय कर विधेयक, 2007 पर अग्रिम विनिर्णय प्राधिकरण के बारे में वित्त संबंधी स्थायी समिति का 72वां प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत किया।

9. श्रम संबंधी स्थायी समिति के प्रतिवेदन

श्री सुरवरम सुधाकर रेड्डी ने श्रम संबंधी स्थायी समिति के निम्नलिखित प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत किए।

(1) श्रम और रोजगार मंत्रालय के कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के कार्यकरण विषय पर श्रम संबंधी स्थायी समिति का 30वां प्रतिवेदन; और

(2) वस्त्र मंत्रालय की वर्ष 2008-2009 की अनुदानों की मांगों के बारे में श्रम संबंधी स्थायी समिति के 29वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों/टिप्पणियों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्यवाही संबंधी 31वां प्रतिवेदन।

10. रेल संबंधी स्थायी समिति का प्रतिवेदन

श्री बसुदेव आचार्य ने 'योजनागत कार्यनिष्पादन की समीक्षा तथा 11वीं पंचवर्षीय योजना प्रक्षेपण' के बारे में रेल संबंधी स्थायी समिति का 40वां प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत किया।

11. रसायन और उर्वरक संबंधी स्थायी समिति का प्रतिवेदन

श्री अनंत गंगाराम गीते ने 'सरकारी, गैर सरकारी और सहकारी क्षेत्रों में उर्वरक उद्योग का कार्य-निष्पादन' विषय के बारे में रसायन और उर्वरक संबंधी स्थायी समिति (2008-2009) का 27वां प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत किया।

12. ग्रामीण विकास संबंधी स्थायी समिति के प्रतिवेदन

श्री कल्याण सिंह ने ग्रामीण विकास संबंधी स्थायी समिति के निम्नलिखित प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत किए।

(1) 'भूमि अर्जन (संशोधन) विधेयक, 2007' के बारे में 39वां प्रतिवेदन;

(2) 'पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन विधेयक, 2007' के बारे में 40वां प्रतिवेदन; और

(3) 'देश के ग्रामीण क्षेत्रों में पेयजल की स्थिति' के बारे में 41वां प्रतिवेदन।

13. कोयला और इस्पात संबंधी स्थायी समिति के प्रतिवेदन

डा॰ सत्यनारायण जटिया ने कोयला और इस्पात संबंधी स्थायी समिति के निम्नलिखित प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत किए:—

(1) इस्पात मंत्रालय की ''राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड के कार्य निष्पादन की समीक्षा'' विषय पर कोयला और इस्पात संबंधी स्थायी समिति के 26वें प्रतिवेदन (14वीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट सिफारिशों/टिप्पणियों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्यवाही के बारे में 34वां प्रतिवेदन; और

(2) कोयला मंत्रालय के ''कोल इंडिया लिमिटेड द्वारा पुनर्वास और पुनर्स्थापन'' विषय के बारे में 35वां प्रतिवेदन।

14. सामाजिक न्याय और अधिकारिता संबंधी स्थायी समिति के प्रतिवेदन

श्रीमती सुमित्रा महाजन ने सामाजिक न्याय और अधिकारिता संबंधी स्थायी समिति (2008-2009) के निम्नलिखित प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत किए:—

(1) #संविधान (अनुसूचित जनजातियां) (संघ राज्य क्षेत्र) आदेश (संशोधन) विधेयक, 2007 के बारे में 36वां प्रतिवेदन;

यह प्रतिवेदन 18 सितम्बर, 2008 को जब सभा सत्र में नहीं थी, लोक सभा अध्यक्ष के निदेशों के निदेश 71क के अनुसरण में माननीय अध्यक्ष को प्रस्तुत किया गया।

(2) सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय की ''नि:शक्त व्यक्तियों को सहायता और उपकरणों की खरीद/फिटिंग के लिए सहायता की योजना'' विषय पर सामाजिक न्याय और अधिकारिता संबंधी स्थायी समिति (14वीं लोक सभा) के 27वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट टिप्पणियों/सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्यवाही के बारे में 37वां प्रतिवेदन;

(3) सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय की ''वृद्ध व्यक्तियों के कल्याण के लिए एकीकृत कार्यक्रम के कार्यान्वयन में संलग्न स्वैच्छिक संगठन'' विषय पर सामाजिक न्याय और अधिकारिता संबंधी स्थायी समिति (14वीं लोक सभा) के 32वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट टिप्पणियों/सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्यवाही के बारे में 38वां प्रतिवेदन।

15. **गृह कार्य संबंधी स्थायी समिति के प्रतिवेदन**

श्री मोहन सिंह ने गृह कार्य संबंधी स्थायी समिति के निम्नलिखित प्रतिवेदनों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखी:—

(1) विदेशी अंशदान (विनियमन) विधेयक, 2006 के बारे में 134वां प्रतिवेदन;

(2) भारत-पाक सीमा पर सीमा-बाड़ पर फ्लड लाईटिंग परियोजना के बारे में 135वां प्रतिवेदन;

(3) देश में सिविल डिफेंस में सुधार और उसके सुदृढ़ीकरण के बारे में 136वां प्रतिवेदन।

16. **उद्योग संबंधी स्थायी समिति का प्रतिवेदन**

श्री वी॰के॰ ठुम्मर ने नेपा लिमिटेड (स्वामित्व का विनिवेश) विधेयक, 2007 के बारे में उद्योग संबंधी स्थायी समिति का 211वां प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखा।

17. **विज्ञान और प्रौद्योगिकी, पर्यावरण और वन संबंधी स्थायी समिति के प्रतिवेदन**

श्री फ्रांसिस फैन्थम ने विज्ञान और प्रौद्योगिकी, पर्यावरण और वन संबंधी स्थायी समिति के निम्नलिखित प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखेंगे:—

(1) केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के कार्यकरण के बारे में 192वां** प्रतिवेदन; और

(2) ग्लोबल वार्मिंग और भारत पर इसके प्रभाव के बारे में 193वां** प्रतिवेदन।

**क्रम सं॰ (1) और (2) के प्रतिवेदन 22 सितम्बर, 2008 को जब सभा सत्र में नहीं थी, राज्य सभा के माननीय सभापति के निदेशों के निदेश 31 (1) के अंतर्गत माननीय सभापति, राज्य सभा को प्रस्तुत किया गया और माननीय सभापति ने प्रतिवेदनों के मुद्रण, प्रकाशन और परिचालन की सहर्ष अनुमति दे दी थी। प्रतिवेदन की एक-एक प्रति उसी तारीख को माननीय लोक सभा अध्यक्ष को अग्रेषित कर दी गई थी।

18. स्वास्थ्य और परिवार कल्याण संबंधी स्थायी समिति के प्रतिवेदन

डा॰ करण सिंह यादव ने विभाग से सम्बद्ध स्वास्थ्य और परिवार कल्याण संबंधी संसदीय स्थायी समिति के निम्नलिखित प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखे:—

(1) ओषध और प्रसाधन सामग्री (संशोधन) विधेयक, 2007 के बारे में समिति का 30वां प्रतिवेदन; और

(2) पराचिकित्सा और भौतिक चिकित्सा केन्द्रीय परिषद विधेयक, 2007 के बारे में समिति का 31वां प्रतिवेदन।

19. स्वास्थ्य और परिवार कल्याण संबंधी स्थायी समिति के समक्ष दिया गया साक्ष्य

डा॰ करण सिंह यादव ने निम्नलिखित की एक-एक प्रति सभा पटल पर रखी:—

(1) ओषध और प्रसाधन सामग्री (संशोधन) विधेयक, 2007 के बारे में समिति के समक्ष दिया गया साक्ष्य; और

(2) पराचिकित्सा और भौतिक चिकित्सा केन्द्रीय परिषद विधेयक, 2007 के बारे में समिति के समक्ष दिया गया साक्ष्य।

अपराह्न 12.10 बजे

20. मंत्री द्वारा वक्तव्य

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री ने विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय से संबंधित विज्ञान और प्रौद्योगिकी, पर्यावरण और वन संबंधी स्थायी समिति के 177वें एवं 185वें प्रतिवेदनों में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति के बारे में एक वक्तव्य (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पर पटल पर रखा।

अपराह्न 12.11 बजे

21. राष्ट्रीय सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम बोर्ड के लिए निर्वाचन हेतु प्रस्ताव

श्री महावीर प्रसाद ने निम्नलिखित प्रस्ताव पेश किया:

''कि राष्ट्रीय सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम बोर्ड नियम, 2006 के नियम 6 के उपनियम (दो) के साथ पठित सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विकास अधिनियम, 2006 की धारा 3 की उपधारा (3) के खण्ड (घ) के अनुसरण में, इस सभा के सदस्य, ऐसी रीति से जैसा कि अध्यक्ष निदेश दें, उक्त अधिनियम के अन्य उपबंधों और उसके अधीन बनाए गए नियमों

के अध्यधीन श्री प्रकाश परांजपे, जिनका निधन हो गया है, के स्थान पर राष्ट्रीय सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम बोर्ड के सदस्य के रूप में कार्य करने के लिए अपने में से एक सदस्य निर्वाचित करें।''

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

22. कयर बोर्ड के लिए निर्वाचन हेतु प्रस्ताव

श्री महावीर प्रसाद ने निम्नलिखित प्रस्ताव पेश किया:

''कि कयर उद्योग नियम, 1954 के नियम 4 के उपनियम (1) के खण्ड (ङ) के अनुसरण में, इस सभा के सदस्य ऐसी रीति से जैसा कि अध्यक्ष निदेश दें केन्द्रीय सरकार द्वारा विनिर्दिष्ट अवधि के लिए कयर बोर्ड के सदस्यों के रूप में कार्य करने के लिए अपने में से दो सदस्य निर्वाचित करें।''

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

अपराह्न 12.12 बजे

23. रबड़ बोर्ड के लिए निर्वाचन हेतु प्रस्ताव

श्री जयराम रमेश की ओर से श्री अश्विनी कुमार ने निम्नलिखित प्रस्ताव पेश किया:

''कि रबड़ नियम, 1955 के नियम 4 के साथ पठित रबड़ अधिनियम, 1947 की धारा (4) की उपधारा 3 के खण्ड (ङ) के अनुसरण में, इस सभा के सदस्य ऐसी रीति से जैसा कि अध्यक्ष निदेश दें, उक्त अधिनियम के अन्य उपबंधों और उसके अधीन बनाए गए नियमों के अध्यधीन श्री डी॰सी॰ श्रीकांतप्पा, जिनका निधन हो गया है के स्थान पर रबड़ बोर्ड के सदस्य के रूप में कार्य करने के लिए अपने में से एक सदस्य निर्वाचित करें।''

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

24. तम्बाकू बोर्ड के लिए निर्वाचन हेतु प्रस्ताव

श्री जयराम रमेश की ओर से श्री अश्विनी कुमार ने निम्नलिखित प्रस्ताव पेश किया:

''कि तम्बाकू बोर्ड नियम, 1976 के नियम 3 और 4 के साथ पठित तम्बाकू बोर्ड अधिनियम, 1975 की धारा 4 की उपधारा (4) के खण्ड (ख) के अनुसरण में, इस सभा के सदस्य ऐसी रीति से जैसा कि अध्यक्ष निदेश दें, उक्त अधिनियम के अन्य उपबंधों और उसके अधीन बनाए गए नियमों के अध्यधीन तम्बाकू बोर्ड के सदस्यों के रूप में कार्य करने के लिए अपने में से दो सदस्य निर्वाचित करें।''

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

25. मसाला बोर्ड के लिए निर्वाचन हेतु प्रस्ताव

श्री जयराम रमेश की ओर से श्री अश्विनी कुमार ने निम्नलिखित प्रस्ताव पेश किया:

''कि मसाला बोर्ड नियम, 1987 के नियम 5 के उपनियम (1) के साथ पठित मसाला बोर्ड अधिनियम, 1986 की धारा 3 की उपधारा (3) के खण्ड (ख) के अनुसरण में, इस सभा के सदस्य, ऐसी रीति से जैसा कि अध्यक्ष निदेश दें, उक्त अधिनियम के अन्य उपबंधों और उसके अधीन बनाए गए नियमों के अध्यधीन मसाला बोर्ड के सदस्यों के रूप में कार्य करने के लिए अपने में से दो सदस्य निर्वाचित करें।''

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

26. अनुदानों की अनुपूरक मांगें (रेल)

श्री लालू प्रसाद ने 2008-09 के लिए बजट (रेल) के संबंध में अनुदानों की अनुपूरक मांगें दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत किया।

अपराह्न 12.15 बजे

27. नियम 377 के अधीन मामले

अध्यक्षपीठ के निर्देशानुसार, निम्नलिखित सदस्यों ने उनके द्वारा उठाए जाने वाले मामलों, जैसाकि प्रत्येक सदस्य के नाम के आगे दर्शाया गया है, पर अपने वक्तव्य सभा पटल पर रखे:—

(1) श्री जे॰एम॰ आरुन रशीद द्वारा हज यात्रियों के कोटा को युक्तिसंगत बनाए जाने तथा तमिलनाडु राज्य के लिए पर्याप्त कोटा का उपबंध किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(2) श्री एस॰ के॰ खारबेनथन द्वारा तमिलनाडु को अतिरिक्त विद्युत की आपूर्ति किए जाने तथा राज्य में प्रस्तावित विद्युत परियोजनाओं की स्थापना में तेजी लाए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(3) श्री डी॰ नरबुला द्वारा पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग में एक केन्द्रीय विश्वविद्यालय की स्थापना किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(4) डा॰ करण सिंह यादव द्वारा राजस्थान के 'मियो' जनजाति को अन्य पिछड़े वर्ग की सूची में शामिल किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(5) श्री पी॰एस॰ गढ़वी द्वारा गुजरात में एक सामुद्रिक विश्वविद्यालय की स्थापना किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(6) श्री हंसराज गं॰ अहीर द्वारा महाराष्ट्र के पूर्वी विदर्भ क्षेत्र में आर्मीवर्म के कारण जिन

किसानों की फसलें नष्ट हो गई हैं, उन्हें आर्थिक पैकेज दिए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(7) श्री हरिभाऊ द्वारा राठोड़ गैर अधिसूचित और घुमंतु जनजाति संबंधी रेंके आयोग की सिफारिशों को कार्यान्वित किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(8) श्री श्रीचंद कृपलानी द्वारा एक राष्ट्रीय सिंधी टेलीवजन चैनल शुरू किए जाने तथा देश में सिंधी-आधारित कार्यक्रमों के टेलीविजन पर प्रसारण को बढ़ावा देने की आवश्यकता के बारे में।

(9) श्रीमती जयाबहन बी॰ ठक्कर द्वारा गुजरात समुद्र तट पर अंतर्राष्ट्रीय शिपयार्ड की स्थापना किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(10) श्री सुनील खां द्वारा देश में नकली दवा का प्रसार रोकने की आवश्यकता के बारे में।

(11) श्री ए॰ वी॰ बेल्लारमिन द्वारा रबड़ की कीमतों को गिरने से रोकने हेतु कदम उठाए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(12) डा॰ शफीकुर्रहमान बर्क द्वारा उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद जिले में अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान के समतुल्य सुविधाओं से युक्त केन्द्रीय सहायता प्राप्त अस्पताल खोले जाने की आवश्यकता के बारे में।

(13) श्री राजनारायण बुधौलिया द्वारा कानपुर-सागर राष्ट्रीय राजमार्ग के हमीरपुर-छतरपुर और देवरी डैम-बांदा खण्डों में पुलों के निर्माण की स्वीकृति तथा कार्य में तेजी लाए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(14) श्री राम कृपाल यादव द्वारा पूर्व मध्य रेलवे के अंतर्गत दानापुर रेलवे जोन में रेलवे द्वारा जिन किसानों की जमीन अर्जित की गई है, उनके परिवारों को रेल में नियोजन दिए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(15) श्री रमेश दुबे द्वारा मिर्जापुर संसदीय निर्वाचन क्षेत्र के भदोही क्षेत्र में स्वच्छ पेयजल उपलब्ध कराने हेतु कदम उठाए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(16) श्री अजय चक्रवर्ती द्वारा पश्चिम बंगाल के उत्तर 24 परगना जिले से होकर गुजरने वाली इच्छामती नदी से गाद निकालने और उसके प्रवाह को विनियमित किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(17) श्री फ्रांसिस के॰ जॉर्ज द्वारा पांच हेक्टेयर तक के भू-स्वामी इलायची उगाने वाले को ऋण माफी योजना में शामिल किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

28. प्रस्ताव

श्री प्रणव मुखर्जी ने निम्नलिखित प्रस्ताव पेश किया:—

''कि यह सभा लोक सभा सदस्यों के आचार की जांच करने संबंधी समिति के तीसरे प्रतिवेदन को ध्यान में रखते हुए समिति के निष्कर्षों को स्वीकार करती है कि श्री बाबूभाई के॰ कटारा ने घोर अवचार का कृत्य किया है जिससे विधायकों के समस्त बिरादरी की बदनामी हुई है और उसकी छवि खराब हुई है, तथा संकल्प करती है कि उन्हें 14वीं लोक सभा की सदस्यता से निष्कासित कर दिया जाए।''

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

अपराह्न 12.18 बजे

29. अध्यक्ष द्वारा टिप्पणी

अध्यक्ष ने निम्नलिखित टिप्पणी की:–

माननीय सदस्यों, 22 जुलाई, 2008 को श्री ब्रजेश पाठक, संसद सदस्य ने केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो का अधिकारी बताने वाले एक व्यक्ति द्वारा बहुजन समाज पार्टी के सदस्यों को विश्वास प्रस्ताव के पक्ष में मत देने हेतु कथित रूप से धमकी दिए जाने के बारे में सभा में मामला उठाया था। श्री पाठक ने सभा पटल पर कुछ दस्तावेज भी सौंपे, जो उनके अनुसार उक्त व्यक्ति द्वारा इस चेतावनी के साथ दिए गए थे कि यदि बहुजन समाज पार्टी के सदस्य विश्वास प्रस्ताव का समर्थन नहीं करते हैं तो उनकी नेता कुमारी मायावती को आपराधिक मामलों में आलिप्त किया जाएगा। जिसका विवरण उन दस्तावेजों में दिया गया था।

तत्पश्चात् मैंने निम्नलिखित टिप्पणी की:–

''श्री पाठक .... ने बहुत महत्वपूर्ण मामला उठाया। आप चाहते हैं कि मैं मामले की जांच करूं। मैंने रिकार्ड रखा है। मैं इसकी जांच करूंगा। जहां तक सुरक्षा के प्रश्न का संबंध है, आप सभी की उपस्थिति में, और राष्ट्र भी मुझे सुन रहा है, मैं माननीय गृह मंत्री से आग्रह कर रहा हूं कि वे सुनिश्चित करें कि सभी संसद सदस्यों को पूर्ण सुरक्षा प्राप्त हो।''

22 जुलाई, 2008 के मुझे लिखे अपने पत्र में श्री ब्रजेश पाठक ने उनके द्वारा सभा में लगाए गए आरोपों को दोहराया।

मैंने तथ्यात्मक रिपोर्ट प्रस्तुत करने हेतु श्री पाठक द्वारा सौंपे गए दस्तावेजों की प्रतियों को कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय को अग्रेषित करवाया।

मंत्रालय ने दिनांक 22 सितम्बर, 2008 के अपने पत्र द्वारा उन्हें केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो से प्राप्त तथ्यात्मक रिपोर्ट भेज दी है।

केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो ने अपनी तथ्यात्मक रिपोर्ट में बताया है कि श्री पाठक द्वारा सौंपे गए दस्तावेजों का मूल दस्तावेज से मिलान करने पर ''उजागर हुआ है कि दस्तावेजों की विषय-वस्तु के लोप, प्रक्षेप और कपोल-कल्पना से आशोधित की गई है।'' केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो ने यह भी बताया है कि ''केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो के निदेशक द्वारा केन्दीय अन्वेषण ब्यूरो के किसी अधिकारी को माननीय सदस्य के यहां इन दस्तावेजों के साथ उन्हें अथवा उनके राजनीतिक दल के अन्य सदस्यों को धमकी देने और उन्हें किसी खास ढंग से मत देने के लिए प्रभावित करने के लिए प्रतिनियुक्त करने का पूर्णत: कोई प्रश्न नहीं उठता।''

केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो का तथ्यात्मक रिपोर्ट में जो दिए गए उल्लेख को देखते हुए आवश्यक तौर पर एक गोपनीय दस्तावेज है, तथा इस तथ्य के दृष्टिगत भी संबंधित सबूत और दस्तावेज माननीय उच्चतम न्यायालय सहित विभिन्न न्यायालयों में लंबित कार्यवाही से संबंधित है और इस तरह ये निर्णयाधीन हैं, अत: मेरा दृष्टिकोण है कि मामले को समाप्त समझा जाए।''

अपराह्न 12.29 बजे

30. अनुपूरक अनुदानों की मांगें (सामान्य)- 2008-2009

लिया गया समय: 2 घंटे 13 मिनट

वर्ष 2008-2009 के बजट (सामान्य) के संबंध में अनुपूरक अनुदानों की मांगें संख्या 1 से 12, 14 से 25, 27 से 33, 35, 38 से 62, 64 से 74, 76, 77, 79 से 95 और 97 से 105 पर चर्चा आरंभ हुई।

(सभा में व्यवधान के कारण लोक सभा अपराह्न 12.30 बजे स्थगित हुई और अपराह्न 2.00 बजे पुन: समवेत हुई)

निम्नलिखित सदस्यों ने वाद-विवाद में भाग लिया:—

1. *श्री अनंत कुमार
2. श्री भर्तृहरि महताब
3. प्रो॰ एम॰ रामदास
4. श्री रामजीलाल सुमन
5. श्री खारबेल स्वाईं

*उन्होंने अपने भाषण के कुछ अंश सभा पटल पर भी रखा।

6. श्री अनंत गंगाराम गीते
7. श्री वरकला राधाकृष्णन
8. ** श्री एम॰ शिवन्ना
9. **श्री गणेश सिंह
10. **डा॰ रामकृष्ण कुसमरिया
11. श्री शरद पवार
12. श्री तापिर गाव
13. श्री भानु प्रताप सिंह वर्मा
14. श्री पी॰ सी॰ थॉमस
15. श्री एन॰ एन॰ कृष्णदास
16. श्री बिक्रम केसरी देव
17. श्री फ्रांसिस के॰ जॉर्ज
18. श्री के॰ एस॰ राव
19. ** श्री प्रसन्न कुमार पाटसाणी

श्री पी॰ चिदम्बरम ने वाद-विवाद का उत्तर दिया।

अनुदानों की अनुपूरक मांगें (सामान्य) संख्या 1 से 12, 14 से 25, 27 से 33, 35, 38 से 62 64 से 74, 76 77, 79 से 95 और 97 से 105 (राजस्व लेखा और पूंजीगत लेखा दोनों) वर्ष 2008-2009 के लिए अनुदानों की अनुपूरक मांगों (सामान्य) की मुद्रित सूची के स्तंभ 3 के अंतर्गत दर्शाई गई राशियों के लिए पूरी-पूरी स्वीकृत हुई।

31. सरकारी विधेयक—पुर:स्थापित

विनियोग (संख्यांक 3) विधेयक, 2007

32. सरकारी विधेयक—पारित

विनियोग (संख्यांक 3) विधेयक, 2007

श्री पी॰ चिदम्बरम द्वारा विधेयक पर विचार किए जाने का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ और विधेयक पर खंडवार विचार आरंभ हुआ।

** लिखित वक्तव्य सभा पटल पर रखे गए।

खण्ड 2 और 3 स्वीकृत हुए।

अनुसूची स्वीकृत हुई।

खण्ड 1, अधिनियमन सूत्र और विधेयक का पूरा नाम भी स्वीकृत हुए।

श्री पी॰ चिदम्बरम ने प्रस्ताव किया कि विधेयक पारित किया जाएं।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ और विधेयक पारित किया गया।

अपराह्न 4.15 बजे

33. सरकारी विधेयक—पुर:स्थापित

कर्मचारी राज्य बीमा (संशोधन) विधेयक, 2008

श्री ऑस्कर फर्नान्डीस द्वारा विधेयक पुर:स्थापित करने हेतु अनुमति का प्रस्ताव पेश किया गया। प्रस्ताव स्वीकृत हुआ और विधेयक पुर:स्थापित किया गया।

34. अध्यादेश के बारे में विवरण—सभा पटल पर रखा गया

कर्मचारी राज्य बीमा (संशोधन) अध्यादेश, 2008 द्वारा तत्काल विधायन के कारण बताने वाला एक व्याख्यात्मक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखा गया।

अपराह्न 4.16 बजे

35. सरकारी विधेयक—पारित

लिया गया समय: 1 घंटा 27 मिनट

राष्ट्रीय जूट बोर्ड विधेयक, 2006

श्री शंकर सिंह वाघेला द्वारा 30 अप्रैल, 2008 को विधेयक पर विचार किए जाने के प्रस्ताव पर आगे चर्चा जारी रही।

निम्नलिखित सदस्यों ने वाद-विवाद में भाग लिया:—

1. श्री एस॰के॰ खारवेनथन
2. श्री सांताश्री चटर्जी
3. श्री ब्रह्मानंद पंडा
4. श्री महेश कुमार कनौडिया
5. श्री अधीर चौधरी

6. श्रीमती बोचा झांसी लक्ष्मी

7. श्री सुरेश प्रभाकर प्रभु

श्री शंकर सिंह बाघेला ने वाद-विवाद का उत्तर दिया।

श्री शंकर सिंह बाघेला द्वारा विधेयक पर विचार किए जाने का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ और विधेयक पर खंड-वार विचार आरंभ हुआ।

खण्ड 2 और 3 यथासंशोधित, स्वीकृत हुए।

खण्ड 4 स्वीकृत हुआ।

खण्ड 5 यथासंशोधित, स्वीकृत हुआ।

खण्ड 6 से 26 स्वीकृत हुए।

खण्ड 1 यथासंशोधित, स्वीकृत हुआ।

अधिनियमन सूत्र यथासंशोधित, स्वीकृत हुआ।

विधेयक का पूरा नाम भी स्वीकृत हुआ।

श्री शंकर सिंह वाघेला ने प्रस्ताव किया कि विधेयक यथासंशोधित, पारित किया जाए।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ और विधेयक यथासंशोधित, पारित किया गया।

सायं 5.29 बजे

36. सरकारी विधेयक—पारित

लिया गया समय : 1 घंटा 46 मिनट

भारतीय सामुद्रिक विश्वविद्यालय विधेयक, 2007

श्री टी॰आर॰ बालू ने विधेयक पर विचार किए जाने का प्रस्ताव पेश किया।

(गणपूर्ति के अभाव में, लोक सभा सायं 5.45 बजे स्थगित हुई और सायं 6.04 बजे पुन: समवेत हुई)

निम्नलिखित सदस्यों ने वाद-विवाद में भाग लिया:—

1. श्री संतोष गंगवार

2. श्री जे॰एम॰ आरून रशीद

3. श्री समिक लाहिरी

4. श्री सुरेश प्रभाकर प्रभु

5. श्री भर्तृहरि महताब

6. श्री खारवेल स्वाईं

7. प्रो॰ एम॰ रामदास

8. श्री पी॰ सी॰ थॉमस

9. श्री पी॰ एस॰ गढ़वी

श्री टी॰आर॰ बालू ने वाद-विवाद का उत्तर दिया।

श्री टी॰ आर॰ बालू द्वारा विधेयक पर विचार किए जाने पर प्रस्ताव स्वीकृत हुआ और विधेयक पर खंड-वार विचार आरंभ हुआ।

खण्ड 2 यथासंशोधित स्वीकृत हुआ।

खण्ड 3 स्वीकृत हुआ।

खण्ड 4 और 5 यथासंशोधित, स्वीकृत हुए।

खण्ड 6 और 7 स्वीकृत हुए।

खण्ड 8 और 9 यथासंशोधित, स्वीकृत हुए।

खण्ड 10 से 29 स्वीकृत हुए।

खण्ड 30 यथासंशोधित, स्वीकृत हुआ।

खण्ड 31 से 34 स्वीकृत हुए।

खण्ड 35 और 36 यथासंशोधित, स्वीकृत हुए।

खण्ड 37 से 45 स्वीकृत हुए।

खण्ड 46 यथासंशोधित, स्वीकृत हुआ।

खण्ड 47 और 48 स्वीकृत हुए।

खण्ड 49 और 50 यथासंशोधित, स्वीकृत हुए।

अनुसूची, खण्ड 1 और अधिनियमन सूत्र यथासंशोधित, स्वीकृत हुए।

विधेयक का पूरा नाम भी स्वीकृत हुआ।

श्री टी॰ आर॰ बालू ने प्रस्ताव किया कि विधेयक यथासंशोधित, पारित किया जाए।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ और विधेयक यथासंशोधित, पारित किया गया।

*रात्रि 8.40 बजे

(लोक सभा बुधवार, 22 अक्तूबर, 2008 के पूर्वाह्न 11.00 बजे के लिए स्थगित हुई)

पी०डी०टी० आचारी,
महासचिव।

---

*सायं 7.42 बजे से रात्रि 8.40 बजे तक सदस्यों ने अविलंबनीय लोक महत्व के मामले उठाए।

GMGIPMRND—3527LS—21-10-2008.

लोक सभा

समाचार—भाग 1

(कार्यवाही का संक्षिप्त वृत्तांत)

बुधवार, 22 अक्तूबर, 2008/30 आश्विन, 1930 (शक)

संख्या 310

पूर्वाह्न 11.00 बजे

1. अध्यक्ष द्वारा उल्लेख

अध्यक्ष ने सभा की ओर से इसरो के अध्यक्ष डा॰ जी॰ माधवन नायर और उनके समर्पित वैज्ञानिकों की टीम तथा उन सभी व्यक्तियों को बधाई दी जो 22.10.2008 को सतीश धवन अंतरिक्ष केन्द्र, श्रीहरिकोटा, आंध्र प्रदेश से द्विवर्षीय मिशन के लिए भारत के पहले मानव रहित चन्द्र अंतरिक्षयान, 'चन्द्रयान-1' के सफल प्रक्षेपण से सहयोजित थे।

अध्यक्ष ने सभा की ओर से मोहाली, पंजाब में आस्ट्रेलियाई टीम के विरुद्ध 320 रनों की शानदार जीत पर भारतीय क्रिकेट टीम को भी बधाई दी।

2. प्रश्न

सभा में व्यवधान के कारण तारांकित प्रश्नों को मौखिक उत्तर के लिए नहीं लिया जा सका। अत: कार्य-सूची में तारांकित प्रश्न संख्या 61—80 को अतारांकित माना गया और उनके उत्तर अतारांकित प्रश्न संख्या 623—852 के उत्तरों के साथ आज की कार्यवाही वृत्तांत में मुद्रित किए जाएंगे।

पूर्वाह्न 11.15 बजे

3. सदस्य का सभा से बाहर जाना

चूंकि श्री अब्दुल्लाकुट्टी संसद सदस्य सभा में प्ले कार्ड प्रदर्शित नहीं करने संबंधी अध्यक्षपीठ के निदेश की अवमानना करते हुए निरंतर सभा की कार्यवाही में व्यवधान उत्पन्न करते रहे, अध्यक्ष ने लोक सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमों के नियम 373 के अधीन उन्हें पूरे दिन के लिए सभा से बाहर जाने का निदेश दिया।

तत्पश्चात्, श्री अब्दुल्लाकुट्टी सभा से बाहर चले गए।

(सभा में व्यवधान के कारण लोक सभा पूर्वाह्न 11.23 बजे स्थगित हुई और अपराह्न 2.00 बजे पुनः समवेत हुई)

अपराह्न 2 बजे

4. सभा पटल पर रखे गए पत्र

निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखे गए:—

(1) निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):—

(एक) उत्तर पूर्व क्षेत्र विजन 2020.

(दो) उत्तर पूर्व क्षेत्र विजन 2020-उपाबंध।

(2) कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 619क की उपधारा (1) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):—

(एक) शिपिंग कारपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, मुम्बई के वर्ष 2007-2008 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) शिपिंग कारपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, मुम्बई का वर्ष 2007-2008 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

(3) महापत्तन न्यास अधिनियम, 1963 की धारा 124 की उपधारा (4) के अंतर्गत अधिसूचना संख्या सा॰का॰नि॰ 603(अ) जो 21 अगस्त, 2008 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जिसके द्वारा तूतीकोरिन पत्तन न्यास कर्मचारी (भर्ती, वरिष्ठता और पदोन्नति) विनियम, 2008 का अनुमोदन किया गया है, कि एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(4) (एक) राजीव गांधी नेशनल इंस्टिट्यूट ऑफ यूथ डेवलमेंट, श्रीपेरुम्बुदूर के वर्ष 2006-2007 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) राजीव गांधी नेशनल इंस्टिट्यूट ऑफ यूथ डेवलमेंट, श्रीपेरुम्बुदूर के वर्ष 2006-2007 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(5) उपर्युक्त (4) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(6) विश्व मामलों से संबंधित भारतीय परिषद् अधिनियम, 2001 की धारा 27 के अंतर्गत विश्व मामलों से संबंधित भारतीय परिषद्, नई दिल्ली के वर्ष 2007-08 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(7) (एक) नेशनल इंस्टिट्यूट ऑफ होम्योपैथी, कोलकाता के वर्ष 2006-2007 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) नेशनल इंस्टिट्यूट ऑफ होम्योपैथी, कोलकाता के वर्ष 2006-2007 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(8) उपर्युक्त (7) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(9) खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम, 2006 की धारा 1 की उपधारा (3) के अंतर्गत जारी निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(एक) का० आ० 2127(अ) जो 28 अगस्त, 2008 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा 28 अगस्त, 2008 को उस तारीख के रूप में नियत किया गया है जिसको खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम, 2006 की धारा 90 के उपबंध प्रवृत्त होंगे।

(दो) का० आ० 1758(अ) जो 15 अक्तूबर, 2007 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा 15 अक्तूबर, 2007 को उस तारीख के रूप में नियत किया गया है जिसको खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम, 2006 की, उसमें उल्लिखित, धाराओं के उपबंध प्रवृत्त होंगे।

(तीन) का० आ० 1246(अ) जो 28 मई, 2008 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा 28 मई, 2008 को उस तारीख के रूप में नियत किया गया है जिसको खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम, 2006 की धारा 3 और 30 के उपबंध प्रवृत्त होंगे।

(10) खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम, 2006 की धारा 93 के अंतर्गत भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण (अध्यक्ष और सदस्यों के वेतन, भत्ते तथा सेवा की

अन्य शर्तें) नियम, 2008 जो 4 जुलाई, 2008 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा०का०नि० 497(अ) में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(11) खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम, 2006 की धारा 4 और 5 की उपधारा (1) के अंतर्गत जारी अधिसूचना संख्या का०आ० 2165(अ) जो 5 सितम्बर, 2008 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जिसके द्वारा उक्त अधिनियम के प्रयोजनार्थ, उसमें उल्लिखित, अध्यक्ष और सदस्यों से मिलकर बनने वाले भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण को अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से स्थापित किया गया है, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(12) खाद्य अपमिश्रण निवारण अधिनियम, 1954 की धारा 23 के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):—

(एक) खाद्य अपमिश्रण निवारण (तीसरा संशोधन) नियम, 2008, जो 18 जून, 2008 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा०का०नि० 467(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(दो) खाद्य अपमिश्रण निवारण (चौथा संशोधन) नियम, 2008, जो 5 जुलाई, 2008 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा०का०नि० 500(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(13) खाद्य अपमिश्रण निवारण अधिनियम, 1954 के अंतर्गत जारी अधिसूचना संख्या सा०का०नि० 383(अ) जो 16 मई, 2008 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जिसमें 21 अगस्त, 2006 की अधिसूचना संख्या सा०का०नि० 491(अ) का शुद्धिपत्र दिया है, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(14) (एक) सेन्ट्रल काउंसिल फॉर रिसर्च इन यूनानी मेडिसिन, नई दिल्ली के वर्ष 2006-2007 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) सेन्ट्रल काउंसिल फॉर रिसर्च इन यूनानी मेडिसिन, नई दिल्ली के वर्ष 2006-2007 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(15) उपर्युक्त (14) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(16) खान और खनिज (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1957 की धारा 26 की उपधारा (1) के अंतर्गत जारी अधिसूचना संख्या का॰आ॰ 2142(अ) जो 1 सितम्बर, 2008 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जिसके द्वारा स्थायी समिति के पदधारी वाइस-चेयरमैन के बदल जाने के परिणामस्वरूप 20 जून, 1988 की अधिसूचना संख्या का॰आ॰ 594(अ) जिसे तत्पश्चात् 18 अगस्त, 2003 के आदेश सं॰ 932(अ) द्वारा संशोधित किया गया था, में प्रकाशित मूल आदेश में कतिपय संशोधन किए गए हैं, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(17) राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 की धारा 10 के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):—

(एक) का॰आ॰ 1088(अ) जो 5 मई, 2008 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो महाराष्ट्र राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 9 (पूणे-शोलापुर खण्ड) पर स्थायी लम्बोटी पुल के प्रयोक्ताओं से उद्ग्रहणीय पुल शुल्क की दरों के बारे में है।

(दो) का॰आ॰ 1562(अ) जो 26 जून, 2008 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो महाराष्ट्र राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 7 (नागपुर-हैदराबाद खण्ड) के निर्माण (चौड़ा करने), अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए विशेष भूमि अर्जन अधिकारी (सामान्य), नागपुर को ऐसे अधिकारी के कार्यों के निष्पादन के लिए सक्षम प्राधिकारी के रूप में प्राधिकृत किए जाने के बारे में है।

(तीन) का॰आ॰ 1624(अ) जो 7 जुलाई, 2008 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा 2 मार्च, 2001 की अधिसूचना संख्या का॰आ॰ 194(अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं।

(चार) का॰आ॰ 2043(अ) जो 14 अगस्त, 2008 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो महाराष्ट्र राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 8 के निर्माण (चौड़ा करने/छह लेन वाला बनाने, आदि), अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन हेतु उसमें उल्लिखित अधिकारियों को प्राधिकृत किए जाने के बारे में है।

(पांच) का॰आ॰ 1084(अ) जो 5 मई, 2008 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित

हुआ था तथा जिसके द्वारा 14 फरवरी, 2007 की अधिसूचना संख्या का॰आ॰ 294(अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं।

(छह) का॰आ॰ 1085(अ) जो 5 मई, 2008 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा 14 फरवरी, 2007 की अधिसूचना संख्या का॰आ॰ 295(अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं।

(सात) का॰आ॰ 1437(अ) जो 11 जून, 2008 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो महाराष्ट्र राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 6 (दुर्ग–नागपुर खण्ड), उपमार्गों के निर्माण सहित, के निर्माण (चौड़ा करने), अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।

(आठ) का॰आ॰ 1126(अ) जो 13 मई, 2008 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो महाराष्ट्र राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 8 (मैनोर–दहीसर खण्ड) के चार लेन वाले भाग के प्रयोक्ताओं से उद्ग्रहणीय शुल्क की दरों के बारे में है।

(नौ) का॰आ॰ 1228(अ) जो 27 मई, 2008 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो उत्तर प्रदेश राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 2 (आगरा–शिकोहाबाद खण्ड) के चार लेन वाले भाग के प्रयोक्ताओं से उद्ग्रहणीय शुल्क की दरों के बारे में है।

(दस) का॰आ॰ 1390(अ) जो 6 जून, 2008 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो गुजरात राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 14 (पालनपुर–राधनपुर खण्ड) के चार लेन वाले भाग के प्रयोक्ताओं से उद्ग्रहणीय शुल्क की दरों के बारे में है।

(ग्यारह) का॰आ॰ 1391(अ) जो 6 जून, 2008 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो बिहार राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 2 (मोहनिया–बारून खण्ड) के चार लेन वाले भाग के प्रयोक्ताओं से उद्ग्रहणीय शुल्क की दरों के बारे में है।

(बारह) का॰आ॰ 1392(अ) जो 6 जून, 2008 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो उड़ीसा राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 5 (छतिया–भद्रक खण्ड) के चार लेन वाले भाग के प्रयोक्ताओं से उद्ग्रहणीय शुल्क की दरों के बारे में है।

(तेरह) का॰आ॰ 1565(अ) जो 26 जून, 2008 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो आंध्र प्रदेश राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 5 (चिलाकालुरिपेट-विजयवाड़ा खण्ड) के चार लेन वाले भाग के प्रयोक्ताओं से उद्ग्रहणीय शुल्क की दरों के बारे में है।

(चौदह) का॰आ॰ 1615(अ) जो 3 जुलाई, 2008 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो गुजरात राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 15 (राधनपुर-आदेसार खण्ड) के चार लेन वाले भाग के प्रयोक्ताओं से उद्ग्रहणीय शुल्क की दरों के बारे में है।

(पंद्रह) का॰आ॰ 1646(अ) जो 9 जुलाई, 2008 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो हरियाणा राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 1 से 5 के प्रयोक्ताओं से, उसमें उल्लिखित मैकेनिकल वाहनों पर शुल्क एकत्र करने तथा बनाए रखने के लिए अनुदानग्राही को प्राधिकृत किए जाने के बारे में है।

(सोलह) का॰आ॰ 900(अ) जो 22 अप्रैल, 2008 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो महाराष्ट्र राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 6 (कोंधाली-तालेगांव खण्ड) के प्रयोक्ताओं से उद्ग्रहणीय शुल्क की दरों के बारे में है।

(सत्रह) का॰आ॰ 345(अ) जो 16 फरवरी, 2008 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो उत्तर प्रदेश राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या एनई-2 (इस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे) (बागपत खण्ड) के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।

(आठरह) का॰आ॰ 480(अ) जो 12 मार्च, 2008 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा 7 अप्रैल, 2006 की अधिसूचना संख्या का॰आ॰ 513(अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं।

(उन्नीस) का॰आ॰ 481(अ) जो 12 मार्च, 2008 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा 4 दिसम्बर, 2007 की अधिसूचना संख्या का॰आ॰ 2087(अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं।

(बीस) का॰आ॰ 275(अ) जो 7 फरवरी, 2008 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो उत्तर प्रदेश राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या एनई-2 (इस्टर्न

पेरिफेरल एक्सप्रेसवे ऑफ दिल्ली) (गाजियाबाद खण्ड) के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।

(इक्कीस) का॰आ॰ 526(अ) जो 19 मार्च, 2008 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो उत्तर प्रदेश राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 28 के निर्माण (चौड़ा करने/चार लेन वाला बनाने, आदि), अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।

(बाईस) का॰आ॰ 2216(अ) जो 28 दिसम्बर, 2007 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो उत्तर प्रदेश राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग एनई-2 (इस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे) (बागपत खण्ड) के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।

(तेईस) का॰आ॰ 2217(अ) जो 28 दिसम्बर, 2007 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा 22 अक्तूबर, 2007 की अधिसूचना संख्या का॰आ॰ 1791(अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं।

(चौबीस) का॰आ॰ 541(अ) जो 20 मार्च, 2008 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो महाराष्ट्र राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 6 (दुर्ग-नागपुर खण्ड) के निर्माण (चार लेन वाला बनाने), अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।

(पच्चीस) का॰आ॰ 474(अ) जो 11 मार्च, 2008 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा 18 अप्रैल, 2007 की अधिसूचना संख्या का॰आ॰ 633(अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं।

(छब्बीस) का॰आ॰ 540(अ) जो 20 मार्च, 2008 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो महाराष्ट्र राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 6 (दुर्ग-नागपुर खण्ड) के निर्माण (चार लेन वाला बनाने), अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।

(सत्ताईस) का॰आ॰ 787(अ) जो 31 मार्च, 2008 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो महाराष्ट्र राज्य में पुणे, नासिक रोड राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 50 के ज्यामितीय सुधार के साथ लघु पुलों के निर्माण के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।

(अट्ठाईस) का॰आ॰ 475(अ) जो 11 मार्च, 2008 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो महाराष्ट्र राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 3 (मध्य प्रदेश/महाराष्ट्र सीमा से धुले तक) के निर्माण (चार लेन वाला बनाने), अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।

(उनतीस) का॰आ॰ 1501(अ) जो 20 जून, 2008 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो उत्तर प्रदेश राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 2 और 25 (भोगनीपुर–बारा और कराई–भोगनीपुर खण्ड) के निर्माण (चौड़ा करने/चार लेन वाला बनाने, आदि), अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।

(तीस) का॰आ॰ 2063(अ) जो 18 अगस्त, 2008 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो उत्तर प्रदेश राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 2 और 25 (भोगनीपुर–बारा और कराई–भोगनीपुर खण्ड) के निर्माण (चौड़ा करने/चार लेन वाला बनाने, आदि), अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।

(इकतीस) का॰आ॰ 2014(अ) जो 11 अगस्त, 2008 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो उत्तर प्रदेश राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 24 (हापुड़–मुरादाबाद खण्ड) के निर्माण (चौड़ा करने/चार लेन वाला बनाने), अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।

(बत्तीस) का॰आ॰ 2015(अ) जो 11 अगस्त, 2008 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो उत्तर प्रदेश राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 87 के निर्माण (चौड़ा करने/चार लेन वाला बनाने, आदि), अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।

(तैंतीस) का॰आ॰ 1198(अ) जो 23 मई, 2008 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो उत्तराखण्ड राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 72 के निर्माण (चौड़ा करने/चार लेन वाला बनाने, आदि), अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।

(चौंतीस) का॰आ॰ 1124(अ) जो 9 मई, 2008 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसमें 24 नवम्बर, 2006 की अधिसूचना संख्या का॰आ॰ 2015(अ) का शुद्धिपत्र दिया गया है।

(पैंतीस) का॰आ॰ 810(अ) जो 3 अप्रैल, 2008 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो उत्तराखण्ड राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 58 के निर्माण (चौड़ा करने/चार लेन वाला बनाने), अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन हेतु विशेष भूमि अर्जन अधिकारी, हरिद्वार को प्राधिकृत किए जाने के बारे में है।

(छत्तीस) का॰आ॰ 1651(अ) जो 10 जुलाई, 2008 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो हरियाणा राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 22 (जिरकपुर-पंचकुला-कालका खण्ड) के निर्माण (चौड़ा करने/चार लेन वाला बनाने, आदि), अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।

(सैंतीस) का॰आ॰ 1652(अ) और का॰आ॰ 1653(अ) जो 10 जुलाई, 2008 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जो हरियाणा राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 10 (रोहतक-हिसार खण्ड) के निर्माण (चौड़ा करने/चार लेन वाला बनाने, आदि), अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।

(अड़तीस) का॰आ॰ 807(अ) से का॰आ॰ 809(अ) जो 3 अप्रैल, 2008 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जो पंजाब राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 15 (पठानकोट-अमृतसर खण्ड) के विभिन्न भागों के निर्माण (चौड़ा करने/चार लेन वाला बनाने), अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।

(उनतालीस) का॰आ॰ 854(अ) और का॰आ॰ 855(अ) जो 11 अप्रैल, 2008 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जो पंजाब राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 1क (जालंधर-पठानकोट खण्ड) के विभिन्न भागों के निर्माण (चौड़ा करने/चार लेन वाला बनाने, आदि), अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।

(चालीस) का॰आ॰ 1838(अ) जो 24 जुलाई, 2008 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो उत्तर प्रदेश राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 58 (मेरठ-मुजफ्फर नगर खण्ड) के निर्माण (चौड़ा करने/चार लेन वाला बनाने, आदि), अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।

(इकतालीस) का॰आ॰ 1869(अ) जो 29 जुलाई, 2008 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो उत्तर प्रदेश राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 28 (लखनऊ-फैजाबाद खण्ड) के निर्माण (चौड़ा करने/चार लेन वाला बनाने), अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।

(बयालीस) का॰आ॰ 1883(अ) और का॰आ॰ 1884(अ) जो 30 जुलाई, 2008 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जो उत्तर प्रदेश राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 2 (कानपुर-वाराणसी खण्ड) के विभिन्न भागों के निर्माण (चौड़ा करने/चार लेन वाला बनाने, आदि), अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।

(18) उपर्युक्त (17) की मद संख्या (सोलह) से (अट्ठाइस) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाले तेरह विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(19) राष्ट्रीय राजमार्ग नियंत्रण (भूमि और यातायात) अधिनियम, 2002 की धारा 3 और 6 के अंतर्गत जारी निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):—

(एक) का॰आ॰ 1552(अ) जो 25 जून, 2008 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा 20 जनवरी, 2005 की अधिसूचना संख्या का॰आ॰ 76(अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं।

(दो) का॰आ॰ 1553(अ) जो 25 जून, 2008 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा 20 जून, 2007 की अधिसूचना संख्या का॰आ॰ 1001(अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं।

(तीन) का॰आ॰ 1056(अ) जो 30 अप्रैल, 2008 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा 8 दिसम्बर, 2005 की अधिसूचना संख्या का॰आ॰ 1729(अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं।

(20) संविधान के अनुच्छेद 320(5) के अंतर्गत संघ लोक सेवा आयोग (परामर्श से छूट) संशोधन विनियम, 2008 जो 30 जुलाई, 2008 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा॰का॰नि॰ 567(अ) में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(21) प्रशासनिक अधिकरण अधिनियम, 1985 की धारा 37 की उपधारा (1) के अंतर्गत उड़ीसा प्रशासनिक अधिकरण (चेयरमैन, वाइस चेयरमैन और सदस्यों के वेतन तथा भत्ते और सेवा की शर्तें) संशोधन नियम, 2008, जो 22 अप्रैल, 2008 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा॰का॰नि॰ 300(अ) में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(22) (एक) इंडियन इंस्टिट्यूट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, नई दिल्ली के वर्ष 2007-2008 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) इंडियन इंस्टिट्यूट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, नई दिल्ली के वर्ष 2007-2008 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(23) उपर्युक्त (22) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(24) अखिल भारतीय सेवा अधिनियम, 1951 की धारा 3 की उपधारा (2) के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):—

(एक) भारतीय वन सेवा (संवर्ग सदस्य-संख्या का नियतन) दूसरा संशोधन विनियम, 2007 जो 12 दिसम्बर, 2007 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा॰का॰नि॰ 765(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(दो) भारतीय वन सेवा (वेतन) दूसरा संशोधन नियम, 2007 जो 12 दिसम्बर, 2007 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा॰का॰नि॰ 766(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(तीन) भारतीय प्रशासनिक सेवा (संवर्ग सदस्य-संख्या का नियतन) नौवां संशोधन विनियम, 2007 जो 24 दिसम्बर, 2007 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा॰का॰नि॰ 786(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(चार) भारतीय पुलिस सेवा (संवर्ग सदस्य-संख्या का नियतन) पांचवां संशोधन विनियम, 2007 जो 31 दिसम्बर, 2007 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा॰का॰नि॰ 795(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(पांच) भारतीय पुलिस सेवा (वेतन) पांचवां संशोधन नियम, 2007 जो 31 दिसम्बर,

2007 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा॰का॰नि॰ 796(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(छह) भारतीय प्रशासनिक सेवा (संवर्ग सदस्य-संख्या का नियतन) संशोधन विनियम, 2008 जो 8 फरवरी, 2008 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा॰का॰नि॰ 76(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(सात) भारतीय प्रशासनिक सेवा (संवर्ग सदस्य-संख्या का नियतन) दूसरा संशोधन विनियम, 2008 जो 8 फरवरी, 2008 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा॰का॰नि॰ 77(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(आठ) भारतीय प्रशासनिक सेवा (संवर्ग सदस्य-संख्या का नियतन) तीसरा संशोधन विनियम, 2008 जो 8 फरवरी, 2008 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा॰का॰नि॰ 78(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(नौ) भारतीय प्रशासनिक सेवा (संवर्ग सदस्य-संख्या का नियतन) चौथा संशोधन विनियम, 2008 जो 8 फरवरी, 2008 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा॰का॰नि॰ 79(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(दस) भारतीय प्रशासनिक सेवा (संवर्ग सदस्य-संख्या का नियतन) पांचवां संशोधन विनियम, 2008 जो 8 फरवरी, 2008 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा॰का॰नि॰ 80(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(ग्यारह) भारतीय प्रशासनिक सेवा (संवर्ग सदस्य-संख्या का नियतन) छठा संशोधन विनियम, 2008 जो 27 मार्च, 2008 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा॰का॰नि॰ 229(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(बारह) भारतीय प्रशासनिक सेवा (संवर्ग सदस्य-संख्या का नियतन) सातवां संशोधन विनियम, 2008 जो 27 मार्च, 2008 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा॰का॰नि॰ 230(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(तेरह) भारतीय प्रशासनिक सेवा (संवर्ग सदस्य-संख्या का नियतन) नौवां संशोधन विनियम, 2008 जो 27 मार्च, 2008 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा॰का॰नि॰ 231(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(चौदह) भारतीय प्रशासनिक सेवा (संवर्ग सदस्य-संख्या का नियतन) आठवां संशोधन

विनियम, 2008 जो 27 मार्च, 2008 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा॰का॰नि॰ 232(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(पंद्रह) भारतीय प्रशासनिक सेवा (संवर्ग सदस्य-संख्या का नियतन) दसवां संशोधन विनियम, 2008 जो 14 जुलाई, 2008 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा॰का॰नि॰ 519(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(सोलह) भारतीय प्रशासनिक सेवा (वेतन) संशोधन नियम, 2008 जो 14 जुलाई, 2008 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा॰का॰नि॰ 520(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(सत्रह) भारतीय पुलिस सेवा (संवर्ग सदस्य-संख्या का नियतन) संशोधन विनियम, 2008 जो 29 जुलाई, 2008 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा॰का॰नि॰ 560(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(अठारह) भारतीय पुलिस सेवा (वेतन) संशोधन विनियम, 2008 जो 29 जुलाई, 2008 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा॰का॰नि॰ 561(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(उन्नीस) भारतीय पुलिस सेवा (संवर्ग सदस्य-संख्या का नियतन) दूसरा संशोधन विनियम, 2008 जो 29 जुलाई, 2008 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा॰का॰नि॰ 562(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(बीस) भारतीय पुलिस सेवा (वेतन) दूसरा संशोधन विनियम, 2008 जो 29 जुलाई, 2008 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा॰का॰नि॰ 563(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(इक्कीस) भारतीय वन सेवा (संवर्ग सदस्य-संख्या का नियतन), संशोधन विनियम, 2008, जो 26 अगस्त, 2008 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा॰का॰नि॰ 609(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(बाईस) भारतीय वन सेवा (वेतन) संशोधन नियम, 2008, जो 26 अगस्त, 2008 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा॰का॰नि॰ 610(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(25) उपर्युक्त (24) की मद संख्या (एक) से (चौदह) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाले चौदह विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(26) दसवीं, ग्यारहवीं, बारहवीं, तेरहवीं तथा चौदहवीं लोक सभा के विभिन्न सत्रों के दौरान मंत्री द्वारा दिए गए आश्वासनों, वचनों तथा परिवचनों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्यवाही दर्शाने वाले निम्नलिखित विवरणों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

दसवीं लोक सभा

1.	विवरण संख्या छत्तीस	पांचवां सत्र, 1992
2.	विवरण संख्या अड़तीस	सातवां सत्र, 1993
3.	विवरण संख्या पैंतीस	ग्यारहवां सत्र, 1994
4.	विवरण संख्या अड़तीस	तेरहवां सत्र, 1995
5.	विवरण संख्या छब्बीस	चौदहवां सत्र, 1995

ग्यारहवीं लोक सभा

6.	विवरण संख्या सैंतीस	दूसरा सत्र, 1996
7.	विवरण संख्या सैंतीस	तीसरा सत्र, 1996
8.	विवरण संख्या अड़तीस	चौथा सत्र, 1997

बारहवीं लोक सभा

9.	विवरण संख्या तैंतालीस	दूसरा सत्र, 1998
10.	विवरण संख्या सैंतीस	तीसरा सत्र, 1998
11.	विवरण संख्या उनतालीस	चौथा सत्र, 1999

तेरहवीं लोक सभा

12.	विवरण संख्या चालीस	दूसरा सत्र, 1999
13.	विवरण संख्या चवालीस	तीसरा सत्र, 2000
14.	विवरण संख्या सैंतीस	चौथा सत्र, 2000
15.	विवरण संख्या पैंतीस	पांचवां सत्र, 2000
16.	विवरण संख्या चवालीस	छठा सत्र, 2001
17.	विवरण संख्या तैंतालीस	सातवां सत्र, 2001
18.	विवरण संख्या इकतीस	आठवां सत्र, 2001
19.	विवरण संख्या तीस	नौंवा सत्र, 2002
20.	विवरण संख्या छब्बीस	दसवां सत्र, 2002

21.	विवरण संख्या तेईस	ग्यारहवां सत्र, 2002
22.	विवरण संख्या तेईस	बारहवां सत्र, 2003
23.	विवरण संख्या बीस	तेरहवां सत्र, 2003
24.	विवरण संख्या उन्नीस	चौदहवां सत्र, 2003
	चौदहवीं लोक सभा	
25.	विवरण संख्या सत्रह	दूसरा सत्र, 2004
26.	विवरण संख्या पन्द्रह	तीसरा सत्र, 2004
27.	विवरण संख्या पन्द्रह	चौथा सत्र, 2005
28.	विवरण संख्या बारह	पांचवां सत्र, 2005
29.	विवरण संख्या ग्यारह	छठा सत्र, 2005
30.	विवरण संख्या दस	सातवां सत्र, 2006
31.	विवरण संख्या आठ	आठवां सत्र, 2006
32.	विवरण संख्या सात	नौवां सत्र, 2006
33.	विवरण संख्या छह	दसवां सत्र, 2007
34.	विवरण संख्या चार	ग्यारहवां सत्र, 2007
35.	विवरण संख्या तीन	बारहवां सत्र, 2007
36.	विवरण संख्या एक	तेरहवां सत्र, 2008

(27) पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 की धारा 26 के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):—

(एक) ओजोन ह्रासकारी पदार्थ (विनियमन और नियंत्रण) संशोधन नियम, 2007 जो 18 सितम्बर, 2007 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या का॰आ॰ 1561 (अ) में प्रकाशित हुए थे।

(दो) पर्यावरण (संरक्षण) तीसरा संशोधन नियम, 2008 जो 7 मई, 2008 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा॰का॰नि॰ 344(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(तीन) पर्यावरण (संरक्षण) पांचवां संशोधन नियम, 2008 जो 26 जून, 2008 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा॰का॰नि॰ 481(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(चार) पर्यावरण (संरक्षण) छठा संशोधन नियम, 2008 जो 6 अगस्त, 2008 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा॰का॰नि॰ 579(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(पांच) पर्यावरण (संरक्षण) सातवां संशोधन नियम, 2008 जो 18 अगस्त, 2008 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा॰का॰नि॰ 600(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(28) उपर्युक्त (27) की मद संख्या (एक) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(29) (एक) राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण, चेन्नई के वर्ष 2006-2007 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण, चेन्नई के वर्ष 2006-2007 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(30) उपर्युक्त (29) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारणों को दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(31) केन्द्रीय सिविल सेवा (पेंशन) नियम, 1972 के नियम 37क के अंतर्गत जारी अधिसूचना संख्या का॰आ॰ 1121(अ), जो 9 मई, 2008 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा उसमें उल्लिखित ट्रस्टियों से मिलकर भारतीय वानिकी अनुसंधान और शिक्षा परिषद पेंशन निधि ट्रस्ट का गठन किया गया है, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

5. राज्य सभा से संदेश

महासचिव ने राज्य सभा से प्राप्त इस संदेश की सूचना दी कि राज्य सभा ने 21 अक्तूबर, 2008 को आयोजित अपनी बैठक में ओषध और प्रसाधन सामग्री (संशोधन) विधेयक, 2008 को पारित कर दिया।

6. राज्य सभा द्वारा यथापारित विधेयक - सभा पटल पर रखा गया

ओषध और प्रसाधन सामग्री (संशोधन) विधेयक, 2008

7. लोक लेखा समिति के प्रतिवेदन

श्री भर्तृहरि महताब ने लोक लेखा समिति (2008-2009) के निम्नलिखित प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत किए:—

(1) **''विदेश मंत्रालय द्वारा संपत्ति प्रबंधन''** के बारे में लोक लेखा समिति के 51वें प्रतिवेदन (14वीं लोक सभा) पर की-गई-कार्यवाही संबंधी 75वां प्रतिवेदन; और

(2) **''कर्मचारी राज्य बीमा निगम (ईएसआईसी) का कार्यकरण''** के बारे में लोक लेखा समिति के 48वें प्रतिवेदन (14वीं लोक सभा) पर की-गई-कार्यवाही संबंधी 76वां प्रतिवेदन।

8. लाभ के पदों संबंधी संयुक्त समिति के प्रतिवेदन

श्री निखिलानन्द सर ने लाभ के पदों संबंधी संयुक्त समिति का सातवां और आठवां प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत किए।

9. सभा पटल पर रखे गए पत्रों संबंधी समिति का प्रतिवेदन

श्री हन्नान मोल्लाह ने सभा पटल पर रखे गए पत्रों संबंधी समिति का बीसवां प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उससे संबंधित कार्यवाही सारांश प्रस्तुत किया।

10. अधीनस्थ विधान संबंधी समिति के प्रतिवेदन

श्री रामजीलाल सुमन ने अधीनस्थ विधान संबंधी समिति का 20वां और 21वां प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत किए।

11. सरकारी आश्वासनों संबंधी समिति के प्रतिवेदन

श्री हरिन पाठक ने आश्वासनों को छोड़े जाने के अनुरोधों के बारे में सरकारी आश्वासनों संबंधी समिति का 25वां और 26वां प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत किए।

12. जल संसाधन संबंधी स्थायी समिति के प्रतिवेदन

श्री आर॰ सांबासिवा राव ने जल संसाधन संबंधी स्थायी समिति (2008-09) के निम्नलिखित प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत किए:—

(1) जल संसाधन मंत्रालय की अनुदानों की मांगों (2008-2009) के बारे में समिति के नौवें प्रतिवेदन (चौदहवीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट टिप्पणियों/सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्यवाही संबंधी 10वां प्रतिवेदन।

(2) ''नदियों को आपस में जोड़ना'' के बारे में 11वां प्रतिवेदन।

13. मानव संसाधन विकास संबंधी स्थायी समिति का प्रतिवेदन

श्री फ्रांसिस के॰ जार्ज ने संघ राज्य क्षेत्रों में सर्वशिक्षा अभियान, मिड-डे मील स्कीम और

एकीकृत बाल विकास सेवा स्कीम के कार्यान्वयन के बारे में मानव संसाधन विकास संबंधी स्थायी समिति का 210वां प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखा।

14. विज्ञान और प्रौद्योगिकी, पर्यावरण और वन संबंधी स्थायी समिति का प्रतिवेदन

श्री फ्रांसिस फैन्थम ने प्रतिकरात्मक वनरोपण निधि विधेयक, 2008 के बारे में विज्ञान और प्रौद्योगिकी, पर्यावरण और वन संबंधी स्थायी समिति का 194वां प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखा।

15. कार्मिक, लोक शिकायत, विधि और न्याय संबंधी स्थायी समिति का प्रतिवेदन

श्री वरकला राधाकृष्णन ने उच्चतम न्यायालय (न्यायाधीशों की संख्या) संशोधन विधेयक, 2008 के बारे में कार्मिक, लोक शिकायत, विधि और न्याय संबंधी स्थायी समिति का 28वां प्रतिवेदन** (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखा।

16. कार्य मंत्रणा समिति का प्रतिवेदन

श्री वायालार रवि ने कार्य मंत्रणा समिति का 50वां प्रतिवेदन प्रस्तुत किया।

17. मंत्रियों द्वारा वक्तव्य

(एक) विदेश मंत्री ने ''श्रीलंका'' के बारे में एक वक्तव्य (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखा।

(दो) प्रवासी भारतीय कार्य मंत्री और संसदीय कार्य मंत्री ने प्रवासी भारतीय कार्य मंत्रालय से संबंधित अनुदानों की मांगों (2008-09) के बारे में विदेशी मामलों संबंधी स्थायी समिति के 21वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति के बारे में एक वक्तव्य (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखा।

(तीन) पंचायती राज मंत्री और उत्तर पूर्व क्षेत्र विकास मंत्री ने पंचायती राज मंत्रालय से संबंधित अनुदानों की मांगों (2008-09) के बारे में ग्रामीण विकास संबंधी स्थायी समिति के 38वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति के बारे में एक वक्तव्य (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखा।

**यह प्रतिवेदन 4 अगस्त, 2008 को, जब सभा सत्र में नहीं थी, राज्य सभा के माननीय सभापति के निदेशों के निदेश 31(1) के अंतर्गत राज्य सभा के माननीय सभापति को प्रस्तुत किया गया और माननीय सभापति ने प्रतिवेदनों के मुद्रण, प्रकाशन और प्रचालन की सहर्ष अनुमति दे दी थी। प्रतिवेदन की एक प्रति उसी तारीख को माननीय लोक सभा अध्यक्ष को अग्रेषित कर दी गई थी।

(चार) प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री ने चन्द्रमा तक भारत के पहले मानव रहित वैज्ञानिक मिशन चन्द्रयान-I के सफल प्रक्षेपण के बारे में एक वक्तव्य (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखा।

18. राष्ट्रीय नौवहन बोर्ड के लिए निर्वाचन हेतु प्रस्ताव

श्री टी॰आर॰ बालू ने निम्नलिखित प्रस्ताव पेश किया:—

''कि नेशनल शिपिंग बोर्ड नियम, 1960 के नियम 3 के साथ पठित वाणिज्य पोत परिवहन अधिनियम, 1958 की धारा 4 की उपधारा (2) के खण्ड (क) के अनुसरण में, इस सभा के सदस्य, ऐसी रीति से जैसा कि अध्यक्ष निदेश दें, उक्त अधिनियम के अन्य उपबंधों और उसके अंतर्गत बनाए गए नियमों के अध्यधीन राष्ट्रीय नौवहन बोर्ड के सदस्यों के रूप में कार्य करने के लिए अपने में से चार सदस्य निर्वाचित करें।''

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

19. जवाहरलाल स्नातकोत्तर आयुर्विज्ञान शिक्षा और अनुसंधान संस्थान, पुडुचेरी के लिए निर्वाचन हेतु प्रस्ताव

डा॰ अंबुमणि रामदास ने निम्नलिखित प्रस्ताव पेश किया—

''कि जवाहरलाल स्नातकोत्तर आयुर्विज्ञान शिक्षा और अनुसंधान संस्थान, पुडुचेरी अधिनियम, 2008 की धारा 6 की उपधारा (2) के साथ पठित धारा 5 की उपधारा (1) के खण्ड (ट) के अनुसरण में, इस सभा के सदस्य, ऐसी रीति से जैसा कि अध्यक्ष निदेश दें, उक्त अधिनियम के अन्य उपबंधों के अध्यधीन जवाहरलाल स्नातकोत्तर आयुर्विज्ञान शिक्षा और अनुसंधान संस्थान के सदस्यों के रूप में कार्य करने के लिए अपने में से दो सदस्य निर्वाचित करें।''

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

अपराह्न 2.11 बजे

20. नियम 377 के अधीन मामले

अध्यक्षपीठ के निदेशानुसार, निम्नलिखित सदस्यों को नियम 377 के अधीन उठाए जाने वाले विभिन्न मामलों, जैसा कि प्रत्येक सदस्य के नाम के आगे दर्शाया गया है, पर अपने वक्तव्य सभा पटल पर रखने की अनुमति दी गई:—

(1) श्री एन॰एस॰वी॰ चित्तन द्वारा महान देशभक्त स्वतंत्रता पूर्व युग के रंगमंच कलाकार स्व॰ श्री विश्वनाथ दास के सम्मान में एक स्मारक टिकट जारी किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(2) श्री संतोष गंगवार द्वारा रायबरेली उत्तर प्रदेश में प्रस्तावित रेल कोच फैक्ट्री की स्थापना किए जाने के वैकल्पिक स्थल के रूप में बरेली के इज्जतनगर पर विचार किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(3) श्री योगी आदित्यनाथ द्वारा गोरखपुर विश्वविद्यालय को केन्द्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा दिए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(4) श्री भानु प्रताप सिंह वर्मा द्वारा अफगानिस्तान में पृथ्वीराज चौहान के समाधिस्थल की यात्रा करने के इच्छुक व्यक्तियों को तीर्थयात्री सुविधाएं दिए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(5) डा॰ सत्यनारायण जटिया द्वारा मध्य प्रदेश में जलाभाव के कारण उत्पन्न स्थिति से निपटने के लिए केन्द्रीय कोटा से विद्युत आपूर्ति किए जाने तथा केन्द्रीय सहायता दिए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(6) श्री अविनाश राय खन्ना द्वारा देश के करदाताओं को सामाजिक सुरक्षा संबंधी लाभ दिए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(7) श्री पी॰ मोहन द्वारा समुद्री कूकुम्बर को पकड़ने पर लगा प्रतिबंध हटाए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(8) श्री शैलेन्द्र कुमार द्वारा सहकारी सोसाइटियों तथा बाजारों में डीएपी और एपी उर्वरक की पर्याप्त मात्रा उपलब्ध कराए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(9) श्री आलोक कुमार मेहता द्वारा बिहार के समस्तीपुर में राजीव गांधी विद्युतीकरण योजना आरम्भ किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(10) श्री सदाशिवराव दादोबा मंडलिक द्वारा कृषि ऋण माफी योजना के प्रभावी कार्यान्वयन हेतु कठोर मार्गनिर्देश जारी किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(11) श्री के॰ येरननायडु द्वारा विद्युतकरघा उद्योग में संकट के कारण बेरोजगारी का सामना कर रहे आंध्र प्रदेश के करीमनगर जिले के विद्युतकरघा बुनकरों की दशा सुधारने के लिए कदम उठाए जाने की आवश्यकता के बारे में।

21. प्रस्ताव

श्री वी॰ किशोर चन्द्र एस॰ देव ने निम्नलिखित प्रस्ताव पेश किया:—

''कि यह सभा 30 अप्रैल, 2008 को सभा पटल पर रखे गए 'अवचार के विविध पक्ष तथा सदस्यों से अपेक्षित आचरण/व्यवहार के मानकों की मूल विशेषताएं' के बारे में लोक सभा सदस्यों के अवचार की जांच करने संबंधी समिति के दूसरे प्रतिवेदन से सहमत है।''

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

(सभा में व्यवधान के कारण लोक सभा अपराह्न 2.13 बजे स्थगित हुई और अपराह्न 2.28 बजे पुन: समवेत हुई।)

अपराह्न 2.28 बजे

22 अनुदानों की अनुपूरक मांगें (रेल) — 2008-2009

लिया गया समय: 8 मिनट

वर्ष 2008-09 के बजट (रेल) के संबंध में अनुदानों की अनुपूरक मांग संख्या 16 पर चर्चा आरंभ हुई।

निम्नलिखित सदस्यों ने अपने वक्तव्य सभा पटल पर रखे:—

1. श्री प्रहलाद जोशी
2. श्री संतोष गंगवार
3. श्री अधीर चौधरी
4. श्री जे॰ एम॰ आरुन रशीद
5. श्री एस॰ के॰ खारवेनथन
6. श्री हरिभाऊ माधव जावले
7. श्री सनत कुमार मंडल
8. श्रीमती के॰ रानी
9. श्री राकेश सिंह
10. श्री के॰ सुब्बारायण
11. श्रीमती एम॰ एस॰ के॰ भवानी राजेन्तीरन

12. श्री ब्रजेश पाठक
13. श्री भर्तृहरि महताब
14. श्री श्रीनिवास पाटील
15. डा॰ प्रसन्न कुमार पाटसाणी
16. श्री निखिल कुमार
17. श्री हंसराज गं॰ अहीर
18. श्री भानु प्रताप सिंह वर्मा
19. श्री ब्रह्मानन्द पंडा
20. श्री गिरधारी लाल भार्गव

श्री लालू प्रसाद ने वाद-विवाद का उत्तर दिया और अपने भाषण के कुछ अंश सभा पटल पर भी रखे।

वर्ष 2008-09 के बजट (रेल) के संबंध में अनुदानों की अनुपूरक मांग संख्या 16 वर्ष 2008-09 के लिए अनुदानों की अनुपूरक मांग (रेल) की मुद्रित सूची के स्तंभ 3 के अंतर्गत दर्शायी गई राशि के लिए पूरी-पूरी स्वीकृत हुई।

23. सरकारी विधेयक — पुर:स्थापित

विनियोग (रेल) संख्यांक 4 विधेयक, 2008

24. सरकारी विधेयक — पारित

विनियोग (रेल) संख्यांक 4 विधेयक, 2008

श्री लालू प्रसाद द्वारा विधेयक पर विचार किए जाने का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ और विधेयक पर खण्ड-वार विचार आरंभ हुआ।

खंड 2 और 3 स्वीकृत हुए।

अनुसूची स्वीकृत हुई।

खंड 1, अधिनियमन सूत्र और विधेयक का पूरा नाम भी स्वीकृत हुए।

श्री लालू प्रसाद ने प्रस्ताव किया कि विधेयक पारित किया जाए।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ और विधेयक पारित किया गया।

अपराह्न 2.37 बजे

25. सरकारी विधेयक — पारित

लिया गया समय: 12 मिनट

भारतीय विमानपत्तन आर्थिक विनियामक प्राधिकरण विधेयक, 2007

श्री प्रफुल पटेल द्वारा विधेयक पर विचार किए जाने का प्रस्ताव पेश किया गया।

डा॰ टोकचोम मैन्या ने वाद-विवाद में भाग लिया।

श्री प्रफुल पटेल ने वाद-विवाद का उत्तर दिया।

विधेयक पर विचार किए जाने का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ और विधेयक पर खण्ड-वार विचार आरंभ हुआ।

खंड 2, यथासंशोधित स्वीकृत हुआ।

खंड 3 से 5 स्वीकृत हुए।

खंड 6, यथासंशोधित स्वीकृत हुआ।

खंड 7 से 12 स्वीकृत हुए।

खंड 13, यथासंशोधित स्वीकृत हुआ।

खंड 14 से 55 स्वीकृत हुए।

अनुसूची, यथासंशोधित स्वीकृत हुई।

(सभा में व्यवधान के कारण लोक सभा अपराह्न 2.46 बजे स्थगित हुई और अपराह्न 3.14 बजे पुनः समवेत हुई)

खंड 1 और अधिनियमन सूत्र, यथासंशोधित स्वीकृत हुए।

विधेयक का पूरा नाम भी स्वीकृत हुआ।

श्री प्रफुल पटेल ने प्रस्ताव किया कि विधेयक, यथासंशोधित पारित किया जाए।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ और विधेयक, यथासंशोधित पारित किया गया।

अपराह्न 3.17 बजे

(लोक सभा गुरुवार, 23 अक्तूबर, 2008 के पूर्वाह्न 11 बजे तक के लिए स्थगित हुई)

पी॰ डी॰ टी॰ आचारी,
महासचिव।

GMGIPMRND—3573LS—22-10-2008.

लोक सभा

समाचार—भाग 1

(कार्यवाही का संक्षिप्त वृत्तांत)

बुधवार, 22 अक्तूबर, 2008/30 आश्विन, 1930 (शक)

संख्या 310

पूर्वाह्न 11.00 बजे

1. अध्यक्ष द्वारा उल्लेख

अध्यक्ष ने सभा की ओर से इसरो के अध्यक्ष डा॰ जी॰ माधवन नायर और उनके समर्पित वैज्ञानिकों की टीम तथा उन सभी व्यक्तियों को बधाई दी जो 22.10.2008 को सतीश धवन अंतरिक्ष केन्द्र, श्रीहरिकोटा, आंध्र प्रदेश से द्विवर्षीय मिशन के लिए भारत के पहले मानव रहित चन्द्र अंतरिक्षयान, 'चन्द्रयान-1' के सफल प्रक्षेपण से सहयोजित थे।

अध्यक्ष ने सभा की ओर से मोहाली, पंजाब में आस्ट्रेलियाई टीम के विरुद्ध 320 रनों की शानदार जीत पर भारतीय क्रिकेट टीम को भी बधाई दी।

2. प्रश्न

सभा में व्यवधान के कारण तारांकित प्रश्नों को मौखिक उत्तर के लिए नहीं लिया जा सका। अत: कार्य-सूची में तारांकित प्रश्न संख्या 61—80 को अतारांकित माना गया और उनके उत्तर अतारांकित प्रश्न संख्या 623—852 के उत्तरों के साथ आज की कार्यवाही वृत्तांत में मुद्रित किए जाएंगे।

पूर्वाह्न 11.15 बजे

3. सदस्य का सभा से बाहर जाना

चूंकि श्री अब्दुल्लाकुट्टी संसद सदस्य सभा में प्ले कार्ड प्रदर्शित नहीं करने संबंधी अध्यक्षपीठ के निदेश की अवमानना करते हुए निरंतर सभा की कार्यवाही में व्यवधान उत्पन्न करते रहे, अध्यक्ष ने लोक सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमों के नियम 373 के अधीन उन्हें पूरे दिन के लिए सभा से बाहर जाने का निदेश दिया।

तत्पश्चात्, श्री अब्दुल्लाकुट्टी सभा से बाहर चले गए।

(सभा में व्यवधान के कारण लोक सभा पूर्वाह्न 11.23 बजे स्थगित हुई और अपराह्न 2.00 बजे पुनः समवेत हुई)

अपराह्न 2 बजे

4. सभा पटल पर रखे गए पत्र

निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखे गए:—

(1) निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):—

(एक) उत्तर पूर्व क्षेत्र विजन 2020.

(दो) उत्तर पूर्व क्षेत्र विजन 2020-उपाबंध।

(2) कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 619क की उपधारा (1) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):—

(एक) शिपिंग कारपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, मुम्बई के वर्ष 2007-2008 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) शिपिंग कारपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, मुम्बई का वर्ष 2007-2008 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

(3) महापत्तन न्यास अधिनियम, 1963 की धारा 124 की उपधारा (4) के अंतर्गत अधिसूचना संख्या सा॰का॰नि॰ 603(अ) जो 21 अगस्त, 2008 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जिसके द्वारा तूतीकोरिन पत्तन न्यास कर्मचारी (भर्ती, वरिष्ठता और पदोन्नति) विनियम, 2008 का अनुमोदन किया गया है, कि एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(4) (एक) राजीव गांधी नेशनल इंस्टिट्यूट ऑफ यूथ डेवलमेंट, श्रीपेरुम्बुदूर के वर्ष 2006-2007 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) राजीव गांधी नेशनल इंस्टिट्यूट ऑफ यूथ डेवलमेंट, श्रीपेरुम्बुदूर के वर्ष 2006-2007 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(5) उपर्युक्त (4) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(6) विश्व मामलों से संबंधित भारतीय परिषद् अधिनियम, 2001 की धारा 27 के अंतर्गत विश्व मामलों से संबंधित भारतीय परिषद्, नई दिल्ली के वर्ष 2007-08 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(7) (एक) नेशनल इंस्टिट्यूट ऑफ होम्योपैथी, कोलकाता के वर्ष 2006-2007 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) नेशनल इंस्टिट्यूट ऑफ होम्योपैथी, कोलकाता के वर्ष 2006-2007 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(8) उपर्युक्त (7) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(9) खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम, 2006 की धारा 1 की उपधारा (3) के अंतर्गत जारी निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(एक) का॰ आ॰ 2127(अ) जो 28 अगस्त, 2008 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा 28 अगस्त, 2008 को उस तारीख के रूप में नियत किया गया है जिसको खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम, 2006 की धारा 90 के उपबंध प्रवृत्त होंगे।

(दो) का॰ आ॰ 1758(अ) जो 15 अक्तूबर, 2007 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा 15 अक्तूबर, 2007 को उस तारीख के रूप में नियत किया गया है जिसको खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम, 2006 की, उसमें उल्लिखित, धाराओं के उपबंध प्रवृत्त होंगे।

(तीन) का॰ आ॰ 1246(अ) जो 28 मई, 2008 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा 28 मई, 2008 को उस तारीख के रूप में नियत किया गया है जिसको खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम, 2006 की धारा 3 और 30 के उपबंध प्रवृत्त होंगे।

(10) खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम, 2006 की धारा 93 के अंतर्गत भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण (अध्यक्ष और सदस्यों के वेतन, भत्ते तथा सेवा की

अन्य शर्तें) नियम, 2008 जो 4 जुलाई, 2008 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा॰का॰नि॰ 497(अ) में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(11) खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम, 2006 की धारा 4 और 5 की उपधारा (1) के अंतर्गत जारी अधिसूचना संख्या का॰आ॰ 2165(अ) जो 5 सितम्बर, 2008 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जिसके द्वारा उक्त अधिनियम के प्रयोजनार्थ, उसमें उल्लिखित, अध्यक्ष और सदस्यों से मिलकर बनने वाले भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण को अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से स्थापित किया गया है, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(12) खाद्य अपमिश्रण निवारण अधिनियम, 1954 की धारा 23 के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):—

(एक) खाद्य अपमिश्रण निवारण (तीसरा संशोधन) नियम, 2008, जो 18 जून, 2008 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा॰का॰नि॰ 467(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(दो) खाद्य अपमिश्रण निवारण (चौथा संशोधन) नियम, 2008, जो 5 जुलाई, 2008 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा॰का॰नि॰ 500(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(13) खाद्य अपमिश्रण निवारण अधिनियम, 1954 के अंतर्गत जारी अधिसूचना संख्या सा॰का॰नि॰ 383(अ) जो 16 मई, 2008 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जिसमें 21 अगस्त, 2006 की अधिसूचना संख्या सा॰का॰नि॰ 491(अ) का शुद्धिपत्र दिया है, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(14) (एक) सेन्ट्रल काउंसिल फॉर रिसर्च इन यूनानी मेडिसिन, नई दिल्ली के वर्ष 2006-2007 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) सेन्ट्रल काउंसिल फॉर रिसर्च इन यूनानी मेडिसिन, नई दिल्ली के वर्ष 2006-2007 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(15) उपर्युक्त (14) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(16) खान और खनिज (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1957 की धारा 26 की उपधारा (1) के अंतर्गत जारी अधिसूचना संख्या का॰आ॰ 2142(अ) जो 1 सितम्बर, 2008 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जिसके द्वारा स्थायी समिति के पदधारी वाइस-चेयरमैन के बदल जाने के परिणामस्वरूप 20 जून, 1988 की अधिसूचना संख्या का॰आ॰ 594(अ) जिसे तत्पश्चात् 18 अगस्त, 2003 के आदेश सं॰ 932(अ) द्वारा संशोधित किया गया था, में प्रकाशित मूल आदेश में कतिपय संशोधन किए गए हैं, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(17) राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 की धारा 10 के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):—

(एक) का॰आ॰ 1088(अ) जो 5 मई, 2008 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो महाराष्ट्र राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 9 (पूणे-शोलापुर खण्ड) पर स्थायी लम्बोटी पुल के प्रयोक्ताओं से उद्ग्रहणीय पुल शुल्क की दरों के बारे में है।

(दो) का॰आ॰ 1562(अ) जो 26 जून, 2008 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो महाराष्ट्र राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 7 (नागपुर-हैदराबाद खण्ड) के निर्माण (चौड़ा करने), अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए विशेष भूमि अर्जन अधिकारी (सामान्य), नागपुर को ऐसे अधिकारी के कार्यों के निष्पादन के लिए सक्षम प्राधिकारी के रूप में प्राधिकृत किए जाने के बारे में है।

(तीन) का॰आ॰ 1624(अ) जो 7 जुलाई, 2008 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा 2 मार्च, 2001 की अधिसूचना संख्या का॰आ॰ 194(अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं।

(चार) का॰आ॰ 2043(अ) जो 14 अगस्त, 2008 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो महाराष्ट्र राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 8 के निर्माण (चौड़ा करने/छह लेन वाला बनाने, आदि), अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन हेतु उसमें उल्लिखित अधिकारियों को प्राधिकृत किए जाने के बारे में है।

(पांच) का॰आ॰ 1084(अ) जो 5 मई, 2008 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित

हुआ था तथा जिसके द्वारा 14 फरवरी, 2007 की अधिसूचना संख्या का॰आ॰ 294(अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं।

(छह) का॰आ॰ 1085(अ) जो 5 मई, 2008 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा 14 फरवरी, 2007 की अधिसूचना संख्या का॰आ॰ 295(अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं।

(सात) का॰आ॰ 1437(अ) जो 11 जून, 2008 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो महाराष्ट्र राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 6 (दुर्ग–नागपुर खण्ड), उपमार्गों के निर्माण सहित, के निर्माण (चौड़ा करने), अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।

(आठ) का॰आ॰ 1126(अ) जो 13 मई, 2008 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो महाराष्ट्र राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 8 (मैनोर–दहीसर खण्ड) के चार लेन वाले भाग के प्रयोक्ताओं से उद्ग्रहणीय शुल्क की दरों के बारे में है।

(नौ) का॰आ॰ 1228(अ) जो 27 मई, 2008 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो उत्तर प्रदेश राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 2 (आगरा–शिकोहाबाद खण्ड) के चार लेन वाले भाग के प्रयोक्ताओं से उद्ग्रहणीय शुल्क की दरों के बारे में है।

(दस) का॰आ॰ 1390(अ) जो 6 जून, 2008 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो गुजरात राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 14 (पालनपुर–राधनपुर खण्ड) के चार लेन वाले भाग के प्रयोक्ताओं से उद्ग्रहणीय शुल्क की दरों के बारे में है।

(ग्यारह) का॰आ॰ 1391(अ) जो 6 जून, 2008 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो बिहार राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 2 (मोहनिया–बारून खण्ड) के चार लेन वाले भाग के प्रयोक्ताओं से उद्ग्रहणीय शुल्क की दरों के बारे में है।

(बारह) का॰आ॰ 1392(अ) जो 6 जून, 2008 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो उड़ीसा राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 5 (छतिया–भद्रक खण्ड) के चार लेन वाले भाग के प्रयोक्ताओं से उद्ग्रहणीय शुल्क की दरों के बारे में है।

(तेरह) का॰आ॰ 1565(अ) जो 26 जून, 2008 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो आंध्र प्रदेश राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 5 (चिलाकालुरिपेट-विजयवाड़ा खण्ड) के चार लेन वाले भाग के प्रयोक्ताओं से उद्ग्रहणीय शुल्क की दरों के बारे में है।

(चौदह) का॰आ॰ 1615(अ) जो 3 जुलाई, 2008 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो गुजरात राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 15 (राधनपुर-आदेसार खण्ड) के चार लेन वाले भाग के प्रयोक्ताओं से उद्ग्रहणीय शुल्क की दरों के बारे में है।

(पंद्रह) का॰आ॰ 1646(अ) जो 9 जुलाई, 2008 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो हरियाणा राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 1 से 5 के प्रयोक्ताओं से, उसमें उल्लिखित मैकेनिकल वाहनों पर शुल्क एकत्र करने तथा बनाए रखने के लिए अनुदानग्राही को प्राधिकृत किए जाने के बारे में है।

(सोलह) का॰आ॰ 900(अ) जो 22 अप्रैल, 2008 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो महाराष्ट्र राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 6 (कोंधाली-तालेगांव खण्ड) के प्रयोक्ताओं से उद्ग्रहणीय शुल्क की दरों के बारे में है।

(सत्रह) का॰आ॰ 345(अ) जो 16 फरवरी, 2008 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो उत्तर प्रदेश राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या एनई-2 (इस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे) (बागपत खण्ड) के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।

(आठरह) का॰आ॰ 480(अ) जो 12 मार्च, 2008 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा 7 अप्रैल, 2006 की अधिसूचना संख्या का॰आ॰ 513(अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं।

(उन्नीस) का॰आ॰ 481(अ) जो 12 मार्च, 2008 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा 4 दिसम्बर, 2007 की अधिसूचना संख्या का॰आ॰ 2087(अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं।

(बीस) का॰आ॰ 275(अ) जो 7 फरवरी, 2008 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो उत्तर प्रदेश राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या एनई-2 (इस्टर्न

पेरिफेरल एक्सप्रेसवे ऑफ दिल्ली) (गाजियाबाद खण्ड) के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।

(इक्कीस) का॰आ॰ 526(अ) जो 19 मार्च, 2008 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो उत्तर प्रदेश राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 28 के निर्माण (चौड़ा करने/चार लेन वाला बनाने, आदि), अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।

(बाईस) का॰आ॰ 2216(अ) जो 28 दिसम्बर, 2007 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो उत्तर प्रदेश राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग एनई-2 (इस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे) (बागपत खण्ड) के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।

(तेईस) का॰आ॰ 2217(अ) जो 28 दिसम्बर, 2007 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा 22 अक्तूबर, 2007 की अधिसूचना संख्या का॰आ॰ 1791(अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं।

(चौबीस) का॰आ॰ 541(अ) जो 20 मार्च, 2008 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो महाराष्ट्र राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 6 (दुर्ग-नागपुर खण्ड) के निर्माण (चार लेन वाला बनाने), अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।

(पच्चीस) का॰आ॰ 474(अ) जो 11 मार्च, 2008 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा 18 अप्रैल, 2007 की अधिसूचना संख्या का॰आ॰ 633(अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं।

(छब्बीस) का॰आ॰ 540(अ) जो 20 मार्च, 2008 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो महाराष्ट्र राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 6 (दुर्ग-नागपुर खण्ड) के निर्माण (चार लेन वाला बनाने), अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।

(सत्ताईस) का॰आ॰ 787(अ) जो 31 मार्च, 2008 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो महाराष्ट्र राज्य में पुणे, नासिक रोड राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 50 के ज्यामितीय सुधार के साथ लघु पुलों के निर्माण के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।

(अट्ठाईस) का०आ० 475(अ) जो 11 मार्च, 2008 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो महाराष्ट्र राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 3 (मध्य प्रदेश/महाराष्ट्र सीमा से धुले तक) के निर्माण (चार लेन वाला बनाने), अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।

(उनतीस) का०आ० 1501(अ) जो 20 जून, 2008 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो उत्तर प्रदेश राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 2 और 25 (भोगनीपुर–बारा और कराई–भोगनीपुर खण्ड) के निर्माण (चौड़ा करने/चार लेन वाला बनाने, आदि), अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।

(तीस) का०आ० 2063(अ) जो 18 अगस्त, 2008 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो उत्तर प्रदेश राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 2 और 25 (भोगनीपुर–बारा और कराई–भोगनीपुर खण्ड) के निर्माण (चौड़ा करने/चार लेन वाला बनाने, आदि), अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।

(इकतीस) का०आ० 2014(अ) जो 11 अगस्त, 2008 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो उत्तर प्रदेश राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 24 (हापुड़–मुरादाबाद खण्ड) के निर्माण (चौड़ा करने/चार लेन वाला बनाने), अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।

(बत्तीस) का०आ० 2015(अ) जो 11 अगस्त, 2008 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो उत्तर प्रदेश राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 87 के निर्माण (चौड़ा करने/चार लेन वाला बनाने, आदि), अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।

(तैंतीस) का०आ० 1198(अ) जो 23 मई, 2008 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो उत्तराखण्ड राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 72 के निर्माण (चौड़ा करने/चार लेन वाला बनाने, आदि), अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।

(चौंतीस) का०आ० 1124(अ) जो 9 मई, 2008 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसमें 24 नवम्बर, 2006 की अधिसूचना संख्या का०आ० 2015(अ) का शुद्धिपत्र दिया गया है।

(पैंतीस) का॰आ॰ 810(अ) जो 3 अप्रैल, 2008 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो उत्तराखण्ड राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 58 के निर्माण (चौड़ा करने/चार लेन वाला बनाने), अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन हेतु विशेष भूमि अर्जन अधिकारी, हरिद्वार को प्राधिकृत किए जाने के बारे में है।

(छत्तीस) का॰आ॰ 1651(अ) जो 10 जुलाई, 2008 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो हरियाणा राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 22 (जिरकपुर-पंचकुला-कालका खण्ड) के निर्माण (चौड़ा करने/चार लेन वाला बनाने, आदि), अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।

(सैंतीस) का॰आ॰ 1652(अ) और का॰आ॰ 1653(अ) जो 10 जुलाई, 2008 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जो हरियाणा राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 10 (रोहतक-हिसार खण्ड) के निर्माण (चौड़ा करने/चार लेन वाला बनाने, आदि), अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।

(अड़तीस) का॰आ॰ 807(अ) से का॰आ॰ 809(अ) जो 3 अप्रैल, 2008 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जो पंजाब राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 15 (पठानकोट-अमृतसर खण्ड) के विभिन्न भागों के निर्माण (चौड़ा करने/चार लेन वाला बनाने), अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।

(उनतालीस) का॰आ॰ 854(अ) और का॰आ॰ 855(अ) जो 11 अप्रैल, 2008 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जो पंजाब राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 1क (जालंधर-पठानकोट खण्ड) के विभिन्न भागों के निर्माण (चौड़ा करने/चार लेन वाला बनाने, आदि), अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।

(चालीस) का॰आ॰ 1838(अ) जो 24 जुलाई, 2008 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो उत्तर प्रदेश राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 58 (मेरठ-मुजफ्फर नगर खण्ड) के निर्माण (चौड़ा करने/चार लेन वाला बनाने, आदि), अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।

(इकतालीस) का॰आ॰ 1869(अ) जो 29 जुलाई, 2008 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो उत्तर प्रदेश राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 28 (लखनऊ-फैजाबाद खण्ड) के निर्माण (चौड़ा करने/चार लेन वाला बनाने), अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।

(बयालीस) का॰आ॰ 1883(अ) और का॰आ॰ 1884(अ) जो 30 जुलाई, 2008 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जो उत्तर प्रदेश राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 2 (कानपुर-वाराणसी खण्ड) के विभिन्न भागों के निर्माण (चौड़ा करने/चार लेन वाला बनाने, आदि), अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।

(18) उपर्युक्त (17) की मद संख्या (सोलह) से (अट्‌ठाइस) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाले तेरह विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(19) राष्ट्रीय राजमार्ग नियंत्रण (भूमि और यातायात) अधिनियम, 2002 की धारा 3 और 6 के अंतर्गत जारी निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):—

(एक) का॰आ॰ 1552(अ) जो 25 जून, 2008 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा 20 जनवरी, 2005 की अधिसूचना संख्या का॰आ॰ 76(अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं।

(दो) का॰आ॰ 1553(अ) जो 25 जून, 2008 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा 20 जून, 2007 की अधिसूचना संख्या का॰आ॰ 1001(अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं।

(तीन) का॰आ॰ 1056(अ) जो 30 अप्रैल, 2008 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा 8 दिसम्बर, 2005 की अधिसूचना संख्या का॰आ॰ 1729(अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं।

(20) संविधान के अनुच्छेद 320(5) के अंतर्गत संघ लोक सेवा आयोग (परामर्श से छूट) संशोधन विनियम, 2008 जो 30 जुलाई, 2008 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा॰का॰नि॰ 567(अ) में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(21) प्रशासनिक अधिकरण अधिनियम, 1985 की धारा 37 की उपधारा (1) के अंतर्गत उड़ीसा प्रशासनिक अधिकरण (चेयरमैन, वाइस चेयरमैन और सदस्यों के वेतन तथा भत्ते और सेवा की शर्तें) संशोधन नियम, 2008, जो 22 अप्रैल, 2008 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा॰का॰नि॰ 300(अ) में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(22) (एक) इंडियन इंस्टिट्यूट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, नई दिल्ली के वर्ष 2007-2008 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) इंडियन इंस्टिट्यूट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, नई दिल्ली के वर्ष 2007-2008 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(23) उपर्युक्त (22) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(24) अखिल भारतीय सेवा अधिनियम, 1951 की धारा 3 की उपधारा (2) के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):—

(एक) भारतीय वन सेवा (संवर्ग सदस्य-संख्या का नियतन) दूसरा संशोधन विनियम, 2007 जो 12 दिसम्बर, 2007 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा॰का॰नि॰ 765(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(दो) भारतीय वन सेवा (वेतन) दूसरा संशोधन नियम, 2007 जो 12 दिसम्बर, 2007 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा॰का॰नि॰ 766(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(तीन) भारतीय प्रशासनिक सेवा (संवर्ग सदस्य-संख्या का नियतन) नौवां संशोधन विनियम, 2007 जो 24 दिसम्बर, 2007 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा॰का॰नि॰ 786(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(चार) भारतीय पुलिस सेवा (संवर्ग सदस्य-संख्या का नियतन) पांचवां संशोधन विनियम, 2007 जो 31 दिसम्बर, 2007 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा॰का॰नि॰ 795(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(पांच) भारतीय पुलिस सेवा (वेतन) पांचवां संशोधन नियम, 2007 जो 31 दिसम्बर,

2007 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा॰का॰नि॰ 796(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(छह) भारतीय प्रशासनिक सेवा (संवर्ग सदस्य-संख्या का नियतन) संशोधन विनियम, 2008 जो 8 फरवरी, 2008 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा॰का॰नि॰ 76(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(सात) भारतीय प्रशासनिक सेवा (संवर्ग सदस्य-संख्या का नियतन) दूसरा संशोधन विनियम, 2008 जो 8 फरवरी, 2008 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा॰का॰नि॰ 77(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(आठ) भारतीय प्रशासनिक सेवा (संवर्ग सदस्य-संख्या का नियतन) तीसरा संशोधन विनियम, 2008 जो 8 फरवरी, 2008 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा॰का॰नि॰ 78(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(नौ) भारतीय प्रशासनिक सेवा (संवर्ग सदस्य-संख्या का नियतन) चौथा संशोधन विनियम, 2008 जो 8 फरवरी, 2008 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा॰का॰नि॰ 79(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(दस) भारतीय प्रशासनिक सेवा (संवर्ग सदस्य-संख्या का नियतन) पांचवां संशोधन विनियम, 2008 जो 8 फरवरी, 2008 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा॰का॰नि॰ 80(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(ग्यारह) भारतीय प्रशासनिक सेवा (संवर्ग सदस्य-संख्या का नियतन) छठा संशोधन विनियम, 2008 जो 27 मार्च, 2008 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा॰का॰नि॰ 229(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(बारह) भारतीय प्रशासनिक सेवा (संवर्ग सदस्य-संख्या का नियतन) सातवां संशोधन विनियम, 2008 जो 27 मार्च, 2008 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा॰का॰नि॰ 230(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(तेरह) भारतीय प्रशासनिक सेवा (संवर्ग सदस्य-संख्या का नियतन) नौवां संशोधन विनियम, 2008 जो 27 मार्च, 2008 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा॰का॰नि॰ 231(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(चौदह) भारतीय प्रशासनिक सेवा (संवर्ग सदस्य-संख्या का नियतन) आठवां संशोधन

विनियम, 2008 जो 27 मार्च, 2008 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा॰का॰नि॰ 232(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(पंद्रह) भारतीय प्रशासनिक सेवा (संवर्ग सदस्य-संख्या का नियतन) दसवां संशोधन विनियम, 2008 जो 14 जुलाई, 2008 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा॰का॰नि॰ 519(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(सोलह) भारतीय प्रशासनिक सेवा (वेतन) संशोधन नियम, 2008 जो 14 जुलाई, 2008 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा॰का॰नि॰ 520(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(सत्रह) भारतीय पुलिस सेवा (संवर्ग सदस्य-संख्या का नियतन) संशोधन विनियम, 2008 जो 29 जुलाई, 2008 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा॰का॰नि॰ 560(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(अठारह) भारतीय पुलिस सेवा (वेतन) संशोधन विनियम, 2008 जो 29 जुलाई, 2008 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा॰का॰नि॰ 561(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(उन्नीस) भारतीय पुलिस सेवा (संवर्ग सदस्य-संख्या का नियतन) दूसरा संशोधन विनियम, 2008 जो 29 जुलाई, 2008 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा॰का॰नि॰ 562(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(बीस) भारतीय पुलिस सेवा (वेतन) दूसरा संशोधन विनियम, 2008 जो 29 जुलाई, 2008 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा॰का॰नि॰ 563(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(इक्कीस) भारतीय वन सेवा (संवर्ग सदस्य-संख्या का नियतन), संशोधन विनियम, 2008, जो 26 अगस्त, 2008 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा॰का॰नि॰ 609(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(बाईस) भारतीय वन सेवा (वेतन) संशोधन नियम, 2008, जो 26 अगस्त, 2008 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा॰का॰नि॰ 610(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(25) उपर्युक्त (24) की मद संख्या (एक) से (चौदह) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाले चौदह विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(26) दसवीं, ग्यारहवीं, बारहवीं, तेरहवीं तथा चौदहवीं लोक सभा के विभिन्न सत्रों के दौरान मंत्री द्वारा दिए गए आश्वासनों, वचनों तथा परिवचनों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्यवाही दर्शाने वाले निम्नलिखित विवरणों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

दसवीं लोक सभा

1.	विवरण संख्या छत्तीस	पांचवां सत्र, 1992
2.	विवरण संख्या अड़तीस	सातवां सत्र, 1993
3.	विवरण संख्या पैंतीस	ग्यारहवां सत्र, 1994
4.	विवरण संख्या अड़तीस	तेरहवां सत्र, 1995
5.	विवरण संख्या छब्बीस	चौदहवां सत्र, 1995

ग्यारहवीं लोक सभा

6.	विवरण संख्या सैंतीस	दूसरा सत्र, 1996
7.	विवरण संख्या सैंतीस	तीसरा सत्र, 1996
8.	विवरण संख्या अड़तीस	चौथा सत्र, 1997

बारहवीं लोक सभा

9.	विवरण संख्या तैंतालीस	दूसरा सत्र, 1998
10.	विवरण संख्या सैंतीस	तीसरा सत्र, 1998
11.	विवरण संख्या उनतालीस	चौथा सत्र, 1999

तेरहवीं लोक सभा

12.	विवरण संख्या चालीस	दूसरा सत्र, 1999
13.	विवरण संख्या चवालीस	तीसरा सत्र, 2000
14.	विवरण संख्या सैंतीस	चौथा सत्र, 2000
15.	विवरण संख्या पैंतीस	पांचवां सत्र, 2000
16.	विवरण संख्या चवालीस	छठा सत्र, 2001
17.	विवरण संख्या तैंतालीस	सातवां सत्र, 2001
18.	विवरण संख्या इकतीस	आठवां सत्र, 2001
19.	विवरण संख्या तीस	नौंवा सत्र, 2002
20.	विवरण संख्या छब्बीस	दसवां सत्र, 2002

21.	विवरण संख्या तेईस	ग्यारहवां सत्र, 2002
22.	विवरण संख्या तेईस	बारहवां सत्र, 2003
23.	विवरण संख्या बीस	तेरहवां सत्र, 2003
24.	विवरण संख्या उन्नीस	चौदहवां सत्र, 2003

चौदहवीं लोक सभा

25.	विवरण संख्या सत्रह	दूसरा सत्र, 2004
26.	विवरण संख्या पन्द्रह	तीसरा सत्र, 2004
27.	विवरण संख्या पन्द्रह	चौथा सत्र, 2005
28.	विवरण संख्या बारह	पांचवां सत्र, 2005
29.	विवरण संख्या ग्यारह	छठा सत्र, 2005
30.	विवरण संख्या दस	सातवां सत्र, 2006
31.	विवरण संख्या आठ	आठवां सत्र, 2006
32.	विवरण संख्या सात	नौवां सत्र, 2006
33.	विवरण संख्या छह	दसवां सत्र, 2007
34.	विवरण संख्या चार	ग्यारहवां सत्र, 2007
35.	विवरण संख्या तीन	बारहवां सत्र, 2007
36.	विवरण संख्या एक	तेरहवां सत्र, 2008

(27) पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 की धारा 26 के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):—

(एक) ओजोन ह्रासकारी पदार्थ (विनियमन और नियंत्रण) संशोधन नियम, 2007 जो 18 सितम्बर, 2007 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या का॰आ॰ 1561 (अ) में प्रकाशित हुए थे।

(दो) पर्यावरण (संरक्षण) तीसरा संशोधन नियम, 2008 जो 7 मई, 2008 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा॰का॰नि॰ 344(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(तीन) पर्यावरण (संरक्षण) पांचवां संशोधन नियम, 2008 जो 26 जून, 2008 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा॰का॰नि॰ 481(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(चार) पर्यावरण (संरक्षण) छठा संशोधन नियम, 2008 जो 6 अगस्त, 2008 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा॰का॰नि॰ 579(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(पांच) पर्यावरण (संरक्षण) सातवां संशोधन नियम, 2008 जो 18 अगस्त, 2008 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा॰का॰नि॰ 600(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(28) उपर्युक्त (27) की मद संख्या (एक) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(29) (एक) राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण, चेन्नई के वर्ष 2006-2007 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण, चेन्नई के वर्ष 2006-2007 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(30) उपर्युक्त (29) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारणों को दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(31) केन्द्रीय सिविल सेवा (पेंशन) नियम, 1972 के नियम 37क के अंतर्गत जारी अधिसूचना संख्या का॰आ॰ 1121(अ), जो 9 मई, 2008 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा उसमें उल्लिखित ट्रस्टियों से मिलकर भारतीय वानिकी अनुसंधान और शिक्षा परिषद पेंशन निधि ट्रस्ट का गठन किया गया है, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

5. राज्य सभा से संदेश

महासचिव ने राज्य सभा से प्राप्त इस संदेश की सूचना दी कि राज्य सभा ने 21 अक्तूबर, 2008 को आयोजित अपनी बैठक में ओषध और प्रसाधन सामग्री (संशोधन) विधेयक, 2008 को पारित कर दिया।

6. राज्य सभा द्वारा यथापारित विधेयक - सभा पटल पर रखा गया

ओषध और प्रसाधन सामग्री (संशोधन) विधेयक, 2008

7. लोक लेखा समिति के प्रतिवेदन

श्री भर्तृहरि महताब ने लोक लेखा समिति (2008-2009) के निम्नलिखित प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत किए:—

(1) **''विदेश मंत्रालय द्वारा संपत्ति प्रबंधन''** के बारे में लोक लेखा समिति के 51वें प्रतिवेदन (14वीं लोक सभा) पर की-गई-कार्यवाही संबंधी 75वां प्रतिवेदन; और

(2) **''कर्मचारी राज्य बीमा निगम (ईएसआईसी) का कार्यकरण''** के बारे में लोक लेखा समिति के 48वें प्रतिवेदन (14वीं लोक सभा) पर की-गई-कार्यवाही संबंधी 76वां प्रतिवेदन।

8. लाभ के पदों संबंधी संयुक्त समिति के प्रतिवेदन

श्री निखिलानन्द सर ने लाभ के पदों संबंधी संयुक्त समिति का सातवां और आठवां प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत किए।

9. सभा पटल पर रखे गए पत्रों संबंधी समिति का प्रतिवेदन

श्री हन्नान मोल्लाह ने सभा पटल पर रखे गए पत्रों संबंधी समिति का बीसवां प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उससे संबंधित कार्यवाही सारांश प्रस्तुत किया।

10. अधीनस्थ विधान संबंधी समिति के प्रतिवेदन

श्री रामजीलाल सुमन ने अधीनस्थ विधान संबंधी समिति का 20वां और 21वां प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत किए।

11. सरकारी आश्वासनों संबंधी समिति के प्रतिवेदन

श्री हरिन पाठक ने आश्वासनों को छोड़े जाने के अनुरोधों के बारे में सरकारी आश्वासनों संबंधी समिति का 25वां और 26वां प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत किए।

12. जल संसाधन संबंधी स्थायी समिति के प्रतिवेदन

श्री आर॰ सांबासिवा राव ने जल संसाधन संबंधी स्थायी समिति (2008-09) के निम्नलिखित प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत किए:—

(1) जल संसाधन मंत्रालय की अनुदानों की मांगों (2008-2009) के बारे में समिति के नौवें प्रतिवेदन (चौदहवीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट टिप्पणियों/सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्यवाही संबंधी 10वां प्रतिवेदन।

(2) ''नदियों को आपस में जोड़ना'' के बारे में 11वां प्रतिवेदन।

13. मानव संसाधन विकास संबंधी स्थायी समिति का प्रतिवेदन

श्री फ्रांसिस के॰ जार्ज ने संघ राज्य क्षेत्रों में सर्वशिक्षा अभियान, मिड-डे मील स्कीम और

एकीकृत बाल विकास सेवा स्कीम के कार्यान्वयन के बारे में मानव संसाधन विकास संबंधी स्थायी समिति का 210वां प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखा।

14. विज्ञान और प्रौद्योगिकी, पर्यावरण और वन संबंधी स्थायी समिति का प्रतिवेदन

श्री फ्रांसिस फैन्थम ने प्रतिकरात्मक वनरोपण निधि विधेयक, 2008 के बारे में विज्ञान और प्रौद्योगिकी, पर्यावरण और वन संबंधी स्थायी समिति का 194वां प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखा।

15. कार्मिक, लोक शिकायत, विधि और न्याय संबंधी स्थायी समिति का प्रतिवेदन

श्री वरकला राधाकृष्णन ने उच्चतम न्यायालय (न्यायाधीशों की संख्या) संशोधन विधेयक, 2008 के बारे में कार्मिक, लोक शिकायत, विधि और न्याय संबंधी स्थायी समिति का 28वां प्रतिवेदन** (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखा।

16. कार्य मंत्रणा समिति का प्रतिवेदन

श्री वायालार रवि ने कार्य मंत्रणा समिति का 50वां प्रतिवेदन प्रस्तुत किया।

17. मंत्रियों द्वारा वक्तव्य

(एक) विदेश मंत्री ने ''श्रीलंका'' के बारे में एक वक्तव्य (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखा।

(दो) प्रवासी भारतीय कार्य मंत्री और संसदीय कार्य मंत्री ने प्रवासी भारतीय कार्य मंत्रालय से संबंधित अनुदानों की मांगों (2008-09) के बारे में विदेशी मामलों संबंधी स्थायी समिति के 21वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति के बारे में एक वक्तव्य (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखा।

(तीन) पंचायती राज मंत्री और उत्तर पूर्व क्षेत्र विकास मंत्री ने पंचायती राज मंत्रालय से संबंधित अनुदानों की मांगों (2008-09) के बारे में ग्रामीण विकास संबंधी स्थायी समिति के 38वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति के बारे में एक वक्तव्य (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखा।

**यह प्रतिवेदन 4 अगस्त, 2008 को, जब सभा सत्र में नहीं थी, राज्य सभा के माननीय सभापति के निदेशों के निदेश 31(1) के अंतर्गत राज्य सभा के माननीय सभापति को प्रस्तुत किया गया और माननीय सभापति ने प्रतिवेदनों के मुद्रण, प्रकाशन और प्रचालन की सहर्ष अनुमति दे दी थी। प्रतिवेदन की एक प्रति उसी तारीख को माननीय लोक सभा अध्यक्ष को अग्रेषित कर दी गई थी।

(चार) प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री ने चन्द्रमा तक भारत के पहले मानव रहित वैज्ञानिक मिशन चन्द्रयान-I के सफल प्रक्षेपण के बारे में एक वक्तव्य (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखा।

18. राष्ट्रीय नौवहन बोर्ड के लिए निर्वाचन हेतु प्रस्ताव

श्री टी॰आर॰ बालू ने निम्नलिखित प्रस्ताव पेश किया:—

''कि नेशनल शिपिंग बोर्ड नियम, 1960 के नियम 3 के साथ पठित वाणिज्य पोत परिवहन अधिनियम, 1958 की धारा 4 की उपधारा (2) के खण्ड (क) के अनुसरण में, इस सभा के सदस्य, ऐसी रीति से जैसा कि अध्यक्ष निदेश दें, उक्त अधिनियम के अन्य उपबंधों और उसके अंतर्गत बनाए गए नियमों के अध्यधीन राष्ट्रीय नौवहन बोर्ड के सदस्यों के रूप में कार्य करने के लिए अपने में से चार सदस्य निर्वाचित करें।''

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

19. जवाहरलाल स्नातकोत्तर आयुर्विज्ञान शिक्षा और अनुसंधान संस्थान, पुडुचेरी के लिए निर्वाचन हेतु प्रस्ताव

डा॰ अंबुमणि रामदास ने निम्नलिखित प्रस्ताव पेश किया—

''कि जवाहरलाल स्नातकोत्तर आयुर्विज्ञान शिक्षा और अनुसंधान संस्थान, पुडुचेरी अधिनियम, 2008 की धारा 6 की उपधारा (2) के साथ पठित धारा 5 की उपधारा (1) के खण्ड (ट) के अनुसरण में, इस सभा के सदस्य, ऐसी रीति से जैसा कि अध्यक्ष निदेश दें, उक्त अधिनियम के अन्य उपबंधों के अध्यधीन जवाहरलाल स्नातकोत्तर आयुर्विज्ञान शिक्षा और अनुसंधान संस्थान के सदस्यों के रूप में कार्य करने के लिए अपने में से दो सदस्य निर्वाचित करें।''

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

अपराह्न 2.11 बजे

20. नियम 377 के अधीन मामले

अध्यक्षपीठ के निदेशानुसार, निम्नलिखित सदस्यों को नियम 377 के अधीन उठाए जाने वाले विभिन्न मामलों, जैसा कि प्रत्येक सदस्य के नाम के आगे दर्शाया गया है, पर अपने वक्तव्य सभा पटल पर रखने की अनुमति दी गई:—

(1) श्री एन॰एस॰वी॰ चित्तन द्वारा महान देशभक्त स्वतंत्रता पूर्व युग के रंगमंच कलाकार स्व॰ श्री विश्वनाथ दास के सम्मान में एक स्मारक टिकट जारी किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(2) श्री संतोष गंगवार द्वारा रायबरेली उत्तर प्रदेश में प्रस्तावित रेल कोच फैक्ट्री की स्थापना किए जाने के वैकल्पिक स्थल के रूप में बरेली के इज्जतनगर पर विचार किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(3) श्री योगी आदित्यनाथ द्वारा गोरखपुर विश्वविद्यालय को केन्द्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा दिए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(4) श्री भानु प्रताप सिंह वर्मा द्वारा अफगानिस्तान में पृथ्वीराज चौहान के समाधिस्थल की यात्रा करने के इच्छुक व्यक्तियों को तीर्थयात्री सुविधाएं दिए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(5) डा॰ सत्यनारायण जटिया द्वारा मध्य प्रदेश में जलाभाव के कारण उत्पन्न स्थिति से निपटने के लिए केन्द्रीय कोटा से विद्युत आपूर्ति किए जाने तथा केन्द्रीय सहायता दिए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(6) श्री अविनाश राय खन्ना द्वारा देश के करदाताओं को सामाजिक सुरक्षा संबंधी लाभ दिए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(7) श्री पी॰ मोहन द्वारा समुद्री कूकुम्बर को पकड़ने पर लगा प्रतिबंध हटाए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(8) श्री शैलेन्द्र कुमार द्वारा सहकारी सोसाइटियों तथा बाजारों में डीएपी और एपी उर्वरक की पर्याप्त मात्रा उपलब्ध कराए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(9) श्री आलोक कुमार मेहता द्वारा बिहार के समस्तीपुर में राजीव गांधी विद्युतीकरण योजना आरम्भ किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(10) श्री सदाशिवराव दादोबा मंडलिक द्वारा कृषि ऋण माफी योजना के प्रभावी कार्यान्वयन हेतु कठोर मार्गनिर्देश जारी किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(11) श्री के॰ येरननायडु द्वारा विद्युतकरघा उद्योग में संकट के कारण बेरोजगारी का सामना कर रहे आंध्र प्रदेश के करीमनगर जिले के विद्युतकरघा बुनकरों की दशा सुधारने के लिए कदम उठाए जाने की आवश्यकता के बारे में।

21. प्रस्ताव

श्री वी॰ किशोर चन्द्र एस॰ देव ने निम्नलिखित प्रस्ताव पेश किया:—

''कि यह सभा 30 अप्रैल, 2008 को सभा पटल पर रखे गए 'अवचार के विविध पक्ष तथा सदस्यों से अपेक्षित आचरण/व्यवहार के मानकों की मूल विशेषताएं' के बारे में लोक सभा सदस्यों के अवचार की जांच करने संबंधी समिति के दूसरे प्रतिवेदन से सहमत है।''

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

(सभा में व्यवधान के कारण लोक सभा अपराह्न 2.13 बजे स्थगित हुई और अपराह्न 2.28 बजे पुन: समवेत हुई।)

अपराह्न 2.28 बजे

22 अनुदानों की अनुपूरक मांगें (रेल) — 2008-2009

लिया गया समय: 8 मिनट

वर्ष 2008-09 के बजट (रेल) के संबंध में अनुदानों की अनुपूरक मांग संख्या 16 पर चर्चा आरंभ हुई।

निम्नलिखित सदस्यों ने अपने वक्तव्य सभा पटल पर रखे:—

1. श्री प्रहलाद जोशी
2. श्री संतोष गंगवार
3. श्री अधीर चौधरी
4. श्री जे॰ एम॰ आरुन रशीद
5. श्री एस॰ के॰ खारवेनथन
6. श्री हरिभाऊ माधव जावले
7. श्री सनत कुमार मंडल
8. श्रीमती के॰ रानी
9. श्री राकेश सिंह
10. श्री के॰ सुब्बारायण
11. श्रीमती एम॰ एस॰ के॰ भवानी राजेन्तीरन

12. श्री ब्रजेश पाठक
13. श्री भर्तृहरि महताब
14. श्री श्रीनिवास पाटील
15. डा॰ प्रसन्न कुमार पाटसाणी
16. श्री निखिल कुमार
17. श्री हंसराज गं॰ अहीर
18. श्री भानु प्रताप सिंह वर्मा
19. श्री ब्रह्मानन्द पंडा
20. श्री गिरधारी लाल भार्गव

श्री लालू प्रसाद ने वाद-विवाद का उत्तर दिया और अपने भाषण के कुछ अंश सभा पटल पर भी रखे।

वर्ष 2008-09 के बजट (रेल) के संबंध में अनुदानों की अनुपूरक मांग संख्या 16 वर्ष 2008-09 के लिए अनुदानों की अनुपूरक मांग (रेल) की मुद्रित सूची के स्तंभ 3 के अंतर्गत दर्शायी गई राशि के लिए पूरी-पूरी स्वीकृत हुई।

23. सरकारी विधेयक — पुर:स्थापित

विनियोग (रेल) संख्यांक 4 विधेयक, 2008

24. सरकारी विधेयक — पारित

विनियोग (रेल) संख्यांक 4 विधेयक, 2008

श्री लालू प्रसाद द्वारा विधेयक पर विचार किए जाने का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ और विधेयक पर खण्ड-वार विचार आरंभ हुआ।

खंड 2 और 3 स्वीकृत हुए।

अनुसूची स्वीकृत हुई।

खंड 1, अधिनियमन सूत्र और विधेयक का पूरा नाम भी स्वीकृत हुए।

श्री लालू प्रसाद ने प्रस्ताव किया कि विधेयक पारित किया जाए।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ और विधेयक पारित किया गया।

अपराह्न 2.37 बजे

25. सरकारी विधेयक — पारित

लिया गया समय: 12 मिनट

भारतीय विमानपत्तन आर्थिक विनियामक प्राधिकरण विधेयक, 2007

श्री प्रफुल पटेल द्वारा विधेयक पर विचार किए जाने का प्रस्ताव पेश किया गया।

डा॰ टोकचोम मैन्या ने वाद-विवाद में भाग लिया।

श्री प्रफुल पटेल ने वाद-विवाद का उत्तर दिया।

विधेयक पर विचार किए जाने का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ और विधेयक पर खण्ड-वार विचार आरंभ हुआ।

खंड 2, यथासंशोधित स्वीकृत हुआ।

खंड 3 से 5 स्वीकृत हुए।

खंड 6, यथासंशोधित स्वीकृत हुआ।

खंड 7 से 12 स्वीकृत हुए।

खंड 13, यथासंशोधित स्वीकृत हुआ।

खंड 14 से 55 स्वीकृत हुए।

अनुसूची, यथासंशोधित स्वीकृत हुई।

(सभा में व्यवधान के कारण लोक सभा अपराह्न 2.46 बजे स्थगित हुई और अपराह्न 3.14 बजे पुनः समवेत हुई)

खंड 1 और अधिनियमन सूत्र, यथासंशोधित स्वीकृत हुए।

विधेयक का पूरा नाम भी स्वीकृत हुआ।

श्री प्रफुल पटेल ने प्रस्ताव किया कि विधेयक, यथासंशोधित पारित किया जाए।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ और विधेयक, यथासंशोधित पारित किया गया।

अपराह्न 3.17 बजे

(लोक सभा गुरुवार, 23 अक्तूबर, 2008 के पूर्वाह्न 11 बजे तक के लिए स्थगित हुई)

पी॰ डी॰ टी॰ आचारी,
महासचिव।

GMGIPMRND—3573LS—22-10-2008.

लोक सभा

समाचार—भाग 1

(कार्यवाही का संक्षिप्त वृत्तांत)

शुक्रवार, 24 अक्तूबर, 2008/2 कार्तिक, 1930 (शक)

संख्या 312

पूर्वाह्न 11.00 बजे

1. तारांकित प्रश्न

तारांकित प्रश्न संख्या 101, 102, 103, 104 और 107 के मौखिक उत्तर दिए गए। तारांकित प्रश्न संख्या 105, 106, और 108—120 के उत्तर सभा पटल पर रखे गए।

2. अतारांकित प्रश्न

अतारांकित प्रश्न संख्या 1083—1228 के उत्तर सभा पटल पर रखे गए।

मध्याह्न 12.03 बजे

3. **अध्यक्ष द्वारा विनिर्णय**

अध्यक्ष ने निम्नलिखित विनिर्णय दिया:—

''माननीय सदस्यों, मुझे प्रधानमंत्री के विरुद्ध सर्वश्री बसुदेव आचार्य, रूपचंद पाल, के॰ येरननायडु, वरकला राधाकृष्णन, एन॰एन॰ कृष्णदास और पी॰ राजेन्द्रन, संसद सदस्यों से विशेषाधिकार के प्रश्न की सूचना प्राप्त हुई है जिसमें यह आरोप लगाया गया है कि प्रधानमंत्री ने 22 जुलाई, 2008 को विश्वास प्रस्ताव पर अपने उत्तर में, जिसे सभा पटल पर रखा गया था, अन्य बातों के साथ-साथ निम्नवत् बताया:

''मैं पूरी निष्ठा के साथ यह कहता हूं कि यह सत्र और वाद-विवाद अनावश्यक था क्योंकि मैंने कई बार कहा है कि आईएइए और परमाणु आपूर्तिकर्त्ता समूह द्वारा पृष्ठांकित किए जाने के पश्चात् परमाणु करार को इस सम्मानित सभा में, इस पर विचार व्यक्त किए जाने हेतु प्रस्तुत किया जाएगा। मैंने अपने वामपंथी साथियों से यही कहा था: कृपया हमें

बातचीत की प्रक्रिया पूरी करने दीजिए और मैं परमाणु करार को मूर्त रूप देने से पूर्व संसद में आऊंगा।''

सदस्यों ने यह दलील दी है कि प्रधानमंत्री ने परमाणु करार को मूर्त रूप देने से पूर्व संसद में न आकर संसद में दिए गए अपने आश्वासन का उल्लंघन किया है जो सभा के विशेषाधिकार का हनन तथा अवमानना है।

प्रधानमंत्री दूसरे सदन के सदस्य हैं। कौल और शकधर के अनुसार, ''संसद का कोई भी सदन दूसरे सदन के किसी सदस्य पर न तो अपने प्राधिकार का दावा कर सकता है और न ही उसका प्रयोग कर सकता है। परिणामस्वरूप कोई भी सदन स्वयं, दूसरे सदन के किसी सदस्य या अधिकारी द्वारा किए गए किसी विशेषाधिकार भंग या अवमानना के लिए उसे दंड नहीं दे सकता है।'' यह कौल और शकधर के पांचवें संस्करण के पृष्ठ 300 पर दिया गया है।

ऐसे मामलों में पालन की जाने वाली प्रक्रिया के बारे में कौल और शकधर द्वारा पृष्ठ संख्या 301 पर निम्नवत उल्लेख किया गया है:—

''....जब किसी सभा में सभा के विशेषाधिकार भंग या अवमानना का ऐसा प्रश्न उठाया जाता है, इसमें दूसरी सभा के सदस्य, अधिकारी या कर्मचारी का मामला अंतर्गस्त होता है तब इस प्रक्रिया का पालन किया जाता है जिस सभा में विशेषाधिकार का प्रश्न उठाया गया है उसका पीठासीन अधिकारी दूसरी सभा के पीठासीन अधिकारी को उस मामले को भेज देता है, लेकिन ऐसा वह तभी करता है जब वइ उस सदस्य की बात से संतुष्ट हो जाता है, जिसने उस मामले को उठाया है अथवा उस दस्तावेज का, जिसके आधार पर शिकायत की गई है, गहन अध्ययन करने के पश्चात् ऐसा निर्णय लेता है कि विशेषाधिकार भंग हुआ है।''

चूंकि प्रधानमंत्री दूसरे सदन के सदस्य हैं, अत: दूसरे सदन के माननीय पीठासीन अधिकारी को मामला सौंपे जाने से पूर्व, सुस्थापित प्रक्रिया के अनुसार, इस सदन के पीठासीन अधिकारी होने के नाते, जहां पर यह मामला उठाया गया है मेरे लिए यह आवश्यक है कि पहले मैं संतुष्ट हो जाऊं कि इसमें विशेषाधिकार का हनन हुआ है।

मैंने 20 अक्तूबर, 2008 को इस मामले में श्री बसुदेब आचार्य की बात सुनी थी। चूंकि अन्य सदस्यों द्वारा विशेषाधिकार के प्रश्न की सूचना श्री बसुदेब आचार्य द्वारा दी गई सूचना के लगभग समान ही है, अत: यह आवश्यक नहीं है कि सभी सदस्यों को सुना जाए। प्रधानमंत्री के विरुद्ध आरोप यह है कि उन्होंने 22 जुलाई, 2008 को इस सदन में दिए गए अपने आश्वासन को पूरा नहीं किया है। मैंने माननीय प्रधानमंत्री के भाषण के उद्धरण की विषय-वस्तु को भी देखा है जैसा कि सूचना में दिया गया है और पहले उद्धरित किया गया है।

कौल और शकधर के अनुसार यह सुस्थापित है कि ''मंत्री द्वारा सभा में दिए गए आश्वासन को क्रियान्वित नहीं किया जाना न तो सभा का विशेषाधिकार भंग है और न ही उसका अवमानना है ....''

उपर्युक्त को ध्यान में रखते हुए इस बात से संतुष्ट नही हूं कि प्रधानमंत्री द्वारा विशेषाधिकार का हनन हुआ है। अत: दूसरे सदन के पीठासीन अधिकारी से संदर्भ लेने की कोई आवश्यकता नही है। तदनुसार मैं विशेषाधिकार के प्रश्न की सूचना को अस्वीकार करता हूं।

अपराह्न 12.06 बजे

4. सभा पटल पर रखे गए पत्र

निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखे गए:—

(1) शेयर बाजार घोटाले तथा तत्संबंधी मामलों संबंधी संयुक्त संसदीय समिति की मई, 2008 की सिफारिशों के अनुसरण में की-गई-कार्यवाही के बारे में 10वें प्रगति प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(2) आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 296 के अंतर्गत रिवर्स मोर्टगेज स्कीम, 2008, जो 30 सितम्बर, 2008 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या का॰आ॰ 2310 (अ) में प्रकाशित हुई थी, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(3) राजवित्तीय उत्तरदायित्व तथा बजट प्रबंधन अधिनियम, 2003 की धारा 7 की उपधारा (1) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):

(एक) वित्तीय वर्ष 2007-2008 की समाप्ति पर बजट के संबंध में प्राप्तियों और व्यय के रुझानों की तिमाही समीक्षा संबंधी विवरण।

(दो) वित्तीय वर्ष 2008-2009 की पहली तिमाही की समाप्ति पर बजट के संबंध में प्राप्तियों और व्यय के रुझानों की तिमाही समीक्षा संबंधी विवरण।

(4) दिल्ली विकास प्राधिकरण, नई दिल्ली के वर्ष 2005-2006 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(5) उपर्युक्त (4) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(6) निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):—

(एक) रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कारपोरेशन लिमिटेड तथा विद्युत मंत्रालय के बीच वर्ष 2008-2009 के लिए हुआ समझौता ज्ञापन।

(दो) पावर फाइनेंस कारपोरेशन लिमिटेड तथा विद्युत मंत्रालय के बीच वर्ष 2008-2009 के लिए हुआ समझौता ज्ञापन।

(7) विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम, 1987 की धारा 30 की उपधारा (1) के अंतर्गत स्थायी लोक अदालत (चेयरमैन तथा अन्य व्यक्तियों की नियुक्ति के अन्य निबंधन और शर्तें) संशोधन नियम, 2008 जो 13 मई, 2008 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा॰का॰नि॰ 373(अ) में प्रकाशित हुए थे, एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(8) परिसीमन अधिनियम, 2002 की धारा 10 की उप-धारा (3) के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):—

(एक) आ॰ सं॰ 27(अ) जो 31 मार्च, 2008 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा पश्चिम बंगाल राज्य में विधान सभा और संसदीय निर्वाचन क्षेत्रों के विस्तार का निर्धारण किया गया है।

(दो) आ॰ सं॰ 31(अ) जो 10 अप्रैल, 2008 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा उत्तर प्रदेश राज्य में विधान सभा और संसदीय निर्वाचन क्षेत्रों के विस्तार का निर्धारण किया गया है।

(तीन) आ॰ सं॰ 60(अ) जो 29 मई, 2008 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा तमिलनाडु राज्य में विधान सभा और संसदीय निर्वाचन क्षेत्रों के विस्तार का निर्धारण किया गया है।

(चार) आ॰सं॰ 62(अ) जो 30 मई, 2008 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली राज्य में विधान सभा और संसदीय निर्वाचन क्षेत्रों के विस्तार का निर्धारण किया गया है।

(पांच) आ॰सं॰ 59(अ) जो 29 मई, 2008 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसमें 12 दिसम्बर, 2006 की अधिसूचना संख्या 282/जीजे/2006 का शुद्धिपत्र दिया हुआ है।

(छह) आ॰सं॰ 61(अ) जो 30 मई, 2008 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसमें 17 अगस्त, 2007 की अधिसूचना संख्या 282/बीआर/2007 का शुद्धिपत्र दिया हुआ है।

(9) (एक) भारतीय विधि संस्थान, नई दिल्ली के वर्ष 2007-2008 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) भारतीय विधि संस्थान, नई दिल्ली के वर्ष 2007-2008 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(10) भारतीय विधि आयोग के निम्नलिखित प्रतिवेदनों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):—

(एक) दंड प्रक्रिया संहिता (संशोधन) अधिनियम, 2005 (अग्रिम जमानत) द्वारा यथासंशोधित दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 438 के बारे में 203वां प्रतिवेदन — दिसम्बर, 2007।

(दो) वर्ष 2005 के अधिनियम 39 द्वारा यथासंशोधित हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम, 1956 में संशोधन करने संबंधी प्रस्ताव के बारे में 204वां प्रतिवेदन - फरवरी, 2008।

(तीन) बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम, 2006 तथा अन्य संबंद्ध विधियों का संशोधन करने संबंधी प्रस्ताव के बारे में 205वां प्रतिवेदन - फरवरी, 2008।

(चार) सम्पूर्ण भारत पर लागू नए कोरोनर्स अधिनियम को अधिनियमित किए जाने संबंधी प्रस्ताव के बारे में 206वां प्रतिवेदन - जून, 2008।

(पांच) किसी महिला की अपनी अर्जित सम्पत्ति बिना उत्तराधिकारी को छोड़कर निर्वसीयत मृत्यु हो जाने की स्थिति में हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम, 1956 की धारा 15 का संशोधन करने संबंधी प्रस्ताव के बारे में 207वां प्रतिवेदन - जून, 2008।

(छह) ''विभाजन'' की परिभाषा में मौखिक विभाजन और कुटुम्ब व्यवस्था को सम्मिलित करने के लिए हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम, 1956 की धारा 6 के स्पष्टीकरण का संशोधन करने संबंधी प्रस्ताव के बारे में 208वां प्रतिवेदन - जुलाई, 2008।

(सात) भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम, 1925 से धारा 213 का लोप किए जाने संबंधी प्रस्ताव के बारे में 209वां प्रतिवेदन - जुलाई, 2008।

(11) चार्टर्ड अकाउंटेंट अधिनियम, 1949 की धारा 30ख के अंतर्गत अधिसूचना संख्या 1-सीए(7)/111/2008, जो 5 मार्च, 2008 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी

तथा जिसके द्वारा 1 अप्रैल, 2008 से प्रभावी प्रैक्टिस प्रमाण पत्र के शुल्क का निर्धारण किया गया है, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(12) उपर्युक्त (11) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(13) (एक) नेशनल इंस्टिट्यूट ऑफ पब्लिक कोऑपरेशन एण्ड चाइल्ड डेवलपमेंट, नई दिल्ली के वर्ष 2006-2007 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) नेशनल इंस्टिट्यूट ऑफ पब्लिक कोऑपरेशन एण्ड चाइल्ड डेवलपमेंट, नई दिल्ली के वर्ष 2006-2007 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(14) उपर्युक्त (13) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(15) निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):—

(एक) राष्ट्रीय महिला आयोग, नई दिल्ली के वर्ष 2004-2005 और 2005-2006 का वार्षिक प्रतिवेदन तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) राष्ट्रीय महिला आयोग, नई दिल्ली के वर्ष 2004-2005 और 2005-2006 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(तीन) राष्ट्रीय महिला आयोग, नई दिल्ली के वर्ष 2004-2005 और 2005-2006 के वार्षिक प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर की-गई-कार्यवाही प्रतिवेदन।

(16) उपर्युक्त (15) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाले दो विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(17) इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी लिमिटेड तथा नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के बीच वर्ष 2008-2009 के लिए हुए समझौता ज्ञापन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(18) हाउसिंग एण्ड अर्बन डेवलपमेंट कारपोरेशन लिमिटेड तथा आवास और शहरी गरीबी उपशमन मंत्रालय के बीच वर्ष 2008-2009 के लिए हुए समझौता ज्ञापन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(19) (एक) लक्षद्वीप बिल्डिंग डेवलपमेंट बोर्ड, कवरत्ती के वर्ष 2006-2007 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) लक्षद्वीप बिल्डिंग डेवलपमेंट बोर्ड, कवरत्ती के वर्ष 2006-2007 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(20) उपर्युक्त (19) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(21) निम्नलिखित केन्द्रों के संबंध में वर्ष 2007-2008 के निम्नलिखित वार्षिक प्रतिवेदनों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे:—

(एक) जनसंख्या अनुसंधान केन्द्र (इंस्टिट्यूट ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ), दिल्ली।

(दो) जनसंख्या अनुसंधान केन्द्र, भुवनेश्वर।

(तीन) जनसंख्या अनुसंधान केन्द्र, हजरतबल।

(चार) जनसंख्या अनुसंधान केन्द्र (इंस्टिट्यूट फॉर सोशल एण्ड इकोनॉमिक चेंज), बंगलौर।

(पांच) जनसंख्या अनुसंधान केन्द्र (सेन्टर फॉर रिसर्च इन रूरल एण्ड इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट), चंडीगढ़।

(छह) जनसंख्या अनुसंधान केन्द्र (जेएसएस इंस्टिट्यूट ऑफ इकोनॉमिक रिसर्च), धारवाड़।

(सात) जनसंख्या अनुसंधान केन्द्र, विशाखापत्तनम।

(आठ) जनसंख्या अनुसंधान केन्द्र, तिरुवनंतपुरम।

(नौ) जनसंख्या अनुसंधान केन्द्र (द गांधीग्राम इंस्टिट्यूट ऑफ रूरल हेल्थ एण्ड फैमिली वेल्फेयर ट्रस्ट), डिंडीगुल।

(दस) जनसंख्या अनुसंधान केन्द्र, गुवाहाटी।

(ग्यारह) जनसंख्या अनुसंधान केन्द्र, उदयपुर।

(बारह) जनसंख्या अनुसंधान केन्द्र, लखनऊ।

(तेरह) जनसंख्या अनुसंधान केन्द्र, वडोदरा।

(चौदह) जनसंख्या अनुसंधान केन्द्र, सागर।

(पन्द्रह) जनसंख्या अनुसंधान केन्द्र, चंडीगढ़।

(सोलह) जनसंख्या अनुसंधान केन्द्र (गोखले इंस्टिट्यूट ऑफ पॉलिटिक्स एण्ड इकोनॉमिक्स), पुणे।

(सत्रह) जनसंख्या अनुसंधान केन्द्र, शिमला।

(अठारह) जनसंख्या अनुसंधान केन्द्र, पटना।

(22) उपर्युक्त केन्द्रों के वर्ष 2007-2008 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(23) संविधान के अनुच्छेद 151(1) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):—

(एक) मार्च, 2007 को समाप्त हुए वर्ष के लिए भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक — संघ सरकार (रेल) (2008 का संख्यांक पीए 8) का प्रतिवेदन — कार्यनिष्पादन लेखापरीक्षा।

(दो) मार्च, 2007 को समाप्त हुए वर्ष के लिए भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक — संघ सरकार (रेल) (2008 का संख्यांक पीए 18) का प्रतिवेदन — सूचना प्रौद्योगिकी लेखापरीक्षा।

(तीन) मार्च, 2007 को समाप्त हुए वर्ष के लिए भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक — संघ सरकार (रेल) (2008 का संख्यांक सीए 6) का प्रतिवेदन — अनुपालन लेखापरीक्षा।

(चार) मार्च, 2007 को समाप्त हुए वर्ष के लिए भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक—संघ सरकार (सिविल)(2008 का संख्यांक पीए 3) का प्रतिवेदन—स्वायत्तशासी निकाय—कार्यनिष्पादन लेखापरीक्षा।

(पांच) मार्च, 2007 को समाप्त हुए वर्ष के लिए भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक—संघ सरकार (सिविल)(2008 का संख्यांक पीए 2) का प्रतिवेदन—वैज्ञानिक विभाग-कार्यनिष्पादन लेखापरीक्षा।

(छह) मार्च, 2007 को समाप्त हुए वर्ष के लिए भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक—संघ सरकार (सिविल)(2008 का संख्यांक सीए 1) का प्रतिवेदन—अनुपालन लेखापरीक्षा टिप्पणियां।

(सात) मार्च, 2007 को समाप्त हुए वर्ष के लिए भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक—संघ सरकार (सिविल और डाक विभाग)(2008 का संख्यांक पीए 1) का प्रतिवेदन—कार्यनिष्पादन लेखापरीक्षा।

(आठ) मार्च, 2007 को समाप्त हुए वर्ष के लिए भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक—संघ सरकार (रक्षा सेवाएं)(2008 का संख्यांक पीए 4) का प्रतिवेदन—थल सेना और आयुध निर्माणियां (कार्यनिष्पादन लेखापरीक्षा)।

(नौ) मार्च, 2007 को समाप्त हुए वर्ष के लिए भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक—संघ सरकार (रक्षा सेवाएं)(2008 का संख्यांक पीए 5) का प्रतिवेदन—वायु सेना और नौसेना (कार्यनिष्पादन लेखापरीक्षा)।

(दस) मार्च, 2007 को समाप्त हुए वर्ष के लिए भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक—संघ सरकार (वाणिज्यिक) (सरकारी क्षेत्र की सामान्य बीमा कंपनियों के चुनिंदा कार्यकलापों की समीक्षा) (2008 का संख्यांक पीए 15) का प्रतिवेदन—कार्यनिष्पादन लेखापरीक्षा।

(ग्यारह) मार्च, 2007 को समाप्त हुए वर्ष के लिए भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक—संघ सरकार (2008 का संख्यांक पीए 13) का प्रतिवेदन—राष्ट्रीय प्राथमिक शिक्षा पोषाहार सहायता (मिड डे मील स्कीम)—(कार्यनिष्पादन लेखापरीक्षा) मानव संसाधन विकास मंत्रालय।

(बारह) मार्च, 2007 को समाप्त हुए वर्ष के लिए भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक—संघ सरकार (सिविल)(2008 का संख्यांक पीए 11) का प्रतिवेदन—राष्ट्रीय ग्रामीण नियोजन गारंटी अधिनियम के कार्यान्वयन की कार्यनिष्पादन लेखापरीक्षा, ग्रामीण विकास मंत्रालय।

(24) निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):—

(एक) भारतीय रेल के विनियोग लेखे—भाग I—वर्ष 2006-2007 के लिए समीक्षा।

(दो) भारतीय रेल के विनियोग लेखे—भाग II—वर्ष 2006-2007 के विस्तृत विनियोग लेखे।

(तीन) भारतीय रेल के विनियोग लेखे—भाग II—वर्ष 2006-2007 के विस्तृत विनियोग लेखे (उपाबंध-छ)।

(25) भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड अधिनियम, 1992 की धारा 18 की उपधारा (3) के अंतर्गत भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(26) 31 मार्च, 2008 को समाप्त हुए वर्ष के लिए प्रादेशिक ग्रामीण बैंकों के निम्नलिखित वार्षिक प्रतिवेदनों तथा लेखाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षक का प्रतिवेदन:—

(एक) हरियाणा ग्रामीण बैंक, रोहतक

(दो) त्रिपुरा ग्रामीण बैंक, अगरतला

(तीन) मेघालय रूरल बैंक, शिलांग

(चार) एमजीबी ग्रामीण बैंक, पाली-मारवाड़

(पांच) देना गुजरात ग्रामीण बैंक, गांधीनगर

(छह) वनांचल ग्रामीण बैंक, दुमका

(सात) प्रथमा बैंक, मुरादाबाद

(आठ) उत्तर बिहार क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, मुजफ्फरपुर

(नौ) बलिया क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, बलिया

(दस) नर्मदा मालवा ग्रामीण बैंक, इंदौर

(ग्यारह) हिमाचल ग्रामीण बैंक, मंडी

(बारह) नैनीताल-अल्मोड़ा क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक हल्द्वानी

(तेरह) काशी गोमती सम्युत ग्रामीण बैंक, वाराणसी

(चौदह) चैतन्य गोदावरी ग्रामीण बैंक, गुंटूर

(पंद्रह) सौराष्ट्र ग्रामीण बैंक, राजकोट

(सोलह) रीवा सिधी ग्रामीण बैंक, रीवा

(सत्रह) कोशी क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, पूर्णिया

(अठारह) झाबुआ धार क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, झाबुआ

(उन्नीस) आंध्र प्रदेश ग्रामीण विकास बैंक, वारंगल

(बीस) हदोती क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, कोटा

(इक्कीस) गुड़गांव ग्रामीण बैंक, गुड़गांव

(बाईस) प्रगति ग्रामीण बैंक, बेल्लारी

(तेईस) पल्लवन ग्राम बैंक, सलेम

(चौबीस) पर्वतीय ग्रामीण बैंक, चम्बा

(पच्चीस) पूर्वांचल ग्रामीण बैंक, गोरखपुर

(छब्बीस) सोलापुर ग्रामीण बैंक, सोलापुर

(सत्ताईस) आंध्र प्रगति ग्रामीण बैंक, कादापा

(अट्ठाइस) दुर्ग राजनंदगांव ग्रामीण बैंक, राजनंदगांव

(उनतीस) नागालैंड रूरल बैंक, कोहिमा

(तीस) रत्नागिरि सिंधुदुर्ग ग्रामीण बैंक, रत्नागिरि

(इकतीस) जयपुर थार ग्रामीण बैंक, जयपुर

(बत्तीस) झारखण्ड ग्रामीण बैंक, रांची

(तैंतीस) नॉर्थ मालाबार ग्रामीण बैंक, कन्नूर

(चौंतीस) मिजोरम रूरल बैंक, आइजॉल

(पैंतीस) कावेरी कल्पतरू ग्रामीण बैंक, मैसूर

(छत्तीस) फरीदकोट-भटिंडा क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, भटिंडा

(सैंतीस) लांग्पी देहांगी रूरल बैंक, दिफू, कर्बी अंगलांग

(अड़तीस) अरुणाचल प्रदेश रूरल बैंक, पापुम-पारे

(उनतालीस) आर्यावर्त ग्रामीण बैंक, लखनऊ

(चालीस) राजस्थान ग्रामीण बैंक, अलवर

(इकतालीस) बड़ौदा उत्तर प्रदेश ग्रामीण बैंक, रायबरेली

(बयालीस) साउथ मालाबार ग्रामीण बैंक, मलप्पुरम

(तैंतालीस) उत्कल ग्राम्य बैंक, बोलंगीर

(चवालीस) बिहार क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, मुंगेर

(पैंतालीस) क्षेत्रीय किसान ग्रामीण बैंक, मैनपुरी

(छियालीस) डेक्कन ग्रामीण बैंक, हैदराबाद

(सैंतालीस) मालवा ग्रामीण बैंक, संगरूर

(अड़तालीस) पंजाब ग्रामीण बैंक, कपूरथला

(उनचास) त्रिवेणी क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, ओरई जालौन

(पचास) श्रेयस ग्रामीण बैंक, अलीगढ़

(इक्यावन) सुरगुजा क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, सुरगुजा

(बावन) विदिशा भोपाल क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, विदिशा

(तिरपन) वाणगंगा क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, चन्द्रपुर

(चौवन) सप्तगिरि ग्रामीण बैंक, चित्तौड़

(पचपन) रतलाम मंदसौर क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, मंदसौर

(छप्पन) सतपुड़ा क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, सतपुड़ा

(सतावन) जम्मू रूरल बैंक, नरवाल, जम्मू

(अठावन) सर्व यू॰ पी॰ ग्रामीण बैंक, मेरठ

(उनसठ) महाराष्ट्र गोदावरी ग्रामीण बैंक, औरंगाबाद

(साठ) नीलांचल ग्राम्य बैंक, भुवनेश्वर

(इकसठ) पश्चिम बंग ग्रामीण बैंक, हावड़ा

(बासठ) कृष्णा ग्रामीण बैंक, गुलबर्गा

(तिरसठ) बड़ौदा गुजरात ग्रामीण बैंक, भरूच

(चौसठ) बड़ौदा राजस्थान ग्रामीण बैंक, अजमेर

(पैसठ) चम्बल-ग्वालियर क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, ग्वालियर

(छियासठ) शारदा ग्रामीण बैंक, सतना

(सड़सठ) बंगिया ग्रामीण विकास बैंक, मुर्शीदाबाद

(अड़सठ) महाकौशल क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, जबलपुर

(उनहत्तर) लखनऊ क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, सीतापुर

(सत्तर) उत्तरांचल ग्रामीण बैंक, देहरादून

(इकहत्तर) छत्तीसगढ़ ग्रामीण बैंक, रायपुर

(बहत्तर) विदर्भ क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, अकोला

(तिहत्तर) मध्य भारत ग्रामीण बैंक, सागर

(चौहत्तर) विश्वेश्वरैया ग्रामीण बैंक, मांडया

(पचहत्तर) इटावा क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, इटावा

(छिहत्तर) मराठवाड़ा ग्रामीण बैंक, नांदेड़

(सतहत्तर) मध्य बिहार ग्रामीण बैंक, पटना

(अठहत्तर) समस्तीपुर क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, समस्तीपुर

(उनासी) कर्नाटक विकास ग्रामीण बैंक, धारवाड़

(अस्सी) कलिंग ग्राम्य बैंक, कटक

(इक्यासी) बैतरणी ग्राम्य बैंक, बारीपद मयूरभंज

(बयासी) पांड्यन ग्राम बैंक, विरुद्धुनगर

(तिरासी) असम ग्रामीण विकास बैंक, गुवाहाटी

(चौरासी) मणिपुर रूरल बैंक, इम्फाल

(पचासी) चिकमगलूर-कोडागु ग्रामीण बैंक चिकमगलूर।

(27) भारतीय स्टेट बैंक (अनुषंगी बैंक) अधिनियम, 1959 की धारा 43 की उपधारा (4) के अंतर्गत भारतीय स्टेट बैंक, स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एण्ड जयपुर, स्टेट बैंक ऑफ पटियाला, स्टेट बैंक ऑफ हैदराबाद, स्टेट बैंक ऑफ मैसूर, स्टेट बैंक ऑफ त्रावणकोर, स्टेट बैंक ऑफ इंदौर और स्टेट बैंक ऑफ सौराष्ट्र के वर्ष 2007-08 के वार्षिक प्रतिवेदनों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखा-परीक्षित लेखे और उन पर लेखापरीक्षक का प्रतिवेदन।

(28) बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) अधिनियम, 1970 और 1980 की धारा 10 की उपधारा 8 के अंतर्गत निम्नलिखित वार्षिक प्रतिवेदनों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):—

(एक) इलाहाबाद बैंक के वर्ष 2007-2008 के कार्यकरण और कार्यकलापों के बारे में प्रतिवेदन तथा लेखे और उन पर लेखापरीक्षक का प्रतिवेदन।

(दो) आन्ध्रा बैंक के वर्ष 2007-2008 के कार्यकरण और कार्यकलापों के बारे में प्रतिवेदन तथा लेखे और उन पर लेखापरीक्षक का प्रतिवेदन।

(तीन) बैंक ऑफ बड़ौदा के वर्ष 2007-2008 के कार्यकरण और कार्यकलापों के बारे में प्रतिवेदन तथा लेखे और उन पर लेखापरीक्षक का प्रतिवेदन।

(चार) बैंक ऑफ इंडिया के वर्ष 2007-2008 के कार्यकरण और कार्यकलापों के बारे में प्रतिवेदन तथा लेखे और उन पर लेखापरीक्षक का प्रतिवेदन।

(पांच) बैंक ऑफ महाराष्ट्र के वर्ष 2007-2008 के कार्यकरण और कार्यकलापों के बारे में प्रतिवेदन तथा लेखे और उन पर लेखापरीक्षक का प्रतिवेदन।

(छह) केनरा बैंक के वर्ष 2007-2008 के कार्यकरण और कार्यकलापों के बारे में प्रतिवेदन तथा लेखे और उन पर लेखापरीक्षक का प्रतिवेदन।

(सात) सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया के वर्ष 2007-2008 के कार्यकरण और कार्यकलापों के बारे में प्रतिवेदन तथा लेखे और उन पर लेखापरीक्षक का प्रतिवेदन।

(आठ) कारपोरेशन बैंक के वर्ष 2007-2008 के कार्यकरण और कार्यकलापों के बारे में प्रतिवेदन तथा लेखे और उन पर लेखापरीक्षक का प्रतिवेदन।

(नौ) देना बैंक के वर्ष 2007-2008 के कार्यकरण और कार्यकलापों के बारे में प्रतिवेदन तथा लेखे और उन पर लेखापरीक्षक का प्रतिवेदन।

(दस) इंडियन बैंक के वर्ष 2007-2008 के कार्यकरण और कार्यकलापों के बारे में प्रतिवेदन तथा लेखे और उन पर लेखापरीक्षक का प्रतिवेदन।

(ग्यारह) ओरिएन्टल बैंक ऑफ कॉमर्स के वर्ष 2007-2008 के कार्यकरण और कार्यकलापों के बारे में प्रतिवेदन तथा लेखे और उन पर लेखापरीक्षक का प्रतिवेदन।

(बारह) पंजाब नेशनल बैंक के वर्ष 2007-2008 के कार्यकरण और कार्यकलापों के बारे में प्रतिवेदन तथा लेखे और उन पर लेखापरीक्षक का प्रतिवेदन।

(तेरह) सिंडीकेट बैंक के वर्ष 2007-2008 के कार्यकरण और कार्यकलापों के बारे में प्रतिवेदन तथा लेखे और उन पर लेखापरीक्षक का प्रतिवेदन।

(चौदह) यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के वर्ष 2007-2008 के कार्यकरण और कार्यकलापों के बारे में प्रतिवेदन तथा लेखे और उन पर लेखापरीक्षक का प्रतिवेदन।

(पंद्रह) यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया के वर्ष 2007-2008 के कार्यकरण और कार्यकलापों के बारे में प्रतिवेदन तथा लेखे और उन पर लेखापरीक्षक का प्रतिवेदन।

(सोलह) यूको बैंक के वर्ष 2007–2008 के कार्यकरण और कार्यकलापों के बारे में प्रतिवेदन तथा लेखे और उन पर लेखापरीक्षक का प्रतिवेदन।

(सत्रह) विजया बैंक के वर्ष 2007–2008 के कार्यकरण और कार्यकलापों के बारे में प्रतिवेदन तथा लेखे और उन पर लेखापरीक्षक का प्रतिवेदन।

(अठारह) इंडियन ओवरसीज बैंक के वर्ष 2007–2008 के कार्यकरण और कार्यकलापों के बारे में प्रतिवेदन तथा लेखे और उन पर लेखापरीक्षक का प्रतिवेदन।

(उन्नीस) पंजाब एण्ड सिंध बैंक के वर्ष 2007–2008 के कार्यकरण और कार्यकलापों के बारे में प्रतिवेदन तथा लेखे और उन पर लेखापरीक्षक का प्रतिवेदन।

(29) बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण अधिनियम, 1999 की धारा 27 के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):—

(एक) बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण (भारतीय बीमा कंपनियों का रजिस्ट्रीकरण) (दूसरा संशोधन) विनियम, 2008 जो 13 फरवरी, 2008 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या एफ सं० आईआरडीए/रेग/3/44/2008 में प्रकाशित हुए थे।

(दो) बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण (अधिकारियों और अन्य कर्मचारियों की सेवा की शर्तें) (संशोधन) विनियम, 2008 जो 14 मार्च, 2008 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या एफ सं० आईआरडीए/रेग/4/45/2008 में प्रकाशित हुए थे।

(तीन) बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण (निवेश) (चौथा संशोधन) विनियम, 2008 जो 11 अगस्त, 2008 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या एफ सं० आईआरडीए/रेग/5/47/2008 में प्रकाशित हुए थे।

(30) कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 619क की उपधारा (1) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):—

(क) (एक) यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड, चेन्नई के वर्ष 2007–2008 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड, चेन्नई के वर्ष 2007–2008 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

(ख) (एक) नेशनल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड, कोलकाता के वर्ष 2007-2008 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) नेशनल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड, कोलकाता के वर्ष 2007-2008 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

(ग) (एक) ओरिएंटल इंश्योरेंस, नई दिल्ली के वर्ष 2007-2008 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) ओरिएंटल इंश्योरेंस, नई दिल्ली के वर्ष 2007-2008 के वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

(31) प्रादेशिक ग्रामीण बैंक अधिनियम, 1976 की धारा 29 की उपधारा (3) के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):—

(एक) त्रिवेणी क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक (बोर्ड की बैठकें) नियम, 2007 जो 6 अक्तूबर, 2007 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या का॰आ॰ 2868 में प्रकाशित हुए थे।

(दो) लखनऊ क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक (बोर्ड की बैठकें) नियम, 2007 जो 6 अक्तूबर, 2007 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या का॰आ॰ 2869 में प्रकाशित हुए थे।

(तीन) चैतन्य गोदावरी ग्रामीण बैंक (बोर्ड की बैठकें) नियम, 2007 जो 6 अक्तूबर, 2007 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या का॰आ॰ 2870 में प्रकाशित हुए थे।

(चार) आर्यावर्त ग्रामीण बैंक (बोर्ड की बैठकें) नियम, 2007 जो 6 अक्तूबर, 2007 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या का॰आ॰ 2871 में प्रकाशित हुए थे।

(पांच) वाणगंगा क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक (बोर्ड की बैठकें) नियम, 2007 जो 6 अक्तूबर, 2007 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या का॰आ॰ 2872 में प्रकाशित।

(छह) झारखण्ड ग्रामीण बैंक (बोर्ड की बैठकें) नियम, 2007 जो 6 अक्तूबर, 2007 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या का॰आ॰ 2873 में प्रकाशित हुए थे।

(सात) नर्मदा मालवा ग्रामीण बैंक (बोर्ड की बैठकें) नियम, 2007 जो 6 अक्तूबर, 2007 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या का॰आ॰ 2874 में प्रकाशित हुए थे।

(आठ) बड़ौदा ईस्टर्न उत्तर प्रदेश ग्रामीण बैंक (बोर्ड की बैठकें) नियम, 2007 जो 6 अक्तूबर, 2007 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या का॰आ॰ 2875 में प्रकाशित हुए थे।

(नौ) बड़ौदा वेस्टर्न उत्तर प्रदेश ग्रामीण बैंक (बोर्ड की बैठकें) नियम, 2007 जो 6 अक्तूबर, 2007 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या का॰आ॰ 2876 में प्रकाशित हुए थे।

(दस) बड़ौदा गुजरात ग्रामीण बैंक (बोर्ड की बैठकें) नियम, 2007 जो 6 अक्तूबर, 2007 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या का॰आ॰ 2877 में प्रकाशित हुए थे।

(ग्यारह) बड़ौदा राजस्थान ग्रामीण बैंक (बोर्ड की बैठकें) नियम, 2007 जो 6 अक्तूबर, 2007 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या का॰आ॰ 2878 में प्रकाशित हुए थे।

(बारह) श्रेयस ग्रामीण बैंक (बोर्ड की बैठकें) नियम, 2007 जो 6 अक्तूबर, 2007 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या का॰आ॰ 2879 में प्रकाशित हुए थे।

(तेरह) प्रगति ग्रामीण बैंक (बोर्ड की बैठकें) नियम, 2007 जो 6 अक्तूबर, 2007 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या का॰आ॰ 2880 में प्रकाशित हुए थे।

(चौदह) चम्बल ग्वालियर क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक (बोर्ड की बैठकें) नियम, 2007 जो 6 अक्तूबर, 2007 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या का॰आ॰ 2881 में प्रकाशित हुए थे।

(पंद्रह) विदर्भ क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक (बोर्ड की बैठकें) नियम, 2007 जो 6 अक्तूबर, 2007 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या का॰आ॰ 2882 में प्रकाशित हुए थे।

(सोलह) उत्तर बिहार क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक (बोर्ड की बैठकें) नियम, 2007 जो 6 अक्तूबर, 2007 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या का॰आ॰ 2883 में प्रकाशित हुए थे।

(सत्रह) सतपुड़ा क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक (बोर्ड की बैठकें) नियम, 2007 जो 6 अक्तूबर, 2007 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या का॰आ॰ 2884 में प्रकाशित हुए थे।

(अठारह) देना गुजरात ग्रामीण बैंक (बोर्ड की बैठकें) नियम, 2007 जो 6 अक्तूबर, 2007 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या का॰आ॰ 2885 में प्रकाशित हुए थे।

(उन्नीस) पल्लवन ग्राम बैंक (बोर्ड की बैठकें) नियम, 2007 जो 6 अक्तूबर, 2007 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या का॰आ॰ 2886 में प्रकाशित हुए थे।

(बीस) सप्तगिरि ग्रामीण बैंक (बोर्ड की बैठकें) नियम, 2007 जो 6 अक्तूबर, 2007 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या का॰आ॰ 2887 में प्रकाशित हुए थे।

(इक्कीस) नीलाचल ग्राम्य बैंक (बोर्ड की बैठकें) नियम, 2007 जो 6 अक्तूबर, 2007 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या का॰आ॰ 2888 में प्रकाशित हुए थे।

(बाईस) पंजाब ग्रामीण बैंक (बोर्ड की बैठकें) नियम, 2007 जो 6 अक्तूबर, 2007 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या का॰आ॰ 2889 में प्रकाशित हुए थे।

(तेईस) उत्तर प्रदेश ग्रामीण बैंक (बोर्ड की बैठकें) नियम, 2007 जो 6 अक्तूबर, 2007 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या का॰आ॰ 2890 में प्रकाशित हुए थे।

(चौबीस) राजस्थान ग्रामीण बैंक (बोर्ड की बैठकें) नियम, 2007 जो 6 अक्तूबर, 2007 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या का॰आ॰ 2891 में प्रकाशित हुए थे।

(पच्चीस) हरियाणा ग्रामीण बैंक (बोर्ड की बैठकें) नियम, 2007 जो 6 अक्तूबर, 2007 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या का॰आ॰ 2892 में प्रकाशित हुए थे।

(छब्बीस) मध्य बिहार ग्रामीण बैंक (बोर्ड की बैठकें) नियम, 2007 जो 6 अक्तूबर, 2007 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या का॰आ॰ 2893 में प्रकाशित हुए थे।

(सत्ताईस) जयपुर थार ग्रामीण बैंक (बोर्ड की बैठकें) नियम, 2007 जो 6 अक्तूबर, 2007 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या का॰आ॰ 2894 में प्रकाशित हुए थे।

(अट्ठाईस) पश्चिम बंग ग्रामीण बैंक (बोर्ड की बैठकें) नियम, 2007 जो 6 अक्तूबर, 2007 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या का॰आ॰ 2895 में प्रकाशित हुए थे।

(उनतीस) कलिंग ग्राम्य बैंक (बोर्ड की बैठकें) नियम, 2007 जो 6 अक्तूबर, 2007 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या का॰आ॰ 2896 में प्रकाशित हुए थे।

(तीस) बिहार क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक (बोर्ड की बैठकें) नियम, 2007 जो 6 अक्तूबर, 2007 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या का॰आ॰ 2897 में प्रकाशित हुए थे।

(इकतीस) बंगिया ग्रामीण विकास बैंक (बोर्ड की बैठकें) नियम, 2007 जो 6 अक्तूबर, 2007 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या का॰आ॰ 2898 में प्रकाशित हुए थे।

(बत्तीस) असम ग्रामीण विकास बैंक (बोर्ड की बैठकें) नियम, 2007 जो 6 अक्तूबर, 2007 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या का॰आ॰ 2899 में प्रकाशित हुए थे।

(तैंतीस) काशी गोमती सम्युत ग्रामीण बैंक (बोर्ड की बैठकें) नियम, 2007 जो 6 अक्तूबर, 2007 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या का॰आ॰ 2900 में प्रकाशित हुए थे।

(चौंतीस) कर्नाटक विकास ग्रामीण बैंक (बोर्ड की बैठकें) नियम, 2007 जो 6 अक्तूबर, 2007 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या का॰आ॰ 2901 में प्रकाशित हुए थे।

(पैंतीस) देना आंध्र प्रगति ग्रामीण बैंक (बोर्ड की बैठकें) नियम, 2007 जो 6 अक्तूबर, 2007 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या का॰आ॰ 2902 में प्रकाशित हुए थे।

(छत्तीस) छत्तीसगढ़ ग्रामीण बैंक (बोर्ड की बैठकें) नियम, 2007 जो 6 अक्तूबर, 2007 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या का॰आ॰ 2903 में प्रकाशित हुए थे।

(सैंतीस) वनांचल ग्रामीण बैंक (बोर्ड की बैठकें) नियम, 2007 जो 6 अक्तूबर, 2007 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या का॰आ॰ 2904 में प्रकाशित हुए थे।

(अड़तीस) उत्तरांचल ग्रामीण बैंक (बोर्ड की बैठकें) नियम, 2007 जो 6 अक्तूबर, 2007 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या का॰आ॰ 2905 में प्रकाशित हुए थे।

(उनतालीस) मध्य भारत ग्रामीण बैंक (बोर्ड की बैठकें) नियम, 2007 जो 6 अक्तूबर, 2007 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या का॰आ॰ 2906 में प्रकाशित हुए थे।

(चालीस) आंध्र प्रदेश ग्रामीण विकास बैंक (बोर्ड की बैठकें) नियम, 2007 जो 6 अक्तूबर, 2007 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या का॰आ॰ 2907 में प्रकाशित हुए थे।

(इकतालीस) पूर्वांचल ग्रामीण बैंक (बोर्ड की बैठकें) नियम, 2007 जो 6 अक्तूबर, 2007 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या का॰आ॰ 2908 में प्रकाशित हुए थे।

(बयालीस) उत्कल ग्राम्य बैंक (बोर्ड की बैठकें) नियम, 2007 जो 6 अक्तूबर, 2007 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या का॰ आ॰ 2909 में प्रकाशित हुए थे।

(तैंतालीस) कावेरी कल्पतरू ग्रामीण बैंक (बोर्ड की बैठकें) नियम, 2007 जो 6 अक्तूबर, 2007 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या का॰आ॰ 2910 में प्रकाशित हुए थे।

(चवालीस) सौराष्ट्र ग्रामीण बैंक (बोर्ड की बैठकें) नियम, 2007 जो 6 अक्तूबर, 2007 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या का॰आ॰ 2911 में प्रकाशित हुए थे।

(पैंतालीस) एमजीबी ग्रामीण बैंक (बोर्ड की बैठकें) नियम, 2007 जो 6 अक्तूबर, 2007 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या का॰आ॰ 2912 में प्रकाशित हुए थे।

(छियालीस) डेक्कन ग्रामीण बैंक (बोर्ड की बैठकें) नियम, 2007 जो 6 अक्तूबर, 2007 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या का॰आ॰ 2913 में प्रकाशित हुए थे।

(32) बीमांकक अधिनियम, 2006 की धारा 58 के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)—

(एक) बीमांकक (परिषद के लिए सदस्य का नामांकन) नियम, 2008 जो 7 मई, 2008 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा॰का॰नि॰ 341(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(दो) बीमांकक गुणवत्ता समीक्षा बोर्ड (बैठकों की प्रक्रिया, तथा अध्यक्ष और सदस्यों की सेवा की निबंधन और शर्तें तथा भत्ते) नियम, 2008 जो 7 मई, 2008 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा॰का॰नि॰ 342(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(तीन) बीमांकक अधिकरण (पीठासीन अधिकारी और सदस्यों के वेतन, भत्ते तथा अन्य निबंधन और शर्तें) नियम, 2008 जो 7 मई, 2008 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा॰का॰नि॰ 343(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(चार) बीमांकक (परिषद् के लिए निर्वाचन) नियम, 2008 जो 2 जुलाई, 2008 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा॰का॰नि॰ 494(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(पांच) बीमांकक (वृत्तिक तथा अन्य अवचार की जांच की प्रक्रिया) नियम, 2008 जो 2 जुलाई, 2008 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा॰का॰नि॰ 495(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(33) बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) अधिनियम, 1970 की धारा 9 की उपधारा (6) के अंतर्गत भारत ओवरसीज बैंक लिमिटेड (उपक्रम का इंडियन ओवरसीज बैंक में अंतरण) संशोधित स्कीम, 2007 जो 30 मार्च, 2007 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या का॰आ॰ 501(अ) में प्रकाशित हुई थी, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(34) सामान्य बीमा कारबार (राष्ट्रीयकरण) अधिनियम, 1972 की धारा 17क की उपधारा (5) के अंतर्गत सामान्य बीमा (विकास कर्मचारियों के वेतनमानों का सुव्यवस्थीकरण और अन्य सेवा शर्तें) (संशोधन) स्कीम, 2008 जो 19 जून, 2008 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या का॰आ॰ 1499(अ) में प्रकाशित हुई थी तथा जिसमें 23 जुलाई, 2008 की अधिसूचना संख्या का॰आ॰ 1831(अ) में प्रकाशित उसका एक शुद्धिपत्र दिया गया है, की एक प्रति (केवल अंग्रेजी संस्करण)।

(35) विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम, 1999 की धारा 48 के अंतर्गत विदेशी मुद्रा प्रबंधन (किसी विदेशी प्रतिभूति का अंतरण या निर्गम) (तीसरा संशोधन) विनियम, 2007 जो 25 मार्च, 2008 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या का॰आ॰ 209(अ) में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति।

(36) भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड अधिनियम, 1992 की धारा 31 के अंतर्गत भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (म्यूचुअल फंड्स) (तीसरा संशोधन) विनियम, 2008 जो 29 सितम्बर, 2008 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या एलएडीएनआरओ/जीएन/2008/24/139426 में प्रकाशित हुए थे।

(37) सरकारी बचत बैंक अधिनियम, 1873 की धारा 15 की उपधारा (3) के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):—

(एक) डाकघर बचत जमा (संशोधन) नियम, 2008 जो 26 जून, 2008 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा॰का॰नि॰ 478(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(दो) डाकघर सावधि खाता (संशोधन) नियम, 2008 जो 26 जून, 2008 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा॰का॰नि॰ 479(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(तीन) डाकघर आवर्ती जमा (संशोधन) नियम, 2008 जो 26 जून, 2008 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा॰का॰नि॰ 480(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(चार) डाकघर बचत बैंक सामान्य (संशोधन) नियम, 2008 जो 7 जुलाई, 2008 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा॰का॰नि॰ 504(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(पांच) डाकघर बचत खाता (दूसरा संशोधन) नियम, 2008 जो 26 अगस्त, 2008 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा॰का॰नि॰ 611(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(छह) डाकघर बचत बैंक सामान्य (दूसरा संशोधन) नियम, 2008 जो 2 सितम्बर, 2008 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा॰का॰नि॰ 630(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(38) सिक्का-निर्माण अधिनियम, 1906 की धारा 21 की उपधारा (3) के अंतर्गत ''शहीद भगत सिंह जन्मशताब्दी वर्ष (1907-2007)'' के अवसर के स्मरण हेतु

निर्मित एक सौ रुपये और पांच रुपए के सिक्कों का निर्माण नियम, 2007 को 26 जुलाई, 2007 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा॰का॰नि॰ 507(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(39) संदाय और निपटान प्रणाली अधिनियम, 2007 की धारा 1 की उपधारा (3) के अंतर्गत जारी अधिसूचना संख्या का॰आ॰ 2032(अ) जो 12 अगस्त, 2008 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जिसके द्वारा 12 अगस्त, 2008 की तारीख को उस तारीख के रूप में नियत किया गया है जिसको उक्त अधिनियम के उपबंध प्रवृत्त होंगे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(40) संदाय और निपटान प्रणाली अधिनियम, 2007 की धारा 38 की उपधारा (3) के अंतर्गत संदाय और निपटान प्रणाली विनियमन और पर्यवेक्षण बोर्ड विनियम, 2008 जो 12 अगस्त, 2008 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या पीएसएस/194/02-11-01/2007-2008 में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(41) सीमा-शुल्क अधिनियम, 1962 की धारा 159 के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):—

(एक) का॰आ॰ 1033(अ) जो 28 अप्रैल, 2008 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो आयातित और निर्यातित वस्तुओं के मूल्यांकन के प्रयोजनार्थ कतिपय विदेशी मुद्राओं के भारतीय मुद्रा में अथवा भारतीय मुद्रा के विदेशी मुद्रा में परिवर्तन के लिए संशोधित विनियम दरों के बारे में है, तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(दो) का॰आ॰ 1075(अ) जो 2 मई, 2008 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा 3 अगस्त, 2001 की अधिसूचना संख्या 36/2001-सी॰शु॰(एन॰टी॰) में कतिपय संशोधन किए गए हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(तीन) का॰आ॰ 1143 (अ) जो 15 मई, 2008 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा 3 अगस्त, 2001 की अधिसूचना संख्या 36/2001-सी॰शु॰ (एन॰टी॰) में कतिपय संशोधन किए गए हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(चार) का॰आ॰ 1245 (अ) जो 28 मई, 2008 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो आयातित और निर्यातित वस्तुओं के मूल्यांकन के प्रयोजनार्थ

कतिपय विदेशी मुद्राओं के भारतीय मुद्रा में अथवा भारतीय मुद्रा के विदेशी मुद्रा में परिवर्तन के लिए संशोधित विनिमय दरों के बारे में है, तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(पांच) का॰आ॰ 1285 (अ) जो 3 जून, 2008 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा 3 अगस्त, 2001 की अधिसूचना संख्या 36/2001–सी॰शु॰ (एन॰टी॰) में कतिपय संशोधन किए गए हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(छह) का॰आ॰ 1459 (अ) जो 16 जून, 2008 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा 3 अगस्त, 2001 की अधिसूचना संख्या 36/2001–सी॰शु॰ (एन॰टी॰) में कतिपय संशोधन किए गए हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(सात) का॰आ॰ 1551 (अ) जो 25 जून, 2008 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो आयातित और निर्यातित वस्तुओं के मूल्यांकन के प्रयोजनार्थ कतिपय विदेशी मुद्राओं के भारतीय मुद्रा में अथवा भारतीय मुद्रा के विदेशी मुद्रा में परिवर्तन के लिए संशोधित विनिमय दरों के बारे में है, तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(आठ) का॰आ॰ 1595 (अ) जो 30 जून, 2008 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा 3 अगस्त, 2001 की अधिसूचना संख्या 36/2001–सी॰शु॰ (एन॰टी॰) में कतिपय संशोधन किए गए हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(नौ) का॰आ॰ 1864 (अ) जो 28 जुलाई, 2008 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो आयातित और निर्यातित वस्तुओं के मूल्यांकन के प्रयोजनार्थ कतिपय विदेशी मुद्राओं के भारतीय मुद्रा में अथवा भारतीय मुद्रा के विदेशी मुद्रा में परिवर्तन के लिए संशोधित विनिमय दरों के बारे में है, तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(दस) का॰आ॰ 1932 (अ) जो 1 अगस्त, 2008 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा 3 अगस्त, 2001 की अधिसूचना संख्या 36/2001–सी॰शु॰ (एन॰टी॰) में कतिपय संशोधन किए गए हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

GMGIPMRND—3629LS—23-10-2008.

(ग्यारह) सीमा शुल्क टैरिफ (न्यूनतम विकसित देशों के लिए शुल्क मुक्त टैरिफ अधिमान स्कीम के अंतर्गत उत्पादों के उद्भव का निर्धारण) नियम, 2008 जो 13 अगस्त, 2008 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या का॰आ॰ 2041 (अ) में प्रकाशित हुए थे तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(बारह) का॰आ॰ 2053 (अ) जो 14 अगस्त, 2008 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा 3 अगस्त, 2001 की अधिसूचना संख्या 36/2001-सी॰शु॰ (एन॰टी॰) में कतिपय संशोधन किए गए हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(तेरह) का॰आ॰ 2109 (अ) जो 26 अगस्त, 2008 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो आयातित और निर्यातित वस्तुओं के मूल्यांकन के प्रयोजनार्थ कतिपय विदेशी मुद्राओं के भारतीय मुद्रा में अथवा भारतीय मुद्रा के विदेशी मुद्रा में परिवर्तन के लिए संशोधित विनिमय दरों के बारे में है, तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(चौदह) का॰आ॰ 2144 (अ) जो 1 सितम्बर, 2008 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा 3 अगस्त, 2001 की अधिसूचना संख्या 36/2001-सी॰शु॰ (एन॰टी॰) में कतिपय संशोधन किए गए हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(पन्द्रह) का॰आ॰ 2204 (अ) जो 16 सितम्बर, 2008 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा 3 अगस्त, 2001 की अधिसूचना संख्या 36/2001-सी॰शु॰ (एन॰टी॰) में कतिपय संशोधन किए गए हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(सोलह) का॰आ॰ 2278 (अ) जो 25 सितम्बर, 2008 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा 26 अगस्त, 2001 की अधिसूचना संख्या 102/2008-सी॰शु॰ (एन॰टी॰) में कतिपय संशोधन किए गए हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(सत्रह) का॰आ॰ 2296 (अ) जो 26 सितम्बर, 2008 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो आयातित और निर्यातित वस्तुओं के मूल्यांकन के प्रयोजनार्थ कतिपय विदेशी मुद्राओं के भारतीय मुद्रा में अथवा भारतीय मुद्रा के विदेशी मुद्रा में परिवर्तन के लिए संशोधित विनिमय दरों के बारे में है, तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(अठारह) का॰आ॰ 2366 (अ) जो 1 अक्तूबर, 2008 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा 3 अगस्त, 2001 की अधिसूचना संख्या 36/2001-सी॰शु॰ (एन॰टी॰) में कतिपय संशोधन किए गए हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(उन्नीस) का॰आ॰ 718(अ) जो 6 अक्तूबर, 2008 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसका आशय न्यूनतम विकसित देशों के लिए नकारात्मक सूची में वर्तमान में मूल सीमा शुल्क पर रियायत दिया जाना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(बीस) सा॰का॰नि॰ 599(अ) जो 18 अगस्त, 2008 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा 1 मार्च, 2006 की अधिसूचना संख्या 20/2006-सी॰शु॰ में कतिपय संशोधन किए गए हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(इक्कीस) सा॰का॰नि॰ 671(अ) जो 22 सितम्बर, 2008 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा 13 जुलाई, 1994 की अधिसूचना संख्या 147/94-सी॰शु॰ में कतिपय संशोधन किए गए हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(बाईस) सा॰का॰नि॰ 302(अ) जो 23 अप्रैल, 2008 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा उनमें उल्लिखित वस्तुओं को ढाका-दर्शाना-गेडे-कोलकाता मार्ग के माध्यम से बांग्लादेश से भारत में आयातित करते समय उन पर उद्ग्रहणीय सम्पूर्ण अतिरिक्त सीमा शुल्क से छूट प्रदान किया गया है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(तेईस) सा॰का॰नि॰ 1945(अ) जो 15 नवम्बर, 2007 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा 3 अगस्त, 2001 की अधिसूचना संख्या 36/2001-सी॰शु॰ (एन॰टी॰) में कतिपय संशोधन किए गए हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(चौबीस) का॰आ॰ 1978(अ) जो 23 नवम्बर, 2007 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा पॉप्पी सीड्स का टैरिफ मूल्य अंतर्राष्ट्रीय दरों के आधार पर निर्धारित किया गया है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(पच्चीस) सा॰का॰नि॰ 1990(अ) जो 27 नवम्बर, 2007 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो आयातित और निर्यातित वस्तुओं के मूल्यांकन के प्रयोजनार्थ कतिपय विदेशी मुद्राओं के भारतीय मुद्रा में तथा भारतीय मुद्रा के विदेशी मुद्रा में परिवर्तन के लिए संशोधित विनिमय दरों के बारे में है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(छब्बीस) सा॰का॰नि॰ 2074(अ) जो 3 दिसम्बर, 2007 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा 3 अगस्त, 2001 की अधिसूचना संख्या 36/2001–सी॰शु॰ (एन॰टी॰) में कतिपय संशोधन किए गए हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(सत्ताइस) सा॰का॰नि॰ 2137(अ) जो 17 दिसम्बर, 2007 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा 3 अगस्त, 2001 की अधिसूचना संख्या 36/2001–सी॰शु॰ (एन॰टी॰) में कतिपय संशोधन किए गए हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(अट्ठाइस) का॰आ॰ 2184(अ) जो 26 दिसम्बर, 2007 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो आयातित और निर्यातित वस्तुओं के मूल्यांकन के प्रयोजनार्थ कतिपय विदेशी मुद्राओं के भारतीय मुद्रा में तथा भारतीय मुद्राओं के विदेशी मुद्रा में परिवर्तन के लिए संशोधित विनिमय दरों के बारे में है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(उनतीस) का॰आ॰ 2(अ) जो 1 जनवरी , 2008 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा 3 अगस्त, 2001 की अधिसूचना संख्या 36/2001–सी॰शु॰ (एन॰टी॰) में कतिपय संशोधन किए गए हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(तीस) का॰आ॰ 89(अ) जो 15 जनवरी, 2008 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा 3 अगस्त, 2001 की अधिसूचना संख्या 36/2001–सी॰शु॰ (एन॰टी॰) में कतिपय संशोधन किए गए हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(इकतीस) का॰आ॰ 158(अ) जो 28 जनवरी, 2008 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो आयातित और निर्यातित वस्तुओं के मूल्यांकन के प्रयोजनार्थ कतिपय विदेशी मुद्राओं के भारतीय मुद्रा में तथा भारतीय मुद्राओं के विदेशी मुद्रा में परिवर्तन के लिए संशोधित विनिमय दरों के बारे में हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(बत्तीस) का॰आ॰ 237(अ) जो 5 फरवरी, 2008 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा 3 अगस्त, 2001 की अधिसूचना संख्या 36/2001-सी॰शु॰ (एन॰टी॰) में कतिपय संशोधन किए गए हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(तैंतीस) का॰आ॰ 337(अ) जो 15 फरवरी, 2008 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा 3 अगस्त, 2001 की अधिसूचना संख्या 36/2001-सी॰शु॰ (एन॰टी॰) में कतिपय संशोधन किए गए हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(चौंतीस) का॰ आ॰ 397(अ) जो 26 फरवरी, 2008 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो आयातित और निर्यातित वस्तुओं के मूल्यांकन के प्रयोजनार्थ कतिपय विदेशी मुद्राओं के भारतीय मुद्रा में तथा भारतीय मुद्राओं के विदेशी मुद्रा में परिवर्तन के लिए संशोधित विनिमय दरों के बारे में है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(पैंतीस) का॰ आ॰ 419(अ) जो 3 मार्च, 2008 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा 3 अगस्त, 2001 की अधिसूचना संख्या 36/2001-सी॰ शु॰ (एन॰ टी॰) में कतिपय संशोधन किए गए हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(छत्तीस) का॰ आ॰ 429(अ) जो 4 मार्च, 2008 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा 5 फरवरी, 2008 की अधिसूचना संख्या 6/2008-सी॰ शु॰ (एन॰ टी॰) में कतिपय संशोधन किए गए हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(सैंतीस) का॰ आ॰ 519(अ) जो 17 मार्च, 2008 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा 3 अगस्त, 2001 की अधिसूचना संख्या 36/2001-सी॰ शु॰ (एन॰ टी॰) में कतिपय संशोधन किए गए हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(अड़तीस) का॰ आ॰ 525(अ) जो 18 मार्च, 2008 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो आयातित और निर्यातित वस्तुओं के मूल्यांकन के प्रयोजनार्थ कतिपय विदेशी मुद्राओं के भारतीय मुद्रा में तथा भारतीय मुद्राओं के विदेशी मुद्रा में परिवर्तन के लिए संशोधित विनिमय दरों के बारे में है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(उनतालीस) का॰ आ॰ 535(अ) जो 20 मार्च, 2008 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा 20 जुलाई, 2005 की अधिसूचना संख्या 59/2005-सी॰ शु॰ (एन॰ टी॰) में कतिपय संशोधन किए गए हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(चालीस) का॰ आ॰ 742(अ) जो 27 मार्च, 2008 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो आयातित और निर्यातित वस्तुओं के मूल्यांकन के प्रयोजनार्थ कतिपय विदेशी मुद्राओं के भारतीय मुद्रा में तथा भारतीय मुद्राओं के विदेशी मुद्रा में परिवर्तन के लिए संशोधित विनिमय दरों के बारे में है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(इकतालीस) का॰ आ॰ 887(अ) जो 16 अप्रैल, 2008 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा 3 अगस्त, 2001 की अधिसूचना संख्या 36/2001-सी॰ शु॰ (एन॰ टी॰) में कतिपय संशोधन किए गए हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(42) उपर्युक्त (41) की मद संख्या (तेईस) से (इकतालीस) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(43) केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क अधिनियम, 1944 की धारा 38 की उपधारा (2) के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)—

(एक) सा॰ का॰ नि॰ 215(अ) जो 27 मार्च, 2008 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा उसमें उल्लिखित अंतरवर्ती माल को 1 अप्रैल, 2003 से 8 जुलाई, 2004 की अवधि तक के लिए उस पर उद्ग्रहणीय उत्पाद शुल्क से छूट प्रदान किया गया है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(दो) सा॰ का॰ नि॰ 216(अ) जो 27 मार्च, 2008 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा पशु से प्राप्त सुगंधित दुग्ध को उस पर लगने वाले पूरे उत्पाद शुल्क से छूट प्रदान किया गया है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(तीन) सा॰ का॰ नि॰ 213(अ) जो 27 मार्च, 2008 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा 30 सितंबर, 2006 की अधिसूचना संख्या 20/2006-के॰ उ॰ शु॰ (गैटे) में कतिपय संशोधन किए गए हैं, तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(चार) सा॰ का॰ नि॰ 214(अ) जो 27 मार्च, 2008 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हए थे तथा जिनके द्वारा उसमें उल्लिखित अधिकारियों को केन्द्रीय उत्पाद शुल्क अधिकारियों के रूप में नियुक्त किया गया है और अधिसूचना में उल्लिखित क्षेत्र के लिए उन्हें मुख्य केन्द्रीय उत्पाद शुल्क आयुक्त की सभी शक्तियां निहित की गई हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(पांच) सेनवेट क्रेडिट (संशोधन) नियम, 2008 जो 24 सितम्बर, 2008 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा॰ का॰ नि॰ 677(अ) में प्रकाशित हुए थे तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(छह) सा॰ का॰ नि॰ 421(अ) जो 2 जून, 2008 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा 30 सितंबर, 2006 की अधिसूचना संख्या 20/2006-के॰ उ॰ शु॰ (एन॰ टी॰) में कतिपय संशोधन किए गए हैं, तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(सात) सा॰का॰नि॰ 431(अ) जो 5 जून, 2008 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा लेखापरीक्षा महानिदेशालय के अधिकारियों को केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क अधिकारियों के रूप में नियुक्त किया गया है और उनके समतुल्य रैंक के अधिकारियों की शक्तियां निहित की गई हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(आठ) सा॰का॰नि॰ 619(अ) जो 28 अगस्त, 2008 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय उसमें उल्लिखित माल को 1 जूलाई, 2008 को या उसके पश्चात् भारत से बाहर निर्यात किए जाने पर शुल्क में छूट प्रदान करना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(नौ) सा॰का॰नि॰ 620(अ) जो 28 अगस्त, 2008 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा 8 मार्च, 2002 की अधिसूचना संख्या 14/2002-के॰उ॰शु॰ (एन॰ टी॰) में कतिपय संशोधन किए गए हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(दस) केन्द्रीय उत्पाद शुल्क (चौथा संशोधन) नियम, 2008 जो 29 सितम्बर, 2008 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित अधिसूचना संख्या सा॰का॰नि॰ 694(अ) में प्रकाशित हुए थे तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(ग्यारह) सा॰का॰नि॰ 697(अ) जो 29 सितम्बर, 2008 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा 25 नवम्बर, 2004 की अधिसूचना

संख्या 39/2004-के॰उ॰शु॰ (एन॰टी॰) में कतिपय संशोधन किए गए हैं,तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(बारह) सा॰का॰नि॰ 698(अ) जो 29 सितम्बर, 2008 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा 1 अगस्त, 2006 की अधिसूचना संख्या 17/2006-के॰उ॰शु॰ (एन॰टी॰) में कतिपय संशोधन किए गए हैं, तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(44) उपर्युक्त (43) की मद संख्या (एक) से (चार) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाले चार विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(45) सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 की धारा 9क की उपधारा (7) के अंतर्गत अधिसूचना संख्या सा॰का॰नि॰ 659(अ) जो 18 सितम्बर, 2008 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय चीन जनवादी गणराज्य, चीनी ताइपेई और इंडोनेशिया में उद्‌भूत अथवा वहां से निर्यातित और भारत में आयातित मेलिक एनहाइड्राईड के आयात पर अंतिम प्रतिपाटन शुल्क लगाना है, तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(46) वित्त अधिनियम, 1994 की धारा 94 की उपधारा (4) के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):—

(एक) सा॰का॰नि॰ 175(अ) जो 11 मार्च, 2008 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा 10 अगस्त, 2005 की अधिसूचना संख्या 30/2005-सेवा कर में कतिपय संशोधन किए गए हैं,तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(दो) विवाद निराकरण स्कीम नियम, 2008 जो 4 जून, 2008 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा॰का॰नि॰ 427 (अ) में प्रकाशित हुए थे तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(तीन) सेवा कर (संपत्ति की अनंतिम कुर्की) नियम, 2008 जो 1 जुलाई, 2008 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा॰का॰नि॰ 689(अ) में प्रकाशित हुए थे तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(चार) सेवा कर (तीसरा संशोधन) नियम 2008 जो 2 सितम्बर, 2008 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा॰का॰नि॰ 633(अ) में प्रकाशित हुए थे तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(पांच) सेवा कर (पांचवां संशोधन) नियम, 2007 जो 12 सितम्बर, 2007 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा॰का॰नि॰ 586(अ) में प्रकाशित हुए थे तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(47) धन शोधन निवारण, अधिनियम, 2002 की धारा 74 के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):—

(एक) धन शोधन निवारण (अपीलीय अधिकरण के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति और सेवा की शर्तें) संशोधन नियम, 2008 जो 31 मार्च, 2008 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा॰का॰नि॰ 255 (अ) में प्रकाशित हुए थे तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(दो) धन संशोधन निवारण (न्याय निर्णयन प्राधिकरणों के कर्मचारियों के वेतन, भत्ते और सेवा की अन्य शर्तें) नियम, 2007 जो 31 जनवरी, 2008 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा॰का॰नि॰ 62 (अ) में प्रकाशित हुए थे तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(तीन) धन शोधन निवारण (न्याय निर्णयन प्राधिकरणों के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति और सेवा की शर्तें) नियम, 2008 जो 20 मार्च, 2008 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा॰का॰नि॰ 199 (अ) में प्रकाशित हुए थे तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(चार) न्याय निर्णयन प्राधिकरण प्रशासनिक अधिकारी और अधीक्षक (समूह 'क' और समूह 'ख') भर्ती नियम, 2008 जो 22 मई, 2008 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा॰का॰नि॰ 395(अ) में प्रकाशित हुए थे तथा एक व्याख्यामक ज्ञापन।

(पांच) न्याय निर्णयन प्राधिकरण सहायक और स्टेनोग्राफर ग्रेड-2 (समूह 'ग') भर्ती नियम, 2008 जो 22 मई, 2008 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा॰का॰नि॰ 396(अ) में प्रकाशित हुए थे तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(छह) धन शोधन निवारण (अपीलीय अधिकरण के कर्मचारियों के वेतन, भत्ते और सेवा की अन्य शर्तें) नियम, 2008 जो 5 जून, 2008 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा॰का॰नि॰ 430(अ) में प्रकाशित हुए थे तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(सात) अपीलीय अधिकरण निजी सचिव (समूह 'ख') भर्ती नियम, 2008 जो 26 जून, 2008 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा॰का॰नि॰ 477(अ) में प्रकाशित हुए थे तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(48) उपर्युक्त (47) की मद संख्या (एक) से (तीन) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाले तीन विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(49) केन्द्रीय उत्पाद शुल्क नियम, 2002 के नियम 12 के अंतर्गत जारी अधिसूचना संख्या सा॰का॰नि॰ 695(अ) जो 29 सितंबर, 2008 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा उनमें उल्लिखित प्ररूपों को विनिर्दिष्ट किया गया है, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(50) केन्द्रीय उत्पाद शुल्क नियम, 2002 के नियम 33 के अंतर्गत अधिसूचना संख्या सा॰का॰नि॰ 696(अ) जो 29 सितंबर 2008 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे, तथा जिनके द्वारा 26 जून, 2001 की अधिसूचना संख्या 36/2001 के॰उ॰शु॰ (एन॰टी॰) में कतिपय संशोधन किए गए हैं, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(51) केबल टेलीविजन नेटवर्क (विनियमन) अधिनियम, 1995 की धारा 22 की उपधारा (3) के अंतर्गत केबल टेलीविजन नेटवर्क (दूसरा संशोधन) नियम, 2008 जो 29 मई, 2008 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा॰का॰नि॰ 413(अ) में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(52) (एक) ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिसिएन्सी, नई दिल्ली के वर्ष 2006-2007 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिसिएन्सी, नई दिल्ली के वर्ष 2006-2007 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(53) उपर्युक्त (52) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(54) (एक) नेशनल पॉवर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, फरीदाबाद के वर्ष 2006-2007 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) नेशनल पॉवर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, फरीदाबाद के वर्ष 2006-2007 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(55) उपर्युक्त (54) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(56) निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)—

(एक) एनटीपीसी लिमिटेड और विद्युत मंत्रालय के बीच वर्ष 2008-09 के लिए हुआ समझौता ज्ञापन।

(दो) एनएचपीसी लिमिटेड और विद्युत मंत्रालय के बीच वर्ष 2008-09 के लिए हुआ समझौता ज्ञापन।

(तीन) नॉर्थ इस्टर्न इलेक्ट्रिक पावर कारपोरेशन लिमिटेड और विद्युत मंत्रालय के बीच वर्ष 2008-09 के लिए हुआ समझौता ज्ञापन।

(चार) पावर ग्रिड कारपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड और विद्युत मंत्रालय के बीच वर्ष 2008-09 के लिए हुआ समझौता ज्ञापन।

(पांच) सतलुज जल विद्युत निगम लिमिटेड और विद्युत मंत्रालय के बीच वर्ष 2008-09 के लिए हुआ समझौता ज्ञापन।

(छह) टिहरी हाइड्रो डेवलपमेंट कारपोरेशन लिमिटेड और विद्युत मंत्रालय के बीच वर्ष 2008-09 के लिए हुआ समझौता ज्ञापन।

5. राज्य सभा से संदेश

महासचिव ने राज्य सभा से प्राप्त निम्नलिखित संदेशों की सूचना दी:—

(एक) कि राज्य सभा को लोक सभा द्वारा 22 अक्तूबर, 2008 को विनियोग (रेल) संख्यांक 4 विधेयक, 2008 के बारे में लोक सभा से कोई सिफारिश नहीं करनी है।

(दो) कि राज्य सभा ने 23 अक्तूबर, 2008 को हुई अपनी बैठक में असंगठित क्षेत्र कर्मकार सामाजिक सुरक्षा विधेयक, 2008 को पारित कर दिया है।

(तीन) कि राज्य सभा ने 24 अक्तूबर, 2008 को हुई अपनी बैठक में सीमित देयता भागीदारी विधेयक, 2008 को पारित कर दिया है।

6. राज्य सभा द्वारा यथा पारित विधेयक-सभा पटल पर रखा गया

(एक) असंगठित क्षेत्र कर्मकार सामाजिक सुरक्षा विधेयक, 2008

(दो)* सीमित देयता भागीदारी विधेयक, 2008

7. 53वें राष्ट्रमंडल संसदीय सम्मेलन में भारतीय संसदीय शिष्टमंडल की भागीदारी के बारे में प्रतिवेदन

महासचिव ने नई दिल्ली (भारत) में 21 सितम्बर से 30 सितम्बर, 2007 तक हुए 53वें राष्ट्रमंडल संसदीय सम्मेलन में भारतीय संसदीय शिष्टमंडल की भागीदारी के बारे में प्रतिवेदन के हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण सभा पटल पर रखे।

8. अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के कल्याण संबंधी समिति का अध्ययन दौरा संबंधी प्रतिवेदन

श्री रतिलाल कालीदास वर्मा ने अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के कल्याण संबंधी समिति के जुलाई, 2008 के दौरान कोलकाता, गंगटॉक और सिलीगुड़ी के अध्ययन दौरे के संबंध में प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखे।

9. अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के कल्याण संबंधी समिति के विवरण

श्री रतिलाल कालीदास वर्मा ने निम्नलिखित विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखे:—

(एक) ''केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण और उनके नियोजन'' विषय के बारे में समिति के 23वें प्रतिवेदन (14वीं लोक सभा) के अध्याय-1 में अंतर्विष्ट सिफारिशों/टिप्पणियों पर सरकार द्वारा अंतिम की गई कार्यवाही विवरण।

(दो) ''सिंडिकेट बैंक में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण और उनके नियोजन तथा बैंक द्वारा उन्हें प्रदान की गई ऋण सुविधाएं'' विषय के बारे में समिति के 25वें प्रतिवेदन (14वीं लोक सभा) के अध्याय-1 में अंतर्विष्ट सिफारिशों/टिप्पणियों पर सरकार द्वारा अंतिम की गई कार्यवाही विवरण।

10. खाद्य उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण संबंधी स्थायी समिति का प्रतिवेदन

श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव ने उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय (उपभोक्ता मामले विभाग) के 'देश में उपभोक्ता आंदोलन विषय पर समिति के 20वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट टिप्पणियों/सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई संबंधी 25वां प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत किया।

---

*अपराह्न 4.41 बजे ।

11. श्रम संबंधी स्थायी समिति के प्रतिवेदन

श्री सुरवरम सुधाकर रेड्डी ने श्रम संबंधी स्थायी समिति के निम्नलिखित प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत किए:—

(1) वर्ष 2008-09 के लिए श्रम और रोजगार मंत्रालय की अनुदानों की मांगों के बारे में श्रम संबंधी स्थायी समिति के 28वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों/टिप्पणियों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई संबंधी 32वां प्रतिवेदन; और

(2) वस्त्र मंत्रालय की 'हथकरघा क्षेत्र के लिए विकास योजनाएं' विषय पर श्रम संबंधी स्थायी समिति का 33वां प्रतिवेदन।

12. पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस संबंधी स्थायी समिति के प्रतिवेदन

डा॰ एन॰ जनार्दन रेड्डी ने पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस संबंधी स्थायी समिति के निम्नलिखित प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत किए:—

(1) 'तेल और गैस के वैकल्पिक स्रोतों के विकास के लिए रणनीति' के बारे में समिति के 17वें प्रतिवेदन (14वीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्यवाही संबंधी 21वां प्रतिवेदन; और

(2) 'पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की अनुदानों की मांगों (2008-09)' के बारे में समिति के 20वें प्रतिवेदन (14वीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्यवाही संबंधी 22वां प्रतिवेदन।

13. पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस संबंधी स्थायी समिति के विवरण

श्री राम कृपाल यादव ने समिति के निम्नलिखित प्रतिवेदनों के अध्याय-एक और अध्याय-पांच में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा आगे की-गई-कार्यवाही दर्शाने वाले पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस संबंधी स्थायी समिति (2008-09) के विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखे:—

(1) 'हाइड्रो कार्बन महानिदेशालय के कार्यकलाप — एक समीक्षा' के बारे में 12वें प्रतिवेदन (14वीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्यवाही संबंधी 15वां प्रतिवेदन (14वीं लोक सभा); और

(2) पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की अनुदानों की मांगों (2007-08) के बारे में 14वें प्रतिवेदन (14वीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्यवाही संबंधी 19वां प्रतिवेदन (14वीं लोक सभा)।

14. वाणिज्य संबंधी स्थायी समिति के प्रतिवेदन

श्री काशीराम राणा ने वाणिज्य संबंधी स्थायी समिति के निम्नलिखित प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखे—

(1) विशेष आर्थिक जोन (एसईजेड) के कार्यकरण के बारे में समिति के 83वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों/टिप्पणियों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्यवाही संबंधी 87वां प्रतिवेदन; और

(2) भारत में पेटेंट और व्यापार चिह्न प्रणाली के बारे में 88वां प्रतिवेदन।

15. स्वास्थ्य और परिवार कल्याण संबंधी स्थायी समिति का प्रतिवेदन

डा॰ करण सिंह यादव ने नैदानिक स्थापनाएं (रजिस्ट्रीकरण और विनियमन) विधेयक, 2007 के बारे में स्वास्थ्य और परिवार कल्याण संबंधी स्थायी समिति का 32वां प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखा।

16. स्वास्थ्य और परिवार कल्याण संबंधी स्थायी समिति के समक्ष प्रस्तुत साक्ष्य

डा॰ करण सिंह यादव ने नैदानिक स्थापनाएं (रजिस्ट्रीकरण और विनियमन) विधेयक, 2007 के बारे में समिति के समक्ष प्रस्तुत साक्ष्य सभा पटल पर रखे।

17. मंत्रियों द्वारा वक्तव्य

(एक) जनजातीय कार्य मंत्री ने जनजातीय कार्य मंत्रालय से संबंधित अनुदानों की मांगों (2007-08) के बारे में सामाजिक न्याय और अधिकारिता संबंधी स्थायी समिति के 25वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति के बारे में एक वक्तव्य (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखा।

(दो) ग्रामीण विकास मंत्री ने ग्रामीण विकास मंत्रालय, ग्रामीण विकास विभाग से संबंधित अनुदानों की मांगों (2008-09) के बारे में ग्रामीण विकास संबंधी स्थायी समिति के 35वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति के बारे में एक वक्तव्य (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखा।

(तीन) महिला और बाल विकास मंत्रालय के राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) ने महिला और बाल विकास मंत्रालय से संबंधित जम्मू-कश्मीर और उत्तर-पूर्व राज्यों में सर्वशिक्षा अभियान, मध्याह्न भोजन योजना और एकीकृत बाल विकास सेवाएं स्कीम के कार्यान्वयन के बारे में समिति के 191वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों/टिप्पणियों

पर सरकार द्वारा की-गई-कार्यवाही के बारे में मानव संसाधन विकास संबंधी स्थायी समिति के 205वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति के बारे में एक वक्तव्य (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखा।

(चार) रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री और खान मंत्रालय में राज्य मंत्री ने रसायन और उर्वरक मंत्रालय, उर्वरक विभाग से संबंधित अनुदानों की मांगों (2008-09) के बारे में रसायन और उर्वरक संबंधी स्थायी समिति के 26वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति के बारे में एक वक्तव्य (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखा।

(पांच) विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री और सूचना और प्रसारण मंत्रालय में राज्य मंत्री की ओर से प्रवासी भारतीय कार्य मंत्री और संसदीय कार्य मंत्री ने सूचना और प्रसारण मंत्रालय से संबंधित अनुदानों की मांगों (2008-09) के बारे में सूचना प्रौद्योगिकी संबंधी स्थायी समिति के 55वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति के बारे में एक वक्तव्य (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखा।

अपराह्न 12.16 बजे

18. सांविधिक संकल्प

(एक) **श्री पी॰ चिदम्बरम** ने निम्नलिखित संकल्प पेश किया:—

''कि यह सभा सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 की धारा 7 की उपधारा (3) के साथ पठित उक्त अधिनियम की धारा 8 की उपधारा (2) के अनुसरण में 13 जून, 2008 की अधिसूचना संख्या 78/2008-सीमा शुल्क [सा॰का॰नि॰ 457(अ) दिनांक 13 जून, 2008] का अनुमोदन करती है जिसका आशय सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम की दूसरी अनुसूची में संशोधन करना है ताकि सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 की उक्त दूसरी अनुसूची की शीर्ष संख्या 11 के अंतर्गत आने वाले लौह अयस्क, सभी प्रकार के, पर उद्ग्रहणीय निर्यात शुल्क को 300 रुपये प्रति टन से बढ़ाकर मूल्यानुसार 20% किया जा सके।''

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

(दो) **श्री पी॰ चिदम्बरम** ने निम्नलिखित संकल्प पेश किया:—

''कि यह सभा केन्द्रीय उत्पाद शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1985 की धारा 3 की उपधारा (2) के अनुसरण में 13 जून, 2008 की अधिसूचना संख्या

39/2008-केन्द्रीय उत्पाद शुल्क [सा॰का॰नि॰ 460(अ) दिनांक 13 जून, 2008] का अनुमोदन करती है जिसका आशय केन्द्रीय उत्पाद शुल्क टैरिफ अधिनियम की पहली अनुसूची में संशोधन करना है ताकि पहली अनुसूची की टैरिफ मद संख्या 8702 10 11, 8702 10 12, 8702 10 19, 8702 90 11, 8702 90 12, 8702 90 19, 8703 23 10, 8703 23 91, 8703 23 92, 8703 23 99, 8703 24 10, 8703 24 91, 8703 24 92, 8703 24 99, 8703 32 10, 8703 32 91, 8703 32 92, 8703 32 99, 8703 33 10, 8703 33 91, 8703 33 92, 8703 33 99 और 8703 90 90 के अंतर्गत आने वाले मोटर यानों तथा मोटर कारों पर उद्ग्रहणीय मूल उत्पाद शुल्क को मूल्यानुसार '24%' से बढ़ाकर मूल्यानुसार '24%+20,000 रुपये प्रति इकाई' किया जा सके।''

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

अपराहन 12.18 बजे

19. नियम 193 के अधीन चर्चा

लिया गया समय: 5 घंटे 43 मिनट

#अध्यक्ष ने निम्नलिखित टिप्पणी की:—

''माननीय सदस्यों, मुझे सर्वश्री रामजी लाल सुमन, देवेन्द्र प्रसाद यादव, पी॰सी॰ थामस, बसुदेव आचार्य और गुरुदास दासगुप्त से ईसाई अल्पसंख्यकों पर हुए हमले के बारे में स्थगन प्रस्ताव की सूचनाएं प्राप्त हुई हैं।

मुझे नियम 193 के अधीन उड़ीसा और अन्य राज्यों की घटनाओं का खास उल्लेख करते हुए अल्पसंख्यकों पर हुए हमले के बारे में भी सूचनाएं प्राप्त हुई हैं। मैं नियम 193 के अधीन इस विषप पर चर्चा की अनुमति देने का इच्छुक हूं। सर्वश्री बसुदेव आचार्य, रामजी लाल सुमन, राजीव रंजन सिंह 'ललन' ने भी नियम 193 के अधीन सूचनाएं दी हैं। हम चर्चा कर सकते हैं। श्री बसुदेव आचार्य सभा पटल पर पत्रों के रखे जाने के पश्चात् चर्चा आरंभ कर सकते हैं।''

श्री बसुदेव आचार्य ने उड़ीसा और अन्य राज्यों में घटनाओं का विशेष उल्लेख करते हुए अल्पसंख्यकों पर होने वाले अत्याचार के बारे में चर्चा उठाई।

(सभा में व्यवधान के कारण लोक सभा अपराहन 12.38 *बजे स्थगित हुई और अपराह्न* 2.03 *बजे पुन: समवेत हुई)*

#मध्याह्न 12.00 बजे

##अपराह्न 2.03 बजे अपना भाषण पुन: शुरू किया।

निम्नलिखित सदस्यों ने वाद-विवाद में भाग लिया:—

(1) श्री खारबेल स्वाईं

(2) श्री मधुसूदन मिस्त्री

(3) प्रो॰ राम गोपाल यादव

*(4) श्री एस॰के॰ खारवेनथन

*(5) श्री पी॰सी॰ थामस

(6) श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव

(7) श्री इलियास आज़मी

(8) श्री भर्तृहरि महताब

(9) श्री सी॰के॰ चन्द्रप्पन

(10) श्री धर्मेन्द्र प्रधान

(11) श्री मणिशंकर अय्यर

*(12) डा॰ प्रसन्न कुमार पाटसाणी

*(13) श्री सुग्रीव सिंह

(14) श्री असादूद्दीन ओवेसी

*(15) श्री ब्रह्मानन्द पंडा

(16) श्री एस॰के॰ बैसीमुथियारी

(17) श्री रामदास बी॰ आठवले

**(18) श्री कीरेन रिजीजू

(19) श्री फ्रांसिस्को सरदिन्हा

(20) श्री किन्जरपु येरननायडू

(21) श्री टी॰के॰ हमज़ा

**(22) श्री जुएल ओराम

**(23) श्री राम कृपाल यादव

**(24) श्री फ्रांसिस फैन्थम

*लिखित भाषण सभा पटल पर रखे गए।

**उन्होंने अपने लिखित भाषण के कुछ अंश सभा पटल पर भी रखे।

(25) श्री निखिल कुमार

*(26) डा॰ वल्लभभाई कथीरिया

(27) श्री सर्वानन्द सोनोवाल

(28) श्री अनवर हुसैन

श्री शिवराज वि॰ पाटील ने वाद-विवाद का उत्तर दिया।

चर्चा पूरी हुई।

सायं 7.28 बजे

20. सरकारी विधेयक — पुर:स्थापित

लिया गया समय: 2 मिनट

राष्ट्रपति उपलब्धि और पेंशन (संशोधन) विधेयक, 2008

21. सरकारी विधेयक —पारित

राष्ट्रपति उपलब्धि और पेंशन (संशोधन) विधेयक, 2008

श्री शिवराज वि॰ पाटील ने विधेयक पर विचार किए जाने का प्रस्ताव पेश किया। विधेयक पर विचार किए जाने का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ और विधेयक पर खंड-वार विचार आरंभ हुआ।

खंड 2 से 5 स्वीकृत हुए।

खंड 1, अधिनियमन सूत्र और विधेयक का पूरा नाम भी स्वीकृत हुए।

श्री शिवराज वि॰ पाटील ने प्रस्ताव किया कि विधेयक पारित किया जाए।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ और विधेयक पारित किया गया।

22. सरकारी विधेयक — पुर:स्थापित

लिया गया समय: 3 मिनट

उपराष्ट्रपति पेंशन (संशोधन) विधेयक, 2008

23. सरकारी विधेयक —पारित

उपराष्ट्रपति पेंशन (संशोधन) विधेयक, 2008

श्री शिवराज वि॰ पाटील ने विधेयक पर विचार किए जाने का प्रस्ताव पेश किया। विधेयक पर विचार किए जाने का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ और विधेयक पर खंड-वार विचार आरंभ हुआ।

*लिखित भाषण सभा पटल पर रखे गए।

खंड 2 से 4 स्वीकृत हुए।

खंड 1, अधिनियमन सूत्र और विधेयक का पूरा नाम भी स्वीकृत हुए।

श्री शिवराज वि॰ पाटील ने प्रस्ताव किया कि विधेयक पारित किया जाए।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ और विधेयक पारित किया गया।

24. सरकारी विधेयक — पुर:स्थापित

लिया गया समय: 2 मिनट

संसद अधिकारी वेतन और भत्ता (संशोधन) विधेयक, 2008

25. सरकारी विधेयक —पारित

संसद् अधिकारी वेतन और भत्ता (संशोधन) विधेयक, 2008

श्री वायालार रवि ने विधेयक पर विचार किए जाने का प्रस्ताव पेश किया।

विधेयक पर विचार किए जाने का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ और विधेयक पर खंड-वार विचार आरंभ हुआ।

खंड 2 स्वीकृत हुआ।

खंड 1, अधिनियमन सूत्र और विधेयक का पूरा नाम भी स्वीकृत हुए।

श्री वायालार रवि ने प्रस्ताव किया कि विधेयक पारित किया जाए।

प्रस्ताव स्वीकृति हुआ और विधेयक पारित किया गया।

26. **सरकारी विधेयक — पुर:स्थापित**

लिया गया समय: 3 मिनट

राज्यपाल (उपलब्धियां, भत्ते और विशेषाधिकार) संशोधन विधेयक, 2008

27. सरकारी विधेयक—पारित

राज्यपाल (उपलब्धियां, भत्ते और विशेषाधिकार) संशोधन विधेयक, 2008

श्री शिवराज वि॰ पाटील ने विधेयक पर विचार किए जाने का प्रस्ताव पेश किया।

विधेयक पर विचार किए जाने का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ और विधेयक पर खंड-वार विचार आरंभ हुआ।

खंड 2 से 4 स्वीकृत हुए।

खंड 1, अधिनियमन सूत्र और विधेयक का पूरा नाम भी स्वीकृत हुए।

श्री शिवराज वि॰ पाटील ने प्रस्ताव किया कि विधेयक पारित किया जाए।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ और विधेयक पारित किया गया।

सायं 7.38 बजे

28. अध्यक्षपीठ द्वारा घोषणा

अध्यक्षपीठ ने निम्नलिखित टिप्पणी की:—

''माननीय सदस्यों, माननीय अध्यक्ष को संसदीय कार्य मंत्री से 24 अक्तूबर 2008 का अनुरोध प्राप्त हुआ है जिसमें उल्लेख किया गया है कि सरकार, संसद में विभिन्न राजनीतिक दलों के नेताओं से चर्चा के पश्चात् बुधवार, 10 दिसम्बर, 2008 को समवेत होने के लिए सभा को आज स्थगित करना चाहती है।

माननीय अध्यक्ष ने अनुरोध पर सहमति जताई है और तदनुसार, सभा बुधवार, 10 दिसम्बर, 2008 को पूर्वाह्न 11.00 बजे पुन: समवेत होने के लिए स्थगित की जाती है।''

सायं 7.39 बजे

(लोक सभा बुधवार, 10 दिसम्बर, 2008 को पूर्वाह्न 11.00 बजे पुन: समवेत होने के लिए स्थगित हुई)

पी॰ डी॰ टी॰ आचारी,
महासचिव।

GMGIPMRND—3692LS—24-10-2008.

लोक सभा

समाचार—भाग 1

(कार्यवाही का संक्षिप्त वृत्तांत)

बुधवार, 10 दिसम्बर, 2008/19 अग्रहायण, 1930 (शक)

संख्या 313

पूर्वाह्न 11.00 बजे

1. **निधन संबंधी उल्लेख**

अध्यक्ष ने भारत के पूर्व प्रधानमंत्री तथा पांचवी, सातवीं, आठवीं, नौवीं और दसवीं लोक सभा के सदस्य श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह; वर्तमान तथा ग्यारहवीं लोक सभा के सदस्य श्री मुनव्वर हसन; पांचवी और सातवीं लोक सभा के सदस्य श्री तैयब हुसैन और आठवीं से तेरहवीं लोक सभा के सदस्य श्री अजीत कुमार पांजा के निधन के बारे में उल्लेख किया।

अध्यक्ष ने असम के बारपेटा, बोंगाईगांव, कोकराझार और गुवाहाटी जिलों में 30 अक्तूबर, 2008 को हुए बम विस्फोटों में 89 लोगों के मारे जाने तथा 477 लोगों के घायल होने तथा असम ही के कार्बी आंगलोंग जिले के दिफू रेलवे स्टेशन पर 2 दिसम्बर, 2008 को पैसेंजर ट्रेन में हुए एक अन्य बम विस्फोट के परिणामस्वरूप दो लोगों के मारे जाने तथा 30 लोगों के घायल होने, का भी उल्लेख किया।

उन्होंने 26 नवम्बर, 2008 को मुंबई के प्रतिष्ठित होटलों तथा भीड़भाड़ वाले कई इलाकों में हुए आतंकवादी हमलों, जिसके परिणामस्वरूप 164 लोगों की जानें गईं और जिसमें 26 विदेशी नागरिक, एंटी टेररिस्ट स्क्वायड के मुखिया सहित मुंबई पुलिस के 18 कार्मिक और एन॰एस॰जी॰ के दो कमांडो शामिल हैं, के अलावा भारी मात्रा में सम्पत्ति का भी नुकसान हुआ, का भी उल्लेख किया।

सदस्यगण दिवंगत आत्माओं के सम्मान में थोड़ी देर मौन खड़े रहे तत्पश्चात्, सभा की कार्यवाही पूरे दिन के लिए स्थगित हुई।

2. प्रश्न

निधन संबंधी उल्लेख के पश्चात् सभा पूरे दिन के लिए स्थगित हो गई। इसलिए तारांकित प्रश्नों को सभा में मौखिक उत्तर के लिए नहीं लिया जा सका। अत: आज की कार्यसूची में सम्मिलित तारांकित प्रश्न संख्या 161—180 को अतारांकित माना गया और उनके उत्तर अतारांकित प्रश्न संख्या 1533—1762 के उत्तरों के साथ आज की कार्यवाही वृत्तांत में मुद्रित किए जाएंगे।

24 अक्तूबर, 2008 को सभा के स्थगित हो जाने के कारण दिनांक 27 अक्तूबर, 2008 के लिए सूचीबद्ध तारांकित प्रश्न संख्या 121—140 तथा दिनांक 29 अक्तूबर, 2008 के लिए सूचीबद्ध तारांकित प्रश्न संख्या 141—160 को अतारांकित माना गया तथा उनके उत्तर 27 अक्तूबर, 2008 के लिए सूचीबद्ध अतारांकित प्रश्न संख्या 1229—1370 तथा 29 अक्तूबर, 2008 के लिए सूचीबद्ध अतारांकित प्रश्न संख्या 1371—1532 के उत्तरों के साथ 10 दिसम्बर, 2008 के कार्यवाही वृत्तांत में मुद्रित किए जाएंगे।

पूर्वाह्न 11.15 बजे

(लोक सभा गुरुवार, 11 दिसम्बर, 2008 को पूर्वाह्न 11.00 बजे पुन: समवेत होने के लिए स्थगित हुई।)

पी॰ डी॰ टी॰ आचारी,
महासचिव।

GMGIPMRND—4268LS—10-12-2008.

लोक सभा

समाचार—भाग 1

(कार्यवाही का संक्षिप्त वृत्तांत)

गुरुवार, 11 दिसम्बर, 2008/20 अग्रहायण, 1930 (शक)

संख्या 314

पूर्वाह्न 11.00 बजे

1. **प्रश्न**

प्रश्नकाल को नहीं लिया जा सका क्योंकि गृह मंत्री ने हाल ही में मुंबई में हुए आतंकवादी हमले के बारे में एक वक्तव्य दिया जिसके तुरंत बाद नियम 193 के अधीन चर्चा हुई। अत:, आज की कार्यसूची में सम्मिलित तारांकित प्रश्न संख्या 181—200 को अतारांकित माना गया और उनके उत्तर अतारांकित प्रश्न संख्या 1763—1810 और 1812—1992 के उत्तरों के साथ आज की कार्यवाही वृत्तांत में मुद्रित किए जाएंगे।

2.* **सभा पटल पर रखे गए पत्र**

निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखे गए:—

(1) निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):—

(एक) ड्रेजिंग कारपोरेशन ऑफ इंडिया तथा पोत परिवहन विभाग, पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के बीच वर्ष 2008-2009 के लिए हुआ समझौता ज्ञापन।

(दो) हुगली डॉक एण्ड पोर्ट इंजीनियर्स लिमिटेड तथा पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के बीच वर्ष 2008-2009 के लिए हुआ समझौता ज्ञापन।

---

*अपराह्न 2.19 बजे से अपराह्न 2.24 बजे तक।

(तीन) एन्नोर पोर्ट लिमिटेड तथा पोत परिवहन विभाग, पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के बीच वर्ष 2008-2009 के लिए हुआ समझौता ज्ञापन।

(चार) कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड तथा पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के बीच वर्ष 2008-2009 के लिए हुआ समझौता ज्ञापन।

(पांच) हिन्दुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड तथा पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के बीच वर्ष 2008-2009 के लिए हुआ समझौता ज्ञापन।

(2) महापत्तन न्यास अधिनियम, 1963 के अंतर्गत जारी अधिसूचना संख्या सा॰का॰नि॰ 578(अ), जो 5 अगस्त, 2008 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जिसमें 3 फरवरी, 2006 की अधिसूचना संख्या सा॰का॰नि॰ 49(अ) का शुद्धिपत्र दिया हुआ है, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(3) वाणिज्य पोत परिवहन अधिनियम, 1958 की धारा 458 की उपधारा (3) के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)—

(एक) वाणिज्य पोत परिवहन (तेल प्रदूषण क्षति के लिए प्रतिपूर्ति हेतु अंतर्राष्ट्रीय निधि) नियम, 2008 जो 27 मार्च, 2008 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा॰का॰नि॰ 220(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(दो) वाणिज्य पोत परिवहन (तेल प्रदूषण क्षति के लिए सिविल देयता) नियम, 2008 जो 27 मार्च, 2008 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा॰का॰नि॰ 219(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(4) उपर्युक्त (3) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारणों को दर्शाने वाले दो विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(5) कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 619क की उपधारा (1) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)—

(एक) कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड, कोच्चि के वर्ष 2007-2008 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड, कोच्चि का वर्ष 2007-2008 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

(6) संविधान के अनुच्छेद 350(ख) के अंतर्गत जुलाई, 2005 से जून, 2006 तक के लिए भाषायी अल्पसंख्यक आयुक्त के 44वें प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(7) उपर्युक्त (6) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(8) (एक) सेन्ट्रल वक्फ काउंसिल, नई दिल्ली के वर्ष 2007-2008 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) सेन्ट्रल वक्फ काउंसिल, नई दिल्ली के वर्ष 2007-2008 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(9) (एक) नॉर्थ ईस्ट जोन कल्चरल सेन्टर, दीमापुर के वर्ष 2006-2007 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) नॉर्थ ईस्ट जोन कल्चरल सेन्टर, दीमापुर के वर्ष 2006-2007 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(10) उपर्युक्त (9) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(11) (एक) नेहरू मेमोरियल म्यूजियम एण्ड लाइब्रेरी, नई दिल्ली के वर्ष 2005-2006 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) नेहरू मेमोरियल म्यूजियम एण्ड लाइब्रेरी, नई दिल्ली के वर्ष 2005-2006 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(12) उपर्युक्त (11) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(13) (एक) नेहरू मेमोरियल म्यूजियम एण्ड लाइब्रेरी, नई दिल्ली के वर्ष 2006-2007 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) नेहरू मेमोरियल म्यूजियम एण्ड लाइब्रेरी, नई दिल्ली के वर्ष 2006-2007 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(14) उपर्युक्त (13) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(15) (एक) चीफ कमिश्नर ऑफ रेलवे सेफ्टी, लखनऊ के वर्ष 2006-2007 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) चीफ कमिश्नर ऑफ रेलवे सेफ्टी, लखनऊ के वर्ष 2006-2007 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(16) उपर्युक्त (15) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(17) (एक) भारतीय खेल प्राधिकरण, नई दिल्ली के वर्ष 2005-2006 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) भारतीय खेल प्राधिकरण, नई दिल्ली के वर्ष 2005-2006 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(18) उपर्युक्त (17) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(19) (एक) भारतीय खेल प्राधिकरण, नई दिल्ली के वर्ष 2006-2007 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) भारतीय खेल प्राधिकरण, नई दिल्ली के वर्ष 2006-2007 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(20) उपर्युक्त (19) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(21) (एक) नेहरू युवा केन्द्र संगठन, दिल्ली के वर्ष 2006-2007 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) नेहरू युवा केन्द्र संगठन, दिल्ली के वर्ष 2006-2007 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(22) उपर्युक्त (21) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(23) निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)—

(एक) नेशनल फर्टिलाइजर्स लिमिटेड और उर्वरक विभाग, रसायन और उर्वरक मंत्रालय के बीच वर्ष 2008-2009 के लिए हुआ समझौता ज्ञापन।

(दो) ब्रह्मपुत्र वैली फर्टिलाइजर्स कॉरपोरेशन लिमिटेड और उर्वरक विभाग, रसायन और उर्वरक मंत्रालय के बीच वर्ष 2008-2009 के लिए हुआ समझौता ज्ञापन।

(तीन) प्रोजेक्टस् एण्ड डेवलपमेंट इंडिया लिमिटेड और उर्वरक विभाग, रसायन और उर्वरक मंत्रालय के बीच वर्ष 2008-2009 के लिए हुआ समझौता ज्ञापन।

(चार) फर्टिलाइजर्स एण्ड केमिकल्स त्रावणकोर लिमिटेड और उर्वरक विभाग, रसायन और उर्वरक मंत्रालय के बीच वर्ष 2008-2009 के लिए हुआ समझौता ज्ञापन।

(पांच) एफसीआई अरावली जिप्सम एण्ड मिनरल इंडिया लिमिटेड और उर्वरक विभाग, रसायन और उर्वरक मंत्रालय के बीच वर्ष 2008-2009 के लिए हुआ समझौता ज्ञापन।

(छः) राष्ट्रीय केमिकल्स एण्ड फर्टिलाइजर्स लिमिटेड और उर्वरक विभाग, रसायन और उर्वरक मंत्रालय के बीच वर्ष 2008-2009 के लिए हुआ समझौता ज्ञापन।

(सात) मद्रास फर्टिलाइजर्स लिमिटेड और उर्वरक विभाग, रसायन और उर्वरक मंत्रालय के बीच वर्ष 2008-2009 के लिए हुआ समझौता ज्ञापन।

(24) इंडियन मेडिसिन्स फार्मास्यूटिकल्स कारपोरेशन लिमिटेड तथा आयुष विभाग, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के बीच वर्ष 2008-2009 के लिए हुआ समझौता ज्ञापन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(25) (एक) मोरारजी देसाई राष्ट्रीय योग संस्थान, नई दिल्ली के वर्ष 2006-2007 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) मोरारजी देसाई राष्ट्रीय योग संस्थान, नई दिल्ली के वर्ष 2006-2007 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(26) उपर्युक्त (25) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(27) (एक) एड्स प्रिवेंशन एण्ड कन्ट्रोल प्रोजेक्ट, वोलेंटरी हेल्थ सर्विसेज, चेन्नई के वर्ष 2006-2007 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) एड्स प्रिवेंशन एण्ड कन्ट्रोल प्रोजेक्ट, वोलेंटरी हेल्थ सर्विसेज, चेन्नई के वर्ष 2006-2007 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखा परीक्षा प्रतिवेदन।

(तीन) एड्स प्रिवेंशन एण्ड कन्ट्रोल प्रोजेक्ट, वोलेंटरी हेल्थ सर्विसेज, चेन्नई के वर्ष 2006-2007 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(28) उपर्युक्त (27) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(29) (एक) अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, नई दिल्ली के वर्ष 2006-2007 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, नई दिल्ली के वर्ष 2006-2007 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(30) उपर्युक्त (29) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(31) ओषधि और प्रसाधन सामग्री अधिनियम, 1940 की धारा 38 के अंतर्गत ओषधि और प्रसाधन सामग्री (पहला संशोधन) नियम, 2008 जो 9 जुलाई, 2008 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा॰का॰नि॰ 512(अ) में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(32) उपर्युक्त (31) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(33) (एक) राष्ट्रीय परीक्षा बोर्ड, नई दिल्ली के वर्ष 2007-2008 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) राष्ट्रीय परीक्षा बोर्ड, नई दिल्ली के वर्ष 2007-2008 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(34) (एक) नेशनल एकेडमी ऑफ मेडिकल साइंसेज, नई दिल्ली के वर्ष 2006-2007 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) नेशनल एकेडमी ऑफ मेडिकल साइंसेज, नई दिल्ली के वर्ष 2006-2007 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(35) उपर्युक्त (34) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(36) जवाहरलाल स्नातकोत्तर आयुर्विज्ञान शिक्षा और अनुसंधान संस्थान, पुडुचेरी अधिनियम, 2008 की धारा 31 के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):—

(एक) जवाहरलाल स्नातकोत्तर आयुर्विज्ञान शिक्षा और अनुसंधान संस्थान, पुडुचेरी नियम, 2008 जो 4 अगस्त, 2008 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा०का०नि० 573(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(दो) जवाहरलाल स्नातकोत्तर आयुर्विज्ञान शिक्षा और अनुसंधान संस्थान, पुडुचेरी विनियम, 2008 जो 4 अगस्त, 2008 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा०का०नि० 574(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(37) खाद्य अपमिश्रण निवारण अधिनियम, 1954 की धारा 23 की उपधारा (2) के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):—

(एक) खाद्य अपमिश्रण निवारण (पांचवां संशोधन) नियम, 2008 जो 19 सितम्बर, 2008 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा०का०नि० 664(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(दो) खाद्य अपमिश्रण निवारण (छठा संशोधन) नियम, 2008 जो 27 अक्तूबर, 2008 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा०का०नि० 754(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(38) खाद्य अपमिश्रण निवारण अधिनियम, 1954 के अंतर्गत जारी अधिसूचना संख्या सा०का०नि० 730(अ) जो 13 अक्तूबर, 2008 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जिसमें 21 अगस्त, 2006 की अधिसूचना संख्या सा०का०नि० 491(अ) का शुद्धिपत्र दिया हुआ है, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(39) कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 619क की उपधारा (1) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):—

(एक) कंटेनर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 2007-2008 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) कंटेनर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 2007-2008 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

(40) कंटेनर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया और रेल मंत्रालय के बीच वर्ष 2008-2009 के लिए हुए समझौता ज्ञापन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(41) मार्च, 2007 को समाप्त हुए वर्ष के लिए भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक, संघ सरकार (वाणिज्यिक) (2008 का संख्यांक पीए 16) का प्रतिवेदन—सरकारी क्षेत्र के उपक्रम, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण द्वारा सड़क परियोजनाओं के कार्यान्वयन में पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप (निष्पादन लेखा परीक्षा) की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(42) राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 की धारा 10 के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):—

(एक) का॰आ॰ 280(अ) जो 8 फरवरी, 2008 को भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो कर्नाटक राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 4 (बंगलौर-नेलमंगला खण्ड) के निर्माण (चौड़ा करने-छह लेन वाला बनाने, आदि), अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।

(दो) का॰आ॰ 434(अ) जो 5 मार्च, 2008 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा कर्नाटक राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 17 (मंगलौर-कोचीन खण्ड) के निर्माण (चौड़ा करने/चार लेन वाला बनाने, आदि), अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि का अर्जन करने के लिए सहायक आयुक्त, मंगलौर सब-डिवीजन, मंगलौर को सक्षम प्राधिकारी के रूप में प्राधिकृत किया गया है।

(तीन) का॰आ॰ 503(अ) जो 14 मार्च, 2008 को भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो कर्नाटक राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 48 (नेलमंगला-हासन खण्ड) के निर्माण (चौड़ा करने/चार लेन वाला बनाने, आदि), अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।

(चार) का॰आ॰ 334(अ) जो 15 फरवरी, 2008 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था जिसके द्वारा 18 अप्रैल, 2007 की अधिसूचना संख्या का॰आ॰ 631(अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं।

(पांच) का॰आ॰ 336(अ) जो 15 फरवरी, 2008 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था जिसके द्वारा 18 अप्रैल, 2007 की अधिसूचना संख्या का॰आ॰ 630(अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं।

(छह) का॰आ॰ 490(अ) जो 13 मार्च, 2008 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो केरल राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 47 [तमिलनाडु/केरल सीमा (वायालार-त्रिश्शुर खण्ड)] के निर्माण (चौड़ा करने/चार लेन वाला बनाने, आदि), अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।

(सात) का॰आ॰ 505(अ) और का॰आ॰ 506(अ) जो 14 मार्च, 2008 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुये थे तथा जो केरल राज्य में बाईपास सहित राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 17 के विभिन्न भागों के निर्माण (चौड़ा करने/चार लेन वाला बनाने, आदि), अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।

(आठ) का॰आ॰ 849(अ) जो 10 अप्रैल, 2008 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो केरल राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 47 के निर्माण (चौड़ा करने/चार लेन वाला बनाने, आदि), अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि का अर्जन करने के लिए उसमें उल्लिखित अधिकारियों को प्राधिकृत किए जाने के बारे में है।

(नौ) का॰आ॰ 77(अ) जो 10 जनवरी, 2008 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो आंध्र प्रदेश राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 18 के चित्तूर-कुरनूल मार्ग के सड़क ऊपरिपुल के सम्पर्क मार्गों के निर्माण के लिए भूमि के अर्जन हेतु राजस्व डिवीजन अधिकारी, कडप्पा को प्राधिकृत किए जाने के बारे में है।

(दस) का॰आ॰ 2093(अ) जो 5 दिसम्बर, 2007 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो आंध्र प्रदेश राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 7 (हैदराबाद-बंगलौर खंड) के निर्माण (चौड़ा करने/चार लेन वाला बनाने, आदि), अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।

(ग्यारह) का॰आ॰ 2463(अ) जो 17 अक्तूबर, 2008 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा 30 जुलाई, 2008 की अधिसूचना संख्या का॰आ॰ 1884(अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं।

(बारह) का॰आ॰ 2491(अ) जो 22 अक्तूबर, 2008 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा 29 जुलाई, 2008 की अधिसूचना संख्या का॰आ॰ 1869(अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं।

(तेरह) का॰आ॰ 1600(अ) जो 1 जुलाई, 2008 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो केरल राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 17 (कोडुंगलूर बाईपास) के निर्माण (चौड़ा करने), अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।

(चौदह) का॰आ॰ 2046(अ) जो 14 अगस्त, 2008 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो केरल राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 47 [तमिलनाडु/केरल सीमा (वायालार-त्रिश्शुर खण्ड)] के निर्माण (चौड़ा करने/चार लेन वाला बनाने, आदि), अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।

(पंद्रह) का॰आ॰ 2077(अ) जो 20 अगस्त, 2008 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो केरल राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 47 के निर्माण (चौड़ा करने/चार लेन वाला बनाने आदि), अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए उपर्युक्त राजमार्ग (तिरूवनंतपुरम से केरल/तमिलनाडु सीमा खंड) पर भूमि के अर्जन के लिए डिप्टी कलेक्टर (एल॰ए॰) तिरूवनंतपुरम को सक्षम प्राधिकारी के रूप में प्राधिकृत किए जाने के बारे में है।

(सोलह) का॰आ॰ 2078(अ) जो 20 अगस्त, 2008 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो तमिलनाडु राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 47 (केरल तमिलनाडु सीमा से कन्याकुमारी खंड तक) और 47ख (नागरकोईल से कवलकीनारू खंड तक) पर भूमि के अर्जन के लिए विशेष जिला राजस्व अधिकारी, तिरूनेलवेली जिसका मुख्यालय नागरकोईल में है, को सक्षम प्राधिकारी के रूप में प्राधिकृत किए जाने के बारे में है।

(सत्रह) का॰आ॰ 1249(अ) जो 29 मई, 2008 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो हरियाणा राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 10 पर सिरसा कस्बे में रेवाड़ी-भटिंडा रेल लाइन पर रेलवे क्रासिंग संख्या 143 पर रेल ऊपरिपुल के निर्माण के लिए भूमि के अर्जन के लिए जिला राजस्व अधिकारी सिरसा को सक्षम प्राधिकारी के रूप में प्राधिकृत किए जाने के बारे में है।

(अट्ठारह) का॰आ॰ 1275(अ) जो 30 मई, 2008 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा 7 अप्रैल, 2006 की अधिसूचना संख्या का॰आ॰ 514 (अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं।

(उन्नीस) का॰आ॰ 1276(अ) जो 30 मई, 2008 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो हरियाणा राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या एन॰ई-II (पूर्वी पेरीफेरल एक्सप्रेसवे) (सोनीपत खण्ड) के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।

(बीस) का॰आ॰ 2179(अ) जो 10 सितम्बर, 2008 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा 14 फरवरी, 2007 की अधिसूचना संख्या का॰आ॰ 294(अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं।

(इक्कीस) का॰आ॰ 2230(अ) जो 18 सितम्बर, 2008 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसमें 26 जून, 2007 की अधिसूचना संख्या का॰आ॰ 1562(अ) का शुद्धिपत्र दिया हुआ है।

(बाईस) का॰आ॰ 2049(अ) जो 14 अगस्त, 2008 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो महाराष्ट्र राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 6 (नागपुर-धुले खण्ड) के निर्माण (चार लेन वाला बनाने), अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।

(तेईस) का॰आ॰ 2304(अ) जो 29 सितम्बर, 2008 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो महाराष्ट्र राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 9 (पुणे-सोलापुर खंड) पर स्थायी येनेगुर पुल के प्रयोक्ताओं से वसूल किए जाने वाले पुल शुल्क की दरों के बारे में है।

(चौबीस) का॰आ॰ 2229(अ) जो 18 सितम्बर, 2008 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो महाराष्ट्र राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 7 (काम्टी-कन्हन बाईपास और नागपुर-हैदराबाद खंड) के निर्माण के बारे में है।

(पच्चीस) का॰आ॰ 2089(अ) जो 22 अगस्त, 2008 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो महाराष्ट्र राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 6 के निर्माण (चौड़ा करने/चार लेन वाला बनाने, आदि), अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन हेतु उसमें उल्लिखित अधिकारियों को प्राधिकृत किए जाने के बारे में है।

(छब्बीस) का॰आ॰ 2182(अ) जो 10 सितम्बर, 2008 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो हरियाणा राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 8 के निर्माण (चौड़ा करने/छह लेन वाला बनाने, आदि), अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन हेतु उसमें उल्लिखित अधिकारियों को प्राधिकृत किए जाने के बारे में है।

(सत्ताईस) का॰आ॰ 2062(अ) जो 18 अगस्त, 2008 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो हरियाणा राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 2 (फरीदाबाद खंड) के निर्माण (चौड़ा करने), अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।

(अठाईस) का॰आ॰ 1197(अ) जो 23 मई, 2008 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा 25 अक्तूबर, 2007 की अधिसूचना संख्या का॰आ॰ 1834 (अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं।

(उनतीस) का॰आ॰ 1050(अ) जो 30 अप्रैल, 2008 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो पंजाब राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 21 (कुरली-कीरतपुर खंड) के निर्माण (चौड़ा करने/चार लेन वाला बनाने, आदि), अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।

(तीस) का॰आ॰ 1279(अ) जो 2 जून, 2008 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो पंजाब राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 1 (जालंधर-अमृतसर खंड) के निर्माण (चौड़ा करने/चार लेन वाला बनाने, आदि), अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।

(इकतीस) का॰आ॰ 1461(अ) जो 17 जून, 2008 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो पंजाब राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 22 पर चार लेन वाले रेल ऊपरिपुल के निर्माण अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।

(बत्तीस) का॰आ॰ 2100(अ) और का॰आ॰ 2101(अ) जो 25 अगस्त, 2008 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जो पंजाब राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 1 (जालंधर-अमृतसर खंड) के विभिन्न भागों के निर्माण (चौड़ा करने/चार लेन वाला बनाने, आदि), अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।

(तैंतीस) का॰आ॰ 868(अ) जो 11 अप्रैल, 2008 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो पश्चिम बंगाल राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 34 पर भूमि के अर्जन के लिए अपर जिला मजिस्ट्रेट (भूमि अर्जन), उत्तर दिनाजपुर जिला को सक्षम प्राधिकारी के रूप में प्राधिकृत किए जाने के बारे में है।

(चौंतीस) का॰आ॰ 1862(अ) जो 28 जुलाई, 2008 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो पश्चिम बंगाल राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 31 के निर्माण (चौड़ा करने), अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।

(पैंतीस) का॰आ॰ 1867(अ) जो 29 जुलाई, 2008 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा 16 अक्तूबर, 2003 की अधिसूचना संख्या का॰आ॰ 1206(अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं।

(छत्तीस) का॰आ॰ 1868(अ) जो 29 जुलाई, 2008 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा पश्चिम बंगाल राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 31 के निर्माण (चौड़ा करने), अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।

(सैंतीस) का॰आ॰ 1223(अ) से का॰आ॰ 1225(अ) जो 27 मई, 2008 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जो पंजाब राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 1 (जालंधर-अमृतसर खण्ड) विभिन्न भागों के निर्माण (चौड़ा करने/चार लेन वाला बनाने, आदि), अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।

(अड़तीस) का॰आ॰ 1199(अ) और का॰आ॰ 1200(अ) जो 23 मई, 2008 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जो पंजाब राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 15 (पठानकोट-अमृतसर खण्ड) के विभिन्न भागों के निर्माण (चौड़ा करने/चार लेन वाला बनाने, आदि), अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।

(उनतालीस) का॰आ॰ 1284(अ) जो 3 जून, 2008 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो पंजाब राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग 1 (जालंधर-अमृतसर खण्ड) के निर्माण (चौड़ा करने/चार लेन वाला बनाने, आदि), अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।

(चालीस) का॰आ॰ 1400(अ) जो 9 जून, 2008 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो पंजाब राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 21 (कुराली–कीरतपुर खण्ड) के निर्माण (चौड़ा करने/चार लेन वाला बनाने, आदि), अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।

(इकतालीस) का॰आ॰ 875(अ) जो 15 अप्रैल, 2008 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसमें 17 अक्तूबर, 2007 की अधिसूचना संख्या का॰आ॰ 1766(अ) (केवल हिन्दी संस्करण में) का शुद्धिपत्र दिया हुआ है।

(बयालीस) का॰आ॰ 927(अ) जो 24 अप्रैल, 2008 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसमें 1 अगस्त, 2007 की अधिसूचना संख्या का॰आ॰ 1316 (अ) (केवल हिन्दी संस्करण में) का शुद्धिपत्र दिया हुआ है।

(तैंतालीस) का॰आ॰ 928(अ) जो 24 अप्रैल, 2008 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसमें 1 अगस्त, 2007 की अधिसूचना संख्या का॰आ॰ 1318 (अ) (केवल हिन्दी संस्करण में) का शुद्धिपत्र दिया हुआ है।

(चवालीस) का॰आ॰ 1113(अ) और का॰आ॰ 1114(अ) जो 8 मई, 2008 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जो मध्य प्रदेश राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 26 (झांसी–लखनाडोन खण्ड) के विभिन्न भागों के निर्माण (चौड़ा करने/चार लेन वाला बनाने, आदि), अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।

(पैंतालीस) का॰आ॰ 1222(अ) जो 27 मई, 2008 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो मध्य प्रदेश राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 3 (इन्दौर–खालघाट खण्ड) के निर्माण (चौड़ा करने/चार लेन वाला बनाने, आदि), अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।

(छियालीस) का॰आ॰ 1401(अ) जो 9 जून, 2008 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो छत्तीसगढ़ राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 6 (दुर्ग–नागपुर खण्ड) के निर्माण (चौड़ा करने), अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।

(सैंतालीस) का॰आ॰ 1555(अ) से का॰आ॰ 1558(अ) जो 25 जून, 2008 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जो मध्य प्रदेश राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 3 (खालघाट–एम॰पी॰/महाराष्ट्र सीमा खण्ड) के निर्माण (चौड़ा करने/चार लेन

वाला बनाने, आदि), अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।

(अड़तालीस) का॰आ॰ 1871(अ) जो 29 जुलाई, 2008 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो मध्य प्रदेश राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 3 (खालघाट-एम॰पी॰/महाराष्ट्र सीमा खण्ड) के निर्माण (चौड़ा करने/चार लेन वाला बनाने, आदि), अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।

(उनचास) का॰आ॰ 1879(अ) जो 30 जुलाई, 2008 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो मध्य प्रदेश राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 3 (खालघाट-एम॰पी॰/महाराष्ट्र सीमा खण्ड) के निर्माण (चौड़ा करने/चार लेन वाला बनाने, आदि), अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।

(पचास) का॰आ॰ 2048(अ) जो 14 अगस्त, 2008 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो छत्तीसगढ़ राज्य में बाईपासों के निर्माण सहित राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 6 (सम्बलपुर-रायपुर खण्ड) के निर्माण (चौड़ा करने), अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।

(इक्यावन) का॰आ॰ 2051(अ) जो 14 अगस्त, 2008 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो मध्य प्रदेश राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 75 (ग्वालियर-झांसी खण्ड) के निर्माण (चौड़ा करने/चार लेन वाला बनाने, आदि), अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।

(बावन) का॰आ॰ 2231(अ) जो 18 सितम्बर, 2008 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो मध्य प्रदेश राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 3 (धौलपुर-मुरैना खण्ड) के निर्माण (चौड़ा करने/चार लेन वाला बनाने, आदि), अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।

(तिरपन) का॰आ॰ 687(अ) जो 25 मार्च, 2008 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा 24 अगस्त, 2006 की अधिसूचना संख्या का॰आ॰ 1372(अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं।

(चौवन) का॰आ॰ 1092(अ) जो 6 मई, 2008 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा 18 दिसम्बर, 2007 की अधिसूचना संख्या का॰आ॰ 2147(अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं।

(पचपन) का॰आ॰ 1093(अ) जो 6 मई, 2008 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो उड़ीसा राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 23 (सारंगा-संथापाड़ा खण्ड) और 200 के निर्माण (चौड़ा करने/चार लेन वाला बनाने, आदि), अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।

(छप्पन) का॰आ॰ 1141(अ) जो 15 मई, 2008 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो पश्चिम बंगाल राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 34 के निर्माण (चौड़ा करने/चार लेन वाला बनाने, आदि), अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।

(सत्तावन) का॰आ॰ 1554(अ) जो 25 जून, 2008 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा 11 अगस्त, 2006 की अधिसूचना संख्या का॰आ॰ 1290(अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं।

(अठावन) का॰आ॰ 1516(अ) और का॰आ॰ 1517(अ) जो 23 जून, 2008 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जो उड़ीसा राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 215 (रिमुली-राजामुंडा खण्ड) के निर्माण (चौड़ा करने/चार लेन वाला बनाने, आदि), अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।

(उनसठ) का॰आ॰ 1880(अ) से का॰आ॰ 1882(अ) जो 30 जुलाई, 2008 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जो उड़ीसा राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 215 (पानीकोइली-रिमुली खण्ड) के विभिन्न भागों के निर्माण (चौड़ा करने/चार लेन वाला बनाने, आदि), अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।

(साठ) का॰आ॰ 1649(अ) जो 10 जुलाई, 2008 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो उड़ीसा राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 200 (डुबुरी-भुवन खण्ड) के निर्माण (चौड़ा करने/चार लेन वाला बनाने, आदि), अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।

(इकसठ) का॰आ॰ 791(अ) जो 1 अप्रैल, 2008 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो कर्नाटक राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 48 (नेलमंगला-हासन खण्ड) के निर्माण (चौड़ा करने/चार लेन वाला बनाने, आदि), अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।

(बासठ) का॰आ॰ 896(अ) जो 21 अप्रैल, 2008 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा 7 जून, 2000 की अधिसूचना संख्या का॰ आ॰ 556(अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं।

(तिरसठ) का॰आ॰ 1032(अ) जो 28 अप्रैल, 2008 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो कर्नाटक राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 4 (मुलाबगल-कोलार-बंगलौर खण्ड) के निर्माण (चौड़ा करने/चार लेन वाला बनाने, आदि), अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।

(चौंसठ) का॰आ॰ 1074(अ) जो 2 मई, 2008 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो कर्नाटक राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 13, 17 और 48 के उनमें उल्लिखित विभिन्न भागों के निर्माण (चौड़ा करने/चार लेन वाला बनाने, आदि), अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।

(पैंसठ) का॰आ॰ 1123(अ) जो 9 मई, 2008 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो कर्नाटक राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 63 के संबंध में, उसमें उल्लिखित दरों पर केन्द्रीय सरकार की ओर से शुल्क एकत्र करने के लिए मुख्य अभियंता (राष्ट्रीय राजमार्ग), कर्नाटक, लोक कल्याण विभाग अथवा उसके प्राधिकृत विधिक प्रतिनिधि को प्राधिकृत किए जाने के बारे में है।

(छियासठ) का॰आ॰ 1569(अ) जो 26 जून, 2008 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो कर्नाटक राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 13, 17 और 48 के निर्माण (चौड़ा करने/चार लेन वाला बनाने, आदि), अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।

(सड़सठ) का॰आ॰ 1698(अ) जो 16 जुलाई, 2008 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो कर्नाटक राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 17 के पणजी-मंगलौर खण्ड पर श्रावती नदी पर बने पुल के प्रयोक्ताओं से वसूल किए जाने वाले शुल्क की दरों के बारे में है।

(अड़सठ) का॰आ॰ 1913(अ) जो 1 अगस्त, 2008 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो कर्नाटक राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 4 (मुलाबगल-कोलार-बंगलौर खण्ड) के निर्माण (चौड़ा करने/चार लेन वाला बनाने, आदि), अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।

(उनहत्तर) का॰आ॰ 2126(अ) जो 28 अगस्त, 2008 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो कर्नाटक राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 7 (हैदराबाद-बंगलौर

खण्ड) के निर्माण (चौड़ा करने/चार लेन वाला बनाने, आदि), अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।

(सत्तर) का॰आ॰ 2128(अ) जो 28 अगस्त, 2008 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो कर्नाटक राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 17 के निर्माण (चौड़ा करने/चार लेन वाला बनाने, आदि), अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।

(इकहत्तर) का॰आ॰ 2190(अ) जो 12 सितम्बर, 2008 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो कर्नाटक राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 48 (बंगलौर-मंगलोर खण्ड) पर नेत्रवती नदी पर बने पुल के प्रयोग के लिए यांत्रिक वाहनों पर उद्ग्रहणीय शुल्क की दरों के बारे में है।

(बहत्तर) का॰आ॰ 2551(अ) जो 31 अक्तूबर, 2008 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो केरल राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 17 (चांदपुरा-कोट्टापुरम खण्ड) पर कोडुगलूर बाईपास के निर्माण अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि का अर्जन किए जाने के बारे में है।

(तिहत्तर) का॰आ॰ 2552(अ) जो 31 अक्तूबर, 2008 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो केरल राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 17 [चांदपुरा-कोट्टापुरम (कोडुगलूर बाईपास) खण्ड] के निर्माण/चौड़ा करने अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि का अर्जन किए जाने के बारे में है।

(चौहत्तर) का॰आ॰ 2363(अ) जो 1 अक्तूबर, 2008 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो आन्ध्र प्रदेश राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 9 (विजयवाड़ा-मछलीपत्तनम खण्ड) के निर्माण (चौड़ा करने/चार लेन वाला बनाने, आदि), अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि का अर्जन किए जाने के बारे में है।

(पचहत्तर) का॰आ॰ 2364(अ) जो 1 अक्तूबर, 2008 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो आन्ध्र प्रदेश राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 9 (हैदराबाद-विजयवाड़ा खण्ड) के निर्माण (चौड़ा करने/चार लेन वाला बनाने, आदि), अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि का अर्जन किए जाने के बारे में है।

(छिहत्तर) का॰आ॰ 2365(अ) जो 1 अक्तूबर, 2008 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा 18 अप्रैल, 2007 की अधिसूचना सं॰ का॰आ॰ 631 (अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं।

(सतहत्तर) का॰आ॰ 2545(अ) जो 29 अक्तूबर, 2008 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो आन्ध्र प्रदेश राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 9 (हैदराबाद-विजयवाड़ा खण्ड) के निर्माण (चौड़ा करने/चार लेन वाला बनाने, आदि), अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि का अर्जन किए जाने के बारे में है।

(अठहत्तर) का॰आ॰ 1695(अ) जो 16 जुलाई, 2008 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा कर्नाटक राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 212 पर काबिनी नदी पर नए मुख्य पुल के निर्माण हेतु भूमि के अर्जन के लिए विशेष भू अर्जन अधिकारी और राज्य अधिकारी, राष्ट्रीय राजमार्ग, बंगलौर को प्राधिकृत किया गया है।

(उन्नासी) का॰आ॰ 1696(अ) जो 16 जुलाई, 2008 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा कर्नाटक राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 4 पर रोड अंडर ब्रिज में अतिरिक्त वेंट के लिए अप्रोच के निर्माण के लिए विशेष भू अर्जन अधिकारी और राज्य अधिकारी, राष्ट्रीय राजमार्ग, बंगलौर को प्राधिकृत किया गया है।

(अस्सी) का॰आ॰ 1697(अ) जो 16 जुलाई, 2008 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा कर्नाटक राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 218 पर मालप्रभा नदी पर पुल के निर्माण हेतु भूमि के अर्जन के लिए विशेष भू अर्जन अधिकारी, राष्ट्रीय राजमार्ग, धारवाड़ को प्राधिकृत किया गया है।

(इक्कासी) का॰आ॰ 2518(अ) जो 24 अक्तूबर, 2008 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा कर्नाटक राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 4 (हुबली-धारवाड़) में बाईपास मार्ग के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए विशेष भू अर्जन अधिकारी, राष्ट्रीय राजमार्ग, धारवाड़ को प्राधिकृत किया गया है।

(बयासी) का॰आ॰ 2597(अ) और का॰आ॰ 2598(अ) जो 5 नवम्बर, 2008 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जो कर्नाटक राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 4 (मुलबागल-कोलार-बंगलौर खंड) के विभिन्न खण्डों के निर्माण (चौड़ा करने/चार लेन वाला बनाने, आदि) के अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि का अर्जन किए जाने के बारे में है।

(तिरासी) का॰आ॰ 2267(अ) जो 25 सितम्बर, 2008 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो उत्तर प्रदेश राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 2 के चार लेन वाले खंड (माखनपुर से इटावा और इटावा बाईपास खंड) के प्रयोक्ताओं से वसूल किए जाने वाले शुल्क की दरों के बारे में है।

(चौरासी) का॰आ॰ 2268(अ) जो 25 सितम्बर, 2008 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो गुजरात राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 8ख के चार लेन वाले खंड (भिलाड़ी से जैतपुर खंड) के प्रयोक्ताओं से उद्ग्रहणीय शुल्क की दरों के बारे में है।

(43) उपर्युक्त (42) की मद सं॰ (एक) से (बारह) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाले बारह विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(44) राष्ट्रीय राजमार्ग (भूमि और यातायात) अधिनियम, 2002 की धारा 20 की उपधारा (1) के अंतर्गत जारी अधिसूचना संख्या का॰आ॰ 543(अ) जो 20 मार्च, 2008 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी, तथा जिसके द्वारा अधिसूचना में उल्लिखित राष्ट्रीय राजमार्गों के संबंध में, उसमें उल्लिखित भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के परियोजना निदेशकों को उन्हें प्रदत्त शक्तियों के प्रयोग और कर्तव्यों के निर्वहन के लिए नियुक्त किया गया है, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(45) उपर्युक्त (44) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(46) मोटर यान अधिनियम, 1988 की धारा 212 की उपधारा (4) के अंतर्गत केन्द्रीय मोटर यान (संशोधन) नियम, 2008 जो 15 जुलाई, 2008 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा॰का॰नि॰ 512(अ) में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(47) निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)—

(एक) ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना 2007—2012 (खंड-एक) समावेशी विकास।

(दो) ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना 2007—2012 (खंड-दो) सामाजिक क्षेत्र।

(तीन) ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना 2007—2012 (खंड-तीन) कृषि, ग्रामीण विकास, उद्योग, सेवा और भौतिक अवसंरचना।

(48) (एक) डेवलपमेंट प्लानिंग सेन्टर ऑफ दि इंस्टीट्यूट ऑफ इकनॉमिक ग्रोथ, दिल्ली के वर्ष 2007-2008 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) डेवलपमेंट प्लानिंग सेन्टर ऑफ दि इंस्टीट्यूट ऑफ इकनॉमिक ग्रोथ, दिल्ली के वर्ष 2007-2008 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(49) (एक) इंस्टीट्‌यूट ऑफ अप्लायड मैनपावर रिसर्च, दिल्ली के वर्ष 2006-2007 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखा-परीक्षित लेखे।

(दो) इंस्टीट्‌यूट ऑफ अप्लायड मैनपावर रिसर्च, दिल्ली के वर्ष 2006-2007 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(50) उपर्युक्त (49) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(51) (एक) रामपुर रज़ा लाइब्रेरी, रामपुर के वर्ष 2006-2007 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) रामपुर रज़ा लाइब्रेरी, रामपुर के वर्ष 2006-2007 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(52) उपर्युक्त (51) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(53) अखिल भारतीय सेवा अधिनियम, 1951 की धारा 3 की उपधारा (2) के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रतिः—

(एक) भारतीय प्रशासनिक सेवा (भर्ती) संशोधन नियम, 2007 जो 1 दिसंबर, 2007 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं॰ सा॰का॰नि॰ 256 में प्रकाशित हुए थे।

(दो) भारतीय पुलिस सेवा (भर्ती) संशोधन नियम, 2007 जो 1 दिसंबर, 2007 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं॰ सा॰का॰नि॰ 257 में प्रकाशित हुए थे।

(तीन) भारतीय वन सेवा (भर्ती) संशोधन नियम, 2007 जो 1 दिसंबर, 2007 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं॰ सा॰का॰नि॰ 258 में प्रकाशित हुए थे।

(चार) भारतीय प्रशासनिक सेवा (वेतन) संशोधन नियम, 2007 जो 10 जनवरी, 2008 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं॰ सा॰का॰नि॰ 23(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(पांच) भारतीय पुलिस सेवा (वेतन) नियम, 2007 जो 25 फरवरी, 2008 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं॰ सा॰का॰नि॰ 108(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(छः) भारतीय वन सेवा (वेतन) नियम, 2007 जो 25 फरवरी, 2008 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं॰ सा॰का॰नि॰ 109(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(सात) भारतीय प्रशासनिक सेवा (वेतन) दूसरा संशोधन नियम, 2008 जो 19 सितम्बर, 2008 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं॰ सा॰का॰नि॰ 665(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(आठ) भारतीय वन सेवा (वेतन) संशोधन नियम, 2008 जो 27 सितम्बर, 2008 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं॰ सा॰का॰नि॰ 691(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(नौ) भारतीय पुलिस सेवा (वेतन) संशोधन नियम, 2008 जो 27 सितम्बर, 2008 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं॰ सा॰का॰नि॰ 692(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(54) उपर्युक्त (53) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाले छ: विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(55) भारत के संविधान के अनुच्छेद 323 (1) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):—

(एक) संघ लोक सेवा आयोग, नई दिल्ली के वर्ष 2007-2008 का 58वां वार्षिक प्रतिवेदन।

(दो) प्रतिवेदन के अध्याय 10 में उल्लिखित मामलों के संबंध में संघ लोक सेवा आयोग की सलाह स्वीकार न किए जाने के कारण बताने वाला ज्ञापन।

(56) कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 619क की उपधारा (1) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):—

(एक) इंडस्ट्रियल इनवेस्टमेंट बैंक ऑफ इंडिया लिमिटेड, कोलकाता के वर्ष 2006-2007 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) इंडस्ट्रियल इनवेस्टमेंट बैंक ऑफ इंडिया लिमिटेड, कोलकाता के वर्ष 2006-2007 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रण-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

(57) उपर्युक्त (56) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(58)(एक) भारतीय निर्यात आयात बैंक, मुंबई के वर्ष 2007-2008 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) भारतीय निर्यात आयात बैंक, मुंबई के वर्ष 2007-2008 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(59) बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) अधिनियम, 1970/1980 की धारा 19 की उपधारा (4) के अंतर्गत बैंक ऑफ महाराष्ट्र अधिकारी सेवा विनियम, 1979 संशोधन विनियम, 2006 जो 30 मई, 2008 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या का॰आ॰ सं॰ एएक्स-I/एसटी/ओएसआर/5207/2007 में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(60) बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण अधिनियम, 1999 की धारा 27 के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):—

(एक) बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण (बीमाकर्त्ता का ग्रामीण या सामाजिक क्षेत्र के प्रति दायित्व) (तीसरा संशोधन) विनियम, 2008 जो 1 फरवरी, 2008 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं॰ एफ सं॰ आईआरडीए/रेग/1/42/2008 में प्रकाशित हुए थे।

(दो) बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण (बीमाकर्त्ता का ग्रामीण या सामाजिक क्षेत्र के प्रति दायित्व) (चौथा संशोधन) विनियम, 2008 जो 29 जनवरी, 2008 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं॰ एफ सं॰ आईआरडीए/रेग/2/43/2008 में प्रकाशित हुए थे।

(तीन) बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण (बीमा अभिकर्ताओं की लाइसेसिंग) (संशोधन) विनियम, 2007 जो 9 अक्तूबर, 2007 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं॰ एफ सं॰ आईआरडीए/रेग/2/39/2007 में प्रकाशित हुए थे।

(चार) बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण (बीमा ब्रोकर) (संशोधन) विनियम, 2007 जो 5 नवम्बर, 2007 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं॰ एफ सं॰ आईआरडीए/रेग/4/41/2007 में प्रकाशित हुए थे।

(61) उपर्युक्त (60) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाले चार विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(62) बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण अधिनियम, 1999 के अंतर्गत अधिसूचना सं॰ एफ सं॰ आईआरडीए/आर 1/1/38/2007 जो 6 फरवरी, 2007 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिसके द्वारा भारतीय पुन: बीमाकर्ता के साथ प्रत्येक साधारण बीमा पॉलिसी के पुनबीमित किए जाने पर बीमित राशि की प्रतिशतता छोड़े जाने में संशोधन किया गया है, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(63) उपर्युक्त (62) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(64) शेयरों के लेन-देन से संबंधित अपराध अधिनियम, 1992 की धारा 14 की उपधारा (2) के अंतर्गत विशेष न्यायालय (प्रतिभूतियों में लेन-देन से संबंधित अपराधों का परीक्षण) संशोधन नियम, 2008 जो 17 अप्रैल, 2008 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं॰ सा॰का॰नि॰ 291(अ) में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(65) सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 की धारा 9क की उपधारा (7) के अंतर्गत अधिसूचना सं॰ सा॰का॰नि॰ 678(अ) जो 24 सितम्बर, 2008 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा रासायनिक हथियार अभिसमय अधिनियम, 2000 और अन्य प्रयोक्ता अभिकरणों की अपेक्षाओं के अनुसार नई टैरिफ प्रविष्टियां आरंभ

किए जाने के लिए सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 की पहली अनुसूची में कतिपय संशोधन किए गए हैं, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण), तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(66) भारतीय स्टांप अधिनियम, 1899 की धारा 9 की उपधारा (1) के अंतर्गत जारी अधिसूचना सं॰ का॰आ॰नि॰ 2189(अ) जो 12 सितम्बर, 2008 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा 28 जनवरी, 2008 की अधिसूचना सं॰ 130(अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण), तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(67) सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 की धारा 159 के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):—

(एक) सा॰का॰नि॰ 204(अ) जो 25 मार्च, 2008 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा उसमें उल्लिखित क्षेत्र को स्मगलिंग के लिए भेद्य विनिर्दिष्ट किया गया है, जैसाकि सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 के प्रयोजनों के लिए विनिर्दिष्ट क्षेत्र के रूप में है।

(दो) सा॰का॰नि॰ 261(अ) जो 2 अप्रैल, 2008 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा उनमें उल्लिखित माल, जिनके संबंध में उनके अवैध निर्यात को रोकने और उक्त माल जिनका अवैध रूप से निर्यात संभावित है, जिसे पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, असम, मेघालय और मिजोरम भू-भाग के भीतर आने वाले बंग्लादेश के साथ भारत की भू-सीमा में विनिर्दिष्ट क्षेत्रों में ले जाया जाएगा, की पहचान सुकर बनाने के प्रयोजन के लिए विशेष उपाय विनिर्दिष्ट किए गए हैं।

(68) उपर्युक्त (67) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाले दो विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(69) केन्द्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम, 1944 की धारा 38 की उपधारा (2) के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):—

(एक) सा॰का॰नि॰ 720(अ) जो 6 अक्तूबर, 2008 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा 26 जून, 2001 की अधिसूचना संख्या 35/2001-के॰उ॰शु॰ (गैटै) में कतिपय संशोधन किए गए हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(दो) सा॰का॰नि॰ 721(अ) जो 6 अक्तूबर, 2008 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा 8 मार्च, 2002 की अधिसूचना संख्या 14/2002-के॰उ॰शु॰ (गैटै) में कतिपय संशोधन किए गए हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(70) केन्द्रीय विक्रय कर अधिनियम, 1956 की धारा 8 के अंतर्गत अधिसूचना सं॰ का॰आ॰ 1277(अ) की एक प्रति जो 30 मई, 2008 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा केन्द्रीय विक्रय कर अधिनियम, 1956 की धारा 8 की उपधारा (1) में यथा विनिर्दिष्ट कर की दर को 1 जून, 2008 से 3 प्रतिशत से घटाकर 2 प्रतिशत किया गया है (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(71) भारतीय स्टेट बैंक अधिनियम, 1955 की धारा 35 की उपधारा (2) के अंतर्गत जारी स्टेट बैंक ऑफ सौराष्ट्र का अर्जन आदेश, 2008 जो 13 अगस्त, 2008 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं॰ सा॰का॰नि॰ 589 (अ) में प्रकाशित हुए थे की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(72) ऋण सूचना कंपनी (विनियम) अधिनियम, 2005 की धारा 35 के अंतर्गत जारी ऋण सूचना कंपनी (विनियम) (कठिनाइयों का निराकरण) आदेश, 2008 जो 2 फरवरी, 2008 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं॰ का॰आ॰ 201 में प्रकाशित हुए थे की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(73) (एक) सेन्टर फॉर पॉलिसी रिसर्च, नई दिल्ली के वर्ष 2007-08 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) सेन्टर फॉर पॉलिसी रिसर्च, नई दिल्ली के वर्ष 2007-08 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(74)(एक) नेशनल काउंसिल ऑफ एप्लायड इकनॉमिक रिसर्च, नई दिल्ली के वर्ष 2007-08 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखा परीक्षित लेखे।

(दो) नेशनल काउंसिल ऑफ एप्लायड इकनॉमिक रिसर्च, नई दिल्ली के वर्ष 2007-08 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(75)(एक) मद्रास स्कूल ऑफ इकनॉमिक्स, चेन्नई के वर्ष 2007-08 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) मद्रास स्कूल ऑफ इकनॉमिक्स, चेन्नई के वर्ष 2007-08 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(76)(एक) सेन्टर फॉर डेवलपमेंट इकनॉमिक्स, दिल्ली स्कूल ऑफ इकनॉमिक्स, दिल्ली के वर्ष 2007-08 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) सेन्टर फॉर डेवलपमेंट इकनॉमिक्स, दिल्ली स्कूल ऑफ इकनॉमिक्स, दिल्ली के वर्ष 2007-08 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(77)(एक) इस्टि्टयूट फॉर सोशल एण्ड इकनॉमिक चेंज, बंगलोर के वर्ष 2007-08 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) इस्टि्टयूट फॅार सोशल एण्ड इकनॉमिक चेंज, बंगलोर के वर्ष 2007-08 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(78)(एक) इस्टि्टयूट ऑफ स्टडीज इन इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, नई दिल्ली के वर्ष 2007-08 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) इस्टि्टयूट ऑफ स्टडीज इन इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, नई दिल्ली के वर्ष 2007-08 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(79) केन्द्रीय उत्पाद शुल्क नियम, 2002 के नियम 3 के उपखण्ड 1 के अंतर्गत जारी अधिसूचना संख्या सा॰का॰नि॰ 751 (अ) जो 24 अक्तूबर, 2008 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिसके द्वारा सीमा शुल्क आयुक्त (आयात और साधारण) नई दिल्ली को केन्द्रीय उत्पाद शुल्क अधिकारी के रूप में नियुक्त किया गया है और उसमें उल्लिखित अधिकारियों की सभी शक्तियां निविष्ट की गई हैं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(80) सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 की धारा 159 के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):—

(एक) सा॰का॰नि॰ 744(अ) जो 22 अक्तूबर, 2008 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा 1 मार्च, 2002 की अधिसूचना संख्या 21/2002-सी॰शु॰ में कतिपय संशोधन किए गए हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(दो) सा॰का॰नि॰ 757(अ) जो 31 अक्तूबर, 2008 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा 13 अगस्त, 2008 की अधिसूचना संख्या 96/2008-सी॰शु॰ में कतिपय संशोधन किए गए हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(तीन) सा॰का॰नि॰ 259(अ) जो 31 अक्तूबर, 2008 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा 10 मई, 2008 की अधिसूचना संख्या 66/2008-सी॰शु॰ में कतिपय संशोधन किए गए हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(चार) सा॰का॰नि॰ 760(अ) जो 31 अक्तूबर, 2008 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय आयरन ओर फाइन्स पर 200 रुपये प्रति टन की दर से विशिष्ट निर्यात शुल्क विहित करना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(पांच) सा॰का॰नि॰ 761(अ) जो 31 अक्तूबर, 2008 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा 13 जून, 2008 की अधिसूचना संख्या 79/2008-सी॰शु॰ में कतिपय संशोधन किए गए हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(छ:) सा॰का॰नि॰ 763(अ) जो 31 अक्तूबर, 2008 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा 1 मार्च, 2002 की अधिसूचना संख्या 21/2002-सी॰शु॰ में कतिपय संशोधन किए गए हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(सात) सा॰का॰नि॰ 769(अ) जो 4 नवम्बर, 2008 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा 1 मार्च, 2002 की अधिसूचना संख्या 21/2002-सी॰शु॰ में कतिपय संशोधन किए गए हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(आठ) सा॰का॰नि॰ 779(अ) जो 7 नवम्बर, 2008 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा 31 अक्तूबर, 2008 की अधिसूचना संख्या 116/2008-सी॰शु॰ में कतिपय संशोधन किए गए हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(नौ) सा॰का॰नि॰ 794(अ) जो 18 नवम्बर, 2008 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा 1 मार्च, 2002 की अधिसूचना संख्या 21/2002-सी॰शु॰ में कतिपय संशोधन किए गए हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(दस) सा॰का॰नि॰ 814(अ) जो 21 नवम्बर, 2008 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा 23 जुलाई, 1986 की अधिसूचना संख्या 39/1996-सी॰शु॰ में कतिपय संशोधन किए गए हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(81) सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 की धारा 9क की उपधारा (7) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):—

(एक) सा॰का॰नि॰ 736(अ) जो 16 अक्तूबर 2008 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे, जिनका आशय एंटी डंपिग और एलायड ड्यूटी महानिदेशालय द्वारा संचालित सनसेट रिव्यू जांच का अंतिम निर्णय लंबित रहने तक 2 सितम्बर, 2009 तक और चीन जनवादी गणराज्य में उद्‌भूत, या वहां से निर्यातित कलोरोक्वीन फास्फेट के आयात पर प्रतिपाटन शुल्क लगाना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(दो) सा॰का॰नि॰ 743(अ) जो 21 अक्तूबर, 2008 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे, जिनका आशय एंटी-डंपिग और एलायड-ड्यूटी महानिदेशालय द्वारा संचालित सनसेट रिव्यू जांच का अंतिम निर्णय लंबित रहने तक 23 अक्तूबर, 2009 तक और चीन जनवादी गणराज्य में उद्‌भूत, या वहां से निर्यातित विटामिन सी के आयात पर प्रतिपाटन शुल्क का विस्तार करना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(तीन) सा॰का॰नि॰ 745(अ) जो 22 अक्तूबर, 2008 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे, जिनका आशय मेसर्स एच॰के॰ कॉरपोरेशन, कोरिया आरपी द्वारा उत्पादित और निर्यातित किसी भी विनिर्देशन पॉलिस्टर के फुली ड्रान यार्न या फुली प्रिंटेड यार्न या स्पीन ड्रॉन यार्न या फ्लैट यार्न के आयात पर निश्चित प्रतिपाटन शुल्क लगाना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(चार) सा॰का॰नि॰ 746(अ) जो 22 अक्तूबर, 2008 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे, जिनके द्वारा 15 मई, 2008 की अधिसूचना संख्या 69/2008/सी॰शु॰ को रद्द करना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(पांच) सा॰का॰नि॰ 758(अ) जो 31 अक्तूबर, 2008 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे, तथा जिनका आशय सनसेट रिव्यू जांच के अंतिम निर्णय में अभिहित प्राधिकारी द्वारा अनुशांसित दरों पर सिंगापुर, दक्षिण अफ्रीका और यूरोपीय संघ में उद्भूत या वहां से निर्यातित फिनॉयल के आयात पर प्रतिपाटन शुल्क लगाना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(छह) सा॰का॰नि॰ 762(अ) जो 31 अक्तूबर, 2008 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे, तथा जिनका आशय चीन जनवादी गणराज्य और ताईवान में उद्भूत या वहां से निर्यातित और भारत में आयातित केबल टाई के आयात पर प्रतिपाटन शुल्क लगाना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(सात) सा॰का॰नि॰ 806 (अ) जो 20 नवम्बर, 2008 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे, तथा जिनका आशय सनसेट रिव्यू जांच के अंतिम निर्णय में अभिहित प्राधिकारी द्वारा अनुशांसित दरों पर थाईलैंड और कोरिया आरपी में उद्भूत या वहां से निर्यातित एकरीलिक फॉयबर के आयात पर प्रतिपाटन शुल्क लगाना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(आठ) सा॰का॰नि॰ 815 (अ) जो 21 नवम्बर, 2008 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे, तथा जिनका आशय चीन जनवादी गणराज्य, श्रीलंका और वियतनाम में उद्भूत या वहां से निर्यातित कंपैक्ट फ्लूरोसेंट लैंप पर अनंतित प्रतिपाटन शुल्क लगाना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(82) वित्त अधिनियम, 1994 की धारा 94 की उपधारा (4) के अंतर्गत अधिसूचना संख्या सा॰का॰नि॰ 793(अ) जो 18 नवम्बर, 2008 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा 6 अक्तूबर, 2007 की अधिसूचना संख्या 41/2007 सेवा कर में कतिपय संशोधन किए गए हैं, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(83) केन्द्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम, 1944 की धारा 38 की उपधारा (2) के अंतर्गत पान मसाला पैकिंग मशीन (क्षमता विनिश्चयन और शुल्क संग्रहण) दूसरा संशोधन

नियम, 2008 जो 20 अक्तूबर, 2008 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा०का०नि० 741(अ) में प्रकाशित हुए थे की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(84) 31 मार्च, 2008 को समाप्त हुए वर्ष के लिए क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के निम्नलिखित वार्षिक प्रतिवेदनों और लेखाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षक का प्रतिवेदन:—

(एक) इलाकाई देहाती बैंक, श्रीनगर

(दो) मेबाड़ आंचलिक ग्रामीण बैंक, उदयपुर

(तीन) रुसीकुल्य ग्राम्य बैंक, बेरहामपुर

(85) 31 मार्च, 2008 को समाप्त हुए वर्ष के लिए ऊपर लिखित बैंक के संबंध में समेकित समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(86) (एक) स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, लखनऊ के वर्ष 2007-2008 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, लखनऊ के वर्ष 2007-2008 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(87) कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 619(क) की उपधारा (1) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):—

(क) (एक) नेशनल हैंडीकैप्ड फाइनान्स एण्ड डेवलपमेंट कॉरपोरेशन, फरीदाबाद के वर्ष 2006-2007 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) नेशनल हैंडीकैप्ड फाइनान्स एण्ड डेवलपमेंट कॉरपोरेशन, फरीदाबाद के वर्ष 2006-2007 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

(ख) (एक) नेशनल शिडयूल कास्ट फाइनान्स एण्ड डेवलपमेंट कॉरपोरशन, दिल्ली के वर्ष 2007-2008 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) नेशनल शिडयूल कास्ट फाइनान्स एण्ड डेवलपमेंट कॉरपोरशन, दिल्ली के वर्ष 2007-2008 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

(88) उपर्युक्त (87) की मद सं० (क) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(89) वर्ष 2006 के लिये सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम, 1955 की धारा 15क की उपधारा (4) के अंतर्गत उक्त अधिनियम के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(90) उपर्युक्त (89) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(91) वर्ष 2006 के लिये अनुसूचित जातियां और अनुसूचित जनजातियां (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 की धारा 21 की उपधारा (4) के अंतर्गत उक्त अधिनियम के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(92) उपर्युक्त (91) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(93) निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):—

(एक) भारत हेवी प्लेट एण्ड वेसल्स लिमिटेड और भारी उद्योग विभाग, भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय के बीच वर्ष 2008-2009 के लिए हुआ समझौता ज्ञापन।

(दो) भारत पंप एण्ड कंप्रेशर लिमिटेड और भारी उद्योग विभाग, भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय के बीच वर्ष 2008-2009 के लिए हुआ समझौता ज्ञापन।

(तीन) तुंगभद्रा स्टील प्रोडक्ट लिमिटेड और भारी उद्योग विभाग, भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय के बीच वर्ष 2008-2009 के लिए हुआ समझौता ज्ञापन।

(चार) ब्रिज एण्ड रूफ कॉरपोरेशन लिमिटेड और भारी उद्योग विभाग, भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय के बीच वर्ष 2008-2009 के लिए हुआ समझौता ज्ञापन।

(पांच) त्रिवेणी स्ट्रक्चरल लिमिटेड और भारी उद्योग विभाग, भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय के बीच वर्ष 2008-2009 के लिए हुआ समझौता ज्ञापन।

(छः) भारत भारी उद्योग निगम लिमिटेड और भारी उद्योग विभाग, भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय के बीच वर्ष 2008-2009 के लिए हुआ समझौता ज्ञापन।

(सात) रिचर्डसन एण्ड क्रुडास (1972) लिमिटेड और भारी उद्योग विभाग, भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय के बीच वर्ष 2008-2009 के लिए हुआ समझौता ज्ञापन।

(आठ) एचएमटी लिमिटेड और भारी उद्योग विभाग, भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय के बीच वर्ष 2008-2009 के लिए हुआ समझौता ज्ञापन।

(नौ) नेपा लिमिटेड और भारी उद्योग विभाग, भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय के बीच वर्ष 2008-2009 के लिए हुआ समझौता ज्ञापन।

(94) कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 619क की उपधारा (1) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):—

(क) (एक) हिन्दुस्तान पेपर कॉरपोरेशन लिमिटेड के वर्ष 2007-2008 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) हिन्दुस्तान पेपर कॉरपोरेशन लिमिटेड के वर्ष 2007-2008 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

(ख) (एक) नेपा लिमिटेड, नेपानगर के वर्ष 2007-2008 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) नेपा लिमिटेड, नेपानगर के वर्ष 2007-2008 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

(ग) (एक) स्कूटर इंडिया लिमिटेड, लखनऊ के वर्ष 2007-2008 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण।

(दो) स्कूटर इंडिया लिमिटेड, लखनऊ के वर्ष 2007-2008 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

(घ) (एक) टायर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, कोलकाता के वर्ष 2007-2008 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण।

(दो) टायर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, कोलकाता के वर्ष 2007-2008 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

(ङ) (एक) नेशनल बाईसिकिल कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, मुंबई के वर्ष 2007-2008 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण।

(दो) नेशनल बाईसिकिल कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, मुंबई के वर्ष 2007-2008 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

(च) (एक) इंस्ट्रूमेंटेशन लिमिटेड, कोटा के वर्ष 2006-2007 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण।

(दो) इंस्ट्रूमेंटेशन लिमिटेड, कोटा के वर्ष 2006-2007 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

(95) (एक) सेंटर ऑफ एक्सेलेंस ऑन मेडिसिनल प्लांट्स एण्ड ट्रैडीशिनल नॉलेज, फाउंडेशन फॉर रिवाइटेलाइजेशन ऑफ लोकल हेल्थ ट्रैडीशंस, बंगलौर के वर्ष 2007-2008 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) सेंटर ऑफ एक्सेलेंस ऑन मेडिसिनल प्लांट्स एण्ड ट्रैडीशिनल नॉलेज, फाउंडेशन फॉर रिवाइटेलाइजेशन ऑफ लोकल हेल्थ ट्रैडीशंस, बंगलौर के वर्ष 2007-2008 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(96) पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 की धारा 12 और 13 के अंतर्गत जारी अधिसूचना संख्या 865(अ) जो 11 अप्रैल, 2008 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जिसके द्वारा उसमें उल्लिखित प्रयोगशालाओं को पर्यावरणीय प्रयोगशालाओं के रूप में मान्यता दी गई है, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(97) पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 की धारा 26 के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):—

(एक) पर्यावरण (संरक्षण) चौथा संशोधन नियम, 2008 जो 30 मई, 2008 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा० का० नि० 414(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(दो) खतरनाक अवशिष्ट (प्रबंधन, संभलाई और सीमापार संचलन) नियम, 2008 जो 24 सितम्बर, 2008 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या का०आ० 2265(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(98) ब्राडकास्ट इंजीनियरिंग कंसलटेंट इंडिया लिमिटेड तथा सूचना और प्रसारण मंत्रालय के बीच वर्ष 2008-2009 के लिए हुए समझौता ज्ञापन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(99) प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया, नई दिल्ली के वर्ष 2007-2008 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(100) कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 619क की उपधारा (1) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):—

(क) (एक) स्पंज आयरन इंडिया लिमिटेड, हैदराबाद के वर्ष 2007-2008 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) स्पंज आयरन इंडिया लिमिटेड, हैदराबाद का वर्ष 2007-2008 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

(ख) (एक) स्टील ऑथोरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 2007–2008 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) स्टील ऑथोरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, नई दिल्ली का वर्ष 2007–2008 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

(ग) (एक) मैगनीज ओर (इंडिया) लिमिटेड, नागपुर के वर्ष 2007–2008 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) मैगनीज ओर (इंडिया) लिमिटेड, नागपुर का वर्ष 2007–2008 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

(घ) (एक) कुद्रेमुख आयरन ओर कंपनी लिमिटेड, बंगलौर के वर्ष 2007–2008 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) कुद्रेमुख आयरन ओर कंपनी लिमिटेड, बंगलौर का वर्ष 2007–2008 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

(ङ) (एक) राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड, विशाखापत्तनम के वर्ष 2007–2008 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड, विशाखापत्तनम का वर्ष 2007–2008 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

(च) (एक) एमएसटीसी लिमिटेड, कोलकाता के वर्ष 2007–2008 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) एमएसटीसी लिमिटेड, कोलकाता का वर्ष 2007–2008 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

(छ) (एक) एनएमडीसी लिमिटेड, हैदराबाद के वर्ष 2007–2008 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) एनएमडीसी लिमिटेड, हैदराबाद का वर्ष 2007–2008 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

(ज) (एक) हिन्दुस्तान स्टीलवर्क्स कंस्ट्रक्शन लिमिटेड, कोलकाता के वर्ष 2007–2008 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) हिन्दुस्तान स्टीलवर्क्स कंस्ट्रक्शन लिमिटेड, कोलकाता का वर्ष 2007-2008 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

(झ) (एक) मेकॉन लिमिटेड, रॉची के वर्ष 2007-2008 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) मेकॉन लिमिटेड, रॉची का वर्ष 2007-2008 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

(ञ) (एक) भारत रिफ्रेक्ट्रीज लिमिटेड, बोकारो स्टील सिटी के वर्ष 2007-2008 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) भारत रिफ्रेक्ट्रीज लिमिटेड, बोकारो स्टील सिटी का वर्ष 2007-2008 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

(101) कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 619क की उपधारा (1) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):—

(क) (एक) भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड, मुंबई के वर्ष 2007-2008 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड, मुंबई का वर्ष 2007-2008 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

(ख) (एक) हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड, मुंबई के वर्ष 2007-2008 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड, मुंबई का वर्ष 2007-2008 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

(102) (एक) ऑयल इंडस्ट्री डेवलपमेंट बोर्ड, नई दिल्ली के वर्ष 2007-2008 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) ऑयल इंडस्ट्री डेवलपमेंट बोर्ड, नई दिल्ली के वर्ष 2007-2008 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(103) पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस विनियामक बोर्ड अधिनियम, 2006 की धारा 59 के अंतर्गत जारी पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस विनियामक बोर्ड (कठिनाईयों को दूर करना) आदेश, 2008 जो 8 मई, 2008 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या का॰ आ॰ 1110(अ) में प्रकाशित हुआ था, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(104) (एक) केन्द्रीय प्राणी उद्यान प्राधिकरण, नई दिल्ली के वर्ष 2006-2007 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) केन्द्रीय प्राणी उद्यान प्राधिकरण, नई दिल्ली के वर्ष 2006-2007 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(105) उपर्युक्त (104) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(106) (एक) पद्मजा नायडु हिमालयन जूलॉजिकल पार्क, दार्जिलिंग के वर्ष 2005-2006 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) पद्मजा नायडु हिमालयन जूलॉजिकल पार्क, दार्जिलिंग के वर्ष 2005-2006 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(107) उपर्युक्त (106) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

*3. **लोक सभा की सदस्यता से त्याग पत्र**

(एक) अध्यक्ष ने सभा को सूचित किया कि उन्हें आंध्र प्रदेश के नरसापुर संसदीय निर्वाचन क्षेत्र से निर्वाचित सदस्य श्री हरिराम जोगैया का लोक सभा की सदस्यता से त्याग पत्र देने संबंधी 17 अगस्त, 2008 का एक पत्र प्राप्त हुआ और उन्होंने 6 नवम्बर, 2008 से उनका त्याग पत्र स्वीकार कर लिया है।

(दो) अध्यक्ष ने सभा को यह भी सूचित किया कि उन्हें बिहार के महाराजगंज, मुजफ्फरपुर, बेगुसराय, बगहा और बिक्रमगंज संसदीय निर्वाचन क्षेत्र से निर्वाचित सदस्यों क्रमशः सर्वश्री प्रभुनाथ सिंह, जॉर्ज फर्नांडीज, राजीव रंजन सिंह 'ललन', कैलाश बैठा और श्रीमती मीना सिंह का लोक सभा की सदस्यता से त्याग पत्र देने संबंधी 7 नवम्बर, 2008 का एक पत्र प्राप्त हुआ और उन्होंने 11 नवम्बर, 2008 से उनका त्याग पत्र स्वीकार कर लिया है।

---

*सायं 5.22 बजे

(तीन) अध्यक्ष ने सभा को यह भी सूचित किया कि उन्हें राजस्थान के भरतपुर संसदीय निर्वाचन क्षेत्र से निर्वाचित सदस्य श्री विश्वेन्द्र सिंह का लोक सभा की सदस्यता से त्याग पत्र देने संबंधी 13 नवम्बर, 2008 का एक पत्र प्राप्त हुआ और उन्होंने 14 नवम्बर, 2008 से उनका त्याग पत्र स्वीकार कर लिया है।

(चार) अध्यक्ष ने सभा को यह भी सूचित किया कि उन्हें उत्तर प्रदेश के बलरामपुर संसदीय निर्वाचन क्षेत्र से निर्वाचित सदस्य श्री बृजभूषण शरण सिंह का लोक सभा की सदस्यता से त्याग पत्र देने संबंधी 20 नवम्बर, 2008 का एक पत्र प्राप्त हुआ और उन्होंने 20 नवम्बर, 2008 से उनका त्याग पत्र स्वीकार कर लिया है।

4. संविधान की दसवीं अनुसूची के अंतर्गत अध्यक्ष का विनिश्चय

महासचिव ने संविधान की दसवीं अनुसूची और लोक सभा सदस्य (दल परिवर्तन के आधार पर निरर्हता) नियम, 1985 के अंतर्गत श्री चन्द्रभान सिंह के विरुद्ध श्री संतोष गंगवार, संसद सदस्य द्वारा दी गई याचिका पर लोक सभा अध्यक्ष के दिनांक 5 दिसम्बर, 2008 के विनिश्चय की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखी।

5. मंत्रियों द्वारा वक्तव्य

#(एक) गृह मंत्री ने मुंबई में हाल ही में हुए आतंकवादी हमले के बारे में एक वक्तव्य दिया।

*(दो) रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री ने रेल मंत्रालय से संबंधित अनुदानों की मांगों (2008-09) के बारे में रेल संबंधी स्थायी समिति के 36वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति के बारे में एक वक्तव्य (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखा।

*(तीन) पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री ने पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय से संबंधित अनुदानों की मांगों (2008-09) के बारे में पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस संबंधी स्थायी समिति के 20वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति के बारे में एक वक्तव्य (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखा।

*अपराहन 2.24 बजे

6. नियम 377 के अधीन मामले

अध्यक्षपीठ के निदेशानुसार, निम्नलिखित सदस्यों ने नियम 377 के अधीन उनके द्वारा उठाए जाने वाले विभिन्न मामलों, जैसा कि प्रत्येक सदस्य का नाम के आगे दर्शाया गया है, पर अपने वक्तव्य सभा पटल पर रखे–

(1) श्री एस॰ के॰ खारवेन्थन द्वारा गन्ने के न्यूनतम समर्थन मूल्य में वृद्धि किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

#पूर्वाह्न 11.02 बजे।

*अपराह्न 2.23 बजे।

(2) श्री निखिल कुमार द्वारा औरंगाबाद संसदीय निर्वाचन क्षेत्र, बिहार में राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी स्कीम की प्रगति की निगरानी किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(3) श्री के॰ सी॰ सिंह 'बाबा' द्वारा देश में गरीबी तथा बेरोजगारी को रोकने के लिए मूल्य वृद्धि के अनुरूप आवधिक आधार पर न्यूनतम मजदूरी को संशोधित किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(4) श्री अनुराग सिंह ठाकुर द्वारा हिमाचल प्रदेश में भानुपल्ली-बिलासपुर-बेरी नई रेल लाईन परियोजना के लिए निधि प्रदान कराए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(5) श्री काशीराम राणा द्वारा गुजरात के तटवर्ती क्षेत्रों में सुरक्षा बढ़ाए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(6) श्रीमती जयाबहन बी॰ ठक्कर द्वारा राज्य में मगदल्ला और अन्य छोटे पत्तनों का विकास करने के लिए गुजरात सरकार द्वारा प्रस्तुत किए गए प्रस्ताव का अनुमोदन किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(7) श्री सुभाष सुरेशचंद्र देशमुख द्वारा राष्ट्रीय राजमार्ग 9 (पुणे-सोलापुर-हैदराबाद) और राष्ट्रीय राजमार्ग 13 (पुणे-सोलापुर-बीजापुर) को चार लेन वाला बनाने और इन राष्ट्रीय राजमार्गों पर ट्रॉमा सेंटर स्थापित किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(8) श्री राम सिंह कस्वां द्वारा सादूलपुर (राजस्थान)-हिसार (हरियाणा) और सादूलपुर-दिल्ली रेलमार्गों पर एक्सप्रेस ट्रेनों को चलाए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(9) डा॰ के॰ एस॰ मनोज द्वारा तटवर्ती क्षेत्रों में सामुद्रिक सुरक्षा को सुदृढ़ करने की दृष्टि से मछुआरा समुदाय को उपकरण उपलब्ध कराकर उन्हें सशक्त बनाए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(10) श्री सुनील खां द्वारा दुर्गापुर, पश्चिम बंगाल स्थित मिश्र इस्पात संयंत्र का आधुनिकीकरण और विस्तार किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(11) श्री रवि प्रकाश वर्मा द्वारा उत्तर-पूर्व रेलवे के बरेली-लखनऊ क्षेत्र में आमान परिवर्तन कार्य कराए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(12) श्री रामजीलाल सुमन द्वारा देश में किसानों को उर्वरकों की पर्याप्त मात्रा में उपलब्धता सुनिश्चित कराए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(13) श्री मुन्शी राम द्वारा सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत उत्तर प्रदेश में 'शिक्षा मित्र' के रूप में नियोजित शिक्षकों का मानदेय बढ़ाए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(14) श्री रामदास बी॰ आठवले द्वारा गरीबी रेखा से नीचे जीवन-यापन कर रहे भूमिहीन लोगों के उत्थान के लिए कल्याणकारी उपाय किए जाने तथा अनुसूचित जाति और

अनुसूचित जनजाति वित्त विकास निगम के बजट आवंटन में वृद्धि किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

7. **नियम 193 के अधीन चर्चा**

लिया गया समय: 7 घंटे 12 मिनट

श्री लाल कृष्ण आडवाणी ने गृह मंत्री द्वारा मुंबई में हाल ही हुए आतंकवादी हमले के बारे में दिए गए वक्तव्य# पर एक चर्चा उठाई। $

निम्नलिखित सदस्यों ने वाद-विवाद में भाग लिया:—

1. श्री मिलिन्द मुरली देवड़ा
2. श्री मोहम्मद सलीम
3. श्री प्रणब मुखर्जी

(लोक सभा अपराह्न 1.30 बजे स्थगित हुई और अपराह्न 2.20 बजे पुन: समवेत हुई।)

4. श्री रामजीलाल सुमन
5. श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव
6. श्री मित्रसेन यादव
7. श्री ए॰ कृष्णास्वामी
8. प्रो॰ विजय कुमार मल्होत्रा
9. श्री अनंत गंगाराम गीते
10. श्री बृज किशोर त्रिपाठी
11. श्री गुरुदास दासगुप्त
12. श्री संदीप दीक्षित
13. श्री शरनजीत सिंह ढिल्लो
14. श्री हरिन पाठक
15. श्री राहुल गांधी
16. प्रो॰ एम॰ रामदास
17. श्रीमती रंजीत रंजन
18. कुमारी ममता बनर्जी

#देखिए मद संख्या 5(i)।

$पूर्वाह्न 11.23 बजे।

19. श्रीमती प्रिया दत्त
20. डा॰ सी॰ कृष्णन
21. श्री असादूद्दीन ओवेसी
22. श्री एम॰ पी॰ वीरेन्द्र कुमार
23. *श्री एस॰ के॰ खारवेनथन
24. श्री सुब्रत बोस
25. *श्री हंसराज गंगारामजी अहीर
26. डा॰ अरूण कुमार शर्मा
27. श्री रामदास बी॰ आठवले
28. श्री सानछुमा खुंगुर बैसीमुथियारी
29. श्री पी॰ सी॰ थामस
30. श्री मोहन रावले
31. श्री एन॰ एन॰ कृष्णदास
32. श्री राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव
33. श्री निखिल कुमार
34. श्री लालमणि प्रसाद

श्री पी॰ चिदम्बरम और डा॰ मनमोहन सिंह ने वाद-विवाद का उत्तर दिया।

चर्चा पूरी हुई।

सायं 7.30 बजे

#8. **संकल्प-स्वीकृत**

डा॰ मनमोहन सिंह ने सभा के समक्ष निम्नलिखित संकल्प पेश किया:—

''कि यह सभा मुंबई में पाकिस्तान के आतंकवादी तत्वों द्वारा किए गए घृणित आतंकवादी हमले की स्पष्ट निन्दा करती है जिसमें सैंकड़ों निर्दोष लोग मारे गए तथा जिन मूल्यों के लिए भारत की पहचान है उनको नष्ट करने का प्रयास किया गया;

कि यह सभा यह भी नोट करती है कि यह घटना इस वर्ष के आरंभ से भारत के विभिन्न भागों में तथा काबुल स्थित भारतीय दूतावास पर हुए आतंकवादी हमलों के पश्चात् एक घृणित घटना के रूप में हुई;

---

*लिखित भाषण सभा पटल पर रखे गए।

#नियम 193 के अधीन विषय पर चर्चा पूर्ण होने के पश्चात्।

कि यह सभा गंभीर चिंता के साथ इस तथ्य को भी नोट करती है कि आतंकवादी संगठन लश्कर-ए-तोएबा, जो कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद संकल्प 1267 में सूचीबद्ध है तथा पाकिस्तान में प्रतिबंधित है, ने भारत के विरुद्ध आतंकवादी हमलों को जारी रखा है और लगातार सक्रिय है;

कि यह सभा यह भी नोट करती है कि सरकार ने यह घोषणा की है कि वह मुबंई पर हुए हमलों की परिस्थितियों तथा कारणों की समीक्षा कर रही है और राष्ट्रीय सुरक्षा को मजबूत करने के लिए आवश्यक सुरक्षोपायों के लिए दृढ़प्रतिज्ञ है;

भारत के लोगों की ओर से, दृढ़तापूर्वक संकल्प करती है कि

* भारत तब तक अपने प्रयासों को नहीं छोड़ेगा जब तक आतंकवादी और वे लोग जिन्होंने उन्हें प्रशिक्षण दिया है, वित्त पोषण किया है और उत्प्रेरित किया है, का पर्दाफाश नहीं होता और उन्हें दंड नहीं दिया जाता;
* भारत अपनी एकता, संप्रभुता और राष्ट्रीय अखंडता के विरुद्ध सभी नापाक इरादों का दृढ़तापूर्वक मुकाबला करेगा;
* भारत आतंकवाद की बर्बरतापूर्ण विभीषिका के विरुद्ध अपनी लड़ाई में दृढसंकल्प रहेगा और विजयी होगा; और
* कि धर्मनिरपेक्ष और लोकतांत्रिक भारत का आदर्श कायम रहेगा।''

संकल्प ध्वनिमत से स्वीकृत हुआ।

सायं 7.34 बजे

(लोक सभा शुक्रवार, 12 दिसम्बर, 2008 के पूर्वाह्न 11.00 बजे पुनः समवेत होने के लिए स्थगित हुई)

पी॰ डी॰ टी॰ आचारी,

महासचिव।

GMGIPMRND—4294LS—11-12-2008.

लोक सभा

समाचार—भाग 1

(कार्यवाही का संक्षिप्त वृत्तांत)

शुक्रवार, 12 दिसम्बर, 2008/21 अग्रहायण, 1930 (शक)

संख्या 315

पूर्वाह्न 11.00 बजे

1. **उपाध्यक्ष द्वारा उल्लेख**

उपाध्यक्ष ने 13 दिसम्बर, 2001 को संसद भवन पर हुए आतंकवादी हमले की सातवीं वर्षगांठ का उल्लेख किया।

तत्पश्चात् सदस्य दिवंगत व्यक्तियों के सम्मान में कुछ देर मौन खड़े रहे।

पूर्वाह्न 11.03 बजे

2. **तारांकित प्रश्न**

तारांकित प्रश्न संख्या 201, 202, 203, 204 और 206 के मौखिक उत्तर दिए गए। तारांकित प्रश्न संख्या 205, और 207—220 के उत्तर सभा पटल पर रखे गए।

3. **अतारांकित प्रश्न**

अतारांकित प्रश्न संख्या 1993—2222 के उत्तर सभा पटल पर रखे गए।

मध्याह्न 12 बजे

4. **सभा पटल पर रखे गए पत्र**

निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखे गए:—

(1) (एक) राजघाट समाधि समिति, नई दिल्ली के वर्ष 2006-2007 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) राजघाट समाधि समिति, नई दिल्ली के वर्ष 2006-2007 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(3) (एक) नेशनल इंस्टिट्यूट ऑफ अर्बन अफेयर्स, नई दिल्ली के वर्ष 2007-2008 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) नेशनल इंस्टिट्यूट ऑफ अर्बन अफेयर्स, नई दिल्ली के वर्ष 2007-2008 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(4) कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 619क की उपधारा (1) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(एक) नेशनल बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन कारपोरेशन लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 2007-2008 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) नेशनल बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन कारपोरेशन लिमिटेड, नई दिल्ली का वर्ष 2007-2008 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

(5) राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड अधिनियम, 1985 की धारा 26 के अंतर्गत राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड, नई दिल्ली के वर्ष 2006-2007 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(6) (एक) नेशनल रूरल रोड्स डेवलपमेंट एजेंसी, नई दिल्ली के वर्ष 2007-2008 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) नेशनल रूरल रोड्स डेवलपमेंट एजेंसी, नई दिल्ली के वर्ष 2007-2008 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(7) (एक) बार काउंसिल ऑफ इंडिया, नई दिल्ली के वर्ष 2006-2007 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) बार काउंसिल ऑफ इंडिया, नई दिल्ली के वर्ष 2006-2007 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(8) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(9) लंबित विधि आयोग प्रतिवेदन - दिसम्बर, 2008 के बारे में चौथे वार्षिक विवरण की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(10) प्रतिस्पर्धा अधिनियम, 2002 की धारा 63 की उपधारा 3 के अंतर्गत भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग (प्रतिस्पर्धा समर्थन का समवर्द्धन प्रतिस्पर्धा संबंधी मुद्दों पर जागरूकता और प्रशिक्षण के उपायों के बारे में विवरणी) नियम, 2008 जो 10 अक्तूबर, 2008 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा॰का॰नि॰ 727(अ) में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(11) संविधान के अनुच्छेद 309 के अंतर्गत भारतीय कारपोरेट विधि सेवा नियम, 2008, जो 5 नवम्बर, 2008 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा॰का॰नि॰ 772(अ) में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(12) कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 642 की उपधारा (3) के अंतर्गत कंपनी (केन्द्रीय सरकार) सामान्य नियम और प्ररूप (संशोधन) नियम, 2008 जो 12 सितम्बर, 2008 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा॰का॰नि॰ 655 (अ) में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(13) कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619क की उपधारा (1) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)—

(एक) इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 2007-2008 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 2007-2008 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

(14) (एक) सेंटर फॉर विंड एनर्जी टेक्नोलॉजी, चेन्नई के वर्ष 2007-2008 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) सेंटर फॉर विंड एनर्जी टेक्नोलॉजी, चेन्नई के वर्ष 2007-2008 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(15) कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619क की उपधारा (1) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)—

(एक) हाउसिंग एण्ड अर्बन डेवलपमेंट कारपोरेशन लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 2006-2007 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) हाउसिंग एण्ड अर्बन डेवलपमेंट कारपोरेशन लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 2006-2007 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियन्त्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

(16) उपर्युक्त (15) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(17) हिन्दुस्तान प्रीफेब लिमिटेड और आवास और शहरी गरीबी उपशमन मंत्रालय के बीच वर्ष 2008-2009 के लिए हुआ समझौता ज्ञापन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(18) (एक) भारतीय राष्ट्रीय सहकारी आवास संघ, नई दिल्ली के वर्ष 2007-2008 के वार्षिक प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति।

(दो) भारतीय राष्ट्रीय सहकारी आवास संघ, नई दिल्ली के वर्ष 2007-2008 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) और उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन ।

(तीन) भारतीय राष्ट्रीय सहकारी आवास संघ, नई दिल्ली के वर्ष 2007-2008 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(19) ऊर्जा संरक्षण अधिनियम, 2001 की धारा 59 की उपधारा (1) के अधीन ऊर्जा संरक्षण (प्रत्यायित ऊर्जा लेखापरीक्षक की सिफारिशों पर की गई कार्यवाही और खपत की गई ऊर्जा के संबंध में सूचना प्रदान करने के लिए प्ररूप और विधि तथा समय) नियमावली, 2008 जो 30 जून, 2008 के भारत के राजपत्र में सा॰का॰नि॰ 486 (अ) में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(20) कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 619क की उपधारा (1) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)—

(क) (एक) पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 2007-2008 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 2007-2008 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

(ख) (एक) ग्रामीण विद्युतीकरण कॉरपोरेशन लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 2007-2008 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) ग्रामीण विद्युतीकरण कॉरपोरेशन लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 2007-2008 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

(ग) (एक) नर्मदा हाइड्रोइलेक्ट्रिक डेवलपमेंट कॉरपोरेशन, भोपाल के वर्ष 2007-2008 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) नर्मदा हाइड्रोइलेक्ट्रिक डेवलपमेंट कॉरपोरेशन, भोपाल के वर्ष 2007-2008 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

(घ) (एक) राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 2007-2008 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 2007-2008 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

(ङ) (एक) पावर फाइनान्स कॉरपोरेशन लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 2007-2008 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) पावर फाइनान्स कॉरपोरेशन लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 2007-2008 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

(21) (एक) दामोदर घाटी निगम, कोलकाता के वर्ष 2006-2007 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) दामोदर घाटी निगम, कोलकाता के वर्ष 2006-2007 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(22) उपर्युक्त (21) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

5. **विधेयकों पर अनुमति**

महासचिव ने 20 अक्तूबर, 2008 को सभा को दी गई पिछली सूचना के पश्चात् 14वीं लोक सभा के चौदहवें सत्र के दूसरे भाग के दौरान संसद की दोनों सभाओं द्वारा पारित और राष्ट्रपति की अनुमति प्राप्त निम्नलिखित चार विधेयक सभा पटल पर रखे:—

(1) विनियोग (संख्यांक 3) विधेयक, 2008;

(2) विनियोग (रेल) संख्यांक 4 विधेयक, 2008;

(3) केन्द्रीय विश्वविद्यालय विधि (संशोधन) विधेयक, 2008; और

(4) औषधि और प्रसाधन सामग्री (संशोधन) विधेयक, 2008।

6. **संविधान की दसवीं अनुसूची के अंतर्गत अध्यक्ष का विनिश्चय**

महासचिव ने संविधान की दसवीं अनुसूची और लोक सभा सदस्य (दल परिवर्तन के आधार पर निरर्हता) नियम, 1985 के अंतर्गत श्री हरिहर स्वाईं के विरुद्ध श्री भर्तृहरि महताब, संसद सदस्य द्वारा दी गई याचिका पर लोक सभा अध्यक्ष के दिनांक 10 दिसम्बर, 2008 के विनिश्चय की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखी।

7. **54वें राष्ट्रमंडल संसदीय सम्मेलन में भारतीय संसदीय शिष्टमंडल की भागीदारी के बारे में प्रतिवेदन**

महासचिव ने क्वालालामपुर (मलेशिया) में 1 अगस्त से 10 अगस्त, 2008 तक हुए 54वें राष्ट्रमंडल संसदीय सम्मेलन में भारतीय संसदीय शिष्टमंडल की भागीदारी के बारे में प्रतिवेदन का हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण सभा पटल पर रखा।

8. **खाद्य, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण संबंधी स्थायी समिति का प्रतिवेदन**

श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव ने उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय (खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग) की अनुदानों की मांगों (2008-09) के बारे में समिति के 23वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट टिप्पणियों/सिफारिशों पर सरकार द्वारा की गई कार्रवाई संबंधी 26वां प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत किया।

9. **श्रम संबंधी स्थायी समिति के प्रतिवेदन**

श्री सुरवरम सुधाकर रेड्डी ने श्रम संबंधी स्थायी समिति के निम्नलिखित प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत किए:—

(1) 'कपड़ा मिलों की रुग्णता/बंदी' विषय पर श्रम संबंधी स्थायी समिति के 27वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों/टिप्पणियों पर सरकार द्वारा की गई कार्रवाई संबंधी 34वां प्रतिवेदन; और

(2) *'देश में बुनकरों की सामान्य स्थिति—बुनकरों के सिरसीला संकेन्द्रित क्षेत्र का केस स्टडी' विषय पर श्रम संबंधी स्थायी समिति का 35वां प्रतिवेदन।

10. **कोयला और इस्पात संबंधी स्थायी समिति के प्रतिवेदन**

श्री हंसराज गं॰ अहीर ने कोयला और इस्पात संबंधी स्थायी समिति के निम्नलिखित प्रतिवेदनों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत की:—

(1) कोयला मंत्रालय की अनुदानों की मांगों (2008-2009) से संबंधित 31वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों/टिप्पणियों पर की गई कार्यवाही के बारे में कोयला और इस्पात स्थायी समिति का 36वां प्रतिवेदन;

(2) खान मंत्रालय की अनुदानों की मांगों (2008-2009) से संबंधित 32वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों/टिप्पणियों पर की गई कार्यवाही के बारे में कोयला और इस्पात स्थायी समिति का 37वां प्रतिवेदन;

(3) इस्पात मंत्रालय की अनुदानों की मांगों (2008-2009) से संबंधित 33वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों/टिप्पणियों पर की गई कार्यवाही के बारे में कोयला और इस्पात स्थायी समिति का 38वां प्रतिवेदन।

11. **मानव संसाधन विकास संबंधी स्थायी समिति का प्रतिवेदन**

श्री बसुदेव बर्मन ने अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद् के कार्यकरण के बारे में मानव संसाधन विकास संबंधी स्थायी समिति के दो सौ ग्यारहवें प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखी।

---

*अध्यक्ष के निदेशों के निदेश 71क के अंतर्गत जब सभा का सत्र नहीं चल रहा था तब प्रतिवेदन 12.11.2008 को लोक सभा अध्यक्ष को प्रस्तुत किया और अध्यक्ष ने लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्यसंचालन नियमों के नियम 280 के अंतर्गत प्रतिवेदन के मुद्रण, प्रकाशन और परिचालन की सहर्ष अनुमति दे दी थी।

12. **मंत्रियों द्वारा वक्तव्य**

(1) ग्रामीण विकास मंत्री ने निम्नलिखित के बारे में वक्तव्य (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखा:—

(एक) भू-संसाधन विभाग, ग्रामीण विकास मंत्रालय की अनुदानों की मांगों (2008-2009) के बारे में ग्रामीण विकास संबंधी स्थायी समिति के 36वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति; और

(दो) ग्रामीण विकास विभाग, ग्रामीण विकास मंत्रालय से संबंधित ग्रामीण विकास संबंधी स्थायी समिति के 22वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति।

(2) कॉरपोरेट कार्य मंत्री ने कॉरपोरेट कार्य मंत्रालय से संबंधित अनुदानों की मांगों (2007-2008) के बारे में वित्त संबंधी स्थायी समिति के 63वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति के बारे में एक वक्तव्य (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखा।

(3) वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री ने आर्थिक कार्य, वित्तीय सेवाएं, व्यय और विनिवेश विभाग, वित्त मंत्रालय से संबधित अनुदानों की मांगों (2007-2008 और 2008-2009) के बारे में वित्त संबंधी स्थायी समिति के क्रमश: 59वें और 67वें प्रतिवेदनों में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति के बारे में एक वक्तव्य (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखा।

अपराह्न 12.07 बजे

13. **संसदीय कार्य मंत्री द्वारा वक्तव्य**

संसदीय कार्य मंत्री ने 15 दिसम्बर, 2008 से आरम्भ होने वाले सप्ताह के लिए सरकारी कार्य के बारे में एक वक्तव्य दिया।

अपराह्न 12.15 बजे

14. **समितियों के लिए निर्वाचन हेतु प्रस्ताव**

(एक) श्री सी॰ कुप्पुसामी ने निम्नलिखित प्रस्ताव पेश किया:—

''कि इस सभा के सदस्य लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमों के नियम 311 के उप-नियम (1) द्वारा अपेक्षित रीति से नियम 254 के उप-नियम (3) के अधीन श्री बृजभूषण शरण सिंह जिन्होंने लोक सभा में अपने स्थान से त्याग पत्र दे

दिया है के स्थान पर अपने सदस्यों में से एक सदस्य को समिति की शेष अवधि के लिए प्राक्कलन समिति के सदस्य के रूप में कार्य करने के लिए निर्वाचित करे।''

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

(दो) श्री खारबेल स्वाईं ने निम्नलिखित प्रस्ताव पेश किया:—

''कि इस सभा के सदस्य लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमों के नियम 309 के उप नियम (1) द्वारा अपेक्षित रीति से नियम 254 के उप नियम (3) के अधीन श्री राजीव रंजन सिंह 'ललन' जिन्होंने लोक सभा में अपने स्थान से त्याग पत्र दे दिया है और श्री ब्रजेश पाठक, जो राज्य सभा के लिए निर्वाचित हुए हैं, के स्थान पर अपने सदस्यों में से दो सदस्यों को समिति की शेष अवधि के लिए लोक लेखा समिति के सदस्य के रूप में कार्य करने के लिए निर्वाचित करे।''

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

(तीन) श्री रूपचंद पाल ने निम्नलिखित प्रस्ताव पेश किया:—

''कि यह सभा राज्य सभा से सिफारिश करती है कि राज्य सभा श्री अमर सिंह, जिनका राज्य सभा का कार्यकाल पूरा हो चुका है, के स्थान पर सभा से एक सदस्य को समिति की शेष अवधि के लिए सरकारी उपक्रमों संबंधी समिति के साथ सहयोजित होने के लिए सभा से एक सदस्य नामनिर्दिष्ट करने के लिए सहमत हो तथा राज्य सभा द्वारा इस प्रकार नामनिर्दिष्ट सदस्य का नाम इस सभा को सूचित करे।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

(चार) श्री रूपचन्द मुर्मू ने निम्नलिखित प्रस्ताव पेश किया:—

''कि इस सभा के सदस्य लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमों के नियम 331 ख के उप नियम (1) द्वारा अपेक्षित रीति से नियम 254 के उप नियम (3) के अधीन श्री कैलाश बैठा, जिन्होंने लोक सभा में अपने स्थान से त्याग पत्र दे दिया है, के स्थान पर अपने सदस्यों में से एक सदस्य को समिति की शेष अवधि के लिए अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के कल्याण संबंधी समिति के सदस्य के रूप में कार्य करने के लिए निर्वाचित करे।''

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

(पांच) श्री रूपचन्द मुर्मू ने निम्नलिखित प्रस्ताव पेश किया:—

''कि यह सभा राज्य सभा से सिफारिश करती है कि राज्य सभा श्री वीर सिंह जिनका राज्य सभा का कार्यकाल पूरा हो चुका है, के स्थान पर सभा से एक सदस्य को समिति

की शेष अवधि के लिए सभा की अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के कल्याण संबंधी समिति के साथ सहयोजित होने के लिए राज्य सभा से एक सदस्य नामनिर्दिष्ट करने के लिए सहमत हो तथा राज्य सभा द्वारा इस प्रकार नामनिर्दिष्ट सदस्य का नाम इस सभा को सूचित करे।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

*अपराह्न 12.29 बजे

15. **सदस्यों द्वारा निवेदन**

(एक) 17 नवम्बर, 2008 को सोमालिया के जलदस्युओं द्वारा अपहृत ईरानी जहाज के एक भारतीय कर्मचारी की रिहाई सुनिश्चित किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

श्री शैलेन्द्र कुमार ने 17 नवम्बर, 2008 को सोमालिया के जलदस्युओं द्वारा अपहृत ईरानी जहाज के एक भारतीय कर्मचारी की रिहाई सुनिश्चित किए जाने की आवश्यकता के बारे में निवेदन किया। उपाध्यक्ष भी सहयोजित हुए।

श्रीमती सूर्यकांता पाटील ने उत्तर दिया।

अपराह्न 12.36 बजे

(दो) कच्चे तेल के मूल्य में हुई गिरावट के अनुरूप पेट्रोलियम उत्पादों के मूल्य में कटौती नहीं किए जाने तथा परिवाहकों द्वारा 20 दिसम्बर, 2008 से हड़ताल करने संबंधी निर्णय के बारे में।

श्री रामजीलाल सुमन ने कच्चे तेल के मूल्य में हुई गिरावट के अनुरूप पेट्रोलियम उत्पादों के मूल्य में कटौती नहीं किए जाने तथा परिवाहकों द्वारा 20 दिसम्बर, 2008 से हड़ताल करने संबंधी निर्णय के बारे में निवेदन किया।

सर्वश्री देवेन्द्र प्रसाद यादव, राशिद जे॰एम॰ आरून, सुरेन्द्र प्रकाश गोयल, बिक्रम केशरी देव, डा॰ प्रसन्न कुमार पाटसाणी, बच्ची सिंह 'बचदा' रावत, प्रो॰ रासा सिंह रावत, गिरधारी लाल भार्गव, भंवर सिंह डांगावास, मुंशी राम और सुनील खां सहयोजित हुए।

श्रीमती सूर्यकांता पाटील ने उत्तर दिया।

* अपराह्न 12.20 बजे से अपराह्न 12.58 बजे तक सदस्यों ने अविलम्बनीय लोक महत्व के मामले उठाए।

अपराह्न 12.41 बजे

(तीन) पश्चिम बंगाल में जूट कर्मकारों के हड़ताल के बारे में।

निम्नलिखित सदस्यों ने पश्चिम बंगाल में जूट कर्मकारों के हड़ताल के बारे में निवेदन किया—

1. श्री हन्नान मोल्लाह
2. श्री गुरुदास दासगुप्त
3. श्री रूपचन्द पाल

श्री सांताश्री चटर्जी सहयोजित हुए।

श्री वायालार रवि ने उत्तर दिया।

अपराह्न 12.59 बजे

16. **सरकारी विधेयक—पारित**

विज्ञान और इंजीनियरी अनुसंधान बोर्ड विधेयक, 2008

लिया गया समय: 1 घंटा 44 मिनट

श्री कपिल सिब्बल ने विधेयक पर विचार किए जाने का प्रस्ताव पेश किया।

निम्नलिखित सदस्यों ने वाद-विवाद में भाग लिया:—

1. श्री बच्ची सिंह रावत 'बचदा'
2. श्री एस॰ के॰ खारवेनथन
3. श्री रूपचंद पाल
4. श्री आलोक कुमार मेहता
5. श्री बृज किशोर त्रिपाठी
6. श्री प्रबोध पाण्डा
7. श्री शैलेन्द्र कुमार
8. श्री बिक्रम केशरी देव
9. श्री बसुदेव बर्मन
10. डा॰ प्रसन्न पाटसाणी
11. श्री सुरेश प्रभाकर प्रभु

श्री कपिल सिब्बल ने वाद-विवाद का उत्तर दिया।

विधेयक पर विचार किए जाने का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ और विधेयक पर खण्ड-वार विचार आरंभ हुआ।

खण्ड 2 से 22 स्वीकृत हुए।

खण्ड 1, अधिनियमन सूत्र और विधेयक का पूरा नाम भी स्वीकृत हुए।

श्री कपिल सिब्बल ने प्रस्ताव किया कि विधेयक पारित किया जाए।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ और विधेयक पारित हुआ।

अपराह्न 2.43 बजे

17. **सरकारी विधेयक—पारित**

समिति दायित्व भागीदारी विधेयक, 2008, राज्य सभा द्वारा यथा पारित

लिया गया समय: 34 मिनट

श्री प्रेमचन्द गुप्ता ने विधेयक पर विचार किए जाने का प्रस्ताव पेश किया।

निम्नलिखित सदस्यों ने वाद-विवाद में भाग लिया:—

1. श्री रूपचंद पाल
2. श्री सुरेश प्रभाकर प्रभु
3. श्री आलोक कुमार मेहता
4. श्री शैलेन्द्र कुमार
5. श्री बृज किशोर त्रिपाठी
6. श्रीमती तेजस्विनी गौड़ा

श्री प्रेमचन्द गुप्ता ने वाद-विवाद का उत्तर दिया।

विधेयक पर विचार किए जाने का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ और विधेयक पर खण्ड-वार विचार आरंभ हुआ किया गया।

खण्ड 2 से 81 स्वीकृत हुए।

पहली अनुसूची स्वीकृत हुई।

दूसरी अनुसूची स्वीकृत हुई।

तीसरी अनुसूची स्वीकृत हुई।

चौथी अनुसूची स्वीकृत हुई।

खण्ड 1, अधिनियमन सूत्र और विधेयक का पूरा नाम भी स्वीकृत हुए।

श्री प्रेमचन्द गुप्ता ने प्रस्ताव किया कि विधेयक पारित किया जाए।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ और विधेयक पारित हुआ।

अपराह्न 3.17 बजे

18. **प्रस्ताव**

श्रीमती अर्चना नायक ने निम्नलिखित प्रस्ताव पेश किया:—

> ''कि यह सभा गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयक संबंधी समिति के 37वें प्रतिवेदन तथा 23 अक्तूबर, 2008 को सभा में प्रस्तुत संकल्पों से सहमत हो।''

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

अपराह्न 3.18 बजे

19. **गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयक—पुर:स्थापित**

(1) श्री हंसराज गं॰ अहीर का राष्ट्रीय ग्रामीण नियोजन गारंटी (संशोधन) विधेयक, 2008 (धारा 2, आदि का संशोधन)।

(2) श्री सी॰ के॰ चन्द्रप्पन का संविधान (संशोधन) विधेयक, 2008 (नए अनुच्छेद 45क का अंत:स्थापन)।

(3) डा॰ आर॰ सेनथिल का प्रवेश परीक्षा (उत्सादन) विधेयक, 2008।

(4) डा॰ आर॰ सेनथिल का समान पाठयक्रम (उच्च विद्यालय और उच्चतर माध्यमिक विद्यालय स्तर) विधेयक, 2008।

(5) श्री बालासाहिब विखे पाटील का राज्य एवं संघ राज्य-क्षेत्र पुनर्गठन आयोग विधेयक, 2008।

(6) श्री काशीराम राणा का संविधान (संशोधन) विधेयक, 2008 (नये अनुच्छेद 279क का अंत:स्थापन)।

(7) श्री काशीराम राणा का भारतीय दंड संहिता (संशोधन) विधेयक, 2008 (धारा 304क, आदि का संशोधन)।

(8) श्री काशीराम राणा का संविधान (संशोधन) विधेयक, 2008 (सातवीं अनुसूची का संशोधन)।

(9) श्री सी॰ के॰ चन्द्रप्पन का विद्युत (निरसन) विधेयक, 2008।

(10) श्री सी॰ के॰ चन्द्रप्पन का उपशामक देखरेख (शिक्षा और प्रशिक्षण) विधेयक, 2008।

(11) श्री हंसराज गं॰ अहीर का संविधान (संशोधन) विधेयक, 2008 (अनुच्छेद 130 का संशोधन)।

(12) श्री हंसराज गं॰ अहीर का अनुसूचित जनजाति और अन्य परंपरागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) संशोधन विधेयक, 2008 (धारा 2 का संशोधन)।

(13) श्री सी॰ के॰ चन्द्रप्पन का आत्महत्या को अदण्डनीय अपराध के रूप में मानना विधेयक, 2008।

अपराह्न 3.27 बजे

20. **गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयक—विचाराधीन**

श्री सी॰ के॰ चन्द्रप्पन का निर्वाचन सुधार आयोग विधेयक, 2006

श्री सी॰ के॰ चन्द्रप्पन द्वारा 30 नवम्बर, 2007 को विधेयक पर विचार किए जाने के प्रस्ताव पर आगे चर्चा जारी रही।

निम्नलिखित सदस्यों ने वाद-विवाद में भाग लिया:—

1. श्री कीरेन रिजीजू
2. श्री शैलेन्द्र कुमार
3. श्री आलोक कुमार मेहता
4. श्री सुरवरम सुधाकर रेड्डी
5. डा॰ आर॰ सेनथिल
6. श्रीमती तेजस्विनी गौडा
7. एडवोकेट सुरेश कुरूप
8. श्री सिप्पीपाराई रविचन्द्रन
9. श्री तथागत सतपथी

10. डा॰ सेबेस्टियन पाल

11. श्री दह्याभाई वल्लभभाई पटेल

12. श्री पन्नियन रविन्द्रन

चर्चा पूरी नहीं हुई।

सायं 5.27 बजे

21. **आधे घंटे की चर्चा**

श्री हंसराज गं॰ अहीर ने 17 अक्तूबर, 2008 को तारांकित प्रश्न संख्या 07 के उत्तर में महिला और बाल विकास मंत्री द्वारा कुपोषण के बारे में दिए गए उत्तर से उत्पन्न बिन्दुओं पर एक चर्चा उठाई।

श्रीमती रेनुका चौधरी ने चर्चा का उत्तर दिया।

*सायं 6.35 बजे

(लोक सभा सोमवार, 15 दिसम्बर, 2008 के पूर्वाह्न 11 बजे तक के लिए स्थगित हुई)

पी॰ डी॰ टी॰ आचारी,
महासचिव।

---

*सायं 6.08 बजे से सायं 6.35 बजे तक सदस्यों ने अविलम्बनीय लोक महत्व के मामले उठाए।

GMGIPMRND—4326LS(S-5)—12-12-2008.

लोक सभा

समाचार—भाग 1

(कार्यवाही का संक्षिप्त वृत्तांत)

सोमवार, 15 दिसम्बर, 2008/24 अग्रहायण, 1930 (शक)

संख्या 316

पूर्वाह्न 11.03 बजे

1. तारांकित प्रश्न

तारांकित प्रश्न संख्या 223, 224, 225, 228, 229, 230 और 231 के मौखिक उत्तर दिए गए। तारांकित प्रश्न संख्या 221, 222, 226, 227 और 232—240 के उत्तर सभा पटल पर रखे गए।

2. अतारांकित प्रश्न

अतारांकित प्रश्न संख्या 2223—2452 के उत्तर सभा पटल पर रखे गए।

मध्याह्न 12 बजे

3. सभा पटल पर रखे गए पत्र

निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखे गए:—

(1) राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम अधिनियम, 1962 की धारा 22 की उपधारा (3) के अंतर्गत राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम (संशोधन) नियम, 2008, जो 16 जून, 2008 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा॰का॰नि॰ 462(अ) में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(2) (एक) ऑल इंडिया हैंडलूम फैब्रिक्स मार्केटिंग कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 2007-2008 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) ऑल इंडिया हैंडलूम फैब्रिक्स मार्केटिंग कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 2007-2008 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(3) (एक) नेशनल हैंडलूम डेवलपमेंट कारपोरेशन लिमिटेड, लखनऊ के वर्ष 2007-2008 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) नेशनल हैंडलूम डेवलपमेंट कारपोरेशन लिमिटेड, लखनऊ के वर्ष 2007-2008 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(4) (एक) नेहरू इंस्टिट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग, उत्तरकाशी के वर्ष 2005-2006 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) नेहरू इंस्टिट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग, उत्तरकाशी के वर्ष 2005-2006 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(5) उपर्युक्त (4) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(6) (एक) नेहरू इंस्टिट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग, उत्तरकाशी के वर्ष 2006-2007 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) नेहरू इंस्टिट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग, उत्तरकाशी के वर्ष 2006-2007 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(7) उपर्युक्त (6) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(8) (एक) हिमालयन माउंटेनियरिंग इंस्टिट्यूट, दार्जिलिंग के वर्ष 2006-2007 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) हिमालयन माउंटेनियरिंग इंस्टिट्यूट, दार्जिलिंग के वर्ष 2006-2007 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(9) उपर्युक्त (8) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(10) (एक) जवाहर इंस्टिट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग एण्ड विंटर स्पोर्ट्स, पहलगाम के वर्ष 2006-2007 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) जवाहर इंस्टिट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग एण्ड विंटर स्पोर्ट्स, पहलगाम के वर्ष 2006-2007 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(11) उपर्युक्त (10) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(12) सशस्त्र बल अधिकरण अधिनियम, 2007 की धारा 43 के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):—

(एक) सशस्त्र बल अधिकरण (सभापति, उप-सभापति और अन्य सदस्यों के कदाचार अथवा असमर्थता के अन्वेषण की प्रक्रिया) नियम, 2008, जो 20 जुलाई, 2008 के भारत के साप्ताहिक राजपत्र में अधिसूचना संख्या का॰नि॰आ॰ 64 में प्रकाशित हुए थे।

(दो) सशस्त्र बल अधिकरण (उप-सभापति तथा अन्य सदस्यों की नियुक्ति की प्रक्रिया) नियम, 2008, जो 20 जुलाई, 2008 के भारत के साप्ताहिक राजपत्र में अधिसूचना संख्या का॰नि॰आ॰ 65 में प्रकाशित हुए थे।

(तीन) सशस्त्र बल अधिकरण (वित्तीय और प्रशासनिक शक्तियां) नियम, 2008, जो 12 सितम्बर, 2008 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या का॰नि॰आ॰ 25(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(चार) सशस्त्र बल अधिकरण (प्रक्रिया) नियम, 2008, जो 17 सितम्बर, 2008 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या का॰नि॰आ॰ 26(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(13) सशस्त्र बल अधिकरण अधिनियम, 2007 की धारा 41 की उपधारा (2) के अंतर्गत सशस्त्र बल अधिकरण (कठिनाइयों का निराकरण) आदेश 2008, जो 21 जुलाई, 2008 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या का॰नि॰आ॰ 18(अ) में प्रकाशित हुआ था, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(14) राष्ट्रीय कैडेट कोर अधिनियम, 1948 की धारा 13 की उपधारा (3) के अंतर्गत राष्ट्रीय कैडेट कोर (संशोधन) नियम, 2008, जो 1 जून, 2008 के भारत के साप्ताहिक राजपत्र में अधिसूचना संख्या का॰नि॰आ॰ 49 में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(15) हिन्दुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड तथा रक्षा उत्पादन विभाग, रक्षा मंत्रालय के बीच वर्ष 2008-2009 के लिए हुए समझौता ज्ञापन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(16) कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 619क की उपधारा (1) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):—

(क) (एक) मिश्र धातु निगम लिमिटेड, हैदराबाद के वर्ष 2007-2008 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) मिश्र धातु निगम लिमिटेड, हैदराबाद का वर्ष 2007-2008 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

(ख) (एक) गार्डेन रीच शिपबिल्डर्स एण्ड इंजीनियर्स लिमिटेड, कोलकाता के वर्ष 2007-2008 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) गार्डेन रीच शिपबिल्डर्स एण्ड इंजीनियर्स लिमिटेड, कोलकाता का वर्ष 2007-2008 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

(ग) (एक) गोवा शिपयार्ड लिमिटेड, वास्को डि गामा के वर्ष 2007-2008 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) गोवा शिपयार्ड लिमिटेड, वास्को डि गामा का वर्ष 2007-2008 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

(घ) (एक) मझगांव डॉक लिमिटेड, मुंबई के वर्ष 2007-2008 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) मझगांव डॉक लिमिटेड, मुंबई का वर्ष 2007-2008 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

(ङ) (एक) हिन्दुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड, बंगलौर के वर्ष 2007-2008 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) हिन्दुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड, बंगलौर का वर्ष 2007-2008 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

(च) (एक) भारत डायनामिक्स लिमिटेड, हैदराबाद के वर्ष 2007-2008 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) भारत डायनामिक्स लिमिटेड, हैदराबाद का वर्ष 2007-2008 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

(छ) (एक) भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, बंगलौर के वर्ष 2007-2008 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, बंगलौर का वर्ष 2007-2008 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

(17) (एक) छावनी बोर्डों के वर्ष 2007-2008 के वार्षिक प्रशासनिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखे।

(18) (एक) एयरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी, बंगलौर के वर्ष 2007-2008 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) एयरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी, बंगलौर के वर्ष 2007-2008 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(19) कर्मचारी भविष्य निधि संगठन, नई दिल्ली के वर्ष 2006-2007 के समेकित वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखा-परीक्षा प्रतिवेदन।

(20) उपर्युक्त (19) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(21) कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1952 की धारा 6घ के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):—

(एक) कर्मचारी पेंशन (संशोधन) योजना, 2008 जो 10 जून, 2008 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा॰का॰नि॰ 438(अ) में प्रकाशित हुई थी।

(दो) कर्मचारी भविष्य निधि (दूसरा संशोधन) योजना, 2008 जो 26 सितम्बर, 2008 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा॰का॰नि॰ 689(अ) में प्रकाशित हुई थी।

(तीन) कर्मचारी पेंशन (दूसरा संशोधन) योजना, 2008 जो 26 सितम्बर, 2008 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा॰का॰नि॰ 688(अ) में प्रकाशित हुई थी।

(चार) कर्मचारियों निक्षेप सहबद्ध बीमा (संशोधन) योजना, 2008 जो 26 सितम्बर, 2008 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा॰का॰नि॰ 690(अ) में प्रकाशित हुई थी।

(पांच) कर्मचारी भविष्य निधि (तीसरा संशोधन) योजना, 2008 जो 1 अक्तूबर, 2008 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा॰का॰नि॰ 706(अ) में प्रकाशित हुई थी।

(छह) कर्मचारी पेंशन (तीसरा संशोधन) योजना, 2008 जो 1अक्तूबर, 2008 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा॰का॰नि॰ 705(अ) में प्रकाशित हुई थी।

(सात) कर्मचारी पेंशन (संशोधन) योजना, 2008 जो 31 मार्च, 2008 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा॰का॰नि॰ 252(अ) में प्रकाशित हुई थी।

(आठ) कर्मचारी भविष्य निधि (संशोधन) योजना, 2008 जो 31 मार्च, 2008 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा॰का॰नि॰ 253(अ) में प्रकाशित हुई थी तथा उसका एक शुद्धिपत्र जो 30 अप्रैल, 2008 की अधिसूचना संख्या सा॰का॰नि॰ 317(अ) में प्रकाशित हुआ था (केवल अंग्रेजी संस्करण)।

(नौ) कर्मचारी भविष्य निधि (संशोधन) योजना, 2004 जो 17 जनवरी, 2006 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या का॰आ॰ 45(अ) में प्रकाशित हुई थी तथा उसका एक संशोधन जो 31 मई, 2008 की अधिसूचना संख्या का॰आ॰ 1230 में प्रकाशित हुआ था।

(22) उपर्युक्त (21) की मद संख्या (नौ) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(23) मात्स्यिकी क्षेत्र के कार्यों से संबंधित अभिसमय संख्या 188 और सिफारिश संख्या 199, जो अंतर्राष्ट्रीय श्रम सम्मेलन द्वारा जून, 2007 में जेनेवा में हुए अपने 96वें सत्र में स्वीकृत किया गया था, के बारे में विवरण की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(24) खान अधिनियम, 1952 की धारा 61क के अंतर्गत धातुप्रद खान (संशोधन) विनियम, 2008, जो 30 सितम्बर, 2008 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा॰का॰नि॰ 701(अ) में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(25) मानव संसाधन विकास से संबंधित अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के अभिसमय संख्या 142 और सिफारिश संख्या 150 (वर्ष 2004 में सिफारिश संख्या 195 द्वारा संशोधित) जो जेनेवा में 1975 में हुए अंतर्राष्ट्रीय श्रम सम्मेलन के 60वें सत्र में स्वीकृत किया गया था, के बारे में की–गई–कार्यवाही अथवा प्रस्तावित की–जाने–वाली–कार्यवाही संबंधी विवरण की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(26) कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1948 की धारा 95 की उप–धारा (4) के अंतर्गत अन्य लाभार्थियों तथा उनके परिवारों के सदस्यों के लिए चिकित्सा सुविधाएं योजना, 2008, जो 28 जुलाई, 2008 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा॰का॰नि॰ 558(अ) में प्रकाशित हुई थी, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(27) (एक) नेशनल फेडरेशन ऑफ अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स एण्ड क्रेडिट सोसाइटीज लिमिटेड, नई दिल्ली, के वर्ष 2007–2008 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) नेशनल फेडरेशन ऑफ अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स एण्ड क्रेडिट सोसाइटीज लिमिटेड, नई दिल्ली, के वर्ष 2007-2008 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(तीन) नेशनल फेडरेशन ऑफ अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स एण्ड क्रेडिट सोसाइटीज लिमिटेड, नई दिल्ली, के वर्ष 2007-2008 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(28) (एक) राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम, नई दिल्ली के वर्ष 2006-2007 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम, नई दिल्ली के वर्ष 2006-2007 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(तीन) राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम (कर्मचारी भविष्य निधि), नई दिल्ली के वर्ष 2006-2007 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(चार) राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम, नई दिल्ली के वर्ष 2006-2007 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(29) उपर्युक्त (28) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(30) कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619क के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):—

(क) (एक) असम एग्रो इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट कारपोरेशन लिमिटेड, गुवाहाटी के वर्ष 2003-2004 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) असम एग्रो इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट कारपोरेशन लिमिटेड, गुवाहाटी के वर्ष 2003-2004 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

(ख) (एक) कर्नाटक काजू विकास निगम लिमिटेड, मंगलौर के वर्ष 2007-2008 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) कर्नाटक काजू विकास निगम लिमिटेड, मंगलौर के वर्ष 2007-2008 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

(31) उपर्युक्त (30) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(32) स्टेट फार्म्स कारपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड तथा कृषि और सहकारिता विभाग, कृषि मंत्रालय के बीच वर्ष 2008-2009 के लिए हुए समझौता ज्ञापन की एक प्रति।

(33) आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 की धारा 3 की उपधारा (6) के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):—

(एक) चावल (कंपनियों अथवा फर्मों अथवा व्यक्तियों द्वारा स्टॉक की घोषणा) आदेश, 2008, जो 29 सितम्बर, 2008 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या का॰आ॰ 2302(अ) में प्रकाशित हुआ था।

(दो) का॰आ॰ 2417(अ) जो 6 अक्तूबर, 2008 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा उसमें उल्लिखित कस्टमाइज्ड उर्वरक के विनिर्देश को अधिसूचना में उल्लिखित विनिर्माताओं द्वारा विनिर्मित किए जाने के लिए अधिसूचित किया गया है।

(तीन) चीनी (वर्ष 2007-2008 में उत्पादन के लिए मूल्य निर्धारण) आदेश, 2008, जो 1 अक्तूबर, 2008 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा॰का॰नि॰ 707(अ)/आवश्यक वस्तु/चीनी में प्रकाशित हुआ था।

(34) जम्मू और कश्मीर एग्रो इंडस्ट्रीज कारपोरेशन लिमिटेड के वर्ष 1991-1992 से 2007-2008 तक के वार्षिक प्रतिवेदनों तथा लेखापरीक्षित लेखाओं को संबंधित लेखा वर्षों की समाप्ति के पश्चात् नौ माह की नियत अवधि के भीतर सभा पटल पर न रखे जाने के कारणों को दर्शाने वाला विवरण की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(35) बिहार एग्रो इंडस्ट्रीज कारपोरेशन लिमिटेड के वर्ष 1986-87 से 2007-08 तक के वार्षिक प्रतिवेदनों तथा लेखापरीक्षित लेखाओं को संबंधित लेखा वर्ष की समाप्ति के पश्चात् नौ माह की नियत अवधि के भीतर सभा पटल पर न रखे जाने के कारणों को दर्शाने वाला विवरण की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(36) उड़ीसा एग्रो इंडस्ट्रीज कारपोरेशन लिमिटेड के वर्ष 2003–04 से 2007–08 तक के वार्षिक प्रतिवेदनों तथा लेखापरीक्षित लेखाओं को संबंधित लेखा वर्ष की समाप्ति के पश्चात् नौ माह की नियत अवधि के भीतर सभा पटल पर न रखे जाने के कारणों को दर्शाने वाला विवरण की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(37) केरल एग्रो इंडस्ट्रीज कारपोरेशन लिमिटेड के वर्ष 2003–04 से 2007–08 तक के वार्षिक प्रतिवेदनों तथा लेखापरीक्षित लेखाओं को संबंधित लेखा वर्ष की समाप्ति के पश्चात् नौ माह की नियत अवधि के भीतर सभा पटल पर न रखे जाने के कारणों को दर्शाने वाला विवरण की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(38) असम एग्रो इंडस्ट्रीज कारपोरेशन लिमिटेड के वर्ष 2003–04 से 2005–06 तक के वार्षिक प्रतिवेदनों तथा लेखापरीक्षित लेखाओं को संबंधित लेखा वर्ष की समाप्ति के पश्चात् नौ माह की नियत अवधि के भीतर सभा पटल पर न रखे जाने के कारणों को दर्शाने वाला विवरण की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(39) मध्य प्रदेश एग्रो इंडस्ट्रीज कारपोरेशन लिमिटेड के वर्ष 2006–07 और 2007–08 के वार्षिक प्रतिवेदनों तथा लेखापरीक्षित लेखाओं को संबंधित लेखा वर्ष की समाप्ति के पश्चात् नौ माह की नियत अवधि के भीतर सभा पटल पर न रखे जाने के कारणों को दर्शाने वाला विवरण की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(40) कृषि उपज (श्रेणीकरण और चिह्नांकन) अधिनियम, 1937 की धारा 3 की उप-धारा (3) के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):—

(एक) आंवला श्रेणीकरण और चिह्नांकन नियम, 2008 जो 8 सितम्बर, 2008 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा॰का॰नि॰ 644(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(दो) इमली (बीजयुक्त) श्रेणीकरण और चिह्नांकन नियम, 2008 जो 1 सितम्बर, 2008 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा॰का॰नि॰ 628(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(41) (एक) ऑल इंडिया फेडरेशन ऑफ को-ऑपरेटिव स्पिनिंग मिल्स लिमिटेड, मुंबई के वर्ष 2007-2008 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) ऑल इंडिया फेडरेशन ऑफ को-ऑपरेटिव स्पिनिंग मिल्स लिमिटेड, मुंबई के वर्ष 2007-2008 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(42) (एक) नेशनल एग्रीकल्चरल को-ऑपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 2007-2008 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) नेशनल एग्रीकल्चरल को-ऑपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 2007-2008 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(43) (एक) नेशनल इंस्टिट्यूट ऑफ एग्रीकल्चरल एक्सटेन्शन मैनेजमेंट, हैदराबाद के वर्ष 2007-2008 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) नेशनल इंस्टिट्यूट ऑफ एग्रीकल्चरल एक्सटेन्शन मैनेजमेंट, हैदराबाद के वर्ष 2007-2008 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(तीन) नेशनल इंस्टिट्यूट ऑफ एग्रीकल्चरल एक्सटेन्शन मैनेजमेंट, हैदराबाद के वर्ष 2007-2008 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(44) (एक) नेशनल को-ऑपरेटिव यूनियन ऑफ इंडिया, नई दिल्ली के वर्ष 2007-2008 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) नेशनल को-ऑपरेटिव यूनियन ऑफ इंडिया, नई दिल्ली के वर्ष 2007-2008 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(तीन) नेशनल को-ऑपरेटिव यूनियन ऑफ इंडिया, नई दिल्ली के वर्ष 2007-2008 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(45) (एक) इंडियन सोसायटी ऑफ एग्रीकल्चरल इकॉनामिक्स, मुंबई के वर्ष 2007-2008 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) इंडियन सोसायटी ऑफ एग्रीकल्चरल इकॉनामिक्स, मुंबई के वर्ष 2007-2008 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(46) (एक) इंडियन सोसायटी ऑफ एग्रीकल्चरल स्टैटिस्टिक्स, नई दिल्ली के वर्ष 2007-2008 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) इंडियन सोसायटी ऑफ एग्रीकल्चरल स्टैटिस्टिक्स, नई दिल्ली के वर्ष 2007-2008 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(47) (एक) नेशनल लेबर को-आपरेटिव्स फेडरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 2007-2008 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखपरीक्षित लेखे।

(दो) नेशनल लेबर को-आपरेटिव्स फेडरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 2007-2008 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(48) (एक) नेशनल को-ऑपरेटिव एग्रीकल्चर एण्ड रूरल डेवलपमेंट बैंक्स फेडरेशन लिमिटेड, नवी मुंबई के वर्ष 2007-2008 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) नेशनल को-ऑपरेटिव एग्रीकल्चर एण्ड रूरल डेवलपमेंट बैंक्स फेडरेशन लिमिटेड, नवी मुंबई के वर्ष 2007-2008 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(तीन) नेशनल को-ऑपरेटिव एग्रीकल्चर एण्ड रूरल डेवलपमेंट बैंक्स फेडरेशन लिमिटेड, नवी मुंबई के वर्ष 2007-2008 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(49) (एक) नेशनल फेडरेशन ऑफ स्टेट को-ऑपरेटिव बैंक्स लिमिटेड, नवी मुंबई के वर्ष 2007-2008 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) नेशनल फेडरेशन ऑफ स्टेट को-ऑपरेटिव बैंक्स लिमिटेड, नवी मुंबई के वर्ष 2007-2008 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण), तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(तीन) नेशनल फेडरेशन ऑफ स्टेट को-ऑपरेटिव बैंक्स लिमिटेड, नवी मुंबई के वर्ष 2007-2008 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(50) कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 619क के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):—

(क) (एक) लक्षद्वीप डेवलपमेंट कारपोरेशन लिमिटेड, कवरत्ती के वर्ष 2006-2007 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) लक्षद्वीप डेवलपमेंट कारपोरेशन लिमिटेड, कवरत्ती का वर्ष 2006-2007 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

(ख) (एक) गोवा मीट काम्प्लेक्स लिमिटेड, पंजिम के वर्ष 2005-2006 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) गोवा मीट काम्पलेक्स लिमिटेड, पंजिम का वर्ष 2005-2006 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

(51) उपर्युक्त (50) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाले दो विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(52) आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 की धारा 3 की उपधारा (6) के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)—

(एक) विनिर्दिष्ट खाद्य पदार्थ पर (लाइसेंसिंग आवश्यकता, स्टॉक सीमा और संचलन निर्बंधन) का निराकरण (दूसरा संशोधन) आदेश, 2008 जो 7 अप्रैल, 2008 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या का॰आ॰ 823(अ) में प्रकाशित हुआ था तथा उसका एक शुद्धिपत्र जो 17 अप्रैल, 2008 की अधिसूचना संख्या 895(अ) (केवल हिन्दी संस्करण) में प्रकाशित हुआ था।

(दो) विनिर्दिष्ट खाद्य पदार्थ पर (लाइसेंसिंग आवश्यकता, स्टॉक सीमा और संचलन, निर्बंधन) का निराकरण (तीसरा संशोधन) आदेश, 2008 जो 27 अगस्त, 2008 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या का॰आ॰ 2117(अ) में प्रकाशित हुआ था।

(तीन) विनिर्दिष्ट खाद्य पदार्थ पर (लाइसेंसिंग आवश्यकता, स्टॉक सीमा और संचलन, निर्बंधन) का निराकरण (चौथा संशोधन) आदेश, 2008 जो 27 अगस्त, 2008 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या का॰आ॰ 2118(अ) में प्रकाशित हुआ था।

(53) भारतीय मानक ब्यूरो अधिनियम, 1986 की धारा 39 के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):—

(एक) भारतीय मानक ब्यूरो (प्रशासन, वित्त और अन्य पदों पर भर्ती) संशोधन विनियम, 2008 जो 8 अप्रैल, 2008 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा॰का॰नि॰ 270(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(दो) भारतीय मानक ब्यूरो (प्रयोगशाला तकनीकी पदों पर भर्ती) संशोधन विनियम, 2008 जो 25 सितम्बर, 2008 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा॰का॰नि॰ 681(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(तीन) भारतीय मानक ब्यूरो (कर्मचारियों की सेवा के निबंधन और शर्तें) संशोधन विनियम, 2008 जो 25 सितम्बर, 2008 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा॰का॰नि॰ 682(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(54) भारतीय पशु-चिकित्सा परिषद् अधिनियम, 1984 की धारा 66 की उपधारा (6) के अंतर्गत भारतीय पशु चिकित्सा परिषद-पशु चिकित्सा शिक्षा के न्यूनतम मानक-डिग्री कोर्स (बी॰वी॰ एससी॰ और ए॰एच॰) विनियम, 2008 जो 11 अगस्त, 2008 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या एफ॰ संख्या 12-5/2002-वीसीआई में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(55) (एक) नेशनल डेयरी डेवलमेंट बोर्ड, आणंद के वर्ष 2007-2008 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) नेशनल डेयरी डेवलमेंट बोर्ड, आणंद के वर्ष 2007-2008 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(56) (एक) नेशनल फेडरेशन ऑफ फिशरमेन्स को-ऑपरेटिव्स लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 2007-2008 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) नेशनल फेडरेशन ऑफ फिशरमेन्स को-ऑपरेटिव्स लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 2007-2008 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(57) (एक) कोस्टल एक्वाकल्चर अथॉरिटी, चेन्नई के वर्ष 2005-2006 तथा 2006-2007 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) कोस्टल एक्वाकल्चर अथॉरिटी, चेन्नई के वर्ष 2005-2006 और 2006-2007 तथा वर्ष 2007-2008 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(58) उपर्युक्त (57) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाले दो विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(59) (एक) एप्पारेल एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल, नई दिल्ली के वर्ष 2007-2008 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) एप्पारेल एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल, नई दिल्ली के वर्ष 2007-2008 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(60) (एक) हैण्डलूम एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल, चेन्नई के वर्ष 2007-2008 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) हैण्डलूम एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल, चेन्नई के वर्ष 2007-2008 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(61) (एक) सिंथेटिक एण्ड रेयॉन टेक्सटाइल्स एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल, मुंबई के वर्ष 2007-2008 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) सिंथेटिक एण्ड रेयॉन टेक्सटाइल्स एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल, मुंबई के वर्ष 2007-2008 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(62) निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)—

(एक) हैंडीक्राफ्ट्स एण्ड हैण्डलूम्स एक्सपोर्ट्स कारपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड और वस्त्र मंत्रालय के बीच वर्ष 2008-2009 के लिए हुआ समझौता ज्ञापन।

(दो) सेंट्रल कॉटेज इंडस्ट्रीज कारपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड और वस्त्र मंत्रालय के बीच वर्ष 2008-2009 के लिए हुआ समझौता ज्ञापन।

(तीन) नेशनल टेक्सटाइल कारपोरेशन और वस्त्र मंत्रालय के बीच वर्ष 2008-2009 के लिए हुआ समझौता ज्ञापन।

(चार) ब्रिटिश इंडिया कारपोरेशन लिमिटेड और वस्त्र मंत्रालय के बीच वर्ष 2008-2009 के लिए हुआ समझौता ज्ञापन।

(63) उपर्युक्त (62) की मद संख्या (तीन) और (चार) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाले दो विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(64) कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 619क की उपधारा (1) के अन्तर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)—

(क) (एक) नेशनल जूट मैन्यूफैक्चर्स कारपोरेशन लिमिटेड, कोलकाता के वर्ष 2006-2007 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) नेशनल जूट मैन्यूफैक्चर्स कारपोरेशन लिमिटेड, कोलकाता का वर्ष 2006-2007 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

(ख) (एक) बर्ड्स जूट एण्ड एक्सपोर्ट्स लिमिटेड, कोलकाता के वर्ष 2006-2007 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) बर्ड्स जूट एण्ड एक्सपोर्ट्स लिमिटेड, कोलकाता का वर्ष 2006-2007 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

(ग) (एक) ब्रिटिश इंडिया कारपोरेशन लिमिटेड, कानपुर के वर्ष 2006-2007 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) ब्रिटिश इंडिया कारपोरेशन लिमिटेड, कानपुर का वर्ष 2006-2007 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

(घ) (एक) कॉटन कारपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, मुंबई का वर्ष 2007-2008 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) कॉटन कारपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, मुंबई का वर्ष 2007-2008 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखपरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

(65) उपर्युक्त (64) की मद संख्या (क) से (ग) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाले तीन विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(66) जूट पैकेज सामग्री (वस्तु पैकिंग अनिवार्य प्रयोग) अधिनियम, 1987 की धारा 3 की उपधारा (1) के अंतर्गत जारी अधिसूचना संख्या का॰ आ॰ 2143(अ) जो 1 सितम्बर, 2008 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जिसके द्वारा यह निदेश दिया गया है कि उसमें उल्लिखित वस्तुओं को अधिसूचना में यथाविनिर्दिष्ट ऐसे न्यूनतम प्रतिशत में वितरण की आपूर्ति के लिए जूट पैकेज सामग्री में पैक किया जाएगा कि एक प्रति।

(67) (एक) सेंट्रल सिल्क बोर्ड, बंगलौर के वर्ष 2007-2008 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) सेंट्रल सिल्क बोर्ड, बंगलौर के वर्ष 2007-2008 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(तीन) सेंट्रल सिल्क बोर्ड, बंगलौर के वर्ष 2007-2008 की कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(68) (एक) इंडियन सिल्क एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल, मुबंई के वर्ष 2007-2008 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) इंडियन सिल्क एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल, मुबंई के वर्ष 2007-2008 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(69) (एक) नॉर्दर्न इंडिया टेक्सटाइल रिसर्च एसोसिएशन, गाजियाबाद के वर्ष 2007-2008 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) नॉर्दर्न इंडिया टेक्सटाइल रिसर्च एसोसिएशन, गाजियाबाद के वर्ष 2007-2008 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(70) (एक) साउथ इंडिया टेक्सटाइल रिसर्च एसोसिएशन, कोयम्बटूर के वर्ष 2007-2008 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) साउथ इंडिया टेक्सटाइल रिसर्च एसोसिएशन, कोयम्बटूर के वर्ष 2007-2008 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(71) (एक) बॉम्बे टेक्सटाइल रिसर्च एसोसिएशन, मुंबई के वर्ष 2007-2008 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) बॉम्बे टेक्सटाइल रिसर्च एसोसिएशन, मुंबई के वर्ष 2007-2008 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(72) (एक) अहमदाबाद टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज रिसर्च एसोसिएशन, अहमदाबाद के वर्ष 2007-2008 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) अहमदाबाद टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज रिसर्च एसोसिएशन, अहमदाबाद के वर्ष 2007-2008 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(73) (एक) इंडियन जूट इंडस्ट्रीज रिसर्च एसोसिएशन, कोलकाता के वर्ष 2006-2007 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) इंडियन जूट इंडस्ट्रीज रिसर्च एसोसिएशन, कोलकाता के वर्ष 2006-2007 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(74) उपर्युक्त (73) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(75) (एक) टेक्सटाइल कमेटी, मुंबई के वर्ष 2007-2008 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) टेक्सटाइल कमेटी, मुंबई के वर्ष 2007-2008 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(76) (एक) सेंट्रल वुल डेवलपमेंट बोर्ड, जोधपुर के वर्ष 2007-2008 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) सेंट्रल वुल डेवलपमेंट बोर्ड, जोधपुर के वर्ष 2007-2008 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(77) (एक) सिंथेटिक एण्ड आर्ट सिल्क मिल्स रिसर्च एसोसिएशन, मुंबई के वर्ष 2007-2008 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) सिंथेटिक एण्ड आर्ट सिल्क मिल्स रिसर्च एसोसिएशन, मुंबई के वर्ष 2007-2008 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(78) (एक) वुल रिसर्च एसोसिएशन, ठाणे के वर्ष 2007-2008 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) वुल रिसर्च एसोसिएशन, ठाणे के वर्ष 2007-2008 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(79) (एक) पावरलूम डेवलपमेंट एण्ड एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल, मुंबई के वर्ष 2007-2008 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) पावरलूम डेवलपमेंट एण्ड एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल, मुंबई के वर्ष 2007-2008 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(80) (एक) वुल एण्ड बूलेन्स एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल, नई दिल्ली के वर्ष 2007-2008 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) वुल एण्ड बूलेन्स एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल, नई दिल्ली के वर्ष 2007-2008 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(81) (एक) बड्र्स जूट एण्ड एक्सपोर्ट्स लिमिटेड, कोलकाता के वर्ष 2007-2008 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) बड्र्स जूट एण्ड एक्सपोर्ट्स लिमिटेड, कोलकाता के वर्ष 2007-2008 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(82) (एक) सेंटर फॉर मैटेरियल्स फॉर इलेक्ट्रानिक्स टेक्नॉलाजी, पुणे के वर्ष 2007-2008 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) सेंटर फॉर मैटेरियल्स फॉर इलेक्ट्रॉनिक्स टेक्नॉलाजी, पुणे के वर्ष 2007-2008 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(83) निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):—

(एक) भारत संचार निगम लिमिटेड और दूरसंचार विभाग, संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के बीच वर्ष 2008-2009 के लिए हुआ समझौता ज्ञापन।

(दो) आईटीआई लिमिटेड और दूरसंचार विभाग, संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के बीच वर्ष 2008-2009 के लिए हुआ समझौता ज्ञापन।

(तीन) महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड और दूरसंचार विभाग, संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के बीच वर्ष 2008-2009 के लिए हुआ समझौता ज्ञापन।

(84) कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 619क की उपधारा (1) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)—

(क) (एक) आईटीआई लिमिटेड, बंगलौर के वर्ष 2007-2008 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) आईटीआई लिमिटेड, बंगलौर का वर्ष 2007-2008 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

(ख) (एक) नेशनल इन्फार्मेटिक्स सेंटर सर्विसेज इंक, नई दिल्ली के वर्ष 2007-2008 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) नेशनल इन्फार्मेटिक्स सेंटर सर्विसेज इंक, नई दिल्ली का वर्ष 2007-2008 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

(85) (एक) सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस्ड कम्प्यूटिंग, पूणे के वर्ष 2007-2008 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस्ड कम्प्यूटिंग, पूणे के वर्ष 2007-2008 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(86) (एक) एरनेट इंडिया, नई दिल्ली के वर्ष 2007-2008 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) एरनेट इंडिया, नई दिल्ली के वर्ष 2007-2008 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(87) चीनी विकास निधि अधिनियम, 1982 की धारा 9 की उपधारा (3) के अंतर्गत चीनी विकास निधि (तीसरा संशोधन) नियम, 2008 जो 19 मई, 2008 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा॰का॰नि॰ 388 (अ) में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(88) कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 619क की उपधारा (1) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)—

(एक) हिन्दुस्तान वेजिटेबल ऑयल्स कारपोरेशन लिमिटेड, दिल्ली के वर्ष 2005-2006 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) हिन्दुस्तान वेजिटेबल ऑयल्स कारपोरेशन लिमिटेड, दिल्ली का वर्ष 2005-2006 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

(89) उपर्युक्त (88) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(90) आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 की धारा 3 की उपधारा (6) के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)—

(एक) का॰आ॰ 2483(अ) जो 20 अक्तूबर, 2008 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा 31 जुलाई, 2007 की अधिसूचना संख्या 1310(अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं।

(दो) का॰आ॰ 2709(अ) जो 21 नवम्बर, 2008 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा 31 जुलाई, 2007 की अधिसूचना संख्या 1310(अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं।

(91) कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 619क के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)—

(क) (एक) आंध्र प्रदेश राज्य सिंचाई विकास निगम लिमिटेड, हैदाराबाद के वर्ष 2005-2006 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) आंध्र प्रदेश राज्य सिंचाई विकास निगम लिमिटेड, हैदराबाद का वर्ष 2005-2006 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

(ख) (एक) केरल लैण्ड डेवलपमेंट कारपोरेशन लिमिटेड, तिरुवनंतपुरम के वर्ष 2001-2002, 2002-2003 और 2003-2004 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) केरल लैण्ड डेवलपमेंट कारपोरेशन लिमिटेड, तिरुवनंतपुरम का वर्ष 2001-2002, 2002-2003 और 2003-2004 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखा-परीक्षक की टिप्पणियां।

(92) उपर्युक्त (91) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाले चार विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

4. सभा की बैठकों से सदस्यों की अनुपस्थिति संबंधी समिति का प्रतिवेदन

श्री राजेश वर्मा ने सभा की बैठकों से सदस्यों की अनुपस्थिति संबंधी समिति का 11वां प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत किया।

5. विश्वास प्रस्ताव पर मतदान के संबंध में कुछ सदस्यों को धन की कथित पेशकश के बारे में उनके द्वारा की गई शिकायत की जांच करने संबंधी समिति का प्रतिवेदन

श्री वी॰ किशोर चन्द्र एस॰ देव ने विश्वास प्रस्ताव पर मतदान के संबंध में कुछ सदस्यों को धन की कथित पेशकश के बारे में उनके द्वारा की गई शिकायत की जांच करने संबंधी समिति का प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखा।

6. सूचना प्रौद्योगिकी संबंधी स्थायी समिति का प्रतिवेदन

श्री संजय धोत्रे ने सूचना और प्रसारण मंत्रालय से संबंधित 'भारत में टेलीविजन दर्शकों की संख्या का निर्धारण' विषय पर सूचना प्रौद्योगिकी संबंधी स्थायी समिति का सड़सठवां प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत किया।

7. संसद सदस्य स्थानीय क्षेत्र विकास योजना संबंधी समिति के प्रतिवेदन

श्री प्रसन्न आचार्य ने संसद सदस्य स्थानीय क्षेत्र विकास योजना संबंधी समिति 2008-09 के निम्नलिखित प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत किए:—

(1) संसद सदस्य स्थानीय क्षेत्र विकास योजना संबंधी समिति के तेरहवें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों/टिप्पणियों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्यवाही के बारे में चौदहवां प्रतिवेदन (चौदहवीं लोक सभा)।

(2) ''संसद सदस्य स्थानीय क्षेत्र विकास योजना-एक समीक्षा'' के बारे में पंद्रहवां प्रतिवेदन (चौदहवीं लोक सभा)।

8. मंत्रियों द्वारा वक्तव्य

(एक) कृषि मंत्री और उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री ने निम्नलिखित के संबंध में वक्तव्य (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखा:—

(1) खाद्य तथा सार्वजनिक वितरण विभाग, उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय से संबंधित अनुदानों की मांगों (क्रमश: 2007-2008 और 2008-2009) के बारे में खाद्य, उपभोक्ता मामले और

सार्वजनिक वितरण संबंधी स्थायी समिति के 21वें तथा 23वें प्रतिवेदनों में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति।

(2) कृषि और सहकारिता विभाग, कृषि मंत्रालय से संबंधित अनुदानों की मांगों (2008-2009) के बारे में कृषि संबंधी स्थायी समिति के 37वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति।

(दो) रक्षा मंत्री की ओर से रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री ने रक्षा मंत्रालय से संबंधित अनुदानों की मांगों (2008-2009) के बारे में रक्षा संबंधी स्थायी समिति के 29वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति के बारे में एक वक्तव्य (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखा।

(तीन) संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री की ओर से संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री और योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री ने संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के डाक, दूरसंचार और सूचना प्रौद्योगिकी विभागों से संबंधित अनुदानों की मांगों (2008-2009) के बारे में सूचना प्रौद्योगिकी संबंधी स्थायी समिति के 56वें, 57वें तथा 58वें प्रतिवेदनों में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति के बारे में एक वक्तव्य (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखा।

(चार) जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री ने जल संसाधन मंत्रालय से संबंधित अनुदानों की मांगों (2008-2009) के बारे में जल संसाधन संबंधी स्थायी समिति के 9वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति के बारे में एक वक्तव्य (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखा।

(पांच) जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री ने बादागरा-माहे नहर की खुदाई के बारे में श्रीमती सी॰ एस॰ सुजाता संसद सदस्य द्वारा पूछे गए अतारांकित प्रश्न संख्या 4795 के संबंध में 28 अप्रैल, 2008 को दिए गए (i) उत्तर में शुद्धि करने तथा (ii) उत्तर में शुद्धि करने में हुए विलम्ब के कारणों के बारे में एक वक्तव्य (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखा।

9. **केन्द्रीय भवन तथा अन्य निर्माण श्रमिक सलाहकार समिति के लिए निर्वाचन हेतु प्रस्ताव**

श्री ऑस्कर फर्नांडीस ने निम्नलिखित प्रस्ताव पेश किया:—

''कि भवन तथा अन्य निर्माण श्रमिक (नियोजन और सेवा शर्तों का विनियमन) केन्द्रीय नियम, 1998 के नियम 11 के उपनियम (2) के साथ पठित भवन तथा अन्य निर्माण श्रमिक (नियोजन और सेवा शर्तों का विनियमन) अधिनियम, 1996 की धारा 3 की उपधारा (2) के खंड (ख) के अनुसरण में, इस सभा के सदस्य, ऐसी

रीति से जैसाकि अध्यक्ष निदेश दें, उक्त अधिनियम के अन्य उपबंधों और उनके अधीन बनाए गए नियमों के अध्यधीन केन्द्रीय भवन तथा अन्य निर्माण श्रमिक सलाहकार समिति के सदस्यों के रूप में कार्य करने के लिए अपने में से दो सदस्य निर्वाचित करें।''

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

*अपराह्न 12.18 बजे

10. **सदस्यों द्वारा निवेदन**

प्राथमिक शिक्षक प्रशिक्षण संस्थानों में छात्रों को पेश आ रही समस्याओं के बारे में

कुमारी ममता बनर्जी ने प्राथमिक शिक्षक प्रशिक्षण संस्थानों में छात्रों को पेश आ रही समस्याओं के बारे में निवेदन किया।

सर्वश्री हन्नान मोल्लाह, सुब्रत बोस, श्रीमती सी॰ एस॰ सुजाता और डा॰ के॰ एस॰ मनोज सहयोजित हुए। माननीय अध्यक्ष भी सहयोजित हुए।

श्री प्रणव मुखर्जी ने उत्तर दिया।

अपराह्न 12.48 बजे

11. **नियम 377 के अधीन मामले**

(1) श्री निखिल कुमार ने ग्रामीण डाकघर कर्मचारियों की सेवाशर्तों में सुधार किये जाने की आवश्यकता के बारे में एक मामला उठाया।

(2) श्री के॰ सी॰ सिंह ''बाबा'' ने रुग्ण चीनी मिलों की दशा में सुधार लाने तथा उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में गन्ना सहकारिता का पुनर्गठन किये जाने की आवश्यकता के बारे एक मामला उठाया।

(3) श्री एस॰ के॰ खारवेनथन ने विधिक शिक्षा प्रणाली को फिर से चालू किये जाने और विधि महाविद्यालयों में हिंसक घटनाओं की पुनरावृत्ति रोकने के बारे में एक मामला उठाया।

(4) डा॰ तुषार ए॰ चौधरी ने काकरापाड़ा परमाणु ऊर्जा केन्द्र, गुजरात में लोगों को अनुकम्पा के आधार पर नियुक्तियाँ दिये जाने की आवश्यकता के बारे में एक मामला उठाया।

(5) श्री अनवर हुसैन ने मुस्लिम और इसाई दलितों को अनुसूचित जातियों की सूची में शामिल किये जाने की आवश्यकता के बारे में एक मामला उठाया।

---

*अपराह्न 12.08 बजे से अपराह्न 12.47 बजे तक सदस्यों ने अविलम्बनीय लोक महत्व के मामले उठाए।

(6) श्री रामस्वरूप कोली ने कैंटीन स्टोर्स डिपार्टमेंट (सीएसडी) सुविधाओं संबंधी नियम को समान और पारदर्शी ढंग से लागू किये गये की आवश्यकता के बारे में एक मामला उठाया।

अध्यक्षपीठ के निदेशानुसार निम्नलिखित सदस्यों ने नियम 377 के अधीन उनके द्वारा उठाये जाने वाले मामलों, जैसाकि प्रत्येक सदस्य के नाम के आगे दर्शाया गया है, पर अपने वक्तव्य सभा पटल पर रखे:

(7) श्री रायापति सांबासिवा राव द्वारा विभिन्न न्यायालयों में लंबित भारी बैकलॉग को क्लियर करने हेतु तात्कालिक कदम उठाये जाने की आवश्यकता के बारे में।

(8) डा॰ लक्ष्मी नारायण पाण्डेय द्वारा मध्य प्रदेश और राजस्थान के अफीम उत्पादकों के लिए 'अफीम की मात्रा' के प्रतिमान मे ढ़ील दिये जाने की आवश्यकता के बारे में।

(9) श्री सुभाष एस॰ देशमुख द्वारा महाराष्ट्र के सोलापुर रेल मंडल में रेल सेवाएं बढ़ाये जाने की आवश्यकता के बारे में।

(10) श्री हरिभाऊ राठौर द्वारा देश में डीएनटी/वीजेएनटी के लिए नौकरियों में आरक्षण देने तथा अन्य कल्याण उपायों का उपबंध करने वाला विधायन लाए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(11) श्री संजय एस॰ धोत्रे द्वारा महाराष्ट्र के अकोला में मध्य रेलवे के फाटक संख्या 31 सी के समीप एक रेलवे स्टेशन बनाए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(12) श्रीमती सी॰ एस॰ सुजाता द्वारा केन्द्रीय काजू बोर्ड जिसका मुख्यालय केरल के कोल्लम में हो, की स्थापना किये जाने की आवश्यकता के बारे में।

(13) एडवोकेट पी॰ सती देवी द्वारा केरल में सहकारी क्षेत्र में पारंपरिक करघा उद्योग के कार्यक्रम की सुरक्षा करने हेतु तत्काल कदम उठाए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(14) श्री रवि प्रकाश वर्मा द्वारा उत्तर प्रदेश में मैलानी-दुधवा-गोण्डा रेलवे खंड पर रेल सेवाएं फिर से शुरू किये जाने की आवश्यकता के बारे में।

(15) श्री राजनारायण बुधौलिया द्वारा उत्तर प्रदेश के हमीरपुर संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में विनिर्दिष्ट प्रतिमानों के अनुसार झांसी-मिर्जापुर और कानपुर-सागर राष्ट्रीय राजमार्ग पर निर्माण कार्य में तेजी लाए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(16) श्री राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव द्वारा बिहार में बार-बार आने वाली बाढ़ को रोकने के लिए भारत-नेपाल सीमा पर कुशा बांध के निर्माण कार्य में तेजी लाए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(17) श्री डी॰ वेणुगोपाल द्वारा तमिलनाडु में तमिल शरणार्थियों को सहायता देने के लिए श्रीलंका में तमिल के हितों की रक्षा करने तथा उन्हें धनराशि उपलब्ध कराये जाने की आवश्यकता के बारे में।

(18) श्री हेमलाल मुर्मू द्वारा झारखंड में बुनियादी संरचना विकास के लिए विशेष आर्थिक पैकेज दिए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(19) श्री एल॰ गणेशन द्वारा श्रीलंका में तमिल के हितों की रक्षा किये जाने की आवश्यकता के बारे में।

(20) श्री रामदास बंडु आठवले द्वारा जनगणना में विभिन्न जातियों का पृथक आकलन दिये जाने तथा गैर-सरकारी क्षेत्र में नौकरियों में आरक्षण दिये जाने की आवश्यकता के बारे में।

12. **कार्य मंत्रणा समिति का प्रतिवेदन**

श्री संतोष गंगवार ने कार्य मंत्रणा समिति का 51वां प्रतिवेदन प्रस्तुत किया।

(लोक सभा अपराह्न 1.00 बजे स्थगित हुई और अपराह्न 2.06 बजे पुनः समवेत हुई।)

अपराह्न 2.06 बजे

13. **नियम 193 के अधीन चर्चा**

लिया गया समय: 3 घंटे 51 मिनट

श्री एस॰के॰ बैसीमुथियारी ने उत्तर-पूर्वी राज्यों के विभिन्न भागों, विशेषकर असम के संदर्भ में, बम विस्फोटों के कारण उत्पन्न स्थिति पर एक चर्चा उठाई।

निम्नलिखित सदस्यों ने वाद-विवाद में भाग लिया:—

1. श्री अधीर चौधरी
2. श्री कीरेन रिजीजू
3. श्री रवि प्रकाश वर्मा
4. श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव
5. श्री बसुदेव आचार्य
6. श्री मित्रसेन यादव

7. प्रो॰ के॰एम॰ कादरमोहिदीन

8. श्री बृज किशोर त्रिपाठी

9. श्री अनंत गंगाराम गीते

10. श्री सी॰के॰ चन्द्रप्पन

11. डा॰ अरूण कुमार शर्मा

12.* श्री नारायण चन्द्र बरकटकी

13. श्री किरिप चालिहा

14. कुमारी अगाथा के॰ संगमा

15. कुमारी ममता बनर्जी

16.* श्री अनवर हुसैन

17. श्री राजेन गोहेन

18.* श्री खगेन दास

19.* श्री ललित मोहन शुक्लवैद्य

20. श्री सर्वानंद सोनोवाल

21. डा॰ टोकचोम मैन्या

श्री पी॰ चिदम्बरम ने वाद-विवाद का उत्तर दिया।

चर्चा पूरी हुई।

सायं 5.58 बजे

14. **सरकारी विधेयक—विचाराधीन**

आबंटित समय : 4 घंटे

लिया गया समय : 2 मिनट

शेष समय : 3 घंटे 58 मिनट

असंगठित सेक्टर कर्मकार सामाजिक सुरक्षा विधेयक, 2008, राज्य सभा द्वारा यथापारित।

श्री ऑस्कर फर्नांडीस ने विधेयक पर विचार किए जाने का प्रस्ताव पेश किया।

---

*उन्होंने अपने लिखित भाषण के कुछ अंश सभा पटल पर भी रखे।

श्री सांताश्री चटर्जी ने वाद-विवाद में भाग लिया और उनका भाषण अपूर्ण रहा।

चर्चा पूरी नहीं हुई।

सायं 6.00 बजे

(लोक सभा मंगलवार, 16 दिसम्बर, 2008 को पूर्वाह्न 11.00 बजे तक के लिए स्थगित हुई)

पी॰डी॰टी॰ आचारी,
महासचिव।

GMGIPMRND—4387LS(S-5)—15-12-2008.

लोक सभा

समाचार—भाग 1

(कार्यवाही का संक्षिप्त वृत्तांत)

मंगलवार, 16 दिसम्बर, 2008/25 अग्रहायण, 1930 (शक)

संख्या 317

पूर्वाह्न 11.00 बजे

1. **अध्यक्ष द्वारा बधाई**

अध्यक्ष ने सभा की ओर से वर्तमान टेस्ट श्रृंखला में एक बड़े लक्ष्य का पीछाकर चेन्नई में इंग्लैंड के विरुद्ध पहले टेस्ट मैच में शानदार जीत हासिल करने पर भारतीय क्रिकेट टीम को बधाई दी और यह टिप्पणी की कि इस जीत को मुंबई के आतंकवादी हमलों के पीड़ितों को समर्पित किया जाना हृदयस्पर्शी रहा।

उन्होंने भारतीय मुक्केबाजों अखिल कुमार, ए॰एल॰ लाकड़ा, दिनेश कुमार और जितेन्दर कुमार को भी बधाई दी जिन्होंने हाल ही में मास्को में आयोजित आईबीए वर्ल्ड चैंपियनशिप में कांस्यपदक जीता।

पूर्वाह्न 11.02 बजे

2. **तारांकित प्रश्न**

तारांकित प्रश्न संख्या 241—244 के मौखिक उत्तर दिए गए। तारांकित प्रश्न संख्या 245—260 के उत्तर सभा पटल पर रखे गए।

3. **अतारांकित प्रश्न**

अतारांकित प्रश्न संख्या 2453—2545, 2547—2631 और 2633—2682 के उत्तर सभा पटल पर रखे गए।

मध्याह्न 12 बजे

4. सभा पटल पर रखे गए पत्र

निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखे गए:—

(1) कयर उद्योग अधिनियम, 1953 की धारा 26 की उपधारा (4) के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):—

(एक) कयर बोर्ड (सेवाएं) उप-नियम, 1983, जो 17 दिसम्बर, 1983 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या का॰आ॰ 4481 में प्रकाशित हुए थे।

(दो) कयर बोर्ड (सेवाएं) संशोधन उप-नियम, 1985, जो 19 अक्तूबर, 1985 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या का॰आ॰ 4893 में प्रकाशित हुए थे।

(तीन) कयर बोर्ड (सेवाएं) संशोधन उप-नियम, 1989, जो 15 मार्च, 1989 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या का॰आ॰ 187(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(चार) कयर बोर्ड (सेवाएं) तीसरा संशोधन उप-नियम, 1992, जो 30 अप्रैल, 1992 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या का॰आ॰ 304(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(पांच) कयर बोर्ड (सेवाएं) (दूसरा संशोधन) उप-नियम, 1989, जो 2 नवम्बर, 1989 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या का॰आ॰ 900(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(छह) कयर बोर्ड (सेवाएं) संशोधन उप-नियम, 1987, जो 3 मार्च, 1987 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या का॰आ॰ 158(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(सात) कयर बोर्ड (सेवाएं) दूसरा संशोधन उप-नियम, 1990, जो 21 जनवरी, 1992 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या का॰आ॰ 60(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(आठ) कयर बोर्ड (सेवाएं) संशोधन उप-नियम, 1990, जो 6 जून, 1990 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या का॰आ॰ 460(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(नौ) कयर बोर्ड (सेवाएं) तीसरा संशोधन उप-नियम, 1989, जो 2 जनवरी, 1990 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या का॰आ॰ 5(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(दस) कयर बोर्ड (सेवाएं) संशोधन उप-नियम, 1997, जो 27 फरवरी, 1997 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या का॰आ॰ 154(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(ग्यारह) कयर बोर्ड (सेवाएं) संशोधन उप-नियम, 2006, जो 18 अगस्त, 2006 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा॰का॰नि॰ 484(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(3) (एक) सेंटर फॉर द डेवलपमेंट ऑफ ग्लास इंडस्ट्री, फिरोजाबाद के वर्ष 2007-2008 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) सेंटर फॉर द डेवलपमेंट ऑफ ग्लास इंडस्ट्री, फिरोजाबाद के वर्ष 2007-2008 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(4) (एक) सेंट्रल इन्स्टिट्यूट ऑफ टूल डिजाइन, हैदराबाद के वर्ष 2007-2008 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) सेंट्रल इन्स्टिट्यूट ऑफ टूल डिजाइन, हैदराबाद के वर्ष 2007-2008 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(5) (एक) टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट सेंटर, मुंबई के वर्ष 2007-2008 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट सेंटर, मुंबई के वर्ष 2007-2008 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(6) (एक) सेंट्रल टूल रूम, लुधियाना के वर्ष 2007-2008 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) सेंट्रल टूल रूम, लुधियाना के वर्ष 2007–2008 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(7) (एक) इंडो–जर्मन टूल रूम, औरंगाबाद के वर्ष 2007–2008 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) इंडो–जर्मन टूल रूम, औरंगाबाद के वर्ष 2007–2008 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(8) (एक) सेंट्रल इंस्टिट्यूट ऑफ हैंड टूल्स, जालंधर के वर्ष 2007–2008 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) सेंट्रल इंस्टिट्यूट ऑफ हैंड टूल्स, जालंधर के वर्ष 2007–2008 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(9) (एक) टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट सेंटर, आगरा के वर्ष 2007–2008 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट सेंटर, आगरा के वर्ष 2007–2008 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(10) (एक) सेंट्रल टूल रूम एण्ड ट्रेनिंग सेंटर, भुवनेश्वर के वर्ष 2007–2008 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) सेंट्रल टूल रूम एण्ड ट्रेनिंग सेंटर, भुवनेश्वर के वर्ष 2007–2008 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(11) (एक) सेंट्रल टूल रूम एण्ड ट्रेनिंग सेंटर, कोलकाता के वर्ष 2007–2008 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) सेंट्रल टूल रूम एण्ड ट्रेनिंग सेंटर, कोलकाता के वर्ष 2007–2008 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(12) (एक) इंडो–जर्मन टूल रूम, अहमदाबाद के वर्ष 2007–2008 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) इंडो-जर्मन टूल रूम, अहमदाबाद के वर्ष 2007-2008 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(13) (एक) टूल रूम एण्ड ट्रेनिंग सेंटर, गुवाहाटी के वर्ष 2007-2008 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) टूल रूम एण्ड ट्रेनिंग सेंटर, गुवाहाटी के वर्ष 2007-2008 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(14) (एक) टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट सेंटर (फ्रैगरेंस एण्ड फ्लेवर डेवलपमेंट सेंटर), कन्नौज के वर्ष 2007-2008 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट सेंटर (फ्रैगरेंस एण्ड फ्लेवर डेवलपमेंट सेंटर), कन्नौज के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(15) (एक) इंडो-जर्मन टूल रूम, इंदौर के वर्ष 2007-2008 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) इंडो-जर्मन टूल रूम, इंदौर के वर्ष 2007-2008 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(16) (एक) टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट सेंटर (प्रोसेस एण्ड प्रोडक्ट डेवलपमेंट सेंटर) आगरा के वर्ष 2007-2008 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट सेंटर (प्रोसेस एण्ड प्रोडक्ट डेवलपमेंट सेंटर) आगरा के वर्ष 2007-2008 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(17) (एक) टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट सेंटर (इलेक्ट्रॉनिक्स सर्विस एण्ड ट्रेनिंग सेंटर), नैनीताल के वर्ष 2007-2008 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट सेंटर (इलेक्ट्रॉनिक्स सर्विस एण्ड ट्रेनिंग सेंटर), नैनीताल के वर्ष 2007-2008 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(18) (एक) इंडो-डैनिश टूल रूम, जमशेदपुर के वर्ष 2007-2008 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) इंडो-डैनिश टूल रूम, जमशेदपुर के वर्ष 2007-2008 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(19) (एक) टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट सेंटर (प्रोसेस कम प्रोडक्ट डेवलपमेंट सेंटर), मेरठ के वर्ष 2007-2008 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट सेंटर (प्रोसेस कम प्रोडक्ट डेवलपमेंट सेंटर), मेरठ के वर्ष 2007-2008 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(20) (एक) टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट सेंटर (सेंट्रल फुटवियर ट्रेनिंग इन्स्टिट्यूट), चेन्नई के वर्ष 2007-2008 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट सेंटर (सेंट्रल फुटवियर ट्रेनिंग इन्स्टिट्यूट), चेन्नई के वर्ष 2007-2008 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(21) (एक) नेशनल इंस्टिट्यूट फॉर माइक्रो, स्मॉल एण्ड मीडियम इंटरप्राइजेज, हैदराबाद के वर्ष 2007-2008 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) नेशनल इंस्टिट्यूट फॉर माइक्रो, स्मॉल एण्ड मीडियम इंटरप्राइजेज, हैदराबाद के वर्ष 2007-2008 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(22) (एक) नेशनल इंस्टिट्यूट फॉर इंटरप्रेन्योरशिप एण्ड स्मॉल बिजनेस डेवलपमेंट, नोएडा के वर्ष 2007-2008 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) नेशनल इंस्टिट्यूट फॉर इंटरप्रेन्योरशिप एण्ड स्मॉल बिजनेस डेवलपमेंट, नोएडा के वर्ष 2007-2008 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(23) (एक) खादी और ग्रामोद्योग आयोग, मुंबई के वर्ष 2007-2008 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) खादी और ग्रामोद्योग आयोग, मुंबई के वर्ष 2007-2008 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(तीन) खादी और ग्रामोद्योग आयोग, मुंबई के वर्ष 2007-2008 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(24) कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 619क की उपधारा (1) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):—

(क) (एक) ओमनीबस इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कारपोरेशन ऑफ दमण एंड दीव एण्ड दादरा एंड नागर हवेली लिमिटेड ननी दमण के वर्ष 2006-2007 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण।

(दो) ओमनीबस इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कारपोरेशन ऑफ दमण एंड दीव एण्ड दादरा एंड नागर हवेली लिमिटेड ननी दमण का वर्ष 2006-2007 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

(ख) (एक) अंडमान एण्ड निकोबार आईलैंड्स इंटिग्रेटिड डेवलपमेंट कारपोरेशन लिमिटेड, पोर्टब्लेयर के वर्ष 2006-2007 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) अंडमान एण्ड निकोबार आईलैंड्स इंटिग्रेटिड डेवलपमेंट कारपोरेशन लिमिटेड, पोर्टब्लेयर के वर्ष 2006-2007 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(ग) (एक) राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 2007-2008 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण।

(दो) राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम लिमिटेड, नई दिल्ली का वर्ष 2007-2008 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

(25) उपर्युक्त (24) की मद संख्या (क) और (ख) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(26) अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह खादी और ग्रामोद्योग बोर्ड विनियमन, 1988 की धारा 40 के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):—

(एक) अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह खादी और ग्रामोद्योग बोर्ड (कार्यपाल अधिकारी) भर्ती नियम, 2007, जो 26 अक्तूबर, 2007 के अंडमान और निकोबार के राजपत्र में अधिसूचना संख्या 235/07/एफ॰ सं॰ 50-274/2000-डीईवी I में प्रकाशित हुए थे।

(दो) अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह खादी और ग्रामोद्योग बोर्ड (समूह 'ग' और समूह 'घ') भर्ती नियम, 2007, जो 26 अक्तूबर, 2007 के अंडमान और निकोबार के राजपत्र में अधिसूचना संख्या 236/07/एफ॰ सं॰ 50-274/2000-डीईवी I में प्रकाशित हुए थे।

(27) उपर्युक्त (26) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(28) खादी और ग्रामोद्योग आयोग अधिनियम, 1956 की धारा 10 के अंतर्गत जारी अधिसूचना संख्या का॰आ॰ 523(अ), जो 17 मार्च, 2008 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जिसके द्वारा 1 मार्च, 2007 की अधिसूचना संख्या का॰आ॰ 306(अ) में संशोधन किए गए हैं, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(29) उपर्युक्त (28) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(30) (एक) बीरबल साहनी इंस्टिट्यूट ऑफ पैलिओबोटनी, लखनऊ के वर्ष 2007-2008 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) बीरबल साहनी इंस्टिट्यूट ऑफ पैलिओबोटनी, लखनऊ के वर्ष 2007-2008 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(31) (एक) इंटरनेशनल एडवांस्ड रिसर्च सेंटर फॉर पाउडर मेटलर्जी एण्ड न्यू मैटीरियल्स, हैदराबाद के वर्ष 2007-2008 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) इंटरनेशनल एडवांस्ड रिसर्च सेंटर फॉर पाउडर मेटलर्जी एण्ड न्यू मैटीरियल्स, हैदराबाद के वर्ष 2007–2008 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(32) (एक) जवाहर लाल नेहरू सेंटर फॉर एडवान्स्ड साइंटिफिक रिसर्च, बंगलौर के वर्ष 2007–2008 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) जवाहर लाल नेहरू सेंटर फॉर एडवान्स्ड साइंटिफिक रिसर्च, बंगलौर के वर्ष 2007–2008 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(33) (एक) सेंटर फॉर लिक्विड क्रिस्टल रिसर्च, बंगलौर के वर्ष 2007–2008 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) सेंटर फॉर लिक्विड क्रिस्टल रिसर्च, बंगलौर के वर्ष 2007–2008 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(34) (एक) भारतीय विज्ञान अकादमी, बंगलौर के वर्ष 2007–2008 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) भारतीय विज्ञान अकादमी, बंगलौर के वर्ष 2007–2008 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(35) (एक) इंडियन इंस्टिट्यूट ऑफ एस्ट्रोफिजिक्स, बंगलौर के वर्ष 2007–2008 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) इंडियन इंस्टिट्यूट ऑफ एस्ट्रोफिजिक्स, बंगलौर के वर्ष 2007–2008 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(36) (एक) विज्ञान प्रसार, नोएडा के वर्ष 2007–2008 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) विज्ञान प्रसार, नोएडा के वर्ष 2007–2008 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(37) (एक) राष्ट्रीय विज्ञान अकादमी, इलाहाबाद के वर्ष 2007-2008 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) राष्ट्रीय विज्ञान अकादमी, इलाहाबाद के वर्ष 2007-2008 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(38) (एक) इंडियन एसोसिएशन फॉर द कल्टीवेशन ऑफ साइंस, कोलकाता के वर्ष 2007-2008 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) इंडियन एसोसिएशन फॉर द कल्टीवेशन ऑफ साइंस, कोलकाता के वर्ष 2007-2008 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(39) (एक) इंडियन इंस्टिट्यूट ऑफ जियोमैग्नेटिज्म, नवी मुंबई के वर्ष 2007-2008 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) इंडियन इंस्टिट्यूट ऑफ जियोमैग्नेटिज्म, नवी मुंबई के वर्ष 2007-2008 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(40) (एक) वाडिया इंस्टिट्यूट ऑफ हिमालयन जियोलाजी, देहरादून के वर्ष 2007-2008 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) वाडिया इंस्टिट्यूट ऑफ हिमालयन जियोलाजी, देहरादून के वर्ष 2007-2008 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(41) (एक) इंडियन नेशनल एकेडमी ऑफ इंजीनियरिंग, नई दिल्ली के वर्ष 2007-2008 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) इंडियन नेशनल एकेडमी ऑफ इंजीनियरिंग, नई दिल्ली के वर्ष 2007-2008 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(42) (एक) इंडियन नेशनल साइंस एकेडमी, नई दिल्ली के वर्ष 2007-2008 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) इंडियन नेशनल साइंस एकेडमी, नई दिल्ली के वर्ष 2007-2008 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(43) (एक) इंस्टिट्यूट ऑफ लाइफ साइंसेज, भुवनेश्वर के वर्ष 2007-2008 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) इंस्टिट्यूट ऑफ लाइफ साइंसेज, भुवनेश्वर के वर्ष 2007-2008 के वार्षिक, लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण), तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(तीन) इंस्टिट्यूट ऑफ लाइफ साइंसेज, भुवनेश्वर के वर्ष 2007-2008 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(44) (एक) इंस्टिट्यूट ऑफ बायोरिसोर्सेस एण्ड सस्टेनेबल डेवलपमेंट, इम्फाल के वर्ष 2007-2008 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) इंस्टिट्यूट ऑफ बायोरिसोर्सेस एण्ड सस्टेनेबल डेवलपमेंट, इम्फाल के वर्ष 2007-2008 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(45) (एक) नेशनल इंस्टिट्यूट फार प्लांट जिनोम रिसर्च, नई दिल्ली के वर्ष 2007-2008 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) नेशनल इंस्टिट्यूट फार प्लांट जिनोम रिसर्च, नई दिल्ली के वर्ष 2007-2008 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(46) (एक) नेशनल ब्रेन रिसर्च सेंटर, मानेसर के वर्ष 2007-2008 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) नेशनल ब्रेन रिसर्च सेंटर, मानेसर के वर्ष 2007-2008 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(47) (एक) सेंटर फॉर डीएनए फिंगरप्रिंटिंग एण्ड डायग्नोस्टिक्स, हैदराबाद के वर्ष 2007-2008 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) सेंटर फॉर डीएनए फिंगरप्रिंटिंग एण्ड डायग्नोस्टिक्स, हैदराबाद के वर्ष 2007-2008 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(48) (एक) नेशनल सेंटर फॉर सेल साइंस, पुणे के वर्ष 2007-2008 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) नेशनल सेंटर फॉर सेल साइंस, पुणे के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(49) (एक) नेशनल इंस्टिट्यूट ऑफ इम्युनोलाजी, नई दिल्ली के वर्ष 2007-2008 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) नेशनल इंस्टिट्यूट ऑफ इम्युनोलाजी, नई दिल्ली के वर्ष 2007-2008 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(50) (एक) इंडियन वैक्सिन्स कारपोरेशन लिमिटेड, गुड़गांव के वर्ष 2007-2008 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) इंडियन वैक्सिन्स कारपोरेशन लिमिटेड, गुड़गांव के वर्ष 2007-2008 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(51) (एक) नेशनल सेंटर फॉर अंटार्कटिक एण्ड ओसिएन रिसर्च, वास्कोडिगामा के वर्ष 2007-2008 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) नेशनल सेंटर फॉर अंटार्कटिक एण्ड ओसिएन रिसर्च, वास्कोडिगामा के वर्ष 2007-2008 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(52) (एक) इंडियन इंस्टिट्यूट ऑफ ट्रापिकल मीटियोरोलाजी, पुणे, के वर्ष 2007-2008 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) इंडियन इंस्टिट्यूट ऑफ ट्रापिकल मीटियोरोलाजी, पुणे, के वर्ष 2007-2008 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(53) (एक) इंडियन नेशनल सेंटर फॉर ओसिएन इन्फार्मेशन सर्विसेज, हैदराबाद के वर्ष 2007-2008 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) इंडियन नेशनल सेंटर फॉर ओसिएन इन्फार्मेशन सर्विसेज, हैदराबाद के वर्ष 2007-2008 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(54) (एक) नेशनल इंस्टिट्यूट ऑफ ओसिएन टेक्नोलॉजी, चेन्नई के वर्ष 2007-2008 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) नेशनल इंस्टिट्यूट ऑफ ओसिएन टेक्नोलॉजी, चेन्नई के वर्ष 2007-2008 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(55) (एक) काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च, नई दिल्ली के वर्ष 2005-2006 और 2006-2007 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च, नई दिल्ली के वर्ष 2005-2006 और 2006-2007 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(तीन) काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च, नई दिल्ली के वर्ष 2005-2006 और 2006-2007 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(56) उपर्युक्त (55) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(57) (एक) रमन रिसर्च इंस्टिट्यूट, बंगलौर के वर्ष 2007-2008 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) रमन रिसर्च इंस्टिट्यूट, बंगलौर के वर्ष 2007-2008 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(58) (एक) सत्येन्द्र नाथ बोस नेशनल सेंटर फॉर बेसिक साइंसेस, कोलकाता के वर्ष 2007-2008 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) सत्येन्द्र नाथ बोस नेशनल सेंटर फॉर बेसिक साइंसेस, कोलकाता के वर्ष 2007-2008 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(59) (एक) राजीव गांधी सेंटर फॉर बायोटेक्नालाजी, तिरुवनंतपुरम के वर्ष 2007-2008 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) राजीव गांधी सेंटर फॉर बायोटेक्नालाजी, तिरुवनंतपुरम के वर्ष 2007-2008 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(तीन) राजीव गांधी सेंटर फॉर बायोटेक्नालाजी, तिरुवनंतपुरम के वर्ष 2007-2008 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(60) कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 619क की उपधारा (1) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)—

(एक) नेशनल रिसर्च डेवलपमेंट कारपोरेशन, नई दिल्ली के वर्ष 2007-2008 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण।

(दो) नेशनल रिसर्च डेवलपमेंट कारपोरेशन, नई दिल्ली के वर्ष 2007-2008 के वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

(61) भारत-तिब्बत सीमा पुलिस बल अधिनियम, 1992 की धारा 156 की उपधारा (3) के अंतर्गत भारत-तिब्बत सीमा पुलिस बल, कांस्टेबल (टेलर), कांस्टेबल (गार्डनर) और कांस्टेबल (काबलर) समूह 'ग' पद भर्ती नियम, 2008 जो 17 सितम्बर, 2008 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा॰का॰नि॰ 656(अ) में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(62) केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल अधिनियम, 1968 की धारा 22 की उपधारा (3) के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)—

(एक) केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल (समूह 'क' और 'ख' सिविलियन राजपत्रित पद) भर्ती संशोधन नियम, 2008 जो 12 सितम्बर, 2008 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा॰का॰नि॰ 652(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(दो) केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल (समूह ''ख'' असैनिक अराजपत्रित पद) भर्ती (संशोधन) नियम, 2008 जो 12 सितम्बर, 2008 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा॰का॰नि॰ 653(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(63) सीमा सुरक्षा बल अधिनियम, 1968 की धारा 141 की उपधारा (3) के अंतर्गत अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)—

(एक) सीमा सुरक्षा बल जल स्कंध समूह ''क'' (तकनीकी स्टाफ) भर्ती संशोधन नियम, 2008 जो 9 फरवरी, 2008 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा॰का॰नि॰ 25 में प्रकाशित हुए थे।

(दो) सीमा सुरक्षा बल (समूह ''ग'' कम्बैटाइज्ड, पराचिकित्सीय स्टाफ) भर्ती (संशोधन) नियम जो 12 जुलाई, 2008 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा॰का॰नि॰ 126 में प्रकाशित हुए थे।

(तीन) सीमा सुरक्षा बल (इंजीनियरी अधिकारी) भर्ती (संशोधन) नियम, 2007 जो 31 अक्तूबर, 2007 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा॰का॰नि॰ 227 में प्रकाशित हुए थे।

(64) उपर्युक्त (63) की मद संख्या (तीन) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(65) संविधान के अनुच्छेद 309 के अंतर्गत जारी केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल, सुरक्षा स्कंध (अधीनस्थ रैंक) भर्ती (संशोधन) नियम, 2008 जो 23 सितम्बर, 2008 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा॰का॰नि॰ 672(अ) में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(66) प्राइवेट सुरक्षा अभिकरण (विनियमन) अधिनियम, 2005 की धारा 25 की उपधारा (4) के अंतर्गत चंडीगढ़ प्रशासन प्राइवेट सुरक्षा अभिकरण नियम, 2006 जो 7 नवम्बर, 2006 के चंड़ीगढ़ प्रशासन के राजपत्र में अधिसूचना संख्या 616(जीओआई) एच III (2)-2006/20687 में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(67) उपर्युक्त (66) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(68) (एक) सर्वशिक्षा अभियान, गंगटोक के वर्ष 2004-2005 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) सर्वशिक्षा अभियान, गंगटोक के वर्ष 2004-2005 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(69) उपर्युक्त (68) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(70) (एक) सर्वशिक्षा अभियान, कर्नाटक के वर्ष 2006-2007 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) सर्वशिक्षा अभियान, कर्नाटक के वर्ष 2006-2007 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(71) उपर्युक्त (70) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(72) (एक) सर्वशिक्षा अभियान, संघ राज्यक्षेत्र मिशन प्राधिकरण, अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह, पोर्टब्लेयर के वर्ष 2006-2007 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) सर्वशिक्षा अभियान, संघ राज्यक्षेत्र मिशन प्राधिकरण, अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह, पोर्टब्लेयर के वर्ष 2006-2007 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(73) उपर्युक्त (72) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(74) (एक) झारखंड शिक्षा परियोजना परिषद, रांची के वर्ष 2005-2006 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) झारखंड शिक्षा परियोजना परिषद, रांची के वर्ष 2005-2006 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(75) उपर्युक्त (74) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(76) (एक) सर्वशिक्षा अभियान प्राधिकरण, पंजाब, चंडीगढ़ के वर्ष 2006-2007 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) सर्वशिक्षा अभियान प्राधिकरण, पंजाब, चंडीगढ़ के वर्ष 2006-2007 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(77) उपर्युक्त (76) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(78) (एक) हिमाचल प्रदेश प्राथमिक शिक्षा सोसाइटी (सर्वशिक्षा अभियान राज्य मिशन प्राधिकरण), शिमला के वर्ष 2005-2006 और 2006-2007 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) हिमाचल प्रदेश प्राथमिक शिक्षा सोसाइटी (सर्वशिक्षा अभियान राज्य मिशन प्राधिकरण), शिमला के वर्ष 2005-2006 और 2006-2007 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(79) उपर्युक्त (78) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(80) (एक) सर्वशिक्षा अभियान राज्य मिशन मिजोरम, आइजोल के वर्ष 2005-2006 और 2006-2007 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) सर्वशिक्षा अभियान राज्य मिशन मिजोरम, आइजोल के वर्ष 2005-2006 और 2006-2007 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(81) उपर्युक्त (80) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(82) (एक) सर्वशिक्षा अभियान सोसाइटी, चंडीगढ़ के वर्ष 2006-2007 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) सर्वशिक्षा अभियान सोसाइटी, चंडीगढ़ के वर्ष 2006-2007 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(83) उपर्युक्त (82) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(84) (एक) सर्वशिक्षा अभियान संघ राज्यक्षेत्र दमण और दीव, दमण के वर्ष 2004-2005 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) सर्वशिक्षा अभियान संघ राज्यक्षेत्र दमण और दीव, दमण के वर्ष 2004-2005 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(85) उपर्युक्त (84) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(86) (एक) सर्वशिक्षा अभियान संघ राज्यक्षेत्र दमण और दीव, दमण के वर्ष 2005-2006 और 2006-2007 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) सर्वशिक्षा अभियान संघ राज्यक्षेत्र दमण और दीव, दमण के वर्ष 2005-2006 और 2006-2007 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(87) उपर्युक्त (86) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(88) आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 की धारा 77 के अंतर्गत राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (वित्तीय सलाहकार) भर्ती नियम, 2008 जो 11 जनवरी, 2008 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा॰का॰नि॰ 26(अ) में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(89) उपर्युक्त (88) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(90) नई दिल्ली नगरपालिका परिषद अधिनियम, 1994 की धारा 389 के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)—

(एक) नई दिल्ली नगरपालिका परिषद (भूमि और भवनों के अनुपस्थित स्वामियों के अभिकर्ताओं की नियुक्ति) उप-नियम, 2008 जो 11 अप्रैल, 2008 के दिल्ली के राजपत्र में अधिसूचना संख्या एफ॰सं॰ 4/1/2006/एनडीएमसी/6680 में प्रकाशित हुए थे।

(दो) नई दिल्ली नगरपालिका परिषद (कुत्तों का पंजीकरण और नियंत्रण) उप-नियम, 2008 जो 11 अप्रैल, 2008 के दिल्ली के राजपत्र में अधिसूचना संख्या एफ॰सं॰ 4/16/2006/यूडी/एनडीएमसी/6679 में प्रकाशित हुए थे।

(तीन) नई दिल्ली नगरपालिका परिषद (संपत्ति कर का संदाय) उप-नियम, 2008 जो 11 अप्रैल, 2008 के दिल्ली के राजपत्र में अधिसूचना संख्या एफ॰सं॰ 4/2/2006/यूडी/एनडीएमसी/6681 में प्रकाशित हुए थे।

(चार) नई दिल्ली नगरपालिका परिषद (अनधिकृत निर्माण की सीलिंग) नियम, 2008 जो 29 मई, 2008 के दिल्ली के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा॰का॰नि॰ 411(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(पांच) नई दिल्ली की नई दिल्ली नगरपालिका परिषद के विधिक सलाहकार के पद के लिए भर्ती विनियम, 2001 जो 15 मई, 2008 के दिल्ली के राजपत्र में अधिसूचना संख्या एफ॰सं॰ 19/5/08/आरआर/एनडीएमसी/यूडी/8686/888 में प्रकाशित हुए थे।

(छह) नई दिल्ली की नई दिल्ली नगरपालिका परिषद के सहायक इंजीनियर (विद्युत) के पद के लिए भर्ती विनियम, 2006 जो 15 मई, 2008 के दिल्ली के राजपत्र में अधिसूचना संख्या एफ॰सं॰ 19/5/08/आरआर/एनडीएमसी/यूडी/8686/888 में प्रकाशित हुए थे।

(सात) नई दिल्ली की नई दिल्ली नगरपालिका परिषद के कार्यपालक इंजीनियर (विद्युत) के पद के लिए भर्ती विनियम, 2006 जो 15 मई, 2008 के दिल्ली के राजपत्र में अधिसूचना संख्या एफ॰सं॰ 19/5/08/आरआर/एनडीएमसी/यूडी/8686/888 में प्रकाशित हुए थे।

(आठ) नई दिल्ली की नई दिल्ली नगरपालिका परिषद के अधीक्षण इंजीनियर (विद्युत) के पद के लिए भर्ती विनियम, 2006 जो 15 मई, 2008 के दिल्ली के राजपत्र में अधिसूचना संख्या एफ॰सं॰ 19/5/08/आरआर/एनडीएमसी/यूडी/8686/888 में प्रकाशित हुए थे।

(नौ) नई दिल्ली की नई दिल्ली नगरपालिका परिषद के अपर विधि अधिकारी के पद के लिए भर्ती विनियम, 2006 जो 15 मई, 2008 के दिल्ली के राजपत्र में अधिसूचना संख्या एफ॰सं॰ 19/5/08/आरआर/एनडीएमसी/यूडी/8686/888 में प्रकाशित हुए थे।

(दस) नई दिल्ली की नई दिल्ली नगरपालिका परिषद के विधि अधिकारी के पद के लिए भर्ती विनियम, 2001 जो 15 मई, 2008 के दिल्ली के राजपत्र में अधिसूचना संख्या एफ॰सं॰ 19/5/08/आरआर/एनडीएमसी/यूडी/8686/888 में प्रकाशित हुए थे।

(ग्यारह) नई दिल्ली की नई दिल्ली नगरपालिका परिषद के उप विधि अधिकारी के पद के लिए भर्ती विनियम, 2006 जो 15 मई, 2008 के दिल्ली के राजपत्र में अधिसूचना संख्या एफ॰सं॰ 19/5/08/आरआर/एनडीएमसी/यूडी/8686/888 में प्रकाशित हुए थे।

(बारह) नई दिल्ली की नई दिल्ली नगरपालिका परिषद के सहायक विधि अधिकारी के पद के लिए भर्ती विनियम, 2006 जो 15 मई, 2008 के दिल्ली के राजपत्र में अधिसूचना संख्या एफ॰सं॰ 19/5/08/आरआर/एनडीएमसी/यूडी/8686/888 में प्रकाशित हुए थे।

(तेरह) नई दिल्ली की नई दिल्ली नगरपालिका परिषद के वरिष्ठ लेखा अधिकारी/वित्त अधिकारी के पद के लिए भर्ती विनियम, 2006 जो 15 मई, 2008 के दिल्ली के राजपत्र में अधिसूचना संख्या एफ॰सं॰ 19/5/08/आरआर/ एनडीएमसी/यूडी/8686/888 में प्रकाशित हुए थे।

(चौदह) नई दिल्ली की नई दिल्ली नगरपालिका परिषद के लेखा अधिकारी/वित्त अधिकारी के पद के लिए भर्ती विनियम, 2006 जो 15 मई, 2008 के दिल्ली के राजपत्र में अधिसूचना संख्या एफ॰सं॰ 19/5/08/आरआर/एनडीएमसी/यूडी/8686/888 में प्रकाशित हुए थे।

(पंद्रह) नई दिल्ली की नई दिल्ली नगरपालिका परिषद के सहायक लेखा अधिकारी/वित्त अधिकारी के पद के लिए भर्ती विनियम, 2006 जो 15 मई, 2008 के दिल्ली के राजपत्र में अधिसूचना संख्या एफ॰सं॰ 19/5/08/आरआर/एनडीएमसी/यूडी/8686/888 में प्रकाशित हुए थे।

(सोलह) नई दिल्ली की नई दिल्ली नगरपालिका परिषद के कनिष्ठ लेखा अधिकारी के पद के लिए भर्ती विनियम, 2006 जो 15 मई, 2008 के दिल्ली राजपत्र में अधिसूचना संख्या एफ॰सं॰ 19/5/08/आरआर/एनडीएमसी/यूडी/8686/888 में प्रकाशित हुए थे।

(सत्रह) नई दिल्ली की नई दिल्ली नगरपालिका परिषद के स्वच्छता अधिकारी के पद के लिए भर्ती विनियम, 2006 जो 15 मई, 2008 के दिल्ली के राजपत्र

में अधिसूचना संख्या एफ॰सं॰ 19/5/08/आरआर/एनडीएमसी/यूडी/8686/888 में प्रकाशित हुए थे।

(अठारह) नई दिल्ली की नई दिल्ली नगरपालिका परिषद के मुख्य प्राक्कलनकर्ता (सिविल) के पद के लिए भर्ती विनियम, 2006 जो 15 मई, 2008 के दिल्ली के राजपत्र में अधिसूचना संख्या एफ॰सं॰ 19/5/08/आरआर/एनडीएमसी/यूडी/8686/888 में प्रकाशित हुए थे।

(उन्नीस) नई दिल्ली की नई दिल्ली नगरपालिका परिषद के वरिष्ठ पाली अधिकारी के पद के लिए भर्ती विनियम, 2006 जो 15 मई, 2008 के दिल्ली के राजपत्र में अधिसूचना संख्या एफ॰सं॰ 19/5/08/आरआर/एनडीएमसी/यूडी/8686/888 में प्रकाशित हुए थे।

(बीस) नई दिल्ली की नई दिल्ली नगरपालिका परिषद के मुख्य सुरक्षा अधिकारी के पद के लिए भर्ती विनियम, 2006 जो 15 मई, 2008 के दिल्ली के राजपत्र में अधिसूचना संख्या एफ॰सं॰ 19/5/08/आरआर/एनडीएमसी/यूडी/8686/888 में प्रकाशित हुए थे।

(इक्कीस) नई दिल्ली की नई दिल्ली नगरपालिका परिषद के सहायक अग्निशमन अधिकारी के पद के लिए भर्ती विनियम, 2007 जो 15 मई, 2008 के दिल्ली के राजपत्र में अधिसूचना संख्या एफ॰सं॰ 19/5/08/आरआर/एनडीएमसी/यूडी/8686/888 में प्रकाशित हुए थे।

(बाईस) नई दिल्ली की नई दिल्ली नगरपालिका परिषद के अग्निशमन अधिकारी के पद के लिए भर्ती विनियम, 2007 जो 15 मई, 2008 के दिल्ली के राजपत्र में अधिसूचना संख्या एफ॰सं॰ 19/5/08/आरआर/एनडीएमसी/यूडी/8686/888 में प्रकाशित हुए थे।

(तेइस) नई दिल्ली की नई दिल्ली नगरपालिका परिषद के अधीक्षण वाणिज्यिक के पद के लिए भर्ती विनियम, 2006 जो 15 मई, 2008 के दिल्ली के राजपत्र में अधिसूचना संख्या एफ॰सं॰ 19/5/08/आरआर/एनडीएमसी/यूडी/8686/888 में प्रकाशित हुए थे।

(चौबीस) नई दिल्ली की नई दिल्ली नगरपालिका परिषद के सहायक वाणिज्यिक अधिकारी के पद के लिए भर्ती विनियम, 2006 जो 15 मई, 2008 के दिल्ली के राजपत्र में अधिसूचना संख्या एफ॰सं॰ 19/5/08/आरआर/एनडीएमसी/यूडी/8686/888 में प्रकाशित हुए थे।

(पच्चीस) नई दिल्ली की नई दिल्ली नगरपालिका परिषद के अधीक्षण इंजीनियर (सिविल) के पद के लिए भर्ती विनियम, 2006 जो 15 मई, 2008 के दिल्ली के राजपत्र में अधिसूचना संख्या एफ॰सं॰ 19/5/08/आरआर/एनडीएमसी/यूडी/8686/888 में प्रकाशित हुए थे।

(91) शेयर बाजार घोटाला और तत्संबंधी मामलों संबंधी संयुक्त संसदीय समिति–दिसम्बर, 2008 की सिफारिशों के अनुसरण में की–गई–कार्यवाही के बारे में 11वें प्रगति प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(92) उद्योग (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1951 की धारा 18–छ के अंतर्गत जारी निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक–एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):—

(एक) अखबारी कागज नियंत्रण (संशोधन) आदेश, 2008 जो 29 अप्रैल, 2008 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या का॰आ॰ 1035(अ) में प्रकाशित हुआ था।

(दो) अखबारी कागज नियंत्रण (संशोधन) आदेश, 2008 जो 21 मई, 2008 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या का॰आ॰ 1179(अ) में प्रकाशित हुआ था।

(तीन) अखबारी कागज नियंत्रण (संशोधन) आदेश, 2008 जो 29 जुलाई, 2008 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या का॰आ॰ 1865(अ) में प्रकाशित हुआ था।

(चार) अखबारी कागज नियंत्रण (संशोधन) आदेश, 2008 जो 29 जुलाई, 2008 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या का॰आ॰ 1866(अ) में प्रकाशित हुआ था।

(पांच) अखबारी कागज नियंत्रण (संशोधन) आदेश, 2008 जो 12 अगस्त, 2008 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या का॰आ॰ 2029(अ) में प्रकाशित हुआ था।

(छह) अखबारी कागज नियंत्रण (संशोधन) आदेश, 2008 जो 12 अगस्त, 2008 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या का॰आ॰ 2030(अ) में प्रकाशित हुआ था।

(सात) अखबारी कागज नियंत्रण (संशोधन) आदेश, 2008 जो 19 अगस्त, 2008 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या का॰आ॰ 2066(अ) में प्रकाशित हुआ था।

(93) उद्योग (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1951 की धारा 29ख के अंतर्गत जारी अधिसूचना संख्या का॰आ॰ 2439(अ) जो 10 अक्तूबर, 2008 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जिसके द्वारा 25 जुलाई, 1991 की अधिसूचना संख्या का॰आ॰ 477(अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं, की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(94) (एक) नेशनल काउंसिल फॉर सीमेंट एण्ड बिल्डिंग मैटिरियल्स, बल्लभगढ़ के वर्ष 2007-2008 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) नेशनल काउंसिल फॉर सीमेंट एण्ड बिल्डिंग मैटिरियल्स, बल्लभगढ़ के वर्ष 2007-2008 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(95) व्यापार चिह्न अधिनियम, 1999 की धारा 157 की उपधारा (4) के अंतर्गत बौद्धिक संपदा अपीलीय बोर्ड (समूह 'क' और समूह 'ख') भर्ती नियम, 2008 जो 8 मई, 2008 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा॰का॰नि॰ 345(अ) में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(96) भारतीय बॉयलर अधिनियम, 1923 की धारा 28 की उपधारा (2) के अंतर्गत भारतीय बॉयलर (संशोधन) विनियम, 2008 जो 5 जुलाई, 2008 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा॰का॰नि॰ 123 में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(97) कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 619क के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)—

(एक) जम्मू एण्ड कश्मीर डेवलपमेंट फाइनेंस कारपोरेशन लिमिटेड, जम्मू के वर्ष 2007-2008 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण।

(दो) जम्मू एण्ड कश्मीर डेवलपमेंट फाइनेंस कारपोरेशन लिमिटेड, जम्मू का वर्ष 2007-2008 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

(98) (एक) इंडियन इंस्टिट्यूट ऑफ साइंस, बंगलौर के वर्ष 2006-2007 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) इंडियन इंस्टिट्यूट ऑफ साइंस, बंगलौर के वर्ष 2006-2007 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण), तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(तीन) इंडियन इंस्टिट्यूट ऑफ साइंस, बंगलौर के वर्ष 2006-2007 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(99) उपर्युक्त (98) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(100) (एक) श्री लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय संस्कृत संस्थान, नई दिल्ली के वर्ष 2006-2007 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) श्री लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय संस्कृत संस्थान, नई दिल्ली के वर्ष 2006-2007 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(101) (एक) केन्द्रीय हिन्दी शिक्षण मंडल (केन्द्रीय हिन्दी संस्थान), आगरा के वर्ष 2006-2007 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) केन्द्रीय हिन्दी शिक्षण मंडल (केन्द्रीय हिन्दी संस्थान), आगरा के वर्ष 2006-2007 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण), तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(तीन) केन्द्रीय हिन्दी शिक्षण मंडल (केन्द्रीय हिन्दी संस्थान), आगरा के वर्ष 2006-2007 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(102) उपर्युक्त (101) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(103) (एक) पंडित द्वारका प्रसाद मिश्रा इंडियन इंस्टिट्यूट ऑफ इन्फार्मेशन टेक्नालॉजी, डिजाइन एण्ड मैन्यूफैक्चरिंग, जबलपुर के वर्ष 2006-2007 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) पंडित द्वारका प्रसाद मिश्रा इंडियन इंस्टिट्यूट ऑफ इन्फार्मेशन टेक्नालॉजी, डिजाइन एण्ड मैन्यूफैक्चरिंग, जबलपुर के वर्ष 2006-2007 के वार्षिक

लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण), तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(तीन) पंडित द्वारका प्रसाद मिश्रा इंडियन इंस्टिट्यूट ऑफ इन्फार्मेशन टेक्नालॉजी, डिजाइन एण्ड मैन्यूफैक्चरिंग, जबलपुर के वर्ष 2006-2007 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(104) उपर्युक्त (103) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(105) (एक) नेशनल इंस्टिट्यूट ऑफ फाउंड्री एण्ड फोर्ज टेक्नालॉजी, राँची के वर्ष 2006-2007 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) नेशनल इंस्टिट्यूट ऑफ फाउंड्री एण्ड फोर्ज टेक्नालॉजी, राँची के वर्ष 2006-2007 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(106) उपर्युक्त (105) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(107) (एक) राष्ट्रीय संस्कृत संस्थान, नई दिल्ली के वर्ष 2006-2007 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) राष्ट्रीय संस्कृत संस्थान, नई दिल्ली के वर्ष 2006-2007 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(108) उपर्युक्त (107) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(109) (एक) स्कूल ऑफ प्लानिंग एण्ड आर्किटेक्चर, नई दिल्ली के वर्ष 2006-2007 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) स्कूल ऑफ प्लानिंग एण्ड आर्किटेक्चर, नई दिल्ली के वर्ष 2006-2007 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(110) उपर्युक्त (109) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(111) (एक) ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन, नई दिल्ली के वर्ष 2005-2006 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन, नई दिल्ली के वर्ष 2005-2006 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(112) उपर्युक्त (111) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(113) (एक) ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन, नई दिल्ली के वर्ष 2006-2007 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन, नई दिल्ली के वर्ष 2006-2007 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(114) उपर्युक्त (113) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(115) (एक) भारतीय प्रबंधन संस्थान, इंदौर के वर्ष 2006-2007 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखे।

(दो) भारतीय प्रबंधन संस्थान, इंदौर के वर्ष 2006-2007 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(116) उपर्युक्त (115) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(117) भारत शिक्षा कोष, नई दिल्ली के वर्ष 2005-2006 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखे।

(118) उपर्युक्त (117) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(119) (एक) इंडियन स्कूल ऑफ माइन्स यूनिवर्सिटी, धनबाद के वर्ष 2006-2007 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) इंडियन स्कूल ऑफ माइन्स यूनिवर्सिटी, धनबाद के वर्ष 2006-2007 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(तीन) इंडियन स्कूल ऑफ माइन्स यूनिवर्सिटी, धनबाद के वर्ष 2006-2007 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(120) उपर्युक्त (119) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(121) (एक) नेशनल काउंसिल फॉर प्रमोशन ऑफ सिंधी लैंग्वेज, नई दिल्ली के वर्ष 2006-2007 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) नेशनल काउंसिल फॉर प्रमोशन ऑफ सिंधी लैंग्वेज, नई दिल्ली के वर्ष 2006-2007 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(तीन) नेशनल काउंसिल फॉर प्रमोशन ऑफ सिंधी लैंग्वेज, नई दिल्ली के वर्ष 2006-2007 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(122) उपर्युक्त (121) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(123) (एक) संत लोंगोवाल इंस्टिट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एण्ड टेक्नोलॉजी, संगरूर के वर्ष 2006-2007 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) संत लोंगोवाल इंस्टिट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एण्ड टेक्नोलॉजी, संगरूर के वर्ष 2006-2007 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(124) उपर्युक्त (123) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(125) (एक) दिल्ली विश्वविद्यालय (भाग-एक और दो), दिल्ली के वर्ष 2006-2007 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) दिल्ली विश्वविद्यालय (भाग-एक और दो), दिल्ली के वर्ष 2006-2007 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(126) उपर्युक्त (125) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(127) अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद अधिनियम, 1987 की धारा 24 के अंतर्गत जारी निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)—

(एक) अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद पार्श्विक प्रवेश के माध्यम से डिग्री इंजीनियरिंग कार्यक्रमों में विद्यार्थियों का प्रवेश विनियम, 2007, जो 23 फरवरी, 2007 को भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या एफ सं॰ 37-3/लीगल/2007 में प्रकाशित हुए थे।

(दो) अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद (ग्रुप क, ख और ग पद) भर्ती विनियम, 2007, जो 2 नवंबर, 2007 को भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या एफ सं॰ 37-3/लीगल (तीन)/2007 में प्रकाशित हुए थे।

(128) उपर्युक्त (127) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(129) मौलाना आजाद राष्ट्रीय उर्दू विश्वविद्यालय अधिनियम, 1996 की धारा 43 के अंतर्गत जारी निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)—

(एक) अधिसूचना संख्या 7 जो 16 फरवरी, 2007 के भारत के साप्ताहिक राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा मौलाना आजाद राष्ट्रीय उर्दू विश्वविद्यालय अधिनियम, 1996 की संविधियों की संविधि 39 में कतिपय संशोधन किए गए हैं।

(दो) अधिसूचना संख्या 24 जो 16 जून, 2007 के भारत के साप्ताहिक राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा मौलाना आजाद राष्ट्रीय उर्दू विश्वविद्यालय अधिनियम, 1996 की संविधि 2 में कतिपय संशोधन किए गए हैं।

(130) मणिपुर विश्वविद्यालय अधिनियम, 2005 की धारा 46 की उपधारा 2 के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचना संख्या 217 जो 2 नवम्बर, 2007 के भारत के राजपत्र में

प्रकाशित हुई थी तथा जिसके द्वारा विश्वविद्यालय में प्रवेश और डिग्रियों, डिप्लोमा और प्रमाण पत्र के बारे में पहला अध्यादेश दिया गया है, की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(131) इलाहाबाद विश्वविद्यालय, 2005 की धारा 28 के अंतर्गत जारी अधिसूचना संख्या ए॰यू॰/कॉम सेक॰/एसटी॰ 30(5)/ए/2008 जो 16 फरवरी, 2008 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी, जिसके द्वारा संघटक संस्थानों से संबंधित इलाहाबाद विश्वविद्यालय अधिनियम, 2005 के संविधि 30(5) के खंड (2) (3) के कतिपय संशोधन/विलोपन किए गए हैं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(132) (एक) इंडियन इंस्टिट्यूट ऑफ एडवांस्ड स्टडी, शिमला के वर्ष 2006-2007 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) इंडियन इंस्टिट्यूट ऑफ एडवांस्ड स्टडी, शिमला के वर्ष 2006-2007 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(133) उपर्युक्त (132) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(134) केन्द्रीय शैक्षणिक संस्थान (प्रवेश में आरक्षण) अधिनियम, 2006 के बारे में संकल्प की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(135) उपर्युक्त (134) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(136) इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय, नई दिल्ली के वर्ष 2006-2007 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(137) उपर्युक्त (136) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(138) (एक) असम विश्वविद्यालय, सिलचर के वर्ष 2007-2008 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) असम विश्वविद्यालय, सिलचर के वर्ष 2007-2008 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(139) नॉर्थ ईस्टर्न हिल यूनिवर्सिटी, शिलांग के वर्ष 2006-2007 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(140) उपर्युक्त (139) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(141) असम यूनिवर्सिटी, सिलचर के वर्ष 2006-2007 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(142) उपर्युक्त (141) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(143) (एक) नागालैंड विश्वविद्यालय, कोहिमा के वर्ष 2006-2007 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) नागालैंड विश्वविद्यालय, कोहिमा के वर्ष 2006-2007 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(144) उपर्युक्त (142) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(145) (एक) इलाहाबाद विश्वविद्यालय, इलाहाबाद के वर्ष 2005-2006 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) इलाहाबाद विश्वविद्यालय, इलाहाबाद के वर्ष 2005-2006 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(146) उपर्युक्त (145) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(147) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम, 1956 की धारा 26 के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):—

(एक) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (औपचारिक शिक्षा के माध्यम से स्नातकोत्तर डिग्री प्रदान किए जाने के लिए शिक्षण के न्यूनतम मानक) विनियम (पहला संशोधन), 2007 जो 15 मार्च, 2008 के भारत के साप्ताहिक राजपत्र में अधिसूचना संख्या 11 में प्रकाशित हुए थे।

(दो) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (औपचारिक शिक्षा के माध्यम से प्रथम डिग्री प्रदान किए जाने के लिए शिक्षण के न्यूनतम मानक) विनियम

(पहला संशोधन), 2007 जो 14 अप्रैल, 2008 के भारत के साप्ताहिक राजपत्र में अधिसूचना संख्या 15 में प्रकाशित हुए थे।

(148) उपर्युक्त (147) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(149) (एक) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, नई दिल्ली के वर्ष 2006-2007 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, नई दिल्ली के वर्ष 2006-2007 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(तीन) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, नई दिल्ली के वर्ष 2006-2007 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(150) उपर्युक्त (149) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(151) सरदार वल्लभभाई राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, सूरत के वर्ष 2006-2007 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(152) उपर्युक्त (151) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(153) (एक) राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, दुर्गापुर के वर्ष 2006-2007 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, दुर्गापुर के वर्ष 2006-2007 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(154) उपर्युक्त (153) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(155) (एक) राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, हजरतबल के वर्ष 2006-2007 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, हजरतबल के वर्ष 2006-2007 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(156) उपर्युक्त (155) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(157) (एक) मोतीलाल नेहरू राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, इलाहाबाद के वर्ष 2006-2007 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) मोतीलाल नेहरू राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, इलाहाबाद के वर्ष 2006-2007 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(158) उपर्युक्त (157) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(159) (एक) राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, जमशेदपुर के वर्ष 2006-2007 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, जमशेदपुर के वर्ष 2006-2007 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(160) उपर्युक्त (159) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(161) (एक) मौलाना आजाद राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, भोपाल के वर्ष 2006-2007 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) मौलाना आजाद राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, भोपाल के वर्ष 2006-2007 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(162) उपर्युक्त (161) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(163) (एक) राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, हमीरपुर के वर्ष 2006-2007 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, हमीरपुर के वर्ष 2006-2007 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(164) उपर्युक्त (163) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(165) (एक) मालवीय राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, जयपुर के वर्ष 2006-2007 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) मालवीय राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, जयपुर के वर्ष 2006-2007 का वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(तीन) मालवीय राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, जयपुर के वर्ष 2006-2007 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(166) उपर्युक्त (165) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(167) (एक) इंडियन काउंसिल ऑफ सोशल साइंस रिसर्च, नई दिल्ली के वर्ष 2006-2007 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) इंडियन काउंसिल ऑफ सोशल साइंस रिसर्च, नई दिल्ली के वर्ष 2006-2007 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(168) उपर्युक्त (167) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(169) (एक) तंबाकू बोर्ड, गुंटूर के वर्ष 2006-2007 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) तंबाकू बोर्ड, गुंटूर के वर्ष 2006-2007 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(170) उपर्युक्त (169) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(171) रबड़ अधिनियम, 1947 की धारा 25 की उपधारा (3) के अंतर्गत रबड़ बोर्ड (रबड़ उत्पादन आयुक्त और सचिव) भर्ती नियम, 2008, जो 25 मार्च, 2008 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा॰का॰नि॰ 205(अ) में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा 30 अप्रैल, 2008 की अधिसूचना संख्या सा॰का॰नि॰ 318(अ) में प्रकाशित एक शुद्धि पत्र।

(172) कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण अधिनियम, 1985 की धारा 34 के अंतर्गत कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण (संशोधन) नियम, 2007 जो 13 जून, 2007 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या का॰आ॰ 961(अ) में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(173) निर्यात (क्वालिटी नियंत्रण और निरीक्षण) अधिनियम, 1963 की धारा 17 की उपधारा (3) के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)—

(एक) दुग्ध उत्पादों का निर्यात (गुणवत्ता नियंत्रण, निरीक्षण और मॉनीटरिंग) संशोधन नियम, 2007 जो 12 मई, 2007 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या का॰आ॰ 1397 में प्रकाशित हुए थे।

(दो) ताजे, शीतीत और प्रसंस्कृत मत्स्य और मत्स्य उत्पादों का निर्यात (गुणवत्ता नियंत्रण, निरीक्षण और मॉनीटरिंग) संशोधन नियम, 2006 जो 3 मार्च, 2007 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या का॰आ॰ 612 में प्रकाशित हुए थे।

(तीन) बाईवाल्व मॉलस्कस (गुणवत्ता नियंत्रण, निरीक्षण और मॉनीटरिंग) संशोधन नियम, 2007 जो 15 मई, 2007 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या का॰आ॰ 763(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(174) (एक) मसाला बोर्ड, कोचीन के वर्ष 2007-2008 के वार्षिक प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति।

(दो) मसाला बोर्ड, कोचीन के वर्ष 2007-2008 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(तीन) मसाला बोर्ड, कोचीन के वर्ष 2007-2008 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(175) (एक) निर्यातोन्मुख इकाईयों और सेज, नई दिल्ली के लिए निर्यात संवर्द्धन काउंसिल के वर्ष 2007-2008 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) निर्यातोन्मुख इकाईयों और सेज, नई दिल्ली के लिए निर्यात संवर्द्धन काउंसिल के वर्ष 2007-2008 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(176) निर्यात (क्वालिटी नियंत्रण और निरीक्षण) अधिनियम, 1963 की धारा 17 की उपधारा (3) के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):—

(एक) ताजे, शीतीत और प्रसंस्कृत मत्स्य और मत्स्य उत्पादों का निर्यात (गुणवत्ता नियंत्रण, निरीक्षण और मॉनीटरिंग) संशोधन नियम, 2008 जो 28 जून, 2008 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या का॰आ॰ 1519 में प्रकाशित हुए थे।

(दो) अंडा उत्पादों का निर्यात (गुणवत्ता नियंत्रण, निरीक्षण और मॉनीटरिंग) संशोधन नियम, 2008 जो 28 जून, 2008 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या का॰आ॰ 1516 में प्रकाशित हुए थे।

(तीन) ताजे पॉल्ट्री मांस उत्पादों का निर्यात (गुणवत्ता नियंत्रण, निरीक्षण और मॉनीटरिंग) संशोधन नियम, 2008 जो 28 जून, 2008 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या का॰आ॰ 1517 में प्रकाशित हुए थे।

(चार) शहर निर्यात (गुणवत्ता नियंत्रण, निरीक्षण और मॉनीटरिंग) संशोधन नियम, 2008 जो 28 जून, 2008 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या का॰आ॰ 1518 में प्रकाशित हुए थे।

(पांच) दुग्ध उत्पादों का निर्यात (गुणवत्ता नियंत्रण, निरीक्षण और मॉनीटरिंग) संशोधन नियम, 2008 जो 28 जून, 2008 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या का॰आ॰ 1515 में प्रकाशित हुए थे।

(177) कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 619क की उपधारा (1) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):—

(क) (एक) एमएमटीसी लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 2007-2008 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) एमएमटीसी लिमिटेड, नई दिल्ली का वर्ष 2007-2008 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

(ख) एक) एसटीसीएल लिमिटेड, बंगलौर के वर्ष 2007-2008 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) एसटीसीएल लिमिटेड, बंगलौर का वर्ष 2007-2008 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

(ग) (एक) पीईसी लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 2007-2008 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) पीईसी लिमिटेड, नई दिल्ली का वर्ष 2007-2008 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

(178) (एक) नेशनल सेन्टर फॉर ट्रेड इनफार्मेशन, नई दिल्ली के वर्ष 2007-2008 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) नेशनल सेन्टर फॉर ट्रेड इनफार्मेशन, नई दिल्ली के वर्ष 2007-2008 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(179) (एक) इंडियन इंस्टीटट्यूट ऑफ पैकेजिंग, मुम्बई के वर्ष 2007-2008 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) इंडियन इंस्टीटट्यूट ऑफ पैकेजिंग, मुम्बई के वर्ष 2007-2008 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(180) (एक) फुटवियर डिजाईन एण्ड डेवलपमेंट इंस्टीटट्यूट, नोएडा के वर्ष 2007-2008 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) फुटवियर डिजाईन एण्ड डेवलपमेंट इंस्टीटट्यूट, नोएडा के वर्ष 2007-2008 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(181) (एक) स्पोर्ट्स गुड्स एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल, नई दिल्ली के वर्ष 2007-2008 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) फुटवियर डिजाईन एण्ड डेवलपमेंट इंस्टीटट्यूट, नोएडा के वर्ष 2007-2008 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(182) (एक) काउंसिल फॉर लेदर एक्सपोर्ट्स, चेन्नई के वर्ष 2007-2008 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) काउंसिल फॉर लेदर एक्सपोर्ट्स, चेन्नई के वर्ष 2007-2008 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(183) (एक) कैपेक्सिल (केमिकल्स एण्ड एलाइड प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल) कोलकाता के वर्ष 2007-2008 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) कैपेक्सिल (केमिकल्स एण्ड एलाइड प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल) कोलकाता के वर्ष 2007-2008 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(184) (एक) प्लास्टिक्स एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल, मुंबई के वर्ष 2007-2008 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) प्लास्टिक्स एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल, मुंबई के वर्ष 2007-2008 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(185) (एक) भारतीय विदेश व्यापार संस्थान, नई दिल्ली के वर्ष 2007-2008 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) भारतीय विदेश व्यापार संस्थान, नई दिल्ली के वर्ष 2007-2008 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(186) (एक) केमेक्सिल (बेसिक केमिकल्स, फार्मास्यूटिकल्स एण्ड कॉस्मेटिक्स एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल), मुंबई के वर्ष 2007-2008 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) केमेक्सिल (बेसिक केमिकल्स, फार्मास्यूटिकल्स एण्ड कॉस्मेटिक्स एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल), मुंबई के वर्ष 2007-2008 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(187) (एक) फार्मास्यूटिकल्स एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल, हैदराबाद के वर्ष 2007-2008 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) फार्मास्यूटिकल्स एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल, हैदराबाद के वर्ष 2007-2008 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(188) (एक) ईईपीसी (पूर्व में इंजीनियरिंग एक्सपोर्ट, प्रमोशन काउंसिल) भारत, कोलकाता के वर्ष 2007-2008 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) ईईपीसी (पूर्व में इंजीनियरिंग एक्सपोर्ट, प्रमोशन काउंसिल) भारत, कोलकाता के वर्ष 2007-2008 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(189) कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण अधिनियम, 1985 की धारा 34 के अंतर्गत कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण (संशोधन) नियम, 2008 जो 3 दिसम्बर, 2008 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या 2835 में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(190) तंबाकू बोर्ड अधिनियम, 1975 के अंतर्गत जारी निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)—

(एक) का॰आ॰ 959(अ) जो 13 जून, 2007 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से आरंभ होने वाली और 15 सितम्बर, 2007 को समाप्त होने वाली अवधि के लिए आंध्र प्रदेश राज्य में तंबाकू बोर्ड अधिनियम, 1975 की धारा 10 के उपबंधों के प्रचालन में शिथिलता दी गई है और तंबाकू बोर्ड द्वारा प्राधिकृत ऑक्सन प्लेटफार्मों पर रजिस्ट्रीकृत उत्पादकों के एफसीवी तंबाकू की फसल और

अरजिस्ट्रीकृत उत्पादकों के अप्राधिकृत एफसीवी तंबाकू की फसल की अतिरिक्त मात्रा के विक्रय की अनुमति दी गई है।

(दो) का॰आ॰ 960(अ) जो 13 जून, 2007 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा तंबाकू बोर्ड को इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से 15 सितम्बर, 2007 तक की अवधि के लिए कतिपय शर्तों के अध्यधीन आंध्र प्रदेश राज्य में अपने ऑक्सन प्लेटफार्मों पर आंध्र प्रदेश राज्य के रजिस्ट्रीकृत उत्पादकों द्वारा उत्पादित एफसीवी तंबाकू और अरजिस्ट्रीकृत उत्पादकों द्वारा उत्पादित एफसीवी तंबाकू की अतिरिक्त मात्रा के क्रय के लिए तंबाकू बोर्ड के रजिस्ट्रीकृत व्यापारियों और डीलरों को स्वीकृत करने के लिए प्राधिकृत किया गया है।

(तीन) का॰आ॰ 1596(अ) जो 1 जुलाई, 2008 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा तंबाकू बोर्ड को इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से 15 सितम्बर, 2008 तक की अवधि के लिए कतिपय शर्तों के अध्यधीन आंध्र प्रदेश राज्य में अपने ऑक्सन प्लेटफार्मों पर आंध्र प्रदेश राज्य के रजिस्ट्रीकृत उत्पादकों द्वारा उत्पादित एफसीवी तंबाकू और अरजिस्ट्रीकृत उत्पादकों द्वारा उत्पादित एफसीवी तंबाकू की अतिरिक्त मात्रा के क्रय के लिए तंबाकू बोर्ड के रजिस्ट्रीकृत व्यापारियों और डीलरों को स्वीकृत करने के लिए प्राधिकृत किया गया है।

(चार) का॰आ॰ 1597(अ) जो 1 जुलाई, 2008 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से आरंभ होने वाली और 15 सितम्बर, 2008 को समाप्त होने वाली अवधि के लिए आंध्र प्रदेश राज्य में तंबाकू बोर्ड अधिनियम, 1975 की धारा 10 के उपबंध के प्रचालन में शिथिलता दी गई है और तंबाकू बोर्ड द्वारा प्राधिकृत ऑक्सन प्लेटफार्म पर रजिस्ट्रीकृत उत्पादकों द्वारा एफसीवी तंबाकू की फसल और अरजिस्ट्रीकृत कृषकों के अप्राधिकृत एफसीवी तंबाकू की फसल की अतिरिक्त मात्रा के विक्रय की अनुमति दी गई है।

(पांच) का॰आ॰ 1598(अ) जो 1 जुलाई, 2008 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा तंबाकू बोर्ड को इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से 30 अप्रैल, 2009 तक कर्नाटक राज्य में, कतिपय शर्तों के अध्यधीन कर्नाटक राज्य के अपने ऑक्सन प्लेटफार्मों पर रजिस्ट्रीकृत उत्पादकों द्वारा उत्पादित एफसीवी तंबाकू और अरजिस्ट्रीकृत उत्पादकों

द्वारा उत्पादित एफसीवी तंबाकू की अतिरिक्त मात्रा के क्रय के लिए तंबाकू बोर्ड के रजिस्ट्रीकृत व्यापारियों और डीलरों को स्वीकृत करने के लिए प्राधिकृत किया गया है।

(छह) का॰आ॰ 1599(अ) जो 1 जुलाई, 2008 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से आरंभ होने वाली और 30 अप्रैल, 2009 को समाप्त होने वाली अवधि के लिए कर्नाटक राज्य में तंबाकू बोर्ड अधिनियम, 1975 की धारा 10 के उपबंध के प्रचालन में शिथिलता दी गई है और तंबाकू बोर्ड द्वारा प्राधिकृत ऑक्सन प्लेटफार्म पर रजिस्ट्रीकृत उत्पादकों के एफसीवी तंबाकू की फसल और अरजिस्ट्रीकृत कृषकों के अप्राधिकृत एफसीवी तंबाकू की फसल की अतिरिक्त मात्रा के विक्रय की अनुमति दी गई है।

5. सभा की बैठकों से अनुपस्थिति की अनुमति

निम्नलिखित सदस्य को उनके नाम के आगे दी गई अवधि के लिए सभा की बैठकों से अनुपस्थिति की अनुमति दी गई:—

(1) श्री राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव	11.5.2007 से 17.5.2007
	10.8.2007 से 10.9.2007
	15.11.2007 से 04.12.2007

6. सरकारी उपक्रमों संबंधी समिति के प्रतिवेदन

श्री रूपचंद पाल ने सरकारी उपक्रमों संबंधी समिति के निम्नलिखित प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत किए:—

(1) हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कारपोरेशन लिमिटेड–प्रोत्साहन का अनुत्पादक संदाय के बारे में इकतीसवां प्रतिवेदन; और

(2) तेल और प्राकृतिक गैस निगम लिमिटेड–मूल अवसाद तथा जलीय मात्रा मानक से अधिक वाले कच्चे तेल कॊ बिक्री के कारण हुई हानि के बारे में बत्तीसवां प्रतिवेदन।

7. अधीनस्थ विधान संबंधी समिति के प्रतिवेदन

श्री एन॰ एन॰ कृष्णदास ने अधीनस्थ विधान संबंधी समिति का 22वां और 23वां प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत किया।

8. अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के कल्याण संबंधी समिति का प्रतिवेदन

श्री रतिलाल कालीदास वर्मा ने वित्त मंत्रालय, वित्तीय सेवाएं विभाग (बैंकिंग प्रभाग) से संबंधित ''भारतीय रिजर्व बैंक-अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों को राष्ट्रीयकृत बैंकों द्वारा प्रदत्त ऋण सुविधाएं के बारे में समिति के 22वें प्रतिवेदन (चौदहवीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्यवाही'' के संबंध में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के कल्याण संबंधी समिति का पैंतीसवां प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत किया।

9. शहरी विकास संबंधी स्थायी समिति का प्रतिवेदन

श्री मोहम्मद सलीम ने शहरी विकास मंत्रालय से संबंधित ''शहरी परिवहन'' विषय पर शहरी विकास संबंधी स्थायी समिति (2008-09) का 37वां प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत किया।

10. रसायन और उर्वरक संबंधी स्थायी समिति के प्रतिवेदन

श्री अनंत गंगाराम गीते ने रसायन और उर्वरक संबंधी स्थायी समिति के निम्नलिखित प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत किए:—

(1) रसायन और उर्वरक मंत्रालय (रसायन और पेट्रोरसायन विभाग) की अनुदानों की मांगों (2008-2009) के संबंध में समिति के 25वें प्रतिवेदन (चौदहवीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्यवाही के बारे में 28वां प्रतिवेदन।

(2) रसायन और उर्वरक मंत्रालय (उर्वरक विभाग) की अनुदानों की मांगों (2008-2009) के संबंध में समिति के 26वें प्रतिवेदन (चौदहवीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्यवाही संबंधी 29वां प्रतिवेदन।

11. रसायन और उर्वरक संबंधी स्थायी समिति के विवरण

श्री अनंत गंगाराम गीते ने निम्नलिखित विवरणों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखी:—

(1) 'उर्वरक विभाग की अनुदानों की मांगों (2004-2005)' संबंधी दूसरे प्रतिवेदन पर की-गई-कार्यवाही के बारे में समिति (2004-2005) के चौथे प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्यवाही को दर्शाने वाला विवरण।

(2) 'उर्वरक विभाग की अनुदानों की मांगों (2005-2006)' संबंधी छठे प्रतिवेदन पर की-गई-कार्यवाही के बारे में समिति (2005-2006) के नौवें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्यवाही को दर्शाने वाला विवरण।

(3) 'उर्वरकों के संबंध में मूल्य निर्धारण और फीडस्टॉक नीतियां' विषय संबंधी दसवें प्रतिवेदन पर की-गई कार्यवाही के बारे में समिति (2005-2006) के 13वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्यवाही को दर्शाने वाला विवरण।

(4) 'रसायन और पेट्रोरसायन विभाग की अनुदानों की मांगों (2006-2007)' संबंधी 11वें प्रतिवेदन पर की-गई-कार्यवाही के बारे में समिति (2006-2007) के 14वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्यवाही को दर्शाने वाला विवरण।

(5) 'उर्वरक विभाग की अनुदानों की मांगों (2006-2007)' संबंधी 12वें प्रतिवेदन पर की-गई-कार्यवाही के बारे में समिति (2006-2007) के पन्द्रहवें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्यवाही को दर्शाने वाला विवरण।

(6) 'औषधों और भेषजों की उपलब्धता तथा मूल्य प्रबंधन' विषय संबंधी सातवें प्रतिवेदन पर की-गई-कार्यवाही के बारे में समिति (2006-2007) के बीसवें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्यवाही को दर्शाने वाला विवरण।

(7) 'रसायन और पेट्रोरसायन विभाग की अनुदानों की मांगों (2007-2008)' संबंधी 16वें प्रतिवेदन पर की-गई-कार्यवाही के बारे में समिति (2007-2008) के इक्कीसवें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्यवाही को दर्शाने वाला विवरण।

(8) 'उर्वरक विभाग की अनुदानों की मांगों (2007-2008)' संबंधी 17वें प्रतिवेदन पर की-गई-कार्यवाही के बारे में समिति (2007-2008) के बाईसवें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्यवाही को दर्शाने वाला विवरण।

(9) 'पेट्रोरसायनों की मांग और उपलब्धता' संबंधी 18वें प्रतिवेदन पर की-गई-कार्यवाही के बारे में समिति (2007-2008) के तेइसवें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्यवाही को दर्शाने वाला विवरण।

(10) 'उर्वरकों का उत्पादन, अधिप्राप्ति और संचलन' विषय संबंधी 19वें प्रतिवेदन पर की-गई-कार्यवाही के बारे में समिति (2007-2008) के चौबीसवें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्यवाही को दर्शाने वाला विवरण।

अपराह्न 12.04 बजे

12. **अध्यक्ष द्वारा टिप्पणी**

अध्यक्ष ने 12 दिसम्बर, 2008 को समाप्त होने वाले सप्ताह के दौरान सभा द्वारा किए गए कार्य के बारे में एक टिप्पणी की।

अपराह्न 12.07 बजे

13. **अध्यक्ष द्वारा टिप्पणी**

अध्यक्ष ने निम्नलिखित टिप्पणी की:—

''माननीय सदस्यों, आपको याद होगा कि 22 जुलाई, 2008 को केन्द्रीय मंत्रिपरिषद में विश्वास प्रस्ताव पर वाद-विवाद के दौरान इस सभा के सदस्य सर्वश्री अशोक अर्गल, फग्गन सिंह कुलस्ते और महावीर भगोरा सभा में दो थैले लेकर अध्यक्षपीठ के आसन के समीप आ गए थे और उन्होंने उन थैलों से नोटों की गड्डियां निकालकर उन्हें सभा पटल पर रखना शुरू कर दिया। तब पीठासीन माननीय उपाध्यक्ष ने अफरा-तफरी में सभा को स्थगित कर दिया था।

इसके तुरंत पश्चात् मेरे चैम्बर में नेताओं की बैठक आयोजित की गई थी, उसमें मैंने तीनों सदस्यों को सुना जिन्होंने अन्य बातों के साथ-साथ यह आरोप लगाया कि उन्हें विश्वास प्रस्ताव पर मतदान में अनुपस्थित रहने के लिए यह धनराशि पेश की गई है। तब मैंने यह टिप्पणी की थी कि यदि नोटों के ये बैग सभा में लाए जाने की बजाय अध्यक्ष के चैम्बर में लाए जाते, तो यह ज्यादा उपयुक्त होता। सभा की गरिमा को भारी आघात पहुंचाने वाले इस अभूतपूर्व कृत्य पर अपना क्षोभ व्यक्त करते हुए मैंने सदस्यों को निदेश दिया कि वे अपनी शिकायत लिखित रूप में दें।

तत्पश्चात्, जब सभा की बैठक आहूत हुई तो मैंने निम्नलिखित टिप्पणी की थी:–

''.......कुछ समय पहले, जब मेरे प्रतिष्ठित सहयोगी, माननीय उपाध्यक्ष, सभा की कार्यवाही का संचालन कर रहे थे, तो उस समय कतिपय ऐसी घटनाएं घटित हुईं, जो मेरे विचार से, अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण हैं। संसद के इतिहास में यह अत्यंत दु:खद दिन है जब इस प्रकार की घटना घटित हुई है.......

हमनें सभा के तीनों माननीय सदस्यों को सुना है। उन्होंने कुछ शिकायतें कीं। मैंने उनसे अनुरोध किया कि वे अपनी शिकायतें लिखित रूप में मुझे दें। मैंने उनको, नेताओं को और इस सभा को आश्वस्त किया कि सभा के संरक्षक होने के नाते इस संबंध में मेरे द्वारा अपेक्षित सभी संभव कदम उठाए जाएंगे। ऐसा करना मेरा कर्तव्य है, और मैं सभा के सभी वर्गों का सहयोग चाहता हूं।

मुझे अपने विवेक का उपयोग कर मामले की जांच करने का अवसर दें और मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि यदि कोई इस मामले में कोई दोषी पाया गया तो उसे बख्शा नहीं जाएगा।''

सर्वश्री अशोक अर्गल, फग्गन सिंह कुलस्ते और महावीर भगोरा, संसद सदस्यों ने 25 जुलाई, 2008 को मुझे दिए गए अपने संयुक्त रूप से हस्ताक्षरित वक्तव्य में अन्य बातों के साथ-साथ यह

आरोप लगाया था कि ''उन्हें विश्वास प्रस्ताव के विरुद्ध मतदान से विरत रहकर सं॰प्र॰ग॰ सरकार की मदद करने के लिए कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के नेताओं द्वारा रिश्वत दी गई थी।''

मामले के तथ्यों और परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए मैंनें यह महसूस किया कि 25 जुलाई, 2008 को उक्त तीन सदस्यों द्वारा दी गई शिकायत के सच का सही-सही पता लगाना आवश्यक है और इस तथ्य का पता लगाने के बाद ही समुचित कार्रवाई किया जाना संभव होगा। तदनुसार, मैंने इस मामले के अन्वेषण और जांच के लिए 26 जुलाई, 2008 को 7 सदस्यों की एक जांच समिति नियुक्त की जिसके संबंध में न तो किसी दल और न ही किसी माननीय सदस्य ने कोई आपत्ति उठाई।

इस जांच समिति ने अब अपनी जांच पूरी कर ली है और 12 नवम्बर, 2008 को अपनी रिपोर्ट मुझे सौंप दी है। यह रिपोर्ट 15 दिसम्बर, 2008 को सभा-पटल पर रख दी गई है।

समिति के निष्कर्ष यह हैं कि ''उसके पास उपलब्ध सामग्री से निर्णायक रूप से यह बात प्रमाणित नहीं होती है कि बैग मे रखे नोट, जिन्हें अंततोगत्वा सभा में दर्शाया गया था, वास्तव में उन्हीं व्यक्तियों द्वारा भेजे गए थे जिन पर ''विश्वास प्रस्ताव के पक्ष में मतदान करने के लिए श्री अशोक अर्गल, श्री फग्गन सिंह कुलस्ते और श्री महावीर भगोरा को राजी करने के उद्देश्य से'' भेजे जाने का आरोप है। तथापि, समिति को पता चला कि इस प्रकरण में संलिप्त तीनों व्यक्तियों द्वारा समिति के समक्ष दिए गए साक्ष्य विश्वसनीय नहीं हैं और समिति ने यह सुझाव दिया कि इस मामले में उनकी भूमिका की जांच किसी एजेंसी द्वारा कराए जाने की जरूरत है।

तदनुसार, मैं उक्त तीनों सदस्यों से संबंधित मामले को समिति की सिफारिशों के आलोक में उचित कार्रवाई करने के लिए माननीय गृह मंत्री को सौंप रहा हूं।

उक्त तीनों सदस्यों द्वारा सभा में लाए गए और प्रदर्शित किए गए करेंसी नोट इस समय महासचिव की अभिरक्षा में हैं। यदि जांच के प्रयोजनार्थ इन नोटों की जरूरत पड़ती है, जैसा कि समिति ने सुझाया है, तो महासचिव द्वारा इन्हें एक माह तक रखा जाएगा और इसके पश्चात्, यदि जांच के प्रयोजनार्थ इस संबंध में कोई अनुरोध नहीं प्राप्त होता है, तो इन नोटों को अदावाकृत धनराशि के रूप में सरकार के पास जमा करा दिया जाएगा।

अपनी बात समाप्त करने से पहले, मैं एक और टिप्पणी करना चाहूंगा। जांच समिति ने अपनी रिपोर्ट में 18 अगस्त, 2008, 19 अगस्त, 2008 और 6 अक्तूबर, 2008 को कुछ समाचार पत्रों (जिनके नाम प्रतिवेदन में दिए गए हैं) द्वारा प्रकाशित समाचारों के प्रकाशन और कई टीवी चैनलों द्वारा प्रसारण पर गहरी चिंता और क्षोभ प्रकट किया है। इन समाचारों को अनेक टी॰ वी॰ चैनलों द्वारा 7 अक्तूबर, 2008 को भी प्रसारित किया गया और समाचार पत्रों द्वारा भी प्रकाशित किया गया, जिनमें अन्य बातों के साथ-साथ या तो समिति के विचार-विमर्श के संबंध में तथ्यात्मक

रूप से गलत समाचार प्रस्तुत किए गए हैं अथवा यह समिति के समक्ष दिए गए साक्ष्य का समयपूर्व प्रकटन है या वे आधारहीन तथा अप्राधिकृत सूत्रों पर आधारित हैं।

जांच समिति ने ठीक ही टिप्पणी की है कि ''ऐसी रिपोर्टें, विशेषाधिकारों के हनन के साथ ही सभा की अवमानना करती हैं, और इससे जांच समिति और सभा की गरिमा भी कम होती है और इनके विरुद्ध इसके लिए सभा की दंडात्मक शक्तियों का प्रयोग किया जा सकता है।''

सामान्यत: सभा ऐसे प्रत्येक अतिक्रमण के मामले में अपनी दंडात्मक शक्तियों का प्रयोग करने को अनिच्छुक रहती है, तथापि समाचार पत्र और टेलीविजन चैनलों को यह महसूस करना चाहिए कि वे इस रीति से संसदीय समितियों और सभा की गरिमा को कम करके अपनी गरिमा नहीं बढ़ा रहे हैं। प्रजातांत्रिक परंपराओं के प्रति प्रतिबद्धता और उत्तरदायित्व की भावना के लिए सुस्थापित संसदीय परंपराओं की अपेक्षा होती है—किसी समिति के मसौदा प्रतिवेदन की विषय-वस्तु का समय से पूर्व खुलासा करने का निषेध उनमें से एक है—और सभी को इसका पालन करना चाहिए। यह बात ध्यान में रखनी चाहिए कि ऐसे अतिक्रमणों के मामले में सभा द्वारा दिखाए गए अनुग्रह का अर्थ यह नहीं लगाना चाहिए कि यह किसी तरह कमजोर है या कार्यवाही करने में असमर्थ है।''

अपराह्न 12.13 बजे

14. **मंत्रियों द्वारा वक्तव्य**

(1) मानव संसाधन विकास मंत्री की ओर से मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री ने निम्नलिखित के बारे में वक्तव्य (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखा।

(एक) माध्यमिक और उच्चतर शिक्षा विभाग, मानव संसाधन विकास मंत्रालय से संबंधित अनुदानों की मांगों (2005-06) (मांग संख्या 58) के बारे में मानव संसाधन विकास संबंधी स्थायी समिति के 168वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति; और

(दो) उच्चतर शिक्षा विभाग, मानव संसाधन विकास मंत्रालय से संबंधित अनुदानों की मांगों (2006-07) (मांग संख्या 56) के बारे में मानव संसाधन विकास संबंधी स्थायी समिति के 188 वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति।

(2) ग्रामीण विकास मंत्री ने राष्ट्रीय ग्रामीण नियोजन गारंटी अधिनियम (एनआरइजीए) के कार्यान्वयन की स्थिति के बारे में एक वक्तव्य दिया।

(3) विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री और पृथ्वी विज्ञान मंत्री ने निम्नलिखित के बारे में वक्तव्य (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखा:

(1) वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान विभाग, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय से संबंधित अनुदानों की मांगों (2008-09) के बारे में विज्ञान और प्रौद्योगिकी, पर्यावरण और वन संबंधी स्थायी समिति के 186वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति;

(2) पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय से संबंधित अनुदानों की मांगों (2008-09) के बारे में विज्ञान और प्रौद्योगिकी, पर्यावरण और वन संबंधी स्थायी समिति के 187वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति;

(3) विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय से संबंधित विज्ञान और प्रौद्योगिकी, पर्यावरण और वन संबंधी स्थायी समिति के 195वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति;

(4) जैव प्रौद्योगिकी विभाग, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय से संबंधित अनुदानों की मांगों (2008-09) के बारे में विज्ञान और प्रौद्योगिकी, पर्यावरण और वन संबंधी स्थायी समिति के 196वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति।

(4) गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री ने गृह मंत्रालय से संबंधित अनुदानों की मांगों (2007-08 और 2008-09) के बारे में गृह कार्य संबंधी स्थायी समिति के क्रमश: 130वें और 132वें प्रतिवेदनों में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति के बारे में एक वक्तव्य (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखा।

(5) मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री ने (एक) 'सर्वशिक्षा अभियान और मध्याह्न भोजन योजना की निगरानी' के बारे में श्री असादूद्दीन ओवेसी, संसद सदस्य द्वारा पूछे गए अतारांकित प्रश्न संख्या 1719 के संबंध में 11.03.2008 को दिए गए उत्तर में शुद्धि किए जाने; और (दो) उत्तर में शुद्धि करने में हुए विलम्ब के कारण बताने वाला एक वक्तव्य दिया।

(6) गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री ने (एक) 'आयुध लाइसेंस जारी करना' के बारे में श्री रशीद मसूद, संसद सदस्य और श्री भानु प्रताप सिंह वर्मा, संसद सदस्य द्वारा पूछे गए अतारांकित प्रश्न संख्या 3631 के संबंध में

16.5.2006 को दिए गए उत्तर में शुद्धि किए जाने; और (दो) उत्तर में शुद्धि करने में हुए विलम्ब के कारण बताने वाला एक वक्तव्य (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखा।

(7) गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री ने (एक) 'भारत-बांग्लादेश सीमा पर सुरक्षा को खतरा' के बारे में श्री बापू हरि चौरे, संसद सदस्य द्वारा पूछे गए अतारांकित प्रश्न संख्या 4061 के संबंध में 22.4.2008 को दिए गए उत्तर में शुद्धि किए जाने; और (दो) उत्तर में शुद्धि करने में हुए विलम्ब के कारण बताने वाला एक वक्तव्य (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखा।

(8) औद्योगिक नीति और संवर्धन विभाग में राज्य मंत्री, वाणिज्य और उद्योग मंत्री ने औद्योगिक नीति और संवर्धन विभाग, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय से संबंधित ''प्रत्यक्ष विदेशी निवेश'' के संबंध में वाणिज्य संबंधी स्थायी समिति के 69वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति के बारे में एक वक्तव्य (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखा।

(9) मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री ने (एक) शैक्षिक रूप से पिछड़े जिले के बारे में श्री वी॰के॰ ठुम्मर तथा श्रीमती संगीता कुमारी सिंह देव, संसद सदस्यों द्वारा पूछे गए अतारांकित प्रश्न संख्या 1604 के 11.03.2008 को दिए गए उत्तर में शुद्धि किए जाने और (दो) उत्तर में शुद्धि करने में हुए विलम्ब के कारण बताने वाला एक वक्तव्य (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखा।

(10) #मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री ने विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों में शिक्षकों के वेतनमानों को संशोधित किए जाने के बारे में एक वक्तव्य दिया।

अपराह्न 12.27 बजे

15. **प्रस्ताव**

श्री संतोष गंगवार ने निम्नलिखित प्रस्ताव पेश किया।

''कि यह सभा 15 दिसम्बर, 2008 को सभा में प्रस्तुत कार्य-मंत्रणा समिति के 51वें प्रतिवेदन से सहमत है।''

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

#सायं 6.31 बजे

*अपराह्न 12.32 बजे

16. **सदस्यों द्वारा निवेदन**

(एक) पश्चिम बंगाल में डनलप इंडिया लिमिटेड के कर्मकारों के समक्ष आ रही समस्याओं के बारे में।

श्री रूपचंद पाल ने पश्चिम बंगाल में डनलप इंडिया लिमिटेड के कर्मकारों के समक्ष आ रही समस्याओं के बारे में निवेदन किया।

श्री सांताश्री चटर्जी सहयोजित हुए।

श्री ऑस्कर फर्नान्डीस ने उत्तर दिया।

(दो) राष्ट्रीय कोयला कर्मकार मजदूरी करार-VIII के बारे में।

श्री बसुदेव आचार्य ने राष्ट्रीय कोयला कर्मकार मजदूरी करार-VIII के बारे में निवेदन किया

श्री बंसगोपाल चौधरी और श्री सुनील खां सहयोजित हुए।

श्री ऑस्कर फर्नान्डीस ने उत्तर दिया।

(लोक सभा अपराह्न 1.06 बजे स्थागित हुई और अपराह्न 2.04 बजे पुन: समवेत हुई)

17. ****सरकारी विधेयक—पुर:स्थापित**

(एक) राष्ट्रीय जांच एजेंसी विधेयक, 2008

(दो) विधिविरुद्ध क्रियाकलाप (निवारण) संशोधन विधेयक, 2008

अपराह्न 2.04 बजे

18. **नियम 377 के अधीन मामले**

(1) श्री एन॰एस॰वी॰ चित्तन ने तमिलनाडु में हाल ही में आई बाढ़ से प्रभावित लोगों को राहत प्रदान करने और उनके पुनर्वास के लिए निधि जारी किए जाने की आवश्यकता के बारे में मामला उठाया।

(2) श्री थावरचंद गेहलोत ने मध्य प्रदेश में शाहजहांपुर जिला मुख्यालय को जोड़ने वाले राष्ट्रीय राजमार्ग-तीन पर बाईपास रोड के निर्माण की स्वीकृति दिए जाने की आवश्यकता के बारे में मामला उठाया।

---

*अपराह्न 12.28 बजे से अपराह्न 1.06 बजे तक सदस्यों ने अविलम्बनीय लोक महत्व के मामले उठाए।

**अपराह्न 3.04 बजे

(3) श्री गिरधारी लाल भार्गव ने जयपुर विमानपत्तन का विस्तार किए जाने और उसका नाम सवाई मान सिंह के नाम पर रखे जाने की आवश्यकता के बारे में मामला उठाया।

(4) श्री जया बेन वी॰ ठक्कर ने गुजरात में सरदार सरोवर परियोजना के लिए त्वरित सिंचाई लाभ परियोजना के अंतर्गत निर्धारित निधि जारी किए जाने की आवश्यकता के बारे में मामला उठाया।

(5) श्री रामजी लाल सुमन ने उत्तर प्रदेश के आलू उत्पादकों को विशेष पैकेज दिए जाने की आवश्यकता के बारे में मामला उठाया।

(6) श्री आलोक कुमार मेहता ने बिहार के समस्तीपुर जिले में राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना का कार्यान्वयन किए जाने की आवश्यकता के बारे में मामला उठाया।

(7) श्री ए॰ के॰ एस॰ विजयन ने तमिलनाडु के तिरुवरुर और नागापट्टिनम जिलों के बाढ़ प्रभावित लोगों को वित्तीय सहायता प्रदान किए जाने की आवश्यकता के बारे में मामला उठाया।

(8) श्री भर्तृहरि महताब ने उड़ीसा जल सेक्टर सुधार परियोजना में तेजी लाए जाने और महानदी बेसिन विकास योजना को स्वीकृति प्रदान किए जाने की आवश्यकता के बारे में मामला उठाया।

(9) श्री प्रबोध पाण्डा ने क्षेत्र में बार-बार आने वाली बाढ़ को रोकने के लिए खड़गपुर और सोनाकानिया के बीच राष्ट्रीय राजमार्ग-60 में आवश्यक पुनर्निर्माण और सुधार किए जाने की आवश्यकता के बारे में मामला उठाया।

(10) श्रीमती तेजस्विनी गोड़ा ने राज्य के समग्र विकास के लिए संविधान के अनुच्छेद 371 के अंतर्गत कर्नाटक को विशेष दर्जा दिए जाने की आवश्यकता के बारे में मामला उठाया।

अपराह्न 2.20 बजे

19. **सरकारी विधेयक—विचाराधीन**

असंगठित सेक्टर कर्मकार सामाजिक सुरक्षा विधेयक, 2008, राज्य सभा द्वारा यथापारित

लिया गया समय: 4 घण्टे 46 मिनट

श्री ऑस्कर फर्नान्डीस द्वारा 15 दिसंबर, 2008 को पेश किए गए विधेयक पर विचार किए जाने के प्रस्ताव पर आगे चर्चा जारी रही:—

निम्नलिखित सदस्यों ने वाद-विवाद में भाग लिया:—

1. श्री सांताश्री चटर्जी (भाषण पुन: आरंभ हुआ)

2. श्री मधुसूदन मिस्त्री
3. डा॰ सत्यनारायण जटिया
4. श्री रामजीलाल सुमन
5. श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव
6. श्री ए॰ कृष्णास्वामी
7. श्री चन्द्रकांत भाऊराव खैरे
8. श्रीमती अर्चना नायक
9. श्री सुरवरम सुधाकर रेड्डी
10. श्री थावर चन्द गेहलोत
11. श्री के॰ एस॰ राव
12. श्रीमती सी॰ एस॰ सुजाता
13. श्री शैलेन्द्र कुमार
14. डा॰ आर॰ सेनथिल
15. श्री राम कृपाल यादव
16. प्रो॰ रासा सिंह रावत
17. श्री एस॰ के॰ खारवेनथन
18. श्री सिप्पीपाराई रविचन्द्रन
19. श्री फ्रांसिस के॰ जार्ज
20. श्री एम॰ शिवन्ना
21. श्री सुरेश प्रभाकर प्रभु
22. श्री बिक्रम केशरी देव
23. श्रीमती बोचा झांसी लक्ष्मी
24. श्री एम॰ पी॰ वीरेन्द्र कुमार
25. *श्री जे॰ एम॰ राशिद आरुन

---

*लिखित भाषण सभा पटल पर रखे गए।

26. डा॰ सेबेस्टियन पॉल
27. श्री रामदास बंडु आठवले
28. *श्री ए॰ वी॰ बेल्लारमिन
29. श्री एम॰ ए॰ खारबेल स्वाईं
30. श्री अधीर चौधरी
31. डा॰ सुजान चक्रवर्ती
32. *प्रो॰ एम॰ रामदास
33. श्री शिशुपाल एन॰ पटले
34. डा॰ के॰ एस॰ मनोज
35. एडवोकेट पी॰ सती देवी

चर्चा अधूरी रही।

#सायं 7.34 बजे

(लोक सभा बुधवार, 17 दिसंबर, 2008 के पूर्वाह्न 11.00 बजे के लिए स्थगित हुई)

पी॰ डी॰ टी॰ आचारी,
महासचिव।

---

*लिखित भाषण सभा पटल पर रखे गए।

सायं 7.15 बजे से सायं 7.34 बजे तक सदस्यों ने अविलंबनीय लोक महत्व के मामले उठाए।

GMGIPMRND—4443LS(S-5)—16-12-2008.

लोक सभा

समाचार—भाग 1

(कार्यवाही का संक्षिप्त वृत्तांत)

बुधवार, 17 दिसम्बर, 2008/26 अग्रहायण, 1930 (शक)

संख्या 318

पूर्वाह्न 11.00 बजे

1. **तारांकित प्रश्न**

तारांकित प्रश्न संख्या 261—265 के मौखिक उत्तर दिए गए। तारांकित प्रश्न संख्या 266—280 के उत्तर सभा पटल पर रखे गए।

2. **अतारांकित प्रश्न**

अतारांकित प्रश्न संख्या 2683—2912 के उत्तर सभा पटल पर रखे गए।

मध्याह्न 12 बजे

3. **सभा पटल पर रखे गए पत्र**

निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखे गए:—

(1) कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619क की उपधारा (1) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)—

(एक) नॉर्थ ईस्टर्न हैंडीक्राफ्ट्स एण्ड हैंडलूम्स डेवलपमेंट कारपोरेशन लिमिटेड, शिलांग के वर्ष 2007-2008 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) नॉर्थ ईस्टर्न हैंडीक्राफ्ट्स एण्ड हैंडलूम्स डेवलपमेंट कारपोरेशन लिमिटेड, शिलांग का वर्ष 2007-2008 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

(2) नॉर्थ ईस्टर्न रीजनल एग्रीकल्चरल मार्केटिंग कारपोरेशन लिमिटेड तथा उत्तर-पूर्व क्षेत्र विकास मंत्रालय के बीच वर्ष 2008-2009 के लिए हुए समझौता ज्ञापन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(3) (एक) कांडला डॉक लेबर बोर्ड, कांडला के वर्ष 2006-2007 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) कांडला डॉक लेबर बोर्ड, कांडला के वर्ष 2006-2007 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(4) कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619क की उपधारा (1) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)—

(क) (एक) एन्नोर पोर्ट लिमिटेड, चेन्नई के वर्ष 2007-2008 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) एन्नोर पोर्ट लिमिटेड, चेन्नई का वर्ष 2007-2008 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

(ख) (एक) ड्रेजिंग कारपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, विशाखापट्टनम के वर्ष 2007-2008 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) ड्रेजिंग कारपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, विशाखापट्टनम का वर्ष 2007-2008 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

(5) (एक) नेशनल शिप डिजाइन एण्ड रिसर्च सेंटर, विशाखापट्टनम के वर्ष 2007-2008 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) नेशनल शिप डिजाइन एण्ड रिसर्च सेंटर, विशाखापट्टनम के वर्ष 2007-2008 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(6) महापत्तन न्यास अधिनियम, 1963 की धारा 124 की उपधारा (4) के अंतर्गत अधिसूचना संख्या सा०का०नि० 811(अ) में प्रकाशित हुई थी तथा जिसके द्वारा कोलकाता पत्तन न्यास कर्मचारी (चिकित्सा परिचर्या और उपचार) संशोधन

विनियम, 2008 का अनुमोदन किया गया है जो 21 नवम्बर, 2008 के भारत के रापजत्र में हैं, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(7) ओषधि और प्रसाधन सामग्री अधिनियम, 1940 की धारा 38 के अंतर्गत ओषधि और प्रसाधन सामग्री (दूसरा संशोधन) नियम, 2008 जो 13 अगस्त, 2008 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा॰का॰नि॰ 592(अ) में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(8) (एक) पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टिट्यूट ऑफ मेडिकल एजुकेशन एण्ड रिसर्च, चंडीगढ़ के वर्ष 2006-2007 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टिट्यूट ऑफ मेडिकल एजुकेशन एण्ड रिसर्च, चंडीगढ़ के वर्ष 2006-2007 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(तीन) पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टिट्यूट ऑफ मेडिकल एजुकेशन एण्ड रिसर्च, चंडीगढ़ के वर्ष 2006-2007 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(9) उपर्युक्त (8) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(10) कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619क की उपधारा (1) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)—

(एक) नेवेली लिग्नाइट कारपोरेशन लिमिटेड, चेन्नई के वर्ष 2007-2008 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) नेवेली लिग्नाइट कारपोरेशन लिमिटेड, चेन्नई का वर्ष 2007-2008 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

(11) कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619क की उपधारा (1) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)—

(एक) इंडियन रोड कंस्ट्रक्शन कारपोरेशन लिमिटेड (परिसमापनाधीन), नई दिल्ली के 29.6.2007 से 28.6.2008 तक के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) इंडियन रोड कंस्ट्रक्शन कारपोरेशन लिमिटेड (परिसमापनाधीन), नई दिल्ली का 29.6.2007 से 28.6.2008 तक का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

(12) राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 की धारा 10 के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)—

(एक) का॰आ॰ 834(अ) जो 9 अप्रैल, 2008 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा 4 अगस्त, 2005 की अधिसूचना संख्या का॰आ॰ 1096(अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं।

(दो) का॰आ॰ 796(अ) जो 1अप्रैल, 2008 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा 4 अगस्त, 2005 की अधिसूचना संख्या का॰आ॰ 1096(अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं।

(तीन) का॰आ॰ 798(अ) जो 1 अप्रैल, 2008 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा 4 अगस्त, 2005 की अधिसूचना संख्या का॰आ॰ 1096(अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं।

(चार) का॰आ॰ 790(अ) जो 1 अप्रैल, 2008 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो आंध्र प्रदेश राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 9, (हैदराबाद-विजयवाड़ा खण्ड) के निर्माण (चौड़ा करने/चार लेन वाला बनाने, आदि), अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।

(पांच) का॰आ॰ 850(अ) और का॰आ॰ 851(अ)जो 1 अप्रैल, 2008 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जो आंध्र प्रदेश राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 9, (हैदराबाद-विजयवाड़ा खण्ड) के विभिन्न भागों के निर्माण (चौड़ा करने/चार लेन वाला बनाने, आदि), अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।

(छह) का॰आ॰ 852(अ) जो 1 अप्रैल, 2008 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो आंध्र प्रदेश राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 18 के निर्माण (चौड़ा करने/चार लेन वाला बनाने, आदि), अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।

(सात) का॰आ॰ 853(अ) जो 10 अप्रैल, 2008 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो असम राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 154, (मोनाचारा

बाजार से आयनाखल तक) के निर्माण (चौड़ा करने/दो लेन वाला बनाने, आदि), अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।

(आठ) का॰आ॰ 1091(अ) जो 6 मई, 2008 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा 31 मई, 2004 की अधिसूचना संख्या का॰आ॰ 645(अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं।

(नौ) का॰आ॰ 1176(अ) जो 21 मई, 2008 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो आंध्र प्रदेश राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 205 (तिरुपति-आंध्र प्रदेश/तमिलनाडु सीमा) के निर्माण (चौड़ा करने/चार लेन वाला बनाने, आदि), अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।

(दस) का॰आ॰ 1548(अ) और का॰आ॰ 1549(अ)जो 25 जून, 2008 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो आंध्र प्रदेश राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 7 (नागपुर-हैदराबाद खण्ड) के निर्माण (चौड़ा करने/चार लेन वाला बनाने, आदि), अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।

(ग्यारह) का॰आ॰ 1550(अ) जो 25 जून, 2008 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो आंध्र प्रदेश राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 7 (हैदराबाद-बंगलौर खण्ड) के निर्माण (चौड़ा करने/चार लेन वाला बनाने, आदि), अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।

(बारह) का॰आ॰ 1570(अ) जो 26 जून, 2008 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा 18 अप्रैल, 2007 की अधिसूचना संख्या का॰आ॰ 630(अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं।

(तेरह) का॰आ॰ 1910(अ) और का॰आ॰ 1912(अ) जो 1 अगस्त, 2008 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जो आंध्र प्रदेश राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 9 (हैदराबाद-विजयवाड़ा खण्ड) के निर्माण (चौड़ा करने/चार लेन वाला बनाने, आदि), अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।

(चौदह) का॰आ॰ 2079(अ) और का॰आ॰ 2080(अ) जो 20 अगस्त, 2008 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जो आंध्र प्रदेश राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 205 (तिरुपति से आंध्र प्रदेश/तमिलनाडु सीमा खण्ड) के

निर्माण (चौड़ा करने/चार लेन वाला बनाने, आदि), अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।

(पंद्रह) का॰आ॰ 2129(अ) जो 28 अगस्त, 2008 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो आंध्र प्रदेश राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 9 (हैदराबाद-विजयवाड़ा खण्ड) के निर्माण (चौड़ा करने/चार लेन वाला बनाने, आदि), अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।

(सौलह) का॰आ॰ 2153(अ) जो 3 सितम्बर, 2008 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो आंध्र प्रदेश राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 7 (नागपुर-हैदराबाद खण्ड) के निर्माण (चौड़ा करने/चार लेन वाला बनाने, आदि), अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।

(सत्रह) का॰आ॰ 2274(अ) जो 25 सितम्बर, 2008 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो केरल राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 47 (तमिलनाडु/केरल सीमा वालायार-त्रिशूर खण्ड) के निर्माण (चौड़ा करने/चार लेन वाला बनाने, आदि), अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।

(अठारह) का॰आ॰ 2426(अ) और का॰आ॰ 2427(अ) जो 8 अक्तूबर, 2008 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जो आंध्र प्रदेश राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 7 (नागपुर-हैदराबाद खण्ड) के निर्माण (चौड़ा करने/चार लेन वाला बनाने, आदि), अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।

(उन्नीस) का॰आ॰ 1100(अ) जो 6 मई, 2008 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा 4 अगस्त, 2005 की अधिसूचना संख्या का॰आ॰ 1096(अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं।

(बीस) का॰आ॰ 1101(अ) जो 6 मई, 2008 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा 25 मई, 2007 की अधिसूचना संख्या का॰आ॰ 815(अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं।

(इक्कीस) का॰आ॰ 1163(अ) जो 16 मई, 2008 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो अधिसूचना के स्तम्भ 2 में विनिर्दिष्ट राजमार्गों को राष्ट्रीय राजमार्ग घोषित किए जाने के बारे में है।

(बाईस) का॰ आ॰ 1629(अ) जो 7 जुलाई, 2008 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा 4 अगस्त, 2005 की अधिसूचना संख्या का॰आ॰ 1096(अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं।

(तेईस) का॰ आ॰ 1873(अ) जो 29 जुलाई, 2008 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा 4 अगस्त, 2005 की अधिसूचना संख्या का॰आ॰ 1096(अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं।

(चौबीस) का॰ आ॰ 1874(अ) जो 29 जुलाई, 2008 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा 26 अप्रैल, 2002 की अधिसूचना संख्या का॰आ॰ 465(अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं।

(पच्चीस) का॰ आ॰ 2297(अ) जो 26 सितम्बर, 2008 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा 4 अगस्त, 2005 की अधिसूचना संख्या का॰आ॰ 1096(अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं।

(छब्बीस) का॰ आ॰ 2298(अ) जो 26 सितम्बर, 2008 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा 4 अगस्त, 2005 की अधिसूचना संख्या का॰आ॰ 1096(अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं।

(सत्ताईस) का॰ आ॰ 2477(अ) जो 17 अक्तूबर, 2008 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 4 के उसमें उल्लिखित खण्ड के प्रयोक्ताओं से वसूल किए जाने वाले शुल्क की दरों के बारे में है।

(अट्ठाईस) का॰ आ॰ 2228(अ) जो 18 सितम्बर, 2008 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो महाराष्ट्र राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 9 (पुणे-शोलापुर खण्ड) के निर्माण (चार लेन वाला बनाने, आदि), अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।

(उनतीस) का॰ आ॰ 832(अ) जो 9 अप्रैल, 2008 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो महाराष्ट्र राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 8 (जयपुर-किशनगढ़ खण्ड) के निर्माण (चौड़ा करने/चार लेन वाला बनाने, आदि), अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।

(तीस) का॰ आ॰ 939(अ) जो 25 अप्रैल, 2008 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो राजस्थान राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 76 के निर्माण (चौड़ा करने/चार लेन वाला बनाने, आदि), अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।

(इकतीस) का॰ आ॰ 814(अ) जो 4 अप्रैल, 2008 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो राजस्थान राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 8 (गुड़गांव-जयपुर खण्ड) के निर्माण (चौड़ा करने/छह लेन वाला बनाने, आदि), अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।

(बत्तीस) का॰ आ॰ 1428(अ) और का॰ आ॰ 1429(अ) जो 10 जून, 2008 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जो राजस्थान राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 14 और 11 के विभिन्न भागों के निर्माण (चौड़ा करने/चार लेन वाला बनाने, आदि), अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।

(तैंतीस) का॰ आ॰ 1836(अ) जो 24 जुलाई, 2008 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो राजस्थान राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 11 (महुआ-जयपुर खण्ड) के निर्माण (चौड़ा करने/छह लेन वाला बनाने, आदि), अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।

(चौंतीस) का॰ आ॰ 2181(अ) जो 10 सितम्बर, 2008 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो राजस्थान राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 8 (गुड़गांव-जयुपर खण्ड) के निर्माण (चौड़ा करने/छह लेन वाला बनाने, आदि), अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।

(पैंतीस) का॰ आ॰ 805(अ) जो 3 अप्रैल, 2008 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा 25 अक्तूबर, 2007 की अधिसूचना संख्या का॰आ॰ 1818(अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं।

(छत्तीस) का॰ आ॰ 815(अ) जो 4 अप्रैल, 2008 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो गुजरात राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 8 (बडोदरा-सूरत खण्ड) के निर्माण (छह लेन वाला बनाने, आदि), अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।

(सैंतीस) का॰ आ॰ 816(अ) जो 4 अप्रैल, 2008 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो गुजरात राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 8 (भरूच-सूरत खण्ड) के निर्माण (छह लेन वाला बनाने, आदि), अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।

(अड़तीस) का॰आ॰ 1438(अ) जो 12 जून, 2008 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा 10 नवम्बर, 2000 की अधिसूचना संख्या का॰आ॰ 1009(अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं।

(उनतालीस) का॰ आ॰ 2028(अ) जो 12 अगस्त, 2008 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो गुजरात राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 8 के निर्माण (चोड़ा करने/छह लेन वाला बनाने, आदि), अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।

(चालीस) का॰आ॰ 2044(अ) जो 14 अगस्त, 2008 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा 4 अप्रैल, 2008 की अधिसूचना संख्या का॰आ॰ 815(अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं।

(इकतालीस) का॰ आ॰ 2154(अ) जो 3 सितम्बर, 2008 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो गुजरात राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 8 (भरूच-सूरत खण्ड) के निर्माण (छह लेन वाला बनाने, आदि), अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।

(बयालीस) का॰ आ॰ 2246(अ) जो 22 सितम्बर, 2008 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो गुजरात राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 8 के निर्माण (चौड़ा करने/छह लेन वाला बनाने, आदि), अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।

(तैंतालीस) का॰ आ॰ 2313(अ) और का॰आ॰ 2314(अ)जो 30 सितम्बर, 2008 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जो गुजरात राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 8 (बड़ोदरा-सूरत खण्ड) के विभिन्न खण्डों के निर्माण (छह लेन वाला बनाने, आदि), अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।

(चवालीस) का॰ आ॰ 2196(अ) जो 15 सितम्बर, 2008 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो राजस्थान राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 11 (महुआ-जयपुर खण्ड) के निर्माण (चौड़ा करने/चार लेन वाला बनाने, आदि), अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।

(पैंतालीस) का॰ आ॰ 2440(अ) जो 13 अक्तूबर, 2008 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो गुजरात राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 8 के

निर्माण (चौड़ा करने/चार लेन वाला बनाने, आदि), अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।

(छियालीस) का० आ० 524(अ) जो 18 मार्च, 2008 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा 11 फरवरी, 2005 की अधिसूचना संख्या का० आ० 206(अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं।

(सैंतालीस) का० आ० 1029(अ) जो 28 अप्रैल, 2008 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा 19 मई, 2004 की अधिसूचना संख्या का० आ० 601(अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं।

(अड़तालीस) का० आ० 1582(अ) जो 30 जून, 2008 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो असम राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 31 के निर्माण (चौड़ा करने/चार लेन वाला बनाने, आदि), अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।

(उनचास) का० आ० 1583(अ) और का० आ० 1584(अ) जो 30 जून, 2008 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जो असम राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 31 के निर्माण (चौड़ा करने/चार लेन वाला बनाने, आदि), अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।

(पचास) का० आ० 1580(अ) और का० आ० 1581(अ) जो 30 जून, 2008 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जो असम राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 31ग के विभिन्न खण्डों के निर्माण (चौड़ा करने/चार लेन वाला बनाने, आदि), अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।

(इक्यावन) का० आ० 2260(अ) जो 24 सितम्बर, 2008 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो असम राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 54 के निर्माण (चौड़ा करने/चार लेन वाला बनाने, आदि), अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।

(बावन) का० आ० 1917(अ) से का० आ० 1919(अ) जो 1 अगस्त, 2008 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जो असम राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 31 के विभिन्न भागों के निर्माण (चौड़ा करने/चार लेन वाला बनाने, आदि), अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।

(तिरपन) का॰ आ॰ 1920(अ) जो 1 अगस्त, 2008 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो असम राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 31ग के निर्माण (चौड़ा करने/चार लेन वाला बनाने, आदि), अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।

(चौवन) का॰ आ॰ 1921(अ) से का॰ आ॰ 1924(अ) जो 1 अगस्त, 2008 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जो असम राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 52 (बाइहाटा चारियाली–तेजपुर खण्ड) के विभिन्न भागों के निर्माण (चौड़ा करने/चार लेन वाला बनाने, आदि), अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।

(पचपन) का॰ आ॰ 1031(अ) जो 28 अप्रैल, 2008 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो असम राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 36 और 37 के निर्माण (चौड़ा करने/चार लेन वाला बनाने, आदि), अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।

(छप्पन) का॰ आ॰ 1177(अ) जो 21 मई, 2008 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो असम राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 40 के निर्माण (चौड़ा करने/चार लेन वाला बनाने, आदि), अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।

(सतावन) का॰ आ॰ 2237(अ) जो 19 सितम्बर, 2008 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो असम राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 31 (नालबारी–बिजनी खण्ड) के निर्माण (चौड़ा करने/चार लेन वाला बनाने, आदि), अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।

(अठावन) का॰आ॰ 1030(अ) जो 28 अप्रैल, 2008 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो असम राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 54 के निर्माण (चौड़ा करने/चार लेन वाला बनाने, आदि), अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।

(उनसठ) का॰आ॰ 1178(अ) जो 21 मई, 2008 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा 10 फरवरी, 2005 की अधिसूचना संख्या का॰आ॰ 221(अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं।

(साठ) का॰आ॰ 1443(अ) जो 13 जून, 2008 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो असम राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 37

(जागीरोड–ठेकेरागुडी खण्ड) के निर्माण (चौड़ा करने/चार लेन वाला बनाने, आदि), अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।

(इकसठ) का॰आ॰ 1746(अ) जो 22 जुलाई, 2008 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो असम राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 31 के निर्माण (चौड़ा करने/चार लेन वाला बनाने, आदि), अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।

(बासठ) का॰आ॰ 1747(अ) और का॰आ॰ 1748(अ)जो 22 जुलाई, 2008 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो असम राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 44 के विभिन्न खण्डों के निर्माण (चौड़ा करने/चार लेन वाला बनाने, आदि), अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।

(तिरसठ) का॰आ॰ 1744(अ) से का॰आ॰ 1746(अ) जो 22 जुलाई, 2008 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो असम राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 31 (नालबारी–बिजनी खण्ड) के विभिन्न खण्डों के निर्माण (चौड़ा करने/चार लेन वाला बनाने, आदि), अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।

(चौंसठ) का॰आ॰ 2403(अ) जो 3 अक्तूबर, 2008 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो मध्य प्रदेश राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 3 (इंदौर–कालाघाट खण्ड) के निर्माण (चौड़ा करने/चार लेन वाला बनाने, आदि), अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।

(पैंसठ) का॰आ॰ 2468(अ) जो 17 अक्तूबर, 2008 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसमें 9 जून, 2008 की अधिसूचना संख्या का॰आ॰ 1401(अ) का शुद्धिपत्र (केवल हिन्दी संस्करण) दिया हुआ है।

(छियासठ) का॰आ॰ 2601(अ) जो 5 नवम्बर, 2008 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो मध्य प्रदेश राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 75 (ग्वालियर–झांसी खण्ड) के निर्माण (चौड़ा करने/चार लेन वाला बनाने, आदि), अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।

(सड़सठ) का॰आ॰ 788(अ) जो 1 अप्रैल, 2008 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो तमिलनाडु राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 4 के निर्माण

(चौड़ा करने/चार लेन वाला बनाने, आदि), अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।

(अड़सठ) का॰आ॰ 804(अ) जो 2 अप्रैल, 2008 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो तमिलनाडु राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 45 पर स्थित एयरपोर्ट जंक्शन पर फ्लाईओवर के निर्माण के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।

(उनहत्तर) का॰आ॰ 933(अ) जो 24 अप्रैल, 2008 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो तमिलनाडु राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 46 (कृष्णागिरि-रानीपेट खण्ड) के निर्माण (चार लेन वाला बनाने, आदि), अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।

(सत्तर) का॰आ॰ 945(अ) जो 25 अप्रैल, 2008 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो तमिलनाडु राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 47 (सेलम-कोयम्बटूर खण्ड) के निर्माण (चार लेन वाला बनाने, आदि), अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।

(इकहत्तर) का॰आ॰ 946(अ) जो 25 अप्रैल, 2008 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो तमिलनाडु राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 7 (कृष्णागिरि-थोप्पुर घाट खण्ड) के निर्माण (चार लेन वाला बनाने, आदि), अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।

(बहत्तर) का॰आ॰ 1096(अ) और का॰आ॰ 1097(अ) जो 6 मई, 2008 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जो तमिलनाडु राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 7 (तंजावुर-तिरुचिरापल्ली खण्ड) के विभिन्न भागों के निर्माण (चौड़ा करने/चार लेन वाला बनाने, आदि), अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।

(तिहत्तर) का॰आ॰ 1278(अ) जो 2 जून, 2008 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो तमिलनाडु राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 68 (सेलम-उलुन्दुरपेट खण्ड) के निर्माण (चार लेन वाला बनाने, आदि), अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।

(चौहत्तर) का॰आ॰ 1444(अ) जो 13 जून, 2008 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो तमिलनाडु राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 7 (सेलम-करूर

खण्ड) के निर्माण (चार लेन वाला बनाने, आदि), अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।

(पचहत्तर) का॰आ॰ 1445(अ) जो 13 जून, 2008 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो तमिलनाडु राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 47 (सेलम-कोयम्बटूर खण्ड) के निर्माण (चौड़ा करने), अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।

(छिहत्तर) का॰आ॰ 1447(अ) जो 13 जून, 2008 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो तमिलनाडु राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 7 (बंगलौर-सेलम-मदुरै खण्ड) के निर्माण (चौड़ा करने/चार लेन वाला बनाने, आदि), अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।

(सतहत्तर) का॰आ॰ 1448(अ) जो 13 जून, 2008 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो तमिलनाडु राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 7 (बंगलौर-सेलम-मदुरै खण्ड) के निर्माण (चौड़ा करने), अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।

(अटहत्तर) का॰आ॰ 1449(अ) और का॰आ॰ 1450(अ) जो 13 जून, 2008 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे जो तमिलनाडु राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 47 (सेलम-कोयम्बटूर खण्ड) के विभिन्न खण्डों के निर्माण (चौड़ा करने/चार लेन वाला बनाने, आदि), अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।

(उनासी) का॰आ॰ 1495(अ) जो 19 जून, 2008 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो तमिलनाडु राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 66 (पांडिचेरी-टिंडिवनम खण्ड) के निर्माण (चौड़ा करने), अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।

(अस्सी) का॰आ॰ 1496(अ) जो 19 जून, 2008 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो तमिलनाडु राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 67 (त्रिची-करूर खण्ड) के निर्माण (चौड़ा करने/चार लेन वाला बनाने, आदि), अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।

(इक्यासी) का॰आ॰ 1497(अ) जो 19 जून, 2008 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो तमिलनाडु राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 67 (तंजावुर-तिरुचिरापल्ली खण्ड) के निर्माण (चौड़ा करने/चार लेन वाला

बनाने, आदि), अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।

(बयासी) का॰आ॰ 1498(अ) जो 19 जून, 2008 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो तमिलनाडु राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 67 (तंजावुर-तिरुचिरापल्ली खण्ड) के निर्माण (चौड़ा करने/चार लेन वाला बनाने, आदि), अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।

(तिरासी) का॰आ॰ 2107(अ) जो 7 दिसम्बर, 2007 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा 22 फरवरी, 2007 की अधिसूचना संख्या का॰आ॰ 265(अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं।

(चौरासी) का॰आ॰ 941(अ) जो 25 अप्रैल, 2008 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो तमिलनाडु राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 66 (पांडिचेरी-टिंडिवनम खण्ड) के निर्माण (चौड़ा करने/चार लेन वाला बनाने, आदि), अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।

(पचासी) का॰आ॰ 1052(अ) जो 30 अप्रैल, 2008 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो तमिलनाडु राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 47 (सेलम-कोयम्बटूर खण्ड) के निर्माण (चौड़ा करने), अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।

(छियासी) का॰आ॰ 1053(अ) जो 30 अप्रैल, 2008 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो तमिलनाडु राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 7 (बंगलौर-सेलम-मदुरै खण्ड) के निर्माण (चौड़ा करने), अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।

(सतासी) का॰आ॰ 1073(अ) जो 2 मई, 2008 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो तमिलनाडु राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 45 (त्रिची-डिंडिगुल खण्ड) के निर्माण (चौड़ा करने/चार लेन वाला बनाने, आदि), अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।

(अठासी) का॰आ॰ 1094(अ) जो 6 मई, 2008 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो तमिलनाडु राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 68 (सेलम-उलुन्दुरपेट खण्ड) के निर्माण (चार लेन वाला बनाने), अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।

(नवासी) का॰आ॰ 1098(अ) जो 6 मई, 2008 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो तमिलनाडु राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 7 (बंगलौर-सेलम-मदुरै खण्ड) के निर्माण (चौड़ा करने/चार लेन वाला बनाने, आदि), अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।

(नब्बे) का॰आ॰ 1099(अ) जो 6 मई, 2008 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो तमिलनाडु राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 7 (मदुरै-कन्याकुमारी खण्ड) के निर्माण (चार लेन वाला बनाने, आदि), अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।

(इक्यानवे) का॰आ॰ 1173(अ) जो 19 मई, 2008 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो तमिलनाडु राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 67 (करूर-कोयम्बटूर खण्ड) के निर्माण (चौड़ा करने/चार लेन वाला बनाने, आदि), अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।

(बानवे) का॰आ॰ 1186(अ) जो 22 मई, 2008 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो तमिलनाडु राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 45ख (तिरूचिरापल्ली-विरालीमलै-मदुरै खण्ड) के निर्माण (चौड़ा करने/चार लेन वाला बनाने, आदि), अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।

(तिरानवे) का॰आ॰ 1187(अ)से का॰आ॰ 1191(अ) जो 22 मई, 2008 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे जो तमिलनाडु राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 45 (टिंडिवनम-विल्लुपुरम-तिरुचिरापल्ली खण्ड) के विभिन्न खण्डों के निर्माण (चौड़ा करने/चार लेन वाला बनाने, आदि), अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।

(चौरानवे) का॰आ॰ 1220(अ) जो 27 मई, 2008 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा 22 सितम्बर, 2006 की अधिसूचना संख्या का॰आ॰ 1582(अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं।

(पचानवे) का॰आ॰ 1229(अ) जो 27 मई, 2008 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो तमिलनाडु राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 7 (मदुरै-कन्याकुमारी खण्ड) के निर्माण (चौड़ा करने/चार लेन वाला बनाने, आदि), अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।

(छियानवे) का॰आ॰ 1398(अ)और का॰आ॰ 1399 (अ) जो 9 जून, 2008 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे जो तमिलनाडु राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 45 (टिंडिवनम-विल्लुपुरम-तिरुचिरापल्ली खण्ड) के विभिन्न भागों के निर्माण (चौड़ा करने/चार लेन वाला बनाने, आदि), अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।

(सतानवे) का॰आ॰ 1483(अ) से का॰आ॰ 1485(अ) जो 18 जून, 2008 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे जो तमिलनाडु राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 45 (तिंडिवनम-विल्लुपुरम-तिरुचिरापल्ली खण्ड) के विभिन्न भागों के निर्माण (चौड़ा करने/चार लेन वाला बनाने, आदि), अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।

(अठानवे) का॰आ॰ 1493(अ) जो 19 जून, 2008 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा 25 नवम्बर, 2004 की अधिसूचना संख्या का॰आ॰ 1301(अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं।

(निन्यानवे) का॰आ॰ 8(अ) जो 2 जनवरी, 2008 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो तमिलनाडु राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 45ख (मदुरै-अरूप्पुकोट्टाई-थूथुक्कुडी खण्ड) के निर्माण (चौड़ा करने/चार लेन वाला बनाने, आदि), अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।

(सौ) का॰आ॰ 22(अ) जो 4 जनवरी, 2008 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा 18 अप्रैल, 2007 की अधिसूचना संख्या का॰आ॰ 629(अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं।

(एक सौ एक) का॰आ॰ 23(अ) जो 4 जनवरी, 2008 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा 2 अप्रैल, 2007 की अधिसूचना संख्या का॰आ॰ 508(अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं।

(एक सौ दो) का॰आ॰ 76(अ) जो 10 जनवरी, 2008 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो तमिलनाडु राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 7 (बंगलौर-सेलम-मदुरै खण्ड) के निर्माण (चौड़ा करने/चार लेन वाला बनाने, आदि), अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।

(एक सौ तीन) का॰आ॰ 114(अ) जो 21 जनवरी, 2008 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो तमिलनाडु राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 66 (पांडिचेरी-तिंडिवनम खण्ड) के निर्माण (चौड़ा करने/चार

लेन वाला बनाने, आदि), अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।

(एक सौ चार) का॰आ॰ 115(अ) जो 21 जनवरी, 2008 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो तमिलनाडु राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 67 (तंजावुर-तिरूचिरापल्ली खण्ड) के निर्माण (चौड़ा करने/चार लेन वाला बनाने, आदि), अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।

(एक सौ पांच) का॰आ॰ 257(अ) से का॰आ॰ 262 (अ) जो 6 फरवरी, 2008 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जो तमिलनाडु राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 45 (टिंडिवनम-विल्लुपुरम-तिरूचिरापल्ली खण्ड) के विभिन्न भागों के निर्माण (चौड़ा करने/चार लेन वाला बनाने, आदि), अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।

(एक सौ छह) का॰आ॰ 263(अ) जो 6 फरवरी, 2008 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो तमिलनाडु राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 45ख (तिरूचिरापल्ली-विरालीमलै-मदुरै खण्ड) के निर्माण (चौड़ा करने/चार लेन वाला बनाने, आदि), अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।

(एक सौ सात) का॰आ॰ 264(अ) और का॰आ॰ 265(अ) जो 6 फरवरी, 2008 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जो तमिलनाडु राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 45 (टिंडिवनम-विल्लुपुरम-तिरूचिरापल्ली खण्ड) के विभिन्न भागों के निर्माण (चौड़ा करने/चार लेन वाला बनाने, आदि), अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।

(एक सौ आठ) का॰आ॰ 266(अ) जो 6 फरवरी, 2008 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो तमिलनाडु राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 7क (पलायमकोट्टई- थूथुकुडी खण्ड) के निर्माण (चौड़ा करने/चार लेन वाला बनाने, आदि), अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।

(एक सौ नौ) का॰आ॰ 299(अ) से का॰आ॰ 301(अ) जो 12 फरवरी, 2008 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जो तमिलनाडु राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 47 (सेलम-कोयम्बटूर खण्ड) के विभिन्न भागों के निर्माण (चौड़ा करने/चार लेन वाला बनाने, आदि), अनुरक्षण, प्रबधंन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।

(एक सौ दस) का॰आ॰ 302(अ) से का॰आ॰ 305(अ) जो 12 फरवरी, 2008 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जो तमिलनाडु राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 7 (सेलम-करूर खण्ड) के विभिन्न भागों के निर्माण (चौड़ा करने/चार लेन वाला बनाने, आदि), अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।

(एक सौ ग्यारह) का॰आ॰ 306(अ) जो 12 फरवरी, 2008 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो तमिलनाडु राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 7 (कृष्णागिरि-थोप्पुर घाट खण्ड) के निर्माण (चौड़ा करने/चार लेन वाला बनाने, आदि), अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।

(एक सौ बारह) का॰आ॰ 307(अ) से का॰आ॰ 309(अ) जो 12 फरवरी, 2008 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जो तमिलनाडु राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 7 (सेलम-करूर खण्ड) के विभिन्न भागों के निर्माण (चौड़ा करने/चार लेन वाला बनाने, आदि), अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।

(एक सौ तेरह) का॰आ॰ 310(अ) जो 12 फरवरी, 2008 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा 24 सितम्बर, 2004 की अधिसूचना संख्या का॰आ॰ 1040(अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं।

(एक सौ चौदह) का॰आ॰ 311(अ) और का॰आ॰ 316(अ) जो 12 फरवरी, 2008 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जो तमिलनाडु राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 7 (मदुरै-कन्याकुमारी खण्ड) के विभिन्न भागों के निर्माण (चौड़ा करने/चार लेन वाला बनाने, आदि), अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।

(एक सौ पंद्रह) का॰आ॰ 317(अ) से का॰आ॰ 318(अ) जो 12 फरवरी, 2008 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जो तमिलनाडु राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 45 (टिंडिवनम-विल्लुपुरम-तिरूचिरापल्ली खण्ड) के विभिन्न भागों के निर्माण (चौड़ा करने/चार लेन वाला बनाने, आदि), अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।

(एक सौ सोलह) का॰आ॰ 416(अ) जो 3 मार्च, 2008 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो तमिलनाडु राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 7 के निर्माण (चौड़ा करने/चार लेन वाला बनाने, आदि), अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।

(एक सौ सत्रह) का॰आ॰ 2834(अ) जो 2 दिसम्बर, 2008 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो अधिसूचना के स्तम्भ 2 और 3 में विनिर्दिष्ट राजमार्गों को राष्ट्रीय राजमार्ग घोषित किए जाने के बारे में है।

(एक सौ अठारह) का॰आ॰ 1227(अ) जो 27 मई, 2008 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो पश्चिम बंगाल राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 34 के निर्माण (चौड़ा करने/चार लेन वाला बनाने, आदि), अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।

(एक सौ उन्नीस) का॰आ॰ 1579(अ) जो 27 जून, 2008 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो असम राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 154 (धालेश्वरी-भैराबी खण्ड) के निर्माण (चौड़ा करने/दो लेन वाला बनाने, आदि), अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।

(एक सौ बीस) का॰आ॰ 2258(अ) जो 23 सितम्बर, 2008 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो असम राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 154 (धालेश्वरी-भैराबी खण्ड) के निर्माण (चौड़ा करने/दो लेन वाला बनाने, आदि), अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।

(13) उपर्युक्त (12) की मद संख्या (एक) से (सात) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाले तीन विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(14) भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण अधिनियम, 1988 की धारा 11 के अंतर्गत जारी निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)—

(एक) का॰आ॰ 797(अ) जो 1 अप्रैल, 2008 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो उसमें उल्लिखित राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 66 के खण्डों को भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण को सौंपे जाने के बारे में है।

(दो) का॰आ॰ 795(अ) जो 1 अप्रैल, 2008 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो उसमें उल्लिखित राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 3 के खण्डों को भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण को सौंपे जाने के बारे में है।

(15) उपर्युक्त (14) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(16) (एक) टाटा मेमोरियल सेंटर, मुंबई के वर्ष 2007-2008 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) टाटा मेमोरियल सेंटर, मुंबई के वर्ष 2007-2008 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(17) (एक) इंस्टिट्यूट ऑफ मैथमेटिकल साइंसेज, चेन्नई के वर्ष 2007-2008 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) इंस्टिट्यूट ऑफ मैथमेटिकल साइंसेज, चेन्नई के वर्ष 2007-2008 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(18) (एक) एटॉमिक एनर्जी एजुकेशन सोसाइटी, मुंबई के वर्ष 2007-2008 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) एटॉमिक एनर्जी एजुकेशन सोसाइटी, मुंबई के वर्ष 2007-2008 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(19) (एक) इंस्टिट्यूट ऑफ फिजिक्स, भुवनेश्वर के वर्ष 2007-2008 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) इंस्टिट्यूट ऑफ फिजिक्स, भुवनेश्वर के वर्ष 2007-2008 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखा परीक्षा प्रतिवेदन।

(तीन) इंस्टिट्यूट ऑफ फिजिक्स, भुवनेश्वर के वर्ष 2007-2008 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(20) (एक) इंस्टिट्यूट ऑफ प्लाज्मा रिसर्च, अहमदाबाद के वर्ष 2007-2008 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) इंस्टिट्यूट ऑफ प्लाज्मा रिसर्च, अहमदाबाद के वर्ष 2007-2008 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(21) (एक) हरिश्चन्द्र रिसर्च इंस्टिट्यूट, इलाहाबाद के वर्ष 2007-2008 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) हरिश्चन्द्र रिसर्च इंस्टिट्यूट, इलाहाबाद के वर्ष 2007-2008 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(22) (एक) साहा इंस्टिट्यूट ऑफ न्यूक्लियर फिजिक्स, कोलकाता के वर्ष 2007-2008 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) साहा इंस्टिट्यूट ऑफ न्यूक्लियर फिजिक्स, कोलकाता के वर्ष 2007-2008 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(23) कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619क की उपधारा (1) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):—

(क) (एक) इंडियन रेयर अर्थ्स लिमिटेड, मुंबई के वर्ष 2007-2008 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) इंडियन रेयर अर्थ्स लिमिटेड, मुंबई का वर्ष 2007-2008 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

(ख) (एक) यूरेनियम कारपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, जादूगुड़ा के वर्ष 2007-2008 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) यूरेनियम कारपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, जादूगुड़ा का वर्ष 2007-2008 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

(ग) (एक) इलंक्ट्रॉनिक्स कारपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, हैदराबाद के वर्ष 2007-2008 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) इलंक्ट्रॉनिक्स कारपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, हैदराबाद का वर्ष 2007-2008 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

(घ) (एक) भारतीय नाभिकीय विद्युत निगम लिमिटेड, चेन्नई के वर्ष 2007-2008 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) भारतीय नाभिकीय विद्युत निगम लिमिटेड, चेन्नई का वर्ष 2007-2008 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

(ङ) (एक) न्यूक्लियर पॉवर कारपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, मुंबई के वर्ष 2007-2008 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) न्यूक्लियर पॉवर कारपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, मुंबई का वर्ष 2007-2008 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

(च) (एक) एंट्रिक्स कारपोरेशन लिमिटेड, बंगलौर के वर्ष 2007-2008 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) एंट्रिक्स कारपोरेशन लिमिटेड, बंगलौर का वर्ष 2007-2008 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

(24) (एक) सिविल सर्विसेज आफिसर्स इंस्टिट्यूट्स, नई दिल्ली के वर्ष 2007-2008 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) सिविल सर्विसेज आफिसर्स इंस्टिट्यूट्स, नई दिल्ली के वर्ष 2007-2008 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(25) (एक) नॉर्थ ईस्टर्न स्पेस एप्लीकेशन सेंटर, शिलांग के वर्ष 2007-2008 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) नॉर्थ ईस्टर्न स्पेस एप्लीकेशन सेंटर, शिलांग के वर्ष 2007-2008 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(26) (एक) गृह कल्याण केन्द्र, नई दिल्ली के वर्ष 2007-2008 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) गृह कल्याण केन्द्र, नई दिल्ली के वर्ष 2007-2008 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(27) (एक) नेशनल रिमोट सेंसिंग एजेंसी, हैदराबाद के वर्ष 2007-2008 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) नेशनल रिमोट सेंसिंग एजेंसी, हैदराबाद के वर्ष 2007-2008 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(28) (एक) इंडियन इंस्टिट्यूट ऑफ स्पेस साइंस एण्ड टेक्नोलॉजी, तिरुवनंतपुरम के वर्ष 2007-2008 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) इंडियन इंस्टिट्यूट ऑफ स्पेस साइंस एण्ड टेक्नोलॉजी, तिरुवनंतपुरम के वर्ष 2007-2008 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(29) (एक) सेमीकंडक्टर लैबोरेटरी, एस॰ए॰एस॰ नगर (पंजाब) के वर्ष 2007-2008 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) सेमीकंडक्टर लैबोरेटरी, एस॰ए॰एस॰ नगर (पंजाब) के वर्ष 2007-2008 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(30) (एक) फिजिकल रिसर्च लैबोरेटरी, अहमदाबाद के वर्ष 2007-2008 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) फिजिकल रिसर्च लैबोरेटरी, अहमदाबाद के वर्ष 2007-2008 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(31) (एक) नेशनल एटमोस्फेरिक रिसर्च लैबोरेटरी, गंडाकी के वर्ष 2007-2008 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) नेशनल एटमोस्फेरिक रिसर्च लैबोरेटरी, गंडाकी के वर्ष 2007-2008 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(32) सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 24 की उपधारा (2) के अंतर्गत जारी अधिसूचना संख्या सा॰का॰नि॰ 726(अ), जो 8 अक्तूबर, 2008 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा उक्त अधिनियम की दूसरी अनुसूची में कतिपय संशोधन किए गए हैं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(33) केन्द्रीय प्रशासनिक अधिकरण (वरिष्ठ प्रधान निजी सचिव) भर्ती नियम, 2007 जो प्रशासनिक अधिकरण अधिनियम, 1985 की धारा 37 की उपधारा (1) के अंतर्गत अधिसूचना संख्या सा॰का॰नि॰ 74(अ), जो 6 मई, 2007 के भारत के साप्ताहिक राजपत्र में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(34) उपर्युक्त (33) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(35) दसवीं, ग्यारहवीं, बारहवीं, तेरहवीं तथा चौदहवीं लोक सभा के विभिन्न सत्रों के दौरान मंत्रियों द्वारा दिए गए आश्वासनों, वचनों तथा परिवचनों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्यवाही दर्शाने वाले निम्नलिखित विवरणों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):—

दसवीं लोक सभा

1.	विवरण संख्या सैंतीस	पांचवां सत्र, 1992
2.	विवरण संख्या उनतालीस	तेरहवां सत्र, 1995

ग्यारहवीं लोक सभा

3.	विवरण संख्या उनतीस	छठा सत्र, 1997

बारहवीं लोक सभा

4.	विवरण संख्या अड़तीस	तीसरा सत्र, 1998

तेरहवीं लोक सभा

5.	विवरण संख्या इकतालीस	दूसरा सत्र, 1999
6.	विवरण संख्या अड़तीस	चौथा सत्र, 2000
7.	विवरण संख्या बत्तीस	आठवां सत्र, 2001
8.	विवरण संख्या सत्ताईस	दसवां सत्र 2002
9.	विवरण संख्या चौबीस	बारहवां सत्र, 2003
10.	विवरण संख्या इक्कीस	तेरहवां सत्र, 2003
11.	विवरण संख्या बीस	चौदहवां सत्र, 2003

चौदहवीं लोक सभा

12	विवरण संख्या तेरह	पांचवां सत्र, 2005
13	विवरण संख्या बारह	छठा सत्र, 2005
14.	विवरण संख्या ग्यारह	सातवां सत्र, 2006
15.	विवरण संख्या नौ	आठवां सत्र, 2006
16.	विवरण संख्या आठ	नौवां सत्र, 2006
17.	विवरण संख्या सात	दसवां सत्र, 2007
18.	विवरण संख्या पांच	ग्यारहवां सत्र, 2007

19. विवरण संख्या चार बारहवां सत्र, 2007

20. विवरण संख्या दो तेरहवां सत्र, 2008

(36) (एक) नेशनल इंस्टिट्यूट ऑफ पब्लिक फिनान्स एण्ड पॉलिसी, नई दिल्ली के वर्ष 2007-2008 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) नेशनल इंस्टिट्यूट ऑफ पब्लिक फिनान्स एण्ड पॉलिसी, नई दिल्ली के वर्ष 2007-2008 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(37) राष्ट्रीय आवास बैंक अधिनियम, 1987 की धारा 40 की उपधारा (5) के अंतर्गत राष्ट्रीय आवास बैंक, नई दिल्ली के वर्ष 2006-2007 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(38) सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 की धारा 159 के अंतर्गत सीमा शुल्क, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क और सेवा कर ड्राबैक (संशोधन) नियम, 2008 जो 21 नवम्बर, 2008 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा॰का॰नि॰ 817(अ) में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(39) विदेशी मुद्रा प्रबंध अधिनियम, 1999 की धारा 48 के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):—

(एक) विदेशी मुद्रा प्रबंध (भारत के बाहर निवासी व्यक्ति द्वारा प्रतिभूति का अंतरण या निर्गम) (संशोधन), विनियम, 2008 जो 5 अगस्त, 2008 के भारत के राजपत्र में सा॰का॰नि॰ 575(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(दो) विदेशी मुद्रा प्रबंध (माल और सेवाओं का निर्यात) (संशोधन), विनियम, 2008 जो 5 अगस्त, 2008 के भारत के राजपत्र में सा॰का॰नि॰ 576(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(तीन) विदेशी मुद्रा प्रबंध (विदेशी विनिमय डेरिवेटिव कांट्रैक्ट्स) (संशोधन), विनियम, 2008 जो 5 अगस्त, 2008 के भारत के राजपत्र में सा॰का॰नि॰ 577(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(चार) विदेशी मुद्रा प्रबंध (कंपाउंडिंग प्रोसिडिंग्स) (संशोधन), नियम, 2008 जो 27 अगस्त, 2008 के भारत के राजपत्र में सा॰का॰नि॰ 613(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(40) सिक्का निर्माण अधिनियम, 1906 की धारा 21 की उपधारा (3) के अंतर्गत 'गुरु ग्रंथ साहिब के गुर-ता-गद्दी के 300वें वर्ष' के अवसर पर 100 रुपये और 10 रुपये

के सिक्कों की ढलाई नियम, 2008 जो 24 अक्तूबर, 2008 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा॰का॰नि॰ 750(अ) में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(41) केन्द्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम, 1944 की धारा 38 की उपधारा (2) के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):—

(एक) सा॰का॰नि॰ 708(अ) जो 3 अक्तूबर, 2008 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा 8 जुलाई, 1999 की अधिसूचना संख्या 32/99-के॰उ॰शु॰ में कतिपय संशोधन किए गए हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(दो) सा॰का॰नि॰ 709(अ) जो 3 अक्तूबर, 2008 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे, तथा जिनके द्वारा 8 जुलाई, 1999 की अधिसूचना संख्या 33/99-के॰उ॰शु॰ में कतिपय संशोधन किए गए हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(तीन) सा॰का॰नि॰ 710(अ) जो 3 अक्तूबर, 2008 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा 31 जुलाई, 2001 की अधिसूचना संख्या 39/2001-के॰उ॰शु॰ में कतिपय संशोधन किए गए हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(चार) सा॰का॰नि॰ 711(अ) जो 3 अक्तूबर, 2008 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा 14 नवम्बर, 2002 की अधिसूचना संख्या 56/2002-के॰उ॰शु॰ में कतिपय संशोधन किए गए हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(पांच) सा॰का॰नि॰ 712(अ) जो 3 अक्तूबर, 2008 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा 14 नवम्बर, 2002 की अधिसूचना संख्या 57/2002-के॰उ॰शु॰ में कतिपय संशोधन किए गए हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(छ:) सा॰का॰नि॰ 713(अ) जो 3 अक्तूबर, 2008 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा 25 जून, 2003 की अधिसूचना संख्या 56/2003-के॰उ॰शु॰ में कतिपय संशोधन किए गए हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(सात) सा॰का॰नि॰ 714(अ) जो 3 अक्तूबर, 2008 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा 9 सितम्बर, 2003 की अधिसूचना संख्या

71/2003-के॰उ॰शु॰ में कतिपय संशोधन किए गए हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(आठ) सा॰का॰नि॰ 715(अ) जो 3 अक्तूबर, 2008 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा 25 अप्रैल, 2007 की अधिसूचना संख्या 20/2007-के॰उ॰शु॰ में कतिपय संशोधन किए गए हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(42) भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड अधिनियम, 1992 की धारा 31 के अंतर्गत भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (शेयरों का पर्याप्त अर्जन और टेकओवर्स) (संशोधन) विनियम, 2008 जो 31 अक्तूबर, 2008 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या एलएडी-एनआरओ/जीएन/2008/26/142801 में प्रकाशित हुए थे की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(43) (एक) नेशनल बैंक ऑफ एग्रीकल्चर एण्ड रूरल डेवलपमेंट, मुंबई के वर्ष 2007-2008 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) नेशनल बैंक ऑफ एग्रीकल्चर एण्ड रूरल डेवलपमेंट, मुंबई के वर्ष 2007-2008 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(44) कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 619क की उपधारा (1) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):—

(एक) इंडस्ट्रियल इनवेस्टमेंट बैंक ऑफ इंडिया, मुंबई के वर्ष 2007-2008 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) इंडस्ट्रियल इनवेस्टमेंट बैंक ऑफ इंडिया, मुंबई के वर्ष 2007-2008 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

(45) (एक) सलीम अली सेन्टर फॉर ओरिंथोलॉजी एण्ड नेचुरल हिस्ट्री, कोयंबटूर के वर्ष 2007-2008 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) सलीम अली सेन्टर फॉर ओरिंथोलॉजी एण्ड नेचुरल हिस्ट्री, कोयंबटूर के वर्ष 2007-2008 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(46) पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 की धारा 26 के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):—

(एक) पर्यावरण (संरक्षण) आठवां संशोधन, नियम, 2008 जो 24 अक्तूबर, 2008 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा॰का॰नि॰ 752(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(दो) पर्यावरण (संरक्षण) दूसरा संशोधन, नियम, 2008 जो 11 अप्रैल, 2008 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा॰का॰नि॰ 280(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(47) पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 के अंतर्गत जारी निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):—

(एक) का॰आ॰ 1720(अ) जो 18 जुलाई, 2008 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा 29 जनवरी, 1999 की अधिसूचना संख्या का॰आ॰ 93(अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं।

(दो) का॰आ॰ 1539(अ) जो 24 जून, 2008 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा 30 अप्रैल, 2003 की अधिसूचना संख्या का॰आ॰ 489(अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं।

(तीन) का॰आ॰ 1894(अ) जो 31 जुलाई, 2008 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा उसमें उल्लिखित प्रयोगशालाओं को पर्यावरणीय प्रयोगशालाओं के रूप में मान्यता दी गई है।

(चार) का॰आ॰ 1634(अ) जो 8 जुलाई, 2008 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा राज्य स्तरीय पर्यावरण प्रभाव निर्धारण प्राधिकरण, सिक्किम और उसमें उल्लिखित चेयरमैन, सदस्य और सदस्य सचिव वाले राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति का गठन किया गया है।

(पांच) का॰आ॰ 417(अ) जो 3 मार्च, 2008 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा राज्य स्तरीय पर्यावरण प्रभाव निर्धारण प्राधिकरण, तमिलनाडु और उसमें उल्लिखित चेयरमैन, सदस्य और सदस्य सचिव वाले राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति का गठन किया गया है।

(छ:) का॰आ॰ 737(अ) जो 27 मार्च, 2008 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा राज्य स्तरीय पर्यावरण प्रभाव निर्धारण प्राधिकरण, अरुणाचल प्रदेश और उसमें उल्लिखित चेयरमैन, सदस्य और

सदस्य सचिव वाले राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति का गठन किया गया है।

(सात) का॰आ॰ 899(अ) जो 22 अप्रैल, 2008 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा राज्य स्तरीय पर्यावरण प्रभाव निर्धारण प्राधिकरण, हरियाणा और उसमें उल्लिखित चेयरमैन, सदस्य और सदस्य सचिव वाले राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति का गठन किया गया है।

(आठ) का॰आ॰ 1887(अ) जो 30 जुलाई, 2008 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा राज्य स्तरीय पर्यावरण प्रभाव निर्धारण प्राधिकरण, राजस्थान और उसमें उल्लिखित चेयरमैन, सदस्य और सदस्य सचिव वाले राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति का गठन किया गया है।

(नौ) का॰आ॰ 2244(अ) जो 22 सितम्बर, 2008 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा राज्य स्तरीय पर्यावरण प्रभाव निर्धारण प्राधिकरण, उत्तराखण्ड और उसमें उल्लिखित चेयरमैन, सदस्य और सदस्य सचिव वाले राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति का गठन किया गया है।

(दस) का॰आ॰ 1888(अ) जो 30 जुलाई, 2008 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा राज्य स्तरीय पर्यावरण प्रभाव निर्धारण प्राधिकरण, दिल्ली और उसमें उल्लिखित चेयरमैन, सदस्य और सदस्य सचिव वाले राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति का गठन किया गया है।

(ग्यारह) का॰आ॰ 898(अ) जो 22 अप्रैल, 2008 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा राज्य स्तरीय पर्यावरण प्रभाव निर्धारण प्राधिकरण, महाराष्ट्र और उसमें उल्लिखित चेयरमैन, सदस्य और सदस्य सचिव वाले राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति का गठन किया गया है।

(48) लोक दायित्व बीमा अधिनियम, 1991 की धारा 7 (क) के अंतर्गत जारी पर्यावरण राहत निधि स्कीम, 2008 जो 4 नवम्बर, 2008 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा॰का॰नि॰ 768 (अ) में प्रकाशित हुए थे की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(49) (एक) भारतीय जीवन बीमा निगम, मुंबई के वर्ष 2007-2008 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) भारतीय जीवन बीमा निगम, मुंबई के वर्ष 2007-2008 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(50) जीवन बीमा अधिनियम, 1956 की धारा 29 के अंतर्गत भारतीय जीवन बीमा निगम के 38वें मूल्यांकन प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(51) बैंकों और वित्तीय संस्थाओं को शोध्य ऋण वसूली अधिनियम, 1993 की धारा 3 के अंतर्गत जारी अधिसूचना संख्या सा॰का॰ नि॰ 395 (अ) जो 29 मई, 2007 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा 1 जून, 2007 से अहमदाबाद में एक और ऋण वसूली अधिकरण (जिसे ऋण वसूली अधिकरण-दो के रूप में जाना जाएगा) की स्थापना करने और इसके न्याय निर्णयन क्षेत्र को अधिसूचित किया गया है, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा 20 दिसंबर, 2007 की अधिसूचना संख्या 783 (अ) में प्रकाशित उसका एक शुद्धि पत्र।

(52) उपर्युक्त (51) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(53) बैंकों और वित्तीय संस्थाओं को शोध्य ऋण वसूली अधिनियम, 1993 की धारा 36 की उपधारा 3 के अंतर्गत ऋण वसूली अधिकरण (पीठासीन अधिकारी के वेतन, भत्ते और सेवा के अन्य निबंधन और शर्तें) (संशोधन) नियम, 2008 जो 7 नवम्बर, 2008 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा॰का॰नि॰ 777 (अ) में प्रकाशित हुए थे की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(54) कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 619क की उपधारा (1) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)—

(एक) ब्राडकास्टिंग इंजीनियरिंग कंसलटैन्ट इंडिया लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 2007-2008 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) ब्राडकास्टिंग इंजीनियरिंग कंसलटैन्ट इंडिया लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 2007-2008 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

4. **राज्य सभा से संदेश**

महासचिव ने राज्य सभा से प्राप्त निम्नलिखित संदेशों की सूचना दी:—

(एक) कि राज्य सभा 15 दिसंबर, 2008 को हुई अपनी बैठक में लोक सभा द्वारा 21 अक्तूबर, 2008 को पारित राष्ट्रीय जूट बोर्ड विधेयक, 2008 से बिना किसी संशोधन के सहमत हुई।

(दो) कि राज्य सभा को लोक सभा द्वारा 24 अक्तूबर, 2008 को पारित संसद के अधिकारियों के वेतन और भत्ते (संशोधन) विधेयक, 2008 के बारे में कोई सिफारिश नहीं करनी है।

(तीन) कि राज्य सभा को लोक सभा द्वारा 24 अक्तूबर, 2008 को पारित राष्ट्रपति उपलब्धियां और पेंशन (संशोधन) विधेयक, 2008 के बारे में कोई सिफारिश नहीं करनी है।

(चार) कि राज्य सभा को लोक सभा द्वारा 24 अक्तूबर, 2008 को पारित उप-राष्ट्रपति पेंशन (संशोधन) विधेयक, 2008 के बारे में कोई सिफारिश नहीं करनी है।

(पांच) कि राज्य सभा 15 दिसंबर, 2008 को हुई अपनी बैठक में लोक सभा द्वारा 24 अक्तूबर, 2008 को पारित राज्यपाल (उपलब्धियां, भत्ते और विशेषाधिकार) (संशोधन) विधेयक, 2008 से बिना किसी संशोधन के सहमत हुई।

5. **प्राक्कलन समिति के प्रतिवेदन**

श्री सी॰ कुप्पुसामी ने प्राक्कलन समिति के निम्नलिखित प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत किए:—

(1) सूचना और प्रसारण मंत्रालय—वार्षिक प्रतिवेदन के भाग दो का मुद्रण बंद किया जाना के बारे में 19वां प्रतिवेदन; और

(2) कृषि मंत्रालय (कृषि और सहकारिता विभाग)—नेशनल एग्रीकल्चरल को-आपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड के बारे में समिति के 14वें प्रतिवेदन (चौदहवीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट सिफारिशों/टिप्पणियों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्यवाही संबंधी 20वां प्रतिवेदन।

6. **लोक लेखा समिति के प्रतिवेदन**

श्री भर्तृहरि महताब ने लोक लेखा समिति (2008-2009) के निम्नलिखित प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत किए:—

(1) ''**डीडीए द्वारा शैक्षणिक संस्थाओं को भूमि का आवंटन**'' के बारे में लोक लेखा समिति (14वीं लोक सभा) के 42वें प्रतिवेदन पर की-गई-कार्यवाही संबंधी 78वां प्रतिवेदन।

(2) ''**निम्नतर परस्पर सम्मत मूल्य के अनुकूलन के कारण अवमूल्यन**'' के बारे में लोक लेखा समिति (14वीं लोक सभा) के 57वें प्रतिवेदन पर की-गई-कार्यवाही संबंधी 79वां प्रतिवेदन।

(3) ''**स्वीकृत अनुदानों और प्रभारित विनियोगों (2006-2007) पर आधिक्य**'' के बारे में लोक लेखा समिति (14वीं लोक सभा) का 80वां प्रतिवेदन।

7. याचिका समिति के प्रतिवेदन

श्री सैयद शाहनबाज हुसैन ने याचिका समिति के निम्नलिखित प्रतिवेदन* (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत किए:—

(1) रक्षा मंत्रालय (रक्षा विभाग) से संबंधित अभ्यावेदनों संबंधी 43वां प्रतिवेदन;

(2) संस्कृति, ग्रामीण विकास, नागर विमानन, भारी उद्योग और लोक उद्यम (भारी उद्योग विभाग) मंत्रालयों से संबंधित अभ्यावेदनों संबंधी 44वां प्रतिवेदन; और

(3) पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय से संबंधित अभ्यावेदनों संबंधी 45वां प्रतिवेदन।

8. मानव संसाधन विकास संबंधी स्थायी समिति का प्रतिवेदन

श्री राहुल गांधी ने केन्द्रीय विश्वविद्यालय विधेयक, 2008 के बारे में मानव संसाधन विकास संबंधी स्थायी समिति के 212वें प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखीं।

9. मंत्रियों द्वारा वक्तव्य

(1) सांख्यिकी और कार्यक्रम क्रियान्वयन मंत्रालय में राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) ने सांख्यिकी और कार्यक्रम क्रियान्वयन मंत्रालय से संबंधित अनुदानों की मांगों (2008-09) के बारे में वित्त संबंधी स्थायी समिति के 70वें प्रतिवेदन मे अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति के बारे में एक वक्तव्य (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखा।

(2) युवक कार्यक्रम और खेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) ने युवक कार्यक्रम और खेल मंत्रालय से संबंधित अनुदानों की मांगों (2007-08) के बारे में मानव संसाधन विकास संबंधी स्थायी समिति के 204वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति के बारे में एक वक्तव्य (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखा।

(3) प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री और कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री ने निम्नलिखित के बारे में वक्तव्य (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखा:—

(1) कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय से संबंधित अनुकम्पा आधार पर नियुक्ति की सरकार की नीति के बारे में कार्मिक, लोक शिकायत, विधि और न्याय संबंधी स्थायी समिति के 23वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति; और

---

*उपर्युक्त प्रतिवेदन अध्यक्ष, लोक सभा के निदेशों के निदेश 71क के अंतर्गत 8 नवम्बर, 2008 को जब सभा सत्र में नहीं थी, माननीय अध्यक्ष को प्रस्तुत किए गए और अध्यक्ष ने लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमों के नियम 280 के अंतर्गत उपर्युक्त प्रतिवेदनों के मुद्रण, प्रकाशन और परिचालन का आदेश दिया।

(2) अंतरिक्ष विभाग से संबंधित अनुदानों की मांगों (2008-09) के बारे में विज्ञान और प्रौद्योगिकी, पर्यावरण और वन संबंधी स्थायी समिति के 189वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति।

(4) विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री और सूचना और प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री ने विदेश मंत्रालय से संबंधित अनुदानों की मांगों (2008-09) के बारे में विदेशी मामलों संबंधी स्थायी समिति के 20वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति के बारे में एक वक्तव्य (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखा।

*अपराह्न 12.51 बजे

10. **नियम 377 के अधीन मामले**

अध्यक्षपीठ के निर्देशानुसार, निम्नलिखित सदस्यों ने उनके द्वारा उठाए जाने वाले मामलों, जैसा कि प्रत्येक सदस्य के नाम के आगे दर्शाया गया है, पर अपने वक्तव्य सभा पटल पर रखे:—

(1) श्री भानु प्रताप सिंह वर्मा द्वारा जालौन संसदीय निर्वाचन क्षेत्र के ऐतिहासिक शहर कालपी को पर्यटन स्थल के रूप में विकसित किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(2) श्री जसवंत सिंह बिश्नोई द्वारा जोधपुर, राजस्थान में एक भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (आईआईटी) खोले जाने और जय नारायण ब्यास विश्वविद्यालय, जोधपुर को केन्द्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा दिए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(3) श्री बची सिंह 'बचदा' रावत द्वारा कुमाऊं विश्वविद्यालय उत्तराखण्ड को केन्द्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा दिए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(4) श्री संतोष गंगवार द्वारा देश में भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान परिषद की स्थापना किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(5) प्रो॰ रासा सिंह रावत द्वारा अजमेर, राजस्थान में एक विमानपत्तन स्थापित किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(6) श्री पी॰ राजेन्द्रन द्वारा विश्वव्यापी आर्थिक मंदी के परिप्रेक्ष्य में काजू उद्योग को बचाने के लिए आवश्यक उपाय आरंभ किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(7) श्री प्रशांत प्रधान द्वारा पश्चिम बंगाल के बाढ़ प्रभावित क्षेत्र में राहत और पुनर्निर्माण कार्य के लिए राज्य सरकार को वित्तीय सहायता उपलब्ध कराए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(8) श्री चन्द्रपाल सिंह यादव द्वारा मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के बीच बेतवा नदी जल के बंटवारे की समीक्षा किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

---

*अपराह्न 12.07 बजे से अपराह्न 12.50 बजे तक सदस्यों ने अविलंबनीय लोक महत्व के मामले उठाए।

(9) श्री रामकृपाल यादव द्वारा बिहार में राष्ट्रीय राजमार्गों के मरम्मत का कार्य किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(10) श्री प्रसन्न आचार्य द्वारा अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों को ऋण देने वाले वित्तीय संगठनों को कृषि ऋण माफी योजना के अंतर्गत लाए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(11) डा॰ अरुण कुमार शर्मा द्वारा असम पर पड़ने वाले पर्यावरणीय प्रभाव को ध्यान में रखते हुए अरूणाचल प्रदेश में जल विद्युत परियोजना को चालू किए जाने की समीक्षा किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(12) श्री एस॰ के॰ बैसीमुथियारी द्वारा असम के कारबी-आंगलौंग और नॉर्थ कचार हिल ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट में रहने वाले बोडो-कचारियों को असम की अनुसूचित जनजाति (पर्वतीय) की सूची में शामिल किए किए जाने की प्रक्रिया में तेजी लाए जाने की आवश्यकता के बारे में।

अपराह्न 12.52 बजे

11. **सरकारी विधयेक—पारित**

लिया गया समय: 5 घंटे 42 मिनट

असंगठित सेक्टर कर्मकार सामाजिक सुरक्षा विधेयक, 2008, राज्य सभा द्वारा यथापारित

श्री ऑस्कर फर्नान्डीस द्वारा 15 दिसंबर, 2008 को पेश किए गए विधेयक पर विचार किए जाने के प्रस्ताव पर आगे चर्चा जारी रही:—

श्री ऑस्कर फर्नान्डीस ने वाद-विवाद का उत्तर दिया।

विधेयक पर विचार किए जाने का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ और विधेयक पर खण्डवार विचार आरंभ हुआ।

श्री हन्नान मोल्लाह द्वारा खण्ड 2 के लिए पेश किए गए संशोधन संख्या 1, 4, 5 और 6 अस्वीकृत हुए।

श्री सांताश्री चटर्जी द्वारा खण्ड 2 के लिए पेश किए गए संशोधन संख्या 2 और 3 अस्वीकृत हुए।

श्री सुरवरम सुधाकर रेड्डी द्वारा खण्ड 2 के लिए पेश किए गए संशोधन संख्या 12, 13, 14 और 15 अस्वीकृत हुए।

खण्ड 2 स्वीकृत हुआ।

श्री सांताश्री चटर्जी द्वारा खण्ड 3 के लिए पेश किए गए संशोधन संख्या 7, 8 और 9 पर सभा में मतदान हुआ मतदान का परिणाम 90 हां; 107 नहीं।

तद्नुसार संशोधन अस्वीकृत हुए।

खण्ड 3 स्वीकृत हुआ।

श्री सांताश्री चटर्जी द्वारा खण्ड 4 के लिए पेश किए गए संशोधन संख्या 10 पर सभा में मतदान हुआ। मतदान का परिणाम–111 हां; 134 नहीं।

तद्नुसार संशोधन अस्वीकृत हुआ।

श्री सुरवरम सुधाकर रेड्डी द्वारा खण्ड 4 के लिए पेश की गई संशोधन संख्या 16 अस्वीकृत हुई।

खण्ड 4 स्वीकृत हुआ।

श्री सुरवरम सुधाकर रेड्डी द्वारा खण्ड 5 के लिए पेश किए गए संशोधन 17, 18, 19 और 20 अस्वीकृत हुए।

खण्ड 5 स्वीकृत हुआ।

श्री सुरवरम सुधाकर रेड्डी द्वारा खण्ड 6 के लिए पेश की गई संशोधन संख्या 21 अस्वीकृत हुई।

खण्ड 6 स्वीकृत हुआ।

श्री सुरवरम सुधाकर रेड्डी द्वारा खण्ड 7 के लिए पेश की गई संशोधन संख्या 22 अस्वीकृत हुई।

खण्ड 7 स्वीकृत हुआ।

खण्ड 8 से 10 स्वीकृत हुए।

श्री सांताश्री चटर्जी द्वारा खण्ड 11 के लिए पेश की गई संशोधन संख्या 11 अस्वीकृत हुई।

खण्ड 11 स्वीकृत हुआ।

खण्ड 12 से 17 स्वीकृत हुए।

अनुसूची 1 स्वीकृत हुई।

अनुसूची 2 स्वीकृत हुई।

खण्ड 1, अधिनियमन सूत्र और विधेयक का पूरा नाम भी स्वीकृत हुए।

श्री ऑस्कर फर्नान्डीस द्वारा यह प्रस्ताव पेश किया गया कि विधेयक पारित किया जाए।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ और विधेयक पारित किया गया।

अपराह्न 1.48 बजे

12. **अध्यक्ष द्वारा घोषणा**

अध्यक्ष ने निम्नलिखित घोषणा की:—

''राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण विधेयक, 2008, लोक सभा में यथा पुर:स्थापित, पर विचार किए जाने और पारित करने हेतु लिए जाने से पूर्व मुझे सभा को यह सूचित करना है कि विधेयक के प्रभारी मंत्री, श्री पी॰ चिदंबरम ने संविधान के अनुच्छेद 117(3) के अंतर्गत विधेयक पर विचार किए जाने के लिए राष्ट्रपति की सिफारिश की सूचना दी है।

अपराह्न 1.49 बजे

13. **सरकारी विधेयक—पारित**

लिया गया समय: 6 घंटे 52 मिनट

#(एक) राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण विधेयक, 2008

#(दो) विधिविरुद्ध क्रियाकलाप (निवारण) संशोधन विधेयक, 2008

श्री पी॰ चिदंबरम द्वारा (एक) राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण विधेयक, 2008 और (दो) विधि-विरुद्ध कार्यकलाप (निवारण) संशोधन विधेयक, 2008 पर विचार किए जाने का प्रस्ताव पेश किया गया।

निम्नलिखित सदस्यों ने संयुक्त वाद-विवाद में भाग लिया:—

1. श्री लाल कृष्ण आडवाणी
2. श्री कपिल सिब्बल
3. श्री बसुदेव आचार्य
4. श्री मोहन सिंह
5. श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव
6. श्री अनंत गंगाराम गीते
7. श्री तथागत सत्पथी
8. श्री गुरुदास दासगुप्त
9. श्री ए॰ कृष्णास्वामी
10. श्री सुखदेव सिंह ढींढसा

#एक साथ चर्चा की गयी।

11. श्री एम॰ ए॰ खारवेल स्वाईं
12. श्री किरीट चालिहा
13. प्रो॰ एम॰ रामदास
14. *श्री राशिद जे॰ एम॰ आरुन
15. *श्री प्रहलाद जोशी
16. श्री एम॰ पी॰ वीरेन्द्र कुमार
17. श्री सर्वानन्द सोनोवाल
18. श्री असादुद्दीन ओबैसी
19. *श्री एस॰ के॰ खारेवेनथन
20. श्री फ्रांसिस के॰ जार्ज
21. *श्री फ्रांसिस फैन्थम
22. *डा॰ टोकचोम मैन्या
23. श्री बिक्रम केशरी देव
24. श्री शैलेन्द्र कुमार
25. *श्री विजय बहुगुणा
26. श्री रामकृपाल यादव
27. श्री मोहम्मद सलीम
28. श्री एम॰ शिवन्ना
29. श्री किंजरपु येरननायडु
30. श्री एस॰ के॰ बैसीमुथियारी
31. श्री रामदास बंडु आठवले
32. श्री तापिर गाव
33. *डा॰ वल्लभभाई कथीरिया
34. *श्रीमती बोचा झांसी लक्ष्मी

श्री पी॰ चिदंबरम ने संयुक्त-वाद का उत्तर दिया।

(एक) राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण विधेयक, 2008 पर विचार किए जाने का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ और विधेयक पर खण्ड-वार विचार आरंभ हुआ।

श्री बसुदेव आचार्य द्वारा खण्ड 2 के लिए पेश किया गया संशोधन संख्या 1 अस्वीकृत हुआ।

---

*लिखित भाषण सभा पटल पर रखे गए।

खण्ड 2 स्वीकृत हुआ।

खण्ड 3 से 17 स्वीकृत हुए।

श्री पी॰ चिदम्बरम ने नियम 388 के अंतर्गत निम्नलिखित प्रस्ताव पेश किया:—

''कि यह सभा, लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्यसंचालन नियम के नियम 80 के खंड (i) को, जहां तक उसमें यह अपेक्षा की गई है कि संशोधन विधेयक की व्याप्ति के भीतर होगा और जिस खण्ड से उसका संबंध हो, उसके विषय के सुसंगत होगा, राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण विधेयक, 2008 की सरकारी संशोधन संख्या 4 को लागू करने के संबंध में, निलंबित करती है और यह कि इस संशोधन को पेश करने की अनुमति दी जाए।''

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

श्री पी॰ चिदंबरम द्वारा नया खण्ड 17क के अंत:स्थापन के लिए पेश किया गया संशोधन स्वीकृत हुआ।

नया खण्ड 17क भी स्वीकृत हुआ।

खण्ड 18 से 25 स्वीकृत हुए।

अनुसूची स्वीकृत हुई।

खण्ड 1, अधिनियमन सूत्र और विधेयक का पूरा नाम भी स्वीकृत हुए।

श्री पी॰ चिदंबरम ने प्रस्ताव किया कि विधेयक, यथासंशोधित पारित किया जाए।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ और विधेयक, यथासंशोधित पारित किया गया।

(दो) विधिविरुद्ध क्रियाकलाप (निवारण) संशोधन विधेयक, 2008 पर विचार किए जाने का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ और विधेयक पर खण्ड-वार विचार आरंभ हुआ।

खण्ड 2 से 11 स्वीकृत हुए।

खण्ड 12 के लिए श्री बसुदेव आचार्य द्वारा पेश किए गए संशोधन संख्या 1 पर सभा में मतदान हुआ और मतदान का परिणाम-28 हां; 187 नहीं। तद्नुसार संशोधन अस्वीकृत हुआ।

श्री पी॰ चिदंबरम द्वारा खण्ड 12 के लिए पेश किया गया संशोधन संख्या 4 स्वीकृत हुआ।

खंड 12, यथासंशोधित स्वीकृत हुआ।

श्री पी॰ चिदंबरम द्वारा खण्ड 13 के लिए पेश किए गए संशोधन संख्या 5 और 6 स्वीकृत हुए।

खंड 13, यथासंशोधित स्वीकृत हुआ।

खंड 14 स्वीकृत हुआ।

श्री पी॰ चिदंबरम ने नियम 388 के अंतर्गत निम्नलिखित प्रस्ताव पेश किया:—

''कि यह सभा, लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्यसंचालन नियमों के नियम 80 के खंड (एक) को, जहां तक उसमें यह अपेक्षा की गई है संशोधन विधेयक की व्याप्ति के भीतर होगा और जिस खण्ड से उसका संबंध हो, उसके विषय से सुसंगत होगा, विधिविरुद्ध क्रियाकलाप (निवारण) संशोधन विधेयक, 2008 की सरकारी संशोधन संख्या 7 को लागू करने के संबंध में, निलंबित करती है और यह कि इस संशोधन को पेश करने की अनुमति दी जाए।''

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

श्री पी॰ चिदंबरम द्वारा नया खण्ड 14क के अंत:स्थापन के लिए पेश किया गया संशोधन स्वीकृत हुआ।

नया खण्ड 14क भी स्वीकृत हुआ।

खण्ड 15 और 16 स्वीकृत हुआ।

खण्ड 1, अधिनियमन सूत्र और विधेयक का पूरा नाम भी स्वीकृत हुए।

श्री पी॰ चिदंबरम ने प्रस्ताव किया कि विधेयक, यथासंशोधित पारित किया जाए।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ और विधेयक, यथासंशोधित पारित किया गया।

रात्रि 8.40 बजे

(लोक सभा गुरुवार, 18 दिसम्बर, 2008 के पूर्वाह्न 11.00 बजे के लिए स्थगित हुई)

पी॰ डी॰ टी॰ आचारी,
महासचिव।

GMGIPMRND—4512LS(S-5)—17-12-2008.

लोक सभा

समाचार—भाग 1

(कार्यवाही का संक्षिप्त वृत्तांत)

गुरुवार, 18 दिसम्बर, 2008/27 अग्रहायण, 1930 (शक)

संख्या 319

पूर्वाह्न 11.00 बजे

1. **तारांकित प्रश्न**

तारांकित प्रश्न संख्या 282—286 के मौखिक उत्तर दिए गए। तारांकित प्रश्न संख्या 281 और 287—300 के उत्तर सभा पटल पर रखे गए।

2. **अतारांकित प्रश्न**

अतारांकित प्रश्न संख्या 2913—3130 और 3132—3142 के उत्तर सभा पटल पर रखे गए।

मध्याह्न 12 बजे

3. **सभा पटल पर रखे गए पत्र**

निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखे गए:—

(1) कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619क की उपधारा (1) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):—

(एक) राष्ट्रीय अल्पसंख्यक विकास और वित्त निगम, दिल्ली के वर्ष 2007-2008 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) राष्ट्रीय अल्पसंख्यक विकास और वित्त निगम, दिल्ली का वर्ष 2007-2008 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

(2) निम्नलिखित संस्थानों के संबंध में वर्ष 2007-08 के निम्नलिखित वार्षिक प्रतिवेदनों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे:—

(एक) इंस्टिट्यूट ऑफ होटल मैनेजमेंट, कैटरिंग टेक्नोलॉजी एण्ड एप्लाईड न्यूट्रीशन, कोलकाता।

(दो) इंस्टिट्यूट ऑफ होटल मैनेजमेंट, कैटरिंग टेक्नोलॉजी एण्ड एप्लाईड न्यूट्रीशन, जयपुर।

(तीन) इंस्टिट्यूट ऑफ होटल मैनेजमेंट, कैटरिंग टेक्नोलॉजी एण्ड एप्लाईड न्यूट्रीशन, हैदराबाद।

(चार) इंस्टिट्यूट ऑफ होटल मैनेजमेंट, कैटरिंग टेक्नोलॉजी एण्ड एप्लाईड न्यूट्रीशन, मुंबई।

(पांच) इंस्टिट्यूट ऑफ होटल मैनेजमेंट, कैटरिंग एण्ड न्यूट्रीशन, लखनऊ।

(छह) इंस्टिट्यूट ऑफ होटल मैनेजमेंट, कैटरिंग एण्ड न्यूट्रीशन, नई दिल्ली।

(सात) इंस्टिट्यूट ऑफ होटल मैनेजमेंट, कैटरिंग टेक्नोलॉजी एण्ड एप्लाईड न्यूट्रीशन, शिलांग।

(आठ) इंस्टिट्यूट ऑफ होटल मैनेजमेंट, कैटरिंग एण्ड न्यूट्रीशन, शिमला।

(नौ) इंस्टिट्यूट ऑफ होटल मैनेजमेंट एण्ड कैटरिंग टेक्नोलॉजी, तिरुवनंतपुरम।

(दस) इंस्टिट्यूट ऑफ होटल मैनेजमेंट, कैटरिंग टेक्नोलॉजी एण्ड एप्लाईड न्यूट्रीशन, ग्वालियर।

(ग्यारह) इंस्टिट्यूट ऑफ होटल मैनेजमेंट, हाजीपुर।

(बारह) इंस्टिट्यूट ऑफ होटल मैनेजमेंट, कैटरिंग टेक्नोलॉजी एण्ड एप्लाईड न्यूट्रीशन, गुवाहाटी।

(तेरह) इंस्टिट्यूट ऑफ होटल मैनेजमेंट, कैटरिंग एण्ड न्यूट्रीशन (सोसाइटी), गुरदासपुर।

(चौदह) इंस्टिट्यूट ऑफ होटल मैनेजमेंट, कैटरिंग टेक्नोलॉजी एण्ड एप्लाईड न्यूट्रीशन, गोवा।

(पंद्रह) इंस्टिट्यूट ऑफ होटल मैनेजमेंट, कैटरिंग टेक्नोलॉजी एण्ड एप्लाईड न्यूट्रीशन, चेन्नई।

(सोलह) इंस्टिट्यूट ऑफ होटल मैनेजमेंट, कैटरिंग टेक्नोलॉजी एण्ड एप्लाईड न्यूट्रीशन, भोपाल।

(सत्रह) इंस्टिट्यूट ऑफ होटल मैनेजमेंट, कैटरिंग टेक्नोलॉजी एण्ड एप्लाईड न्यूट्रीशन, बंगलौर।

(अठारह) इंस्टिट्यूट ऑफ होटल मैनेजमेंट, कैटरिंग टेक्नोलॉजी एण्ड एप्लाईड न्यूट्रीशन, अहमदाबाद।

(उन्नीस) इंस्टिट्यूट ऑफ होटल मैनेजमेंट, कैटरिंग टेक्नोलॉजी एण्ड एप्लाईड न्यूट्रीशन, भुवनेश्वर।

(बीस) डा॰ अम्बेडकर इंस्टिट्यूट ऑफ होटल मैनेजमेंट, कैटरिंग एण्ड न्यूट्रीशन, चंडीगढ़।

(3) उपर्युक्त संस्थानों के वर्ष 2007-08 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(4) (एक) इंडियन इंस्टिट्यूट ऑफ टूरिज्म एण्ड ट्रैवल मैनेजमेंट, ग्वालियर के वर्ष 2007-2008 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) इंडियन इंस्टिट्यूट ऑफ टूरिज्म एण्ड ट्रैवल मैनेजमेंट, ग्वालियर के वर्ष 2007-2008 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(5) कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619क की उपधारा (1) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):—

(क) (एक) एयरलाइन एलाईड सर्विसेज लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 2006-2007 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) एयरलाइन एलाईड सर्विसेज लिमिटेड, नई दिल्ली का वर्ष 2006-2007 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

(ख) (एक) इंडियन एयरलाइन्स लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 2006-2007 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) इंडियन एयरलाइन्स लिमिटेड, नई दिल्ली का वर्ष 2006-2007 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

(ग) (एक) पवन हंस हेलीकॉप्टर्स लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 2006-2007 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण।

(दो) पवन हंस हेलीकॉप्टर्स लिमिटेड, नई दिल्ली का वर्ष 2006-2007 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

(6) उपर्युक्त (5) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाले तीन विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(7) (एक) इंदिरा गांधी राष्ट्रीय उड़ान अकादमी, रायबरेली के वर्ष 2006-2007 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) इंदिरा गांधी राष्ट्रीय उड़ान अकादमी, रायबरेली के वर्ष 2006-2007 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(8) उपर्युक्त (7) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(9) पवन हंस हेलीकॉप्टर्स लिमिटेड तथा नागर विमानन मंत्रालय के बीच वर्ष 2008-2009 के लिए हुए समझौता ज्ञापन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(10) (एक) भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण, नई दिल्ली के वर्ष 2007-2008 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण, नई दिल्ली के वर्ष 2007-2008 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(11) वायुयान अधिनियम, 1934 की धारा 14क के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):—

(एक) वायुयान (संशोधन) नियम, 2008 जो 26 सितम्बर, 2008 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा॰का॰नि॰ 687(अ) में प्रकाशित हुए थे तथा एक व्याख्यात्मक टिप्पण।

(दो) वायुयान (संशोधन) नियम, 2008 जो 19 सितम्बर, 2008 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा॰का॰नि॰ 660(अ) में प्रकाशित हुए थे तथा एक व्याख्यात्मक टिप्पण।

(तीन) वायुयान (संशोधन) नियम, 2008 जो 8 अक्तूबर, 2008 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा॰का॰नि॰ 722(अ) में प्रकाशित हुए थे तथा एक व्याख्यात्मक टिप्पण।

(12) कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619क की उपधारा (1) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):—

(क) (एक) इंडियन ड्रग्स एण्ड फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड, गुड़गांव के वर्ष 2003-2004 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) इंडियन ड्रग्स एण्ड फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड, गुड़गांव का वर्ष 2003-2004 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

(ख) (एक) हिन्दुस्तान इन्सेक्टीसाइड्स लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 2007-2008 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) हिन्दुस्तान इन्सेक्टीसाइड्स लिमिटेड, नई दिल्ली का वर्ष 2007-2008 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

(ग) (एक) हिन्दुस्तान आर्गेनिक केमिकल्स लिमिटेड, रायगढ़ के वर्ष 2007-2008 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) हिन्दुस्तान आर्गेनिक केमिकल्स लिमिटेड, रायगढ़ का वर्ष 2007-2008 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

(13) उपर्युक्त (12) की मद संख्या (क) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(14) इंडियन ड्रग्स एण्ड फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड के वर्ष 2004-2005, 2005-2006 और 2006-2007 के वार्षिक प्रतिवेदनों तथा लेखापरीक्षित लेखाओं को संबधित लेखा वर्ष की समाप्ति के पश्चात् नौ माह की निर्धारित अवधि के भीतर सभा पटल पर न रखे जाने के कारणों को दर्शाने वाले विवरण की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(15) कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619क की उपधारा (1) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):—

(क) (एक) राइट्स लिमिटेड, दिल्ली के वर्ष 2007-2008 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) राइट्स लिमिटेड, दिल्ली का वर्ष 2007-2008 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

(ख) (एक) इंडियन रेलवे कैटरिंग एण्ड टूरिज्म कारपोरेशन लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 2007-2008 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) इंडियन रेलवे कैटरिंग एण्ड टूरिज्म कारपोरेशन लिमिटेड, नई दिल्ली का वर्ष 2007-2008 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

(ग) (एक) इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 2007-2008 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड, नई दिल्ली का वर्ष 2007-2008 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

(घ) (एक) रेलटेल कारपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 2007-2008 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) रेलटेल कारपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, नई दिल्ली का वर्ष 2007-2008 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

(ङ) (एक) रेल विकास निगम लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 2007-2008 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) रेल विकास निगम लिमिटेड, नई दिल्ली का वर्ष 2007-2008 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

(च) (एक) कोंकण रेलवे कारपोरेशन लिमिटेड, नवी मुंबई के वर्ष 2007-2008 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) कोंकण रेलवे कारपोरेशन लिमिटेड, नवी मुंबई का वर्ष 2007–2008 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

(16) (एक) रेलवे स्पोर्ट्स प्रमोशन बोर्ड, नई दिल्ली के वर्ष 2007–2008 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) रेलवे स्पोर्ट्स प्रमोशन बोर्ड, नई दिल्ली के वर्ष 2007–2008 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(17) (एक) इंडियन रेलवे वेल्फेयर आर्गेनाइजेशन, नई दिल्ली के वर्ष 2007–2008 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) इंडियन रेलवे वेल्फेयर आर्गेनाइजेशन, नई दिल्ली के वर्ष 2007–2008 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(18) 31 मार्च, 2007 को समाप्त हुए वर्ष के लिए रेलवे में भर्ती और प्रोन्नति श्रेणियों में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित रिक्तियों को भरे जाने में हुई प्रगति के बारे में प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(19) उपर्युक्त (18) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(20) रेल दावा अधिकरण अधिनियम, 1987 की धारा 30 की उपधारा (3) के अंतर्गत रेल दावा अधिकरण (चेयरमैन, वाइस-चेयरमैन और सदस्यों के वेतन और भत्ते तथा सेवा की शर्तें) (संशोधन) नियम, 2008, जो 19 नवम्बर, 2008 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा॰का॰नि॰ 797(अ) में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(21) रेल संरक्षण बल अधिनियम, 1957 की धारा 21 की उपधारा (3) के अंतर्गत रेल संरक्षण बल (संशोधन) नियम, 2008, जो 20 नवम्बर, 2008 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा॰का॰नि॰ 803(अ) में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(22) कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 619क की उपधारा (1) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)—

(क) (एक) इंडियन रेलवे फाइनांस कारपोरेशन लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 2007–2008 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) इंडियन रेलवे फाइनांस कारपोरेशन लिमिटेड, नई दिल्ली का वर्ष 2007-2008 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

(ख) (एक) मुंबई रेलवे विकास कारपोरेशन लिमिटेड, मुंबई के वर्ष 2007-2008 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) मुंबई रेलवे विकास कारपोरेशन लिमिटेड, मुंबई का वर्ष 2007-2008 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

(23) रेल अधिनियम, 1989 की धारा 199 के अंतर्गत भारतीय रेल (खुली लाइन) सामान्य (संशोधन) नियम, 2008 जो 10 दिसम्बर, 2008 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा०का०नि० 847(अ) में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(24) (एक) नेशनल ट्रस्ट फॉर द वेलफेयर ऑफ पर्सन्स विद ऑटिज्म, सेरेब्रल पाल्सी, मेंटल रिटार्डेशन एण्ड मल्टीपल डिसएबिलीटीज के वर्ष 2007-2008 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) नेशनल ट्रस्ट फॉर द वेलफेयर ऑफ पर्सन्स विद ऑटिज्म, सेरेब्रल पाल्सी, मेंटल रिटार्डेशन एण्ड मल्टीपल डिसएबिलीटीज के वर्ष 2007-2008 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(25) (एक) नेशनल इंस्टिट्यूट फार द विजुअली हैंडीकैप्ड, देहरादून के वर्ष 2005-2006 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) नेशनल इंस्टिट्यूट फार द विजुअली हैंडीकैप्ड, देहरादून के वर्ष 2005-2006 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(26) उपर्युक्त (25) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(27) (एक) स्वामी विवेकानन्द नेशनल इंस्टिट्यूट ऑफ रिहैबिलीटेशन ट्रेनिंग एण्ड रिसर्च, कटक के वर्ष 2006-2007 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) स्वामी विवेकानन्द नेशनल इंस्टिट्यूट ऑफ रिहैबिलीटेशन ट्रेनिंग एण्ड रिसर्च, कटक के वर्ष 2006-2007 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(28) उपर्युक्त (27) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(29) (एक) पंडित दीनदयाल उपाध्याय इंस्टिट्यूट फार द फिजिकली हैंडीकैप्ड, नई दिल्ली के वर्ष 2006-2007 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) पंडित दीनदयाल उपाध्याय इंस्टिट्यूट फॉर द फिजिकली हैंडीकैप्ड, नई दिल्ली के वर्ष 2006-2007 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(30) उपर्युक्त (29) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(31) कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 619क की उपधारा (1) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)—

(क) (एक) नेशनल हैंडीकैप्ड फाइनेंस एण्ड डेवलपमेंट कारपोरेशन, फरीदाबाद के वर्ष 2007-2008 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) नेशनल हैंडीकैप्ड फाइनेंस एण्ड डेवलपमेंट कारपोरेशन, फरीदाबाद का वर्ष 2007-2008 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

(ख) (एक) नेशनल सफाई कर्मचारीज फाइनेंस एण्ड डेवलपमेंट कारपोरेशन, नई दिल्ली के वर्ष 2007-2008 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) नेशनल सफाई कर्मचारीज फाइनेंस एण्ड डेवलपमेंट कारपोरेशन, नई दिल्ली का वर्ष 2007-2008 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

(ग) (एक) नेशनल बैकवर्ड क्लासेज फाइनेंस एण्ड डेवलपमेंट कारपोरेशन, नई दिल्ली के वर्ष 2007-2008 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) नेशनल बैकवर्ड क्लासेज फाइनेंस एण्ड डेवलपमेंट कारपोरेशन, नई दिल्ली का वर्ष 2007-2008 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

(32) नेशनल बैकवर्ड क्लासेज फाइनेंस एण्ड डेवलपमेंट कारपोरेशन तथा सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के बीच वर्ष 2008-2009 के लिए हुए समझौता ज्ञापन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(33) (एक) नेशनल इंस्टिट्यूट फार द विजुअली हैंडीकैप्ड, देहरादून के वर्ष 2006-2007 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) नेशनल इंस्टिट्यूट फार द विजुअली हैंडीकैप्ड, देहरादून के वर्ष 2006-2007 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(34) उपर्युक्त (33) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(35) नि:शक्त व्यक्ति (समान अवसर, अधिकार संरक्षण और पूर्ण भागीदारी) अधिनियम, 1995 की धारा 73 की उपधारा (3) के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(एक) का॰आ॰ 1108(अ) जो 6 जुलाई, 2008 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो आरपीएफ/आरपीएसएफ में योधक कार्मिकों के सभी श्रेणी के पदों को नि:शक्त व्यक्ति (समान अवसर, अधिकार संरक्षण और पूर्ण भागीदारी) अधिनियम, 1995 की धारा 33 के उपबंधों से तीन वर्ष की अवधि के लिए छूट दिए जाने के बारे में है।

(दो) का॰आ॰ 1109(अ) जो 6 जुलाई, 2008 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो आरपीएफ/आरपीएसएफ में योधक कार्मिकों के सभी श्रेणी के पदों को नि:शक्त व्यक्ति (समान अवसर, अधिकार संरक्षण और पूर्ण भागीदारी) अधिनियम, 1995 की धारा 47 के उपबंधों से तीन वर्ष की अवधि के लिए छूट दिए जाने के बारे में है।

(तीन) का॰आ॰ 1110(अ) जो 6 जुलाई, 2008 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो दिल्ली मैट्रो रेल कारपोरेशन में सेक्शन इंजीनियर, स्टेशन कंट्रोलर, ट्रेन ऑपरेटर, सहायक स्टेशन कंट्रोलर, कनिष्ठ स्टेशन कंट्रोलर, मेंटेनर्स/कुशल कारीगरों, वरिष्ठ सिस्टम एनालिस्ट/सिस्टम एनालिस्ट के पदों तथा किसी अन्य तकनीकी पद, जिसमें जनता की सुरक्षा अपेक्षित हो, को नि:शक्त व्यक्ति (समान अवसर, अधिकार संरक्षण और पूर्ण भागीदारी) अधिनियम, 1995 की धारा 33 के उपबंधों से छूट दिए जाने के बारे में है।

(36) उपर्युक्त (35) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(37) कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 619क की उपधारा (1) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(क) (एक) सांभर साल्ट्स लिमिटेड, जयपुर के वर्ष 2007-2008 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण।

(दो) सांभर साल्ट्स लिमिटेड, जयपुर का वर्ष 2007-2008 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

(ख) (एक) सीमेंट कारपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 2007-2008 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण।

(दो) सीमेंट कारपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, नई दिल्ली का वर्ष 2007-2008 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

(ग) (एक) ब्रिज एण्ड रूफ कंपनी (इंडिया) लिमिटेड, कोलकाता के वर्ष 2007-2008 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण।

(दो) ब्रिज एण्ड रूफ कंपनी (इंडिया) लिमिटेड, कोलकाता का वर्ष 2007-2008 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

(घ) (एक) भारत पम्प्स एण्ड कॉम्प्रेशर्स लिमिटेड, इलाहाबाद के वर्ष 2007-2008 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण।

(दो) भारत पम्प्स एण्ड कॉम्प्रेशर्स लिमिटेड, इलाहाबाद का वर्ष 2007-2008 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

(ङ) (एक) हैवी इंजीनियरिंग कारपोरेशन लिमिटेड, रांची के वर्ष 2007-2008 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण।

(दो) हैवी इंजीनियरिंग कारपोरेशन लिमिटेड, रांची के वर्ष 2007-2008 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

(च) (एक) इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट्स (इंडिया) लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 2007-2008 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण।

(दो) इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट्स (इंडिया) लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 2007-2008 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

(छ) (एक) हिन्दुस्तान साल्ट्स लिमिटेड, जयपुर के वर्ष 2007-2008 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण।

(दो) हिन्दुस्तान साल्ट्स लिमिटेड, जयपुर का वर्ष 2007-2008 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

(ज) (एक) भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 2007-2008 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण।

(दो) भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड, नई दिल्ली का वर्ष 2007-2008 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

(झ) (एक) रिचर्डसन एण्ड क्रुडास (1972) लिमिटेड, मुंबई के वर्ष 2007-2008 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण।

(दो) रिचर्डसन एण्ड क्रुडास (1972) लिमिटेड, मुंबई का वर्ष 2007-2008 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

(ञ) (एक) एचएमटी लिमिटेड, बंगलौर के वर्ष 2007-2008 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण।

(दो) एचएमटी लिमिटेड, बंगलौर का वर्ष 2007-2008 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

(ट) (एक) हिन्दुस्तान केबल्स लिमिटेड, कोलकाता के वर्ष 2007-2008 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) हिन्दुस्तान केबल्स लिमिटेड, कोलकाता का वर्ष 2007-2008 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

(ठ) (एक) हिन्दुस्तान फोटो फिल्म्स मैन्यूफैक्चरिंग कंपनी लिमिटेड, उटकमंड के वर्ष 2007-2008 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) हिन्दुस्तान फोटो फिल्म्स मैन्यूफैक्चरिंग कंपनी लिमिटेड, उटकमंड का वर्ष 2007-2008 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

(38) हिन्दुस्तान केबल्स लिमिटेड तथा भारी उद्योग विभाग, भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय के बीच वर्ष 2008-2009 के लिए हुए समझौता ज्ञापन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(39) (एक) ऑटोमोटिव रिसर्च एसोसिएशन ऑफ इंडिया, पुणे के वर्ष 2007-2008 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) ऑटोमोटिव रिसर्च एसोसिएशन ऑफ इंडिया, पुणे के वर्ष 2007-2008 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(40) (एक) फ्लूड कंट्रोल रिसर्च इंस्टिट्यूट, पालक्काड के वर्ष 2007-2008 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) फ्लूड कंट्रोल रिसर्च इंस्टिट्यूट, पालक्काड के वर्ष 2007-2008 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(41) (एक) नेशनल ऑटोमोटिव टेस्टिंग एण्ड रिसर्च एण्ड डवलपमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट, नई दिल्ली के वर्ष 2007-2008 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) नेशनल ऑटोमोटिव टेस्टिंग एण्ड रिसर्च एण्ड डवलपमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट, नई दिल्ली के वर्ष 2007-2008 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(42) कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 619क की उपधारा (1) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):—

(क) (एक) बिको लारी लिमिटेड, कोलकाता के वर्ष 2007-2008 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) बिको लारी लिमिटेड, कोलकाता के वर्ष 2007-2008 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

(ख) (एक) इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 2007-2008 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 2007-2008 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

(ग) (एक) इंडियन ऑयल कारपोरेशन लिमिटेड, मुंबई के वर्ष 2007-2008 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) इंडियन ऑयल कारपोरेशन लिमिटेड, मुंबई का वर्ष 2007-2008 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

(घ) (एक) बामर लारी एण्ड कंपनी लिमिटेड, कोलकाता के वर्ष 2007-2008 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) बामर लारी एण्ड कंपनी लिमिटेड, कोलकाता का वर्ष 2007-2008 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

(ङ) (एक) बामर लारी इन्वेस्टमेंट्स लिमिटेड, कोलकाता के वर्ष 2007-2008 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) बामर लारी इन्वेस्टमेंट्स लिमिटेड, कोलकाता का वर्ष 2007-2008 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

(च) (एक) ऑयल इंडिया लिमिटेड, डिब्रूगढ़ के वर्ष 2007-2008 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) ऑयल इंडिया लिमिटेड, डिब्रूगढ़ का वर्ष 2007-2008 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

(छ) (एक) ऑयल एण्ड नेचुरल गैस कारपोरेशन लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 2007-2008 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) ऑयल एण्ड नेचुरल गैस कारपोरेशन लिमिटेड, नई दिल्ली का वर्ष 2007-2008 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

4. लोक सभा की सदस्यता से त्यागपत्र

अध्यक्ष ने सभा को सूचित किया कि उन्हें छत्तीसगढ़ के बिलासपुर संसदीय निर्वाचन क्षेत्र से निर्वाचित सदस्य श्री पुन्नूलाल मोहले का 17 दिसंबर, 2008 का पत्र प्राप्त हुआ है जिसके द्वारा उन्होंने लोक सभा की सदस्यता से त्यागपत्र दिया है और उन्होंने उनका त्यागपत्र 17 दिसंबर, 2008 से स्वीकार कर लिया है।

5. राज्य सभा से संदेश

महासचिव ने राज्य सभा से प्राप्त इस संदेश की सूचना दी कि राज्य सभा ने 16 दिसंबर, 2008 को हुई अपनी बैठक में पशुओं में संक्रामक और सांसर्गिक बीमारियों का निवारण और नियंत्रण विधेयक, 2008 पारित कर दिया है।

6. राज्य सभा द्वारा यथापारित विधेयक—सभा पटल पर रखे गए

पशुओं में संक्रामक और सांसर्गिक बीमारियों का निवारण और नियंत्रण विधेयक, 2008

7. संविधान की दसवीं अनुसूची के अधीन अध्यक्ष का विनिश्चय

महासचिव ने संविधान की दसवीं अनुसूची और लोक सभा सदस्य (दल-परिवर्तन के आधार पर निरर्हता) नियम, 1985 के अधीन श्री किन्जरपु येरननायडु, संसद सदस्य द्वारा डा॰ एम॰ जगन्नाथ के विरुद्ध दी गई याचिका पर लोक सभा अध्यक्ष के दिनांक 15 दिसम्बर, 2008 के विनिश्चय की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखी।

8. अंतर संसदीय संघ (आईपीयू) की 119वीं सभा में भारतीय संसदीय शिष्टमंडल द्वारा भाग लेने संबंधी प्रतिवेदन

महासचिव ने 11 से 16 अक्तूबर, 2008 तक जिनेवा (स्विट्ज़रलैंड) में आयोजित अंतर संसदीय संघ की 119वीं सभा में भारतीय संसदीय शिष्टमंडल द्वारा भाग लेने संबंधी प्रतिवेदन का हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण सभा पटल पर रखा।

9. अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के कल्याण संबंधी समिति के विवरण

श्री वीरचन्द्र पासवान ने ''केन्द्रीय उत्पाद शुल्क और सीमा शुल्क बोर्ड (सीबीईसी) में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के लिये आरक्षण और उनके नियोजन'' के बारे में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के कल्याण संबंधी समिति के 26वें प्रतिवेदन (चौदहवीं लोक सभा) के अध्याय - एक में अंतर्विष्ट सिफारिशों/टिप्पणियों पर सरकार द्वारा की-गई-अंतिम कार्यवाही दर्शाने वाले विवरणों की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखी।

10. कृषि संबंधी स्थायी समिति के प्रतिवेदन

श्री मोहन सिंह ने कृषि संबंधी स्थायी समिति के निम्नलिखित प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत किए:—

(1) कृषि मंत्रालय (कृषि और सहकारिता विभाग) से संबंधित अनुदानों की मांगों (2008-2009) के संबंध में कृषि संबंधी स्थायी समिति (14वीं लोक सभा) के 37वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट टिप्पणियों/सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्यवाही संबंधी 42वां प्रतिवेदन;

(2) कृषि मंत्रालय (कृषि अनुसंधान और शिक्षा विभाग) से संबंधित अनुदानों की मांगों (2008-2009) के संबंध में कृषि संबंधी स्थायी समिति (14वीं लोक सभा) के 38वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट टिप्पणियों/सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्यवाही संबंधी 43वां प्रतिवेदन;

(3) कृषि मंत्रालय (पशुपालन, डेयरी और मत्स्यपालन विभाग) से संबंधित अनुदानों की मांगों (2008-2009) के संबंध में कृषि संबंधी स्थायी समिति (14वीं लोक सभा) के 39वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट टिप्पणियों/सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्यवाही संबंधी 44वां प्रतिवेदन; और

(4) खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय से संबंधित अनुदानों की मांगों (2008-2009) के संबंध में कृषि संबंधी स्थायी समिति (14वीं लोक सभा) के 40वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट टिप्पणियों/सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्यवाही संबंधी 45वां प्रतिवेदन।

11. रक्षा संबंधी स्थायी समिति का प्रतिवेदन

श्री बालासाहिब विखे पाटील ने 'कारगिल समीक्षा समिति प्रतिवेदन — रक्षा प्रबंधन का विशेष संदर्भ के अनुसरण में राष्ट्रीय सुरक्षा प्रणाली सुधार के संबंध में मंत्रिसमूह (जीओएमएस)

के प्रतिवेदन के कार्यान्वयन की स्थिति की समीक्षा' के बारे में रक्षा संबंधी स्थायी समिति (चौदहवीं लोक सभा) के 22वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों/टिप्पणियों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्यवाही संबंधी 32वां प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत किया।

12. रक्षा संबंधी स्थायी समिति के विवरण

श्री बालासाहेब विखे पाटील ने रक्षा संबंधी स्थायी समिति के निम्नलिखित की-गई-कार्यवाही विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखें:—

(1) 'रक्षा मंत्रालय की वर्ष' 2006-07 की अनुदानों की मांगों के बारे में 15वें की-गई-कार्यवाही प्रतिवेदन (चौदहवीं लोक सभा) के अध्याय एक और पांच में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्यवाही दर्शाने वाला विवरण;

(2) 'अधिप्रापण नीति और प्रक्रिया' के बारे में 19वें की-गई-कार्यवाही प्रतिवेदन (चौदहवीं लोक सभा) के अध्याय एक और पांच में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्यवाही दर्शाने वाला विवरण;

(3) 'रक्षा सरकारी क्षेत्र के उपक्रम' के बारे में 21वें की-गई-कार्यवाही प्रतिवेदन (चौदहवीं लोक सभा) के अध्याय एक और पांच में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्यवाही को दर्शाने वाला विवरण;

(4) 'रक्षा क्षेत्र में चिकित्सा सेवा और शिक्षा की समीक्षा' के बारे में 23वें की-गई-कार्यवाही प्रतिवेदन (चौदहवीं लोक सभा) के अध्याय एक और पांच में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्यवाही को दर्शाने वाला विवरण;

(5) 'विस्थापित व्यक्तियों के पुनर्वास की आलोचनात्मक समीक्षा' के बारे में 24वें की-गई-कार्यवाही प्रतिवेदन (चौदहवीं लोक सभा) के अध्याय एक और पांच में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्यवाही को दर्शाने वाला विवरण;

(6) 'रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन' के बारे में 25वें की-गई-कार्यवाही प्रतिवेदन (चौदहवीं लोक सभा) के अध्याय एक और पांच में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्यवाही को दर्शाने वाला विवरण;

(7) 'हिन्दुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड (एचएएल) का गहन अध्ययन और आलोचनात्मक समीक्षा' के बारे में 27वें की-गई-कार्यवाही प्रतिवेदन (चौदहवीं लोक सभा) के अध्याय एक और पांच में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्यवाही को दर्शाने वाला विवरण;

(8) 'भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड (बीईएल) का गहन अध्ययन और आलोचनात्मक समीक्षा' के बारे में 28वें की-गई-कार्यवाही प्रतिवेदन (चौदहवीं लोक सभा) के अध्याय एक और पांच में अन्तर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्यवाही को दर्शाने वाला विवरण।

13. विदेशी मामलों संबंधी स्थायी समिति के प्रतिवेदन

डा॰ लक्ष्मीनारायण पाण्डेय ने विदेशी मामलों संबंधी स्थायी समिति के निम्नलिखित प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत किए:—

(1) विदेश मंत्रालय (2008-09) की अनुदानों की मांगों संबंधी 20वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्यवाही के बारे में 22वां प्रतिवेदन।

(2) प्रवासी भारतीय कार्य मंत्रालय (2008-09) की अनुदानों की मांगों संबंधी 21वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्यवाही के बारे में 23वां प्रतिवेदन।

14. विदेशी मामलों संबंधी स्थायी समिति के विवरण

डा॰ लक्ष्मीनारायण पाण्डेय ने ''प्रवासी भारतीयों से संबंधित मामले; वर्ष 2007-08 के लिए विदेश मंत्रालय और प्रवासी भारतीय कार्य मंत्रालय की अनुदानों की मांगें'' विषय के बारे में क्रमश: 17वें, 18वें और 19वें की-गई-कार्यवाही प्रतिवेदनों के अध्याय-एक पर सरकार द्वारा आगे की-गई-कार्यवाही दर्शाते हुए विदेशी मामलों संबंधी स्थायी समिति के विवरणों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखी।

15. वित्त संबंधी स्थायी समिति के प्रतिवेदन

श्री अनंत कुमार ने वित्त संबंधी स्थायी समिति (2008-09) के निम्नलिखित प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत किए:—

(1) वित्त मंत्रालय (आर्थिक कार्य, व्यय, वित्त सेवाएं और विनिवेश विभागों) की अनुदानों की मांगों (2008-09) के बारे में 67वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों/टिप्पणियों पर की-गई-कार्यवाही संबंधी 73वां प्रतिवेदन;

(2) वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अनुदानों की मांगों (2008-09) के बारे में 68वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों/टिप्पणियों पर की-गई-कार्यवाही संबंधी 74वां प्रतिवेदन;

(3) योजना मंत्रालय की अनुदानों की मांगों (2008-09) के बारे में 69वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों/टिप्पणियों पर की-गई-कार्यवाही संबंधी 75वां प्रतिवेदन;

(4) सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय की अनुदानों की मांगों (2008-09) के बारे में 70वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों/टिप्पणियों पर की-गई-कार्यवाही संबंधी 76वां प्रतिवेदन;

(5) कारपोरेट कार्य मंत्रालय की अनुदानों की मांगों (2008-09) के बारे में 71वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों/टिप्पणियों पर की-गई-कार्यवाही संबंधी 77वां प्रतिवेदन;

(6) कृषि क्षेत्र को ऋण प्रवाह संबंधी 78वां प्रतिवेदन; और

(7) परिचालन में जाली करेंसी नोटों संबंधी 79वां प्रतिवेदन।

16. **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस संबंधी स्थायी समिति के प्रतिवेदन**

श्री किरिप चालिहा ने पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस संबंधी स्थायी समिति (2008-09) के निम्नलिखित प्रतिवेदनों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत की:—

(1) 'तेलशोधक कारखाना - एक समालोचना' के बारे में 23वां प्रतिवेदन; और

(2) 'सीएनजी और एलएनजी समेत प्राकृतिक गैस की आपूर्ति, वितरण और विपणन' के बारे में पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस संबंधी स्थायी समिति के 16वें प्रतिवेदन (14वीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्यवाही संबंधी 24वां प्रतिवेदन।

17. **शहरी विकास संबंधी स्थायी समिति का प्रतिवेदन**

श्रीमती बोचा झांसी लक्ष्मी ने शहरी विकास मंत्रालय से संबंधित **'ठोस अवशिष्ट प्रबंधन'** विषय पर शहरी विकास संबंधी स्थायी समिति (2008-2009) का 38वां प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत किया।

18. **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण संबंधी स्थायी समिति का प्रतिवेदन**

डा॰ चिन्ता मोहन ने स्नातकोत्तर आयुर्विज्ञान शिक्षा और अनुसंधान संस्थान, चंडीगढ़ (संशोधन) विधेयक, 2008 के बारे में स्वास्थ्य और परिवार कल्याण संबंधी स्थायी समिति का 33वां प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखा।

19. **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण संबंधी स्थायी समिति के समक्ष दिया गया साक्ष्य**

डा॰ चिन्ता मोहन ने स्नातकोत्तर आयुर्विज्ञान शिक्षा और अनुसंधान संस्थान, चंडीगढ़ (संशोधन) विधेयक, 2008 के बारे में समिति के समक्ष दिए गए साक्ष्य की एक प्रति सभा पटल पर रखी।

20. **मंत्रियों द्वारा वक्तव्य**

(1) सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री ने सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय से संबंधित सामाजिक न्याय और अधिकारिता संबंधी स्थायी समिति के 27वें, 32वें और 33वें प्रतिवेदनों में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति के बारे में एक वक्तव्य (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण सभा पटल पर रखा)।

(2) रसायन और उर्वरक मंत्री और इस्पात मंत्री ने इस्पात मंत्रालय से संबंधित अनुदानों की मांगों (2008-09) के बारे में कोयला और इस्पात संबंधी स्थायी समिति के 33वें प्रतिवदेन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति के बारे में एक वक्तव्य (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण सभा पटल पर रखा)।

(3) पर्यटन मंत्री और संस्कृति मंत्री ने निम्नलिखित के बारे में वक्तव्य (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण सभा पटल पर रखा):—

  (1) इंडिया टूरिज्म डेवलपमेंट कारपोरेशन लिमिटेड के कार्यकरण और निष्पादन के बारे में परिवहन, पर्यटन और संस्कृति संबंधी स्थायी समिति के 108वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति; और

  (2) पर्यटन मंत्रालय से संबंधित परिवहन, पर्यटन और संस्कृति संबंधी स्थायी समिति के 95वें, 104वें, 113वें और 119वें प्रतिवेदनों में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति।

(4) भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्री की ओर से भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय में राज्य मंत्री ने भारी उद्योग विभाग, भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय से संबंधित उद्योग संबंधी स्थायी समिति के 195वें, 204वें और 208वें प्रतिवेदनों में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति के बारे में एक वक्तव्य (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण सभा पटल पर रखा)।

(5) नागर विमानन मंत्रालय के राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) ने 'रेल संरक्षा आयोग का कार्यकरण' के बारे में परिवहन, पर्यटन और संस्कृति संबंधी स्थायी समिति के 98वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति के बारे में एक वक्तव्य (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण सभा पटल पर रखा)।

21. **अनुदानों की अनुपूरक मांगें (सामान्य)**

श्री पवन कुमार बंसल ने वर्ष 2008-09 के बजट (सामान्य) के संबंध में अनुदानों की अनुपूरक मांगें दर्शाने वाला एक विवरण हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण प्रस्तुत किया।

22. **अनुदानों की अनुपूरक मांगें (रेल)**

श्री लालू प्रसाद की ओर से डा॰ आर॰ वेलू ने वर्ष 2008-09 के बजट (रेल) के संबंध में अनुदानों की अनुपूरक मांगें दर्शाने वाला एक विवरण हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण प्रस्तुत किया।

अपराह्न 12.09 बजे

23. **सरकारी विधेयक—पुर:स्थापित**

भारतीय भूमि पत्तन प्राधिकरण विधेयक, 2008

अपराह्न 12.11 बजे

24* **सदस्यों द्वारा निवेदन**

26.11.2008 को आतंकवादी हमले में मुंबई एटीएस चीफ की मृत्यु के बारे में केबिनेट मंत्री के कथित वक्तव्य से उत्पन्न स्थिति के बारे में।

निम्नलिखित सदस्यों ने 26.11.2008 को आतंकवादी हमले में मुंबई एटीएस चीफ की मृत्यु के बारे कैबिनेट मंत्री के कथित वक्तव्य से उत्पन्न स्थिति के बारे में निवेदन किए—

1. श्री संतोष गंगवार
2. श्री अनंत कुमार
3. श्री योगी आदित्य नाथ

श्री वायलार रवि ने उत्तर दिया।

(लोक सभा अपराह्न 12.57 बजे स्थगित हुई और अपराह्न 2.04 बजे पुन: समवेत हुई)

अपराह्न 2.04 बजे

25. **नियम 377 के अधीन मामले**

अध्यक्षपीठ के निर्देशानुसार, निम्नलिखित सदस्यों ने उनके द्वारा उठाए जाने वाले मामलों, जैसा कि प्रत्येक सदस्य के नाम के आगे दर्शाया गया है, पर अपने वक्तव्य सभा पटल पर रखे:—

(1) श्री सुरेश कलमाडी द्वारा अतिरिक्त जनशक्ति और नई पीढ़ी के लड़ाकू विमानों से भारतीय वायुसेना को सुदृढ़ किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(2) श्री हंसराज जी॰ अहीर द्वारा देश में विशेष आर्थिक जोन की स्थापना की नीति की पुनरीक्षा किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

---

*अपराह्न 12.11 बजे से अपराह्न 12.57 बजे तक सदस्यों ने अविलंबनीय लोक महत्व के मामले उठाए।

(3) श्री योगी आदित्य नाथ द्वारा भोजपुरी भाषा को संविधान की आठवीं अनुसूची में शामिल किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(4) श्री निहाल चन्द द्वारा दिल्ली में सड़क दुर्घटनाओं की बढ़ती संख्या को रोके जाने की आवश्यकता के बारे में।

(5) श्री सांताश्री चटर्जी द्वारा पश्चिम बंगाल के हुगली के डनलप रबड़ कारखाने को भारत सरकार द्वारा अधिगृहीत किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(6) श्री पी॰ करुणाकरन द्वारा समेकित बाल विकास सेवा योजना के अंतर्गत प्रदान की जाने वाली सेवाओं के निजीकरण के निर्णय को वापस लिए जाने की आवश्यकता के बारे में।

अपराह्न 2.06 बजे

26. **नियम 193 के अधीन चर्चा**

लिया गया समय: 4 घंटे 44 मिनट

अध्यक्ष ने सभा को सूचित किया कि श्री बसुदेव आचार्य जिनके द्वारा देश में आर्थिक स्थिति की समीक्षा के बारे में नियम 193 के अधीन चर्चा आरंभ की जानी थी, ने अध्यक्ष से अनुरोध किया कि उनकी ओर से श्री रूपचंद पाल को चर्चा आरंभ करने की अनुमति दी जाए और अध्यक्ष ने उनका अनुरोध स्वीकार कर लिया।

तद्नुसार, श्री रूपचंद पाल ने चर्चा उठाई।

निम्नलिखित सदस्यों ने वाद-विवाद में भाग लिया:—

1. श्री अनंत कुमार
2. श्री आर॰ प्रभु
3. श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव
4. श्री मोहन सिंह
5. श्री सी॰ कुप्पुसामी
6. श्री अनंत गंगाराम गीते
7. श्री भर्तृहरि महताब
8. श्री गुरुदास दासगुप्त
9. श्री लक्ष्मण सिंह

10. श्री संदीप दीक्षित
11. श्री पी॰ करुणाकरन
12. श्रीमती सुमित्रा महाजन
13. श्री राम कृपाल यादव
14. प्रो॰ एम॰ रामदास
15. श्री किन्जरपु येरननायडु
16. श्री एस॰ के॰ बैसीमुथियारी
17. श्री गणेश सिंह
18. *डा॰ के॰ एस॰ मनोज
19. *श्री फ्रांसिस फैन्थम
20. *श्री एस॰ के॰ खारबेनथन

श्री पी॰ चिदम्बरम ने वाद-विवाद का उत्तर दिया।

चर्चा पूरी हुई।

#सायं 7.18 बजे

(लोक सभा शुक्रवार, 19 दिसंबर, 2008 के पूर्वाहन 11.00 बजे तक के लिए स्थगित हुई)

पी॰ डी॰ टी॰ आचारी,
महासचिव।

दिनांक 17.12.2008 के समाचार—भाग एक का शुद्धि पत्र

पृष्ठ 38 में क्रम सं॰ 34 के पश्चात् क्रम सं॰ '' *35. श्रीमती तेजस्विनी गोडा'' अंत:स्थापित किया जाए।

---

*लिखित भाषण सभा पटल पर रखे गए।

सायं 6.50 बजे से सांय 7.18 बजे तक सदस्यों ने अविलंबनीय लोक महत्व के मामले उठाए।

GMGIPMRND—4545LS(S-5)—18-12-2008.

लोक सभा

समाचार—भाग 1

(कार्यवाही का संक्षिप्त वृत्तांत)

शुक्रवार, 19 दिसम्बर, 2008/28 अग्रहायण, 1930 (शक)

संख्या 320

पूर्वाह्न 11.00 बजे

1. **तारांकित प्रश्न**

तारांकित प्रश्न संख्या 301, 302, 303, 305 और 306 के मौखिक उत्तर दिए गए। तारांकित प्रश्न संख्या 304 और 307—320 के उत्तर सभा पटल पर रखे गए।

2. **अतारांकित प्रश्न**

अतारांकित प्रश्न संख्या 3143—3250 के उत्तर सभा पटल पर रखे गए।

मध्याह्न 12 बजे

3. **सभा पटल पर रखे गए पत्र**

निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखे गए:—

(1) (एक) दिल्ली अर्बन आर्ट कमीशन, नई दिल्ली के वर्ष 2007-2008 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) दिल्ली अर्बन आर्ट कमीशन, नई दिल्ली के वर्ष 2007-2008 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(2) राष्ट्रीय ग्रामीण नियोजन गारंटी अधिनियम, 2005 की धारा 29 की उपधारा (1) के

अंतर्गत जारी की गई निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):—

(एक) राष्ट्रीय ग्रामीण नियोजन गांरटी अधिनियम, अनुसूची-I संशोधन आदेश, 2008, जो 15 जनवरी, 2008 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या का॰ आ॰ 88(अ) में प्रकाशित हुआ था।

(दो) का॰आ॰ 802(अ) जो 2 अप्रैल, 2008 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा राष्ट्रीय ग्रामीण नियोजन गारंटी अधिनियम, 2005 की अनुसूची-II में कतिपय संशोधन किए गए हैं।

(तीन) का॰आ॰ 1489 (अ) जो 18 जून, 2008 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा राष्ट्रीय ग्रामीण नियोजन गारंटी अधिनियम, 2005 की अनुसूची-I में कतिपय संशोधन किए गए हैं।

(चार) का॰आ॰ 2188(अ) जो 12 सितम्बर, 2008 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा राष्ट्रीय ग्रामीण नियोजन गारंटी अधिनियम, 2005 की अनुसूची-II में कतिपय संशोधन किए गए हैं।

(3) दामोदर वैली कारपोरेशन के वर्ष 2008-09 के वार्षिक बजट की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(4) (एक) ट्राईबल कोआपरेटिव मार्केटिंग डेवलपमेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 2007-2008 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) ट्राईबल कोआपरेटिव मार्केटिंग डेवलपमेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 2007-2008 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(5) (एक) इंटरनेशनल सेंटर फॉर अल्टरनेटिव डिस्प्यूट रिजोल्यूशन, नई दिल्ली के वर्ष 2007-2008 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) इंटरनेशनल सेंटर फॉर अल्टरनेटिव डिस्प्यूट रिजोल्यूशन, नई दिल्ली के वर्ष 2007-2008 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(6) (एक) नेशनल ज्यूडिसियल एकेडमी, भोपाल के वर्ष 2006-2007 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) नेशनल ज्यूडिसियल एकेडमी, भोपाल के वर्ष 2006-2007 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(7) उपर्युक्त (6) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(8) नोटरी अधिनियम, 1952 की धारा 15 की उपधारा (3) के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):—

(एक) नोटरी (दूसरा संशोधन) नियम, 2008 जो 3 सितम्बर, 2008 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा॰का॰नि॰ 636(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(दो) नोटरी (दूसरा संशोधन) नियम, 2008 जो 3 नवम्बर, 2008 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा॰का॰नि॰ 764(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(9) प्रतिस्पर्धा अधिनियम, 2002 की धारा 63 की उपधारा (3) के अंतर्गत भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग (वार्षिक प्रतिवेदन तैयार करने का प्ररूप और अवधि) नियम, 2008 जो 21 नवम्बर, 2008 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा॰का॰नि॰ 808(अ) में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(10) लागत और संकर्म लेखापाल अधिनियम, 1959 की धारा 40 के अंतर्गत लागत और संकर्म लेखापाल (संशोधन) विनियम, 2008, जो 17 नवम्बर, 2008 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सीडब्ल्यूआर (1) 2008 में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(11) चार्टर्ड अकाउंटेंट अधिनियम, 1949 की धारा 30ख के अंतर्गत चार्टर्ड अकाउंटेंट (दूसरा संशोधन) विनियम, 2008, जो 3 दिसम्बर, 2008 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या 1-सीए(7)/123/2008, में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(12) (एक) इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टिट्यूट, कोलकाता के वर्ष 2007-2008 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टिट्यूट, कोलकाता के वर्ष 2007-2008 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(13) (एक) राष्ट्रीय महिला आयोग, नई दिल्ली के वर्ष 2006-2007 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) राष्ट्रीय महिला आयोग, नई दिल्ली के वर्ष 2006-2007 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(तीन) राष्ट्रीय महिला आयोग, नई दिल्ली के वर्ष 2006-2007 के वार्षिक प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर की-गई-कार्यवाही प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(14) उपर्युक्त (13) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारणों को दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(15) (एक) सरदार स्वर्ण सिंह नेशनल इंस्टिट्यूट ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी, कपूरथला के वर्ष 2007-2008 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) सरदार स्वर्ण सिंह नेशनल इंस्टिट्यूट ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी, कपूरथला के वर्ष 2007-2008 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(16) (एक) सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लायज वेल्फेयर हाउसिंग आर्गेनाइजेशन, नई दिल्ली के वर्ष 2007-2008 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लायज वेल्फेयर हाउसिंग आर्गेनाइजेशन, नई दिल्ली के वर्ष 2007-2008 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(17) (एक) बिल्डिंग मैटीरियल्स एण्ड टेक्नोलॉजी प्रमोशन काउंसिल, नई दिल्ली के वर्ष 2007-2008 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) बिल्डिंग मैटीरियल्स एण्ड टेक्नोलॉजी प्रमोशन काउंसिल, नई दिल्ली के वर्ष 2007-2008 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(18) कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619क की उपधारा (1) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)—

(एक) हिन्दुस्तान प्रीफैब लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 2007-2008 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) हिन्दुस्तान प्रीफैब लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 2007-2008 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

(19) काउंसिल फॉर एडवांसमेंट ऑफ पीपल्स एक्शन एण्ड रूरल टेक्नोलॉजी, नई दिल्ली के वर्ष 2006-2007 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(20) उपर्युक्त (19) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारणों को दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(21) संविधान के अनुच्छेद 151(1) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)—

(एक) मार्च, 2007 को समाप्त वर्ष के लिए भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक—संघ सरकार (सिविल) (2008 का संख्यांक पीए 12) का प्रतिवेदन—त्वरित ग्रामीण जल आपूर्ति कार्यक्रम की निष्पादन लेखापरीक्षा।

(दो) मार्च, 2007 को समाप्त वर्ष के लिए भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक—संघ सरकार (2008 का संख्यांक पीए 14) का प्रतिवेदन—वैज्ञानिक विभाग—भारत में अपशिष्ट प्रबंधन की निष्पादन लेखापरीक्षा।

(22) कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619क की उपधारा (1) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)—

(क) (एक) नेशनल हाइड्रोइलेक्ट्रिक पावर कारपोरेशन लिमिटेड, फरीदाबाद के वर्ष 2007-2008 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) नेशनल हाइड्रोइलेक्ट्रिक पावर कारपोरेशन लिमिटेड, फरीदाबाद के वर्ष 2007-2008 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

(ख) (एक) टिहरी हाइड्रो डेवलपमेंट कारपोरेशन लिमिटेड, टिहरी के वर्ष 2007-2008 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) टिहरी हाइड्रो डेवलपमेंट कारपोरेशन लिमिटेड, टिहरी के वर्ष 2007-2008 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

(ग) (एक) नार्थ ईस्टर्न इलैक्ट्रिक पावर कारपोरेशन लिमिटेड, शिलांग के वर्ष 2007-2008 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) नार्थ ईस्टर्न इलैक्ट्रिक पावर कारपोरेशन लिमिटेड, शिलांग के वर्ष 2007-2008 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

(घ) (एक) सतलुज जल विद्युत निगम लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 2007-2008 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) सतलुज जल विद्युत निगम लिमिटेड, नई दिल्ली का वर्ष 2007-2008 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

(23) (एक) केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग, नई दिल्ली के वर्ष 2007-2008 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग, नई दिल्ली के वर्ष 2007-2008 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(24) (एक) सेंट्रल पावर रिसर्च इंस्टिट्यूट, बंगलौर के वर्ष 2007-2008 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखपरीक्षित लेखे।

(दो) सेंट्रल पावर रिसर्च इंस्टिट्यूट, बंगलौर के वर्ष 2007-2008 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(25) विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 179 के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)—

(एक) भारतीय विद्युत ग्रिड कोड (संशोधन) 2008 जो 24 सितम्बर, 2008 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या एल-7/68(84)/2006-सीईआरसी में प्रकाशित हुए थे।

(दो) केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग (पट्टाकृत आवास) (संशोधन) विनियम, 2008 जो 15 अप्रैल, 2008 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या एल-7/1(2)/2007/एस्ट/-सीईआरसी में प्रकाशित हुए थे।

(तीन) विद्युत अपील अधिकरण (अधिकारियों और कर्मचारियों के वेतन, भत्ते और सेवा की अन्य शर्तें) (दूसरा संशोधन) नियम, 2008 जो 22 जुलाई, 2008 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा॰ का॰ नि॰ 548(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(चार) विद्युत अपील अधिकरण (चेयरपर्सन और सदस्यों के वेतन, भत्ते और सेवा की अन्य शर्तें) (संशोधन) नियम, 2008 जो 30 सितम्बर, 2008 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा॰ का॰ नि॰ 700(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(पांच) केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग (परामर्शदाताओं की नियुक्ति) विनियम, 2008 जो 14 अक्तूबर, 2008 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या एल-7/1/0844(159)-सीईआरसी में प्रकाशित हुए थे।

(छह) केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग (शुल्क संदाय) विनियम, 2008 जो 27 अक्तूबर, 2008 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या एल-7/142/157/2008-सीईआरसी में प्रकाशित हुए थे।

(26) उपर्युक्त (25) की मद संख्या (दो) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(27) कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 619क की उपधारा (1) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)—

(एक) नेशनल शिड्यूल्ड ट्राइब्स फाइनेंस एण्ड डेवलपमेंट कारपोरेशन, नई दिल्ली के वर्ष 2007-2008 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) नेशनल शिड्यूल्ड ट्राइब्स फाइनेंस एण्ड डेवलपमेंट कारपोरेशन, नई दिल्ली के वर्ष 2007-2008 के वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

(28) नेशनल शिड्यूल्ड ट्राइब्स फाइनेंस एण्ड डेवलपमेंट कारपोरेशन तथा जनजातीय कार्य मंत्रालय के बीच वर्ष 2008-2009 के लिए हुए समझौता ज्ञापन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

4. लोक सभा की सदस्यता से त्यागपत्र

(एक) अध्यक्ष ने सभा को सूचित किया कि उन्हें प्रो॰ विजय कुमार मल्होत्रा जो दिल्ली के दक्षिण दिल्ली संसदीय निर्वाचन क्षेत्र से निर्वाचित सदस्य थे, का 17 दिसम्बर, 2008 का पत्र प्राप्त हुआ है जिसके द्वारा उन्होंने लोक सभा की सदस्यता से त्यागपत्र दिया है और उन्होंने उनका त्यागपत्र 18 दिसम्बर, 2008 से स्वीकार कर लिया है।

(दो) अध्यक्ष ने सभा को सूचित किया कि उन्हें श्री सरताज सिंह छटवाल जो मध्य प्रदेश के होशंगाबाद संसदीय निर्वाचन क्षेत्र से निर्वाचित सदस्य थे, का 18 दिसम्बर, 2008 का पत्र प्राप्त हुआ है जिसके द्वारा उन्होंने लोक सभा की सदस्यता से त्यागपत्र दिया है और उन्होंने उनका त्यागपत्र 18 दिसम्बर, 2008 से स्वीकार कर लिया है।

5. राज्य सभा से संदेश

महासचिव ने राज्य सभा से प्राप्त इस संदेश की सूचना दी कि राज्य सभा ने 17 दिसम्बर, 2008 को हुई अपनी बैठक में ग्राम न्यायालय विधेयक, 2008 पारित कर दिया है।

6. राज्य सभा द्वारा यथापारित विधेयक - सभा पटल पर रखा गया

ग्राम न्यायालय विधेयक, 2008

7. गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों संबंधी समिति की बैठकों के कार्यवाही सारांश

श्री चरणजीत सिंह अटवाल ने गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों संबंधी समिति की 13वें और 14वें सत्रों के दौरान हुई 34वीं से 37वीं बैठकों के कार्यवाही-सारांश (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखा।

8. विशेषाधिकार समिति के प्रतिवेदन

(एक) श्री वी॰ किशोर चन्द्र एस॰ देव ने विशेषाधिकार समिति के 13वें प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखी।

(दो) श्री वी॰ किशोर चन्द्र एस॰ देव ने विशेषाधिकार समिति के 17वें प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखी।

9. लाभ के पदों संबंधी संयुक्त समिति के प्रतिवेदन

श्री चन्द्रभूषण सिंह ने लाभ के पदों संबंधी संयुक्त समिति का 9वां और 10वां प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत किया।

10. रक्षा संबंधी स्थायी समिति का प्रतिवेदन

श्री बालासाहिब विखे पाटील ने 'रक्षा उत्पादन का स्वदेशीकरण-सरकारी-निजी भागीदारी' के बारे में रक्षा संबंधी स्थायी समिति (2008-09) का 33वां प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत किया।

11. वित्त संबंधी स्थायी समिति का प्रतिवेदन

श्री भर्तृहरि महताब ने धनशोधन निवारण (संशोधन) विधेयक, 2008 के बारे में वित्त संबंधी स्थायी समिति (2008-09) के 80वें प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत की।

12. श्रम संबंधी स्थायी समिति के प्रतिवेदन

श्री सुरवरम सुधाकर रेड्डी ने श्रम संबंधी स्थायी समिति के निम्नलिखित प्रतिवेदनों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत की।

(1) *'कर्मचारी राज्य बीमा (संशोधन) विधेयक, 2008' संबंधी 36वां प्रतिवेदन; और*

(2) *'कर्मकार प्रतिकर (संशोधन) विधेयक, 2008' संबंधी 37वां प्रतिवेदन।*

13. ग्रामीण विकास संबंधी स्थायी समिति के प्रतिवेदन

श्री कल्याण सिंह ने ग्रामीण विकास संबंधी स्थायी समिति के निम्नलिखित प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत किए।

(1) भूमि संसाधन विभाग (ग्रामीण विकास मंत्रालय) की अनुदानों की मांगों (2008-2009) के बारे में 36वें प्रतिवेदन (चौदहवीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्यवाही संबंधी 42वां प्रतिवेदन;

(2) पेयजल आपूर्ति विभाग (ग्रामीण विकास मंत्रालय) की अनुदानों की मांगों (2008-2009) के बारे में 37वें प्रतिवेदन (चौदहवीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्यवाही संबंधी 43वां प्रतिवेदन;

(3) ग्रामीण विकास विभाग (ग्रामीण विकास मंत्रालय) की अनुदानों की मांगों (2008-2009) के बारे में 35वें प्रतिवेदन (चौदहवीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्यवाही संबंधी 44वां प्रतिवेदन।

14. सामाजिक न्याय और अधिकारिता संबंधी स्थायी समिति के प्रतिवेदन

श्रीमती सुमित्रा महाजन ने सामाजिक न्याय और अधिकारिता संबंधी स्थायी समिति (2008-2009) के निम्नलिखित प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत किए:—

(1) अल्पसंख्यक मंत्रालय की अनुदानों की मांगों (2008-2009) के बारे में 35वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट टिप्पणियों/सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्यवाही संबंधी 39वां प्रतिवेदन।

(2) जनजातीय कार्य मंत्रालय की अनुदानों की मांगों (2008-2009) के बारे में 34वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट टिप्पणियों/सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्यवाही संबंधी 40वां प्रतिवेदन।

(3) सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय की अनुदानों की मांगों (2008-2009) के बारे में 33वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट टिप्पणियों/सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्यवाही संबंधी 41वां प्रतिवेदन।

15. **सामाजिक न्याय और अधिकारिता संबंधी स्थायी समिति के विवरण**

श्रीमती सुमित्रा महाजन ने सामाजिक न्याय और अधिकारिता संबंधी स्थायी समिति के निम्नलिखित आगे की-गई-कार्यवाही विवरणों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखीं:—

(1) जनजातीय कार्य मंत्रालय के ''लघु वन उपज (एमएफपी) प्रचालनों के लिए स्टेट ट्राइबल डेवलपमेंट कोआपरेटिव कारपोरेशन्स (एसटीडीसीसीएस) को सहायता अनुदान'' विषय संबंधी 10वें प्रतिवेदन (14वीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट टिप्पणियों/सिफारिशों पर सामाजिक न्याय और अधिकारिता संबंधी स्थायी समिति (2006-07) (14वीं लोक सभा) के 19वें की-गई-कार्यवाही प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट टिप्पणियों/सिफारिशों पर सरकार द्वारा आगे की-गई-कार्यवाही दर्शाने वाला विवरण।

(2) सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय की अनुदानों की मांगों (2007-08) के बारे में 24वें प्रतिवेदन (14वीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट टिप्पणियों/सिफारिशों पर सामाजिक न्याय और अधिकारिता संबंधी स्थायी समिति (2007-08) (14वीं लोक सभा) के 29वें की-गई-कार्यवाही प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट टिप्पणियों/सिफारिशों पर सरकार द्वारा आगे की-गई-कार्यवाही दर्शाने वाला विवरण।

(3) जनजातीय कार्य मंत्रालय की अनुदानों की मांगों (2007-08) के बारे में 25वें प्रतिवेदन (14वीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट टिप्पणियों/सिफारिशों पर सामाजिक न्याय और अधिकारिता संबंधी स्थायी समिति (2007-08) (14वीं लोक सभा) के 30वें की-गई-कार्यवाही प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट टिप्पणियों/सिफारिशों पर सरकार द्वारा आगे की-गई-कार्यवाही दर्शाने वाला विवरण।

(4) अल्पसंख्यक मामले मंत्रालय की अनुदानों की मांगों (2007-08) के बारे में

26वें प्रतिवेदन (14वीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट टिप्पणियों/सिफारिशों पर सामाजिक न्याय और अधिकारिता संबंधी स्थायी समिति (2007-08) (14वीं लोक सभा) के 31वें की-गई-कार्यवाही प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट टिप्पणियों/सिफारिशों पर सरकार द्वारा आगे की-गई-कार्यवाही दर्शाने वाला विवरण।

16. **परिवहन, पर्यटन और संस्कृति संबंधी स्थायी समिति के प्रतिवेदन**

श्री अधीर चौधरी ने परिवहन, पर्यटन और संस्कृति संबंधी स्थायी समिति के निम्नलिखित प्रतिवेदनों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखी:—

(1) पोत परिवहन विभाग की अनुदानों की मांगों (2008-09) के बारे में समिति के 134वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों/टिप्पणियों पर सरकार द्वारा की गई-कार्यवाही संबंधी 143वां प्रतिवेदन।

(2) सड़क परिवहन और राजमार्ग विभाग की अनुदानों की मांगों (2008-09) के बारे में समिति के 135वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों/टिप्पणियों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाही संबंधी 144वां प्रतिवेदन।

(3) पर्यटन मंत्रालय की अनुदानों की मांगों (2008-09) के बारे में समिति के 136वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों/टिप्पणियों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्यवाही संबंधी 145वां प्रतिवेदन।

(4) संस्कृति मंत्रालय की अनुदानों की मांगों (2008-09) के बारे में समिति के 137वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों/टिप्पणियों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्यवाही संबंधी 146वां प्रतिवेदन।

(5) नागर विमानन मंत्रालय की अनुदानों की मांगों (2008-09) के बारे में समिति के 138वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों/टिप्पणियों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्यवाही संबंधी 147वां प्रतिवेदन।

17. **कार्मिक, लोक शिकायत, विधि और न्याय संबंधी स्थायी समिति के प्रतिवेदन**

डा॰ सी॰ कृष्णन ने कार्मिक, लोक शिकायत, विधि और न्याय संबंधी स्थायी समिति के निम्नलिखित प्रतिवेदनों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखी:—

(1) कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय की अनुदानों की मांगों (2008-09) के बारे में 25वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों/टिप्पणियों पर सरकार के की-गई-कार्यवाही उत्तरों संबंधी 31वां प्रतिवेदन; और

(2) विधि और न्याय मंत्रालय की अनुदानों की मांगों (2008-09) के बारे में 26वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों/टिप्पणियों पर सरकार के की-गई-कार्यवाही उत्तरों संबंधी 32वां प्रतिवेदन।

अपराह्न 12.07 बजे

18. **मन्त्रियों द्वारा वक्तव्य**

(1) ग्रामीण विकास मंत्री ने निम्नलिखित के बारे में वक्तव्य (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखाः—

(1) ग्रामीण विकास मंत्रालय के संबंध में भारत निर्माण के संघटकों के कार्यान्वयन की स्थिति;

(2) इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना (आईजीएनओएपीएस) के कार्यान्वयन की स्थिति;

(3) स्वर्ण जयंती ग्राम स्व-रोजगार योजना (एसजीएसवाई)के कार्यान्वयन की स्थिति; और

(4) सम्पूर्ण स्वच्छता अभियान (टीएससी) के कार्यान्वयन की स्थिति।

(2) विद्युत मंत्री ने विद्युत मंत्रालय से संबंधित ऊर्जा संबंधी स्थायी समिति के 21वें, 22वें, 23वें और 25वें प्रतिवेदनों में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति के बारे में एक वक्तव्य (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखा।

(3) जनजातीय कार्य मंत्री ने जनजातीय कार्य मंत्रालय से संबंधित अनुदानों की मांगों (2008-09) के बारे में सामाजिक न्याय और अधिकारिता संबंधी स्थायी समिति के 34वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति के बारे में एक वक्तव्य (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखा।

(4) नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) ने नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय से संबंधित अनुदानों की मांगों (2008-09) के बारे में ऊर्जा संबंधी स्थायी समिति के 26वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति के बारे में एक वक्तव्य (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखा।

(5) शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री ने राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड (एनसीआरपीबी) के बारे में श्री रेवती रमण सिंह, संसद सदस्य द्वारा पूछे गए तारांकित प्रश्न संख्या 212 के 12.12.2008 को दिए गए उत्तर में शुद्धि करने वाला एक वक्तव्य (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखा।

अपराह्न 12.10 बजे

19. **संसदीय कार्य मंत्री द्वारा वक्तव्य**

संसदीय कार्य मंत्री ने सत्र के शेष भाग के लिए सरकारी कार्य के बारे में एक वक्तव्य दिया।

अपराह्न 12.17 बजे

20. **लाभ के पदों संबंधी संयुक्त समिति के बारे में प्रस्ताव**

श्री चन्द्रभूषण सिंह ने निम्नलिखित प्रस्ताव पेश किया:—

''कि यह सभा श्री राजीव रंजन सिंह 'ललन', जिन्होंने 11 नवम्बर, 2008 को त्यागपत्र दे दिया है, **के स्थान पर** लाभ के पदों संबंधी संयुक्त समिति की शेष अवधि के लिए एकल संक्रमणीय मत द्वारा आनुपातिक प्रतिनिधित्व की पद्धति के अनुसार अपने में से लोक सभा के एक सदस्य का निर्वाचन करे।''

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

अपराह्न 12.18 बजे

21. **सरकारी विधेयक – पुर:स्थापित**

(एक) *भ्रष्टाचार निवारण (संशोधन) विधेयक, 2008*

*अपराह्न 12.19 बजे

22. **सदस्यों द्वारा निवेदन**

(एक) **अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतों में आई गिरावट के कारण डीजल तथा रसोई गैस की कीमतों में कटौती न किए जाने के बारे में**

श्री रामजी लाल सुमन ने अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतों में आई गिरावट के कारण डीजल तथा रसोई गैस की कीमतों में कटौती न किए जाने के बारे में निवेदन किया।

समाजवादी पार्टी के सदस्य भी इसमें सहयोजित हुए।

#श्री प्रणव मुखर्जी ने उत्तर दिया।

(सभा में व्यवधान के कारण लोक सभा अपराह्न 12.23 बजे स्थगित हुई और अपराह्न 12.45 बजे पुन: समवेत हुई)

अपराह्न 12.46 बजे

(दो) **26.11.2008 को आतंकवादी हमले में मुबंई एटीएस चीफ की मृत्यु के बारे में एक कैबिनेट मंत्री द्वारा कथित रूप से संदेह व्यक्त किए जाने से उत्पन्न स्थिति के बारे में।**

*अपराह्न 12.19 बजे से अपराह्न 12.23 बजे और अपराह्न 12.45 बजे से अपराह्न 12.52 बजे तक सदस्यों ने अविलंबनीय लोक महत्व के मामले उठाए।

#अपराह्न 12.45 बजे।

श्रीमती सुमित्रा महाजन ने 26.11.2008 को आतंकवादी हमले में मुंबई एटीएस चीफ की मृत्यु के बारे में एक कैबिनेट मंत्री द्वारा कथित रूप से संदेह व्यक्त किए जाने से उत्पन्न स्थिति के बारे में निवेदन किया।

श्री प्रणव मुखर्जी ने उत्तर दिया।

अपराह्न 12.52 बजे

23. **अनुदानों की अनुपूरक मांगें (सामान्य)-2008-2009**

लिया गया समय: 2 घंटे 39 मिनट

वर्ष 2008-2009 के बजट (सामान्य) के संबंध में अनुदानों की अनुपूरक मांगे संख्या 4, 5, 7, 10, 16, 20, 35, 60, 74, 80, 87, 92 और 100 पर चर्चा आरंभ हुई।

निम्नलिखित सदस्यों ने वाद-विवाद में भाग लिया:—

1. श्री पवन कुमार बंसल
2. श्री हरिन पाठक
3. श्री वी॰ किशोर चन्द्र एस॰ देव
4. श्री एन॰ एन॰ कृष्णादास
5. श्री शैलेन्द्र कुमार
6. श्री आलोक कुमार मेहता
7. श्रीमती एम॰ एस॰ के॰ भवानी राजेन्तीरन
8. श्रीमती कल्पना रमेश नरहिरे
9. श्री भर्तृहरि महताब
10. श्री सी॰ के॰ चन्द्रप्पन
11. श्री खारबेल स्वाईं
12. श्रीमती तेजस्विनी गौड़ा
13. श्रीमती रंजीत रंजन
14. श्री फ्रांसिस के॰ जॉर्ज
15. श्री पी॰ सी॰ थॉमस
16. *श्री एस॰ के॰ खारबेनथन
17. *श्रीमती बोचा झांसी लक्ष्मी

श्री पी॰ चिदम्बरम ने वाद-विवाद का उत्तर दिया।

अनुदानों की सभी अनुपूरक मांगे सं॰ 4, 5, 7, 10, 16, 20, 35, 60, 74, 80, 87, 92

---

*लिखित भाषण सभा पटल पर रखे गए।

और 100 (राजस्व लेखे और पूंजीगत लेखे दोनों) वर्ष 2008-09 के लिए अनुदानों की अनुपूरक मांगें (सामान्य) की मुद्रित सूची के स्तंभ 3 के अंतर्गत दर्शाई गई धनराशियों के लिए पूरी-पूरी स्वीकृत हुई।

24. **सरकारी विधेयक—पुर:स्थापित**

विनियोग (संख्याक 4) विधेयक, 2008

25. **सरकारी विधेयक —पारित**

विनियोग (संख्यांक 4) विधेयक, 2008

श्री पी॰ चिदम्बरम द्वारा विधेयक पर विचार किए जाने का प्रस्ताव पेश किया गया और विधेयक पर खंडवार विचार हुआ।

खंड 2 और 3 स्वीकृत हुए।

अनुसूची स्वीकृत हुई।

खंड 1, अधिनियमन सूत्र और विधेयक का पूरा नाम भी स्वीकृत हुए।

श्री पी॰ चिदंबरम ने प्रस्ताव किया कि विधेयक पारित किया जाए।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ और विधेयक पारित किया गया।

अपराह्न 3.30 बजे

26. **गैर सरकारी सदस्यों का संकल्प—वापस लिया गया**

श्री हरिभाऊ राठौड़ द्वारा 17 अप्रैल, 2008 को पेश किए गए निम्नलिखित संकल्प पर आगे चर्चा जारी रही:—

> ''यह सभा अधिसूचना से निकाली गई जनजातियों और बंजारों सहित यायावरी जनजातियों से संबंधित व्यक्तियों की दुर्दशा पर अपनी चिंता व्यक्त करती है और सरकार से आग्रह करती है कि वह अधिसूचना से निकाली गई जनजातियों और बंजारों सहित यायावरी जनजातियों से संबंधित व्यक्तियों के पक्ष में—
>
> (एक) शैक्षणिक और आर्थिक हितों का संवर्द्धन करने;
>
> (दो) राज्य के अधीन सेवाओं में पदों का आरक्षण करने; और
>
> (तीन) लोक सभा तथा राज्य विधान सभाओं में सीटों का आरक्षण करने का उपबंध करने के लिए उपयुक्त विधान लाए और उनके समग्र विकास के लिए सभी आवश्यक कदम उठाए।''

निम्नलिखित सदस्यों ने वाद-विवाद में भाग लिया:—

1. श्री हरिभाऊ राठौड़ (अपना भाषण पुन: आरंभ किया)
2. श्री अधीर चौधरी

3. श्री पी॰ एस॰ गढ़वी
4. श्री शैलेन्द्र कुमार
5. श्रीमती अर्चना नायक
6. श्री सी॰ के॰ चन्द्रप्पन
7. श्री एस॰ के॰ खारबेनथन
8. श्री ब्रह्मानन्द पाण्डा
9. श्रीमती तेजस्विनी गौड़ा
10. श्री मोहन जेना
11. श्रीमती कल्पना रमेश नरहिरे
12. डा॰ प्रसन्न कुमार पटसाणी
13. प्रो॰ रासा सिंह रावत
14. श्री एम॰ शिवन्ना
15. प्रो॰ एम॰ रामदास
16. श्री भृर्तहरि महताब
17. श्री लक्ष्मण सिंह

श्रीमती मीरा कुमार ने वाद-विवाद में भाग लिया।

श्री हरिभाऊ राठौड़ ने वाद-विवाद का उत्तर दिया।

सभा की अनुमति से संकल्प वापस लिया गया।

सायं 6.14 बजे

27. **गैर सरकारी सदस्यों का संकल्प—विचाराधीन**

श्री पी॰ एस॰ गढ़वी ने निम्नलिखित संकल्प पेश किया:—

> ''आन्ध्र प्रदेश राज्य के तेलंगाना क्षेत्र के लोगों की नए राज्य तेलंगाना के गठन की चिर लंबित मांग को ध्यान में रखते हुए यह सभा सरकार से आग्रह करती है कि वह नए राज्य के गठन के लिए कदम उठाए।''

भाषण अपूर्ण रहा।

चर्चा पूरी नहीं हुई।

#सायं 6.44 बजे

(लोक सभा सोमवार, 22 दिसंबर, 2008 के पूर्वाह्न 11.00 बजे तक के लिए स्थगित हुई)

पी॰ डी॰ टी॰ आचारी,
महासचिव।

#सायं 6.16 बजे से सायं 6.44 बजे तक सदस्यों ने अविलंबनीय लोक महत्व के मामले उठाए।

GMGIPMRND—4570LS(S-5)—19-12-2008.

लोक सभा

समाचार—भाग 1

(कार्यवाही का संक्षिप्त वृत्तांत)

सोमवार, 22 दिसम्बर, 2008/1 पौष, 1930 (शक)

संख्या 321

पूर्वाह्न 11.01 बजे

1. **निधन संबंधी उल्लेख**

अध्यक्ष ने दूसरी और आठवीं लोक सभा के सदस्य श्री जगदीश अवस्थी के निधन के बारे में उल्लेख किया।

तत्पश्चात्, सदस्यगण दिवंगत आत्मा के सम्मान में थोड़ी देर मौन खड़े रहे।

पूर्वाह्न 11.05 बजे

2. **तारांकित प्रश्न**

तारांकित प्रश्न संख्या 322, 327, 328, 330, 332, 333 और 334 के मौखिक उत्तर दिए गए। तारांकित प्रश्न संख्या 321, 323, 324, 325, 326, 329, 331, 335—340 के उत्तर सभा पटल पर रखे गए।

3. **अतारांकित प्रश्न**

अतारांकित प्रश्न संख्या 3251—3295 और 3297—3378 के उत्तर सभा पटल पर रखे गए।

मध्याह्न 12 बजे

4. **सभा पटल पर रखे गए पत्र**

निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखे गए:—

(1) (एक) नेशनल कोआपरेटिव कन्ज्यूमर्स फेडरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 2007-2008 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) नेशनल कोआपरेटिव कन्ज्यूमर्स फेडरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 2007-2008 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(2) कर्मचारी राज्य बीमा निगम, नई दिल्ली के वर्ष 2007-2008 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(3) शिक्षु अधिनियम, 1961 की धारा 37 की उपधारा (3) के अन्तर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):—

(एक) शिक्षुता (दूसरा संशोधन) नियम, 2008 जो 14 अगस्त, 2008 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा॰का॰नि॰ 594(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(दो) शिक्षुता (संशोधन) नियम, 2008 जो 9 जुलाई, 2008 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा॰का॰नि॰ 511(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(4) शिक्षु अधिनियम, 1961 की धारा 2 के अन्तर्गत जारी अधिसूचना संख्या सा॰का॰नि॰ 595(अ), जो 14 अगस्त, 2008 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जिसमें शिक्षु अधिनियम, 1961 के प्रयोजनार्थ अधिसूचना में उल्लिखित राज्य तकनीकी शिक्षा परिषदों को व्यवसायों अथवा विषयों के साथ व्यावसायिक परीक्षण अथवा परीक्षा के संबंध में विनिर्दिष्ट किया गया है, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(5) (एक) केन्द्रीय कृषि विश्वविद्यालय, इम्फाल के वर्ष 2002-2003 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) केन्द्रीय कृषि विश्वविद्यालय, इम्फाल के वर्ष 2002-2003 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(तीन) केन्द्रीय कृषि विश्वविद्यालय, इम्फाल के वर्ष 2002-2003 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(6) उपर्युक्त (5) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(7) (एक) केन्द्रीय कृषि विश्वविद्यालय, इम्फाल के वर्ष 2003-2004 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) केन्द्रीय कृषि विश्वविद्यालय, इम्फाल के वर्ष 2003-2004 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(तीन) केन्द्रीय कृषि विश्वविद्यालय, इम्फाल के वर्ष 2003-2004 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(8) उपर्युक्त (7) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(9) (एक) केन्द्रीय कृषि विश्वविद्यालय, इम्फाल के वर्ष 2004-2005 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) केन्द्रीय कृषि विश्वविद्यालय, इम्फाल के वर्ष 2004-2005 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(तीन) केन्द्रीय कृषि विश्वविद्यालय, इम्फाल के वर्ष 2004-2005 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(10) उपर्युक्त (9) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(11) (एक) नारियल विकास बोर्ड, कोच्चि के वर्ष 2007-2008 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) नारियल विकास बोर्ड, कोच्चि के वर्ष 2007-2008 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(तीन) नारियल विकास बोर्ड, कोच्चि के वर्ष 2007-2008 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(12) (एक) राष्ट्रीय बागबानी बोर्ड, गुड़गांव के वर्ष 2007-2008 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) राष्ट्रीय बागबानी बोर्ड, गुड़गांव के वर्ष 2007-2008 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(13) (एक) चौधरी चरण सिंह नेशनल इंस्टिट्यूट ऑफ एग्रीकल्चरल मार्केटिंग, जयपुर के वर्ष 2006-2007 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) चौधरी चरण सिंह नेशनल इंस्टिट्यूट ऑफ एग्रीकल्चरल मार्केटिंग, जयपुर के वर्ष 2006-2007 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(14) उपर्युक्त (13) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(15) (एक) चौधरी चरण सिंह नेशनल इंस्टिट्यूट ऑफ एग्रीकल्चरल मार्केटिंग, जयपुर के वर्ष 2007-2008 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) चौधरी चरण सिंह नेशनल इंस्टिट्यूट ऑफ एग्रीकल्चरल मार्केटिंग, जयपुर के वर्ष 2007-2008 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(16) कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619क की उपधारा (1) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):—

(क) (एक) भारतीय राज्य फार्म निगम लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 2007-2008 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) भारतीय राज्य फार्म निगम लिमिटेड, नई दिल्ली का वर्ष 2007-2008 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

(ख) (एक) राष्ट्रीय बीज निगम लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 2007-2008 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) राष्ट्रीय बीज निगम लिमिटेड, नई दिल्ली का वर्ष 2007-2008 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

(17) कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619क की उपधारा (1) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):—

(एक) उड़ीसा एग्रो इंडस्ट्रीज कारपोरेशन लिमिटेड, भुवनेश्वर के वर्ष 2003-2004 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) उड़ीसा एग्रो इंडस्ट्रीज कारपोरेशन लिमिटेड, भुवनेश्वर का वर्ष 2003-2004 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

(18) उपर्युक्त (17) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(19) नाशक कीट और नाशक जीव अधिनियम, 1914 की धारा 3 की उपधारा (1) के अंतर्गत जारी पादप संगरोध (भारत में आयात का विनियमन) (दूसरा संशोधन) आदेश, 2006 जो 7 दिसम्बर, 2006 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या का॰आ॰ 2074 (अ) में प्रकाशित हुआ था, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(20) (एक) नेशनल ऑयलसीड्स एण्ड वेजिटेबल्स ऑयल्स डेवलपमेंट बोर्ड, गुड़गांव के वर्ष 2007-2008 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) नेशनल ऑयलसीड्स एण्ड वेज़िटेबल्स ऑयल्स डेवलपमेंट बोर्ड, गुड़गांव के वर्ष 2007-2008 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(21) (एक) प्रोटेक्शन ऑफ प्लांट वैराइटिज एण्ड फार्मर्स राइट्स, अथारिटी, नई दिल्ली के वर्ष 2007-2008 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) प्रोटेक्शन ऑफ प्लांट वैराइटिज एण्ड फार्मर्स राइट्स अथारिटी, नई दिल्ली के वर्ष 2007-2008 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(22) कृषि उपज (श्रेणीकरण और चिह्नांकन) अधिनियम, 1937 की धारा 3 की उपधारा (3) के अंतर्गत गुड़ श्रेणीकरण और चिह्नांकन नियम, 2008 जो 21 नवम्बर, 2008 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा॰का॰नि॰ 810(अ) में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(23) बाट और माप मानक अधिनियम, 1976 की धारा 83 की उपधारा (4) के अधीन बाट और माप मानक (पैकेजयुक्त वस्तु) संशोधन नियम, 2008 जो 16 अक्तूबर, 2008 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा॰का॰नि॰ 737(अ) में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(24) (एक) नेशनल सेंटर फॉर जूट डायवर्सिफिकेशन, कोलकाता के वर्ष 2006-2007 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) नेशनल सेंटर फॉर जूट डायवर्सिफिकेशन, कोलकाता के वर्ष 2006-2007 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(25) उपर्युक्त (24) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(26) कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 619क की उपधारा (1) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)—

(क) (एक) जूट कारपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, कोलकाता के वर्ष 2007-2008 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) जूट कारपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, कोलकाता का वर्ष 2007-2008 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

(ख) (एक) नेशनल जूट मैन्यूफैक्चर्स कारपोरेशन लिमिटेड, कोलकाता के वर्ष 2007-2008 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) नेशनल जूट मैन्यूफैक्चर्स कारपोरेशन लिमिटेड, कोलकाता का वर्ष 2007-2008 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

(27) कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 619क की उपधारा (1) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)—

(क) (एक) भारत संचार निगम लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 2007-2008 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) भारत संचार निगम लिमिटेड, नई दिल्ली का वर्ष 2007-2008 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

(ख) (एक) महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 2006-2007 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड, नई दिल्ली का वर्ष 2006-2007 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

(28) (एक) सोसायटी फॉर एप्लायड माइक्रोवेव इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग एण्ड रिसर्च, मुंबई के वर्ष 2007-2008 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) सोसायटी फॉर एप्लायड माइक्रोवेव इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग एण्ड रिसर्च, मुंबई के वर्ष 2007-2008 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(29) (एक) डीओईएसीसी सोसायटी, नई दिल्ली के वर्ष 2007-2008 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति(हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) डीओईएसीसी सोसायटी, नई दिल्ली के वर्ष 2007-2008 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(30) (एक) साफ्टवेयर टेक्नॉलाजी पार्क्स आफ इंडिया, नई दिल्ली के वर्ष 2007-2008 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) साफ्टवेयर टेक्नॉलाजी पार्क्स आफ इंडिया, नई दिल्ली के वर्ष 2007-2008 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(31) (एक) इलेक्ट्रॉनिक्स एण्ड कम्प्यूटर साफ्टवेयर एक्सपोर्ट प्रोमोशन काउंसिल, नई दिल्ली के वर्ष 2007-2008 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) इलेक्ट्रॉनिक्स एण्ड कम्प्यूटर साफ्टवेयर एक्सपोर्ट प्रोमोशन काउंसिल, नई दिल्ली के वर्ष 2007-2008 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(32) भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण अधिनियम, 1997 की धारा 37 के अंतर्गत दूरसंचार अवांछित वाणिज्यिक संचार (दूसरा संशोधन) विनियम, 2008 जो

21 अक्तूबर, 2008 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या 104-15/2008-एमएन में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(33) (एक) सेंट्रल वेयरहाउसिंग कारपोरेशन, नई दिल्ली के वर्ष 2007-2008 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) सेंट्रल वेयरहाउसिंग कारपोरेशन, नई दिल्ली के वर्ष 2007-2008 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(34) (एक) चिल्ड्रेन्स फिल्म सोसायटी, इंडिया, मुंबई के वर्ष 2007-2008 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) चिल्ड्रेन्स फिल्म सोसायटी, इंडिया, मुंबई के वर्ष 2007-2008 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(35) (एक) सत्यजीत राय फिल्म एण्ड टेलीविजन इंस्टिट्यूट, कोलकाता के वर्ष 2007-2008 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) सत्यजीत राय फिल्म एण्ड टेलीविजन इंस्टिट्यूट, कोलकाता के वर्ष 2007-2008 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

5. लोक सभा की सदस्यता से त्यागपत्र

अध्यक्ष ने सभा को सूचित किया कि उन्हें डा॰ रामकृष्ण कुसमरिया और श्रीमती नीता पटैरिया, जो कि मध्य प्रदेश के क्रमश: खजुराहो और सिवनी संसदीय निर्वाचन क्षेत्र के निर्वाचित सदस्य हैं, से लोक सभा की सदस्यता से त्यागपत्र देने संबंधी 19 दिसम्बर, 2008 के अलग-अलग पत्र प्राप्त हुए हैं और यह कि उन्होंने 19 दिसम्बर 2008 से उनके त्यागपत्र स्वीकार कर लिए हैं।

6. **राज्य सभा से संदेश**

महासचिव ने राज्य सभा से प्राप्त निम्नलिखित संदेशों की सूचना दी:—

(एक) कि राज्य सभा 18 दिसम्बर, 2008 को हुई अपनी बैठक में लोक सभा द्वारा 17 दिसम्बर, 2008 को पारित राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण विधेयक, 2008 से बिना किसी संशोधन के सहमत हुई।

(दो) कि राज्य सभा 18 दिसम्बर, 2008 को हुई अपनी बैठक में लोक सभा द्वारा 17 दिसम्बर, 2008 को पारित विधिविरुद्ध क्रियाकलाप (निवारण) संशोधन विधेयक, 2008 से बिना किसी संशोधन के सहमत हुई।

(तीन) कि राज्य सभा ने 18 दिसम्बर, 2008 को हुई अपनी बैठक में दंड प्रक्रिया संहिता (संशोधन) विधेयक, 2008 को पारित कर दिया है।

(चार) कि राज्य सभा ने 19 दिसम्बर, 2008 को हुई अपनी बैठक में विज्ञान और इंजीनियरी अनुसंधान बोर्ड विधेयक, 2008 को पारित कर दिया है।

(पांच) कि राज्य सभा ने 19 दिसम्बर, 2008 को हुई अपनी बैठक में स्नातकोत्तर आयुर्विज्ञान शिक्षा और अनुसंधान संस्थान, चंडीगढ़ (संशोधन) विधेयक, 2008 को पारित कर दिया है।

(छह) कि राज्य सभा ने 19 दिसम्बर, 2008 को हुई अपनी बैठक में सांख्यिकी संग्रहण विधेयक, 2008 को पारित कर दिया है।

7. **राज्य सभा द्वारा यथापारित विधेयक—सभा पटल पर रखा गया**

(एक) *दंड प्रक्रिया संहिता (संशोधन) विधेयक, 2008।*

(दो) *स्नातकोत्तर आयुर्विज्ञन शिक्षा और अनुसंधान संस्थान, चंडीगढ़ (संशोधन) विधेयक, 2008।*

(तीन) *सांख्यिकी संग्रहण विधेयक, 2008।*

8. **सरकारी उपक्रमों संबंधी समिति के प्रतिवेदन**

श्री रूपचन्द पाल ने सरकारी उपक्रमों संबंधी समिति के निम्नलिखित प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत किया:—

(1) भारतीय खानपान और पर्यटन निगम लिमिटेड के बारे में सरकारी उपक्रमों संबंधी समिति (14वीं लोक सभा) के 30वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्यवाही संबंधी 33वां प्रतिवेदन; और

(2) विद्युत उत्पादक सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों के वास्तविक और वित्तीय कार्य-निष्पादन संबंधी 34वां प्रतिवेदन।

9. लाभ के पदों संबंधी संवैधानिक और विधिक स्थिति की जांच करने संबंधी संयुक्त समिति का प्रतिवेदन

श्री इकबाल अहमद सरडगी ने लाभ के पदों संबंधी संवैधानिक और विधिक स्थिति की जांच करने संबंधी संयुक्त समिति का प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत किया।

10. लाभ के पदों संबंधी संवैधानिक और विधिक स्थिति की जांच करने संबंधी संयुक्त समिति के समक्ष दिया गया साक्ष्य

श्री इकबाल अहमद सरडगी ने लाभ के पदों संबंधी संवैधानिक और विधिक स्थिति की जांच करने संबंधी संयुक्त समिति के समक्ष दिए गए साक्ष्य की एक प्रति सभा पटल पर रखी।

11. मंत्रियों द्वारा वक्तव्य

(1) पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री की ओर से पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय में राज्य मंत्री ने पोत परिवहन विभाग, पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय से संबंधित अनुदानों की मांगों (क्रमशः 2006-07 और 2007-08) के बारे में परिवहन, पर्यटन और संस्कृति संबंधी स्थायी समिति के 114वें और 117वें प्रतिवेदनों में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति के बारे में एक वक्तव्य (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखा।

(2) श्रम और रोजगार मंत्रालय के राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) ने श्रम और रोजगार मंत्रालय से संबंधित अनुदानों की मांगों (2008-09) के बारे में श्रम संबंधी स्थायी समिति के 28वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति के बारे में एक वक्तव्य (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखा।

(3) रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री और खान मंत्रालय में राज्य मंत्री ने रसायन और पेट्रोरसायन विभाग, रसायन और उर्वरक मंत्रालय से संबंधित अनुदानों की मांगों (2008-09) के बारे में रसायन और उर्वरक संबंधी स्थायी समिति के 25वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति के बारे में एक वक्तव्य (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखा।

(4) कोयला मंत्रालय में राज्य मंत्री ने कोयला मंत्रालय से संबंधित कोयला और इस्पात संबंधी स्थायी समिति के 31वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की

स्थिति के बारे में एक वक्तव्य (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखा।

(5) प्रधान मंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री और कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री ने परमाणु ऊर्जा विभाग से संबंधित अनुदानों की मांगों क्रमशः (2007-08 और 2008-09) के बारे में विज्ञान और प्रौद्योगिकी, पर्यावरण और वन संबंधी स्थायी समिति के 183वें और 191वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति के बारे में एक वक्तव्य देंगे।

(6) वस्त्र मंत्रालय में राज्य मंत्री ने निम्नलिखित के संबंध में वक्तव्य (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखा:—

(1) वस्त्र मंत्रालय से संबंधित, ''वस्त्र मिलों की रुग्णता/बंद होना'' के बारे में श्रम संबंधी स्थायी समिति के 27वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति; और

(2) वस्त्र मंत्रालय से संबंधित अनुदानों की मांगों (2008-2009) के बारे में श्रम संबंधी स्थायी समिति के 29वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति।

(7) औद्योगिक नीति और संवर्धन विभाग में राज्य मंत्री, वाणिज्य और उद्योग मंत्री ने औद्योगिक नीति और संवर्धन विभाग, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय से संबंधित अनुदानों की मांगों (2008-2009) (मांग संख्या 11) के बारे में वाणिज्य संबंधी स्थायी समिति के 86वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति के बारे में एक वक्तव्य (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखा।

अपराह्न 12.09 बजे

12. **सरकारी विधेयक—पुरःस्थापित**

(एक) *जीवन बीमा निगम (संशोधन) विधेयक, 2008*

श्री पवन कुमार बंसल द्वारा विधेयक पुरःस्थापित करने हेतु अनुमति के प्रस्ताव का विरोध किया गया।

(सभा में व्यवधान के कारण लोक सभा अपराह्न 12.15 बजे स्थगित हुई और अपराह्न 1.00 बजे पुनः समवेत हुई)

अपराह्न 1.01 बजे

विधेयक पुर:स्थापित किए जाने के प्रस्ताव पर सभा में मत विभाजन हुआ और मत विभाजन का परिणाम हां–124; नहीं–45 था। तत्पश्चात्, प्रस्ताव स्वीकृत हुआ तथा विधेयक पुर:स्थापित किया गया।

(दो) *भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (संशोधन) विधेयक, 2008*

(तीन) *उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय न्यायाधीश (वेतन और सेवा शर्त) संशोधन विधेयक, 2008*

(चार)* *कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण (संशोधन) विधेयक, 2008*

अपराह्न 1.07 बजे

13. **नियम 377 के अधीन मामले**

अध्यक्षपीठ के निदेशानुसार, निम्नलिखित सदस्यों ने नियम 377 के अधीन उनके द्वारा उठाए जाने वाले मामलों, जैसाकि प्रत्येक सदस्य के नाम के आगे दर्शाया गया है, पर अपने वक्तव्य सभा पटल पर रखे:—

(1) श्री एस॰ के॰ खारवेनथन द्वारा तमिलनाडु के मुख्यमंत्री डा॰ एम॰ करूणानिधि को 'भारत रत्न' सम्मान से सम्मानित किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(2) श्रीमती तेजस्विनी गौडा द्वारा मानव बस्तियों को जंगली हाथियों से दूर रखने के लिए कर्नाटक के वन क्षेत्र की समुचित बाड़बंदी किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(3) श्री अनवर हुसैन द्वारा धुबरी-हल्दिया वाया बांग्लादेश जलमार्ग को अंतर्राष्ट्रीय जलमार्ग घोषित किए जाने तथा धुबरी पत्तन के निर्माण हेतु निधि जारी किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(4) श्री एन॰एस॰वी॰ चित्तन द्वारा दक्षिण रेलवे के मानवरहित रेल फाटकों पर चौकीदार तैनात किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(5) श्री अधीर चौधरी द्वारा पश्चिम बंगाल में राष्ट्रीय राजमार्ग 34 को चार लेन वाला बनाए जाने के कार्य में शीघ्रता लाए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(6) श्री निखिल कुमार द्वारा बिहार के औरंगाबाद में दूरदर्शन केन्द्र की स्थापना के कार्य में तेजी लाए जाने की आवश्यकता के बारे में।

---

*अपराह्न 2.01 बजे

(7) श्री जसवंत सिंह बिश्नोई द्वारा राजस्थान के रेगिस्तानी क्षेत्रों के विकास के लिए विशेष पैकेज प्रदान किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(8) श्री अविनाश राय खन्ना द्वारा सरकारी छुट्टियों की संख्या में कमी किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(9) डा॰ वल्लभभाई कथीरिया द्वारा देश में युवाओं के लिए सैन्य सेवा को अनिवार्य बनाने के लिए विधि अधिनियमित किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(10) श्री अनुराग सिंह ठाकुर द्वारा हिमाचल प्रदेश में एक कमांडो और पुलिस प्रशिक्षण स्कूल की स्थापना किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(11) श्री बिक्रम केशरी देव द्वारा उड़ीसा के कालाहांडी और नवपाड़ा जिलों के बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में पुनर्निमाण कार्य हेतु निधियां जारी किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(12) श्री सांताश्री चटर्जी द्वारा अखिल भारतीय प्रादेशिक ग्रामीण बैंक कर्मचारी एसोसिएशन की मांगों को पूरा किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(13) श्रीमती सी॰एस॰ सुजाता द्वारा राष्ट्रीय कृषि आयोग की सिफारिशों को कार्यान्वित किए जाने तथा समस्त कृषि ऋणों पर ब्याज दर में कमी करके उसे 4 प्रतिशत तक किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(14) श्री शैलेन्द्र कुमार द्वारा उत्तर प्रदेश के चायल संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में भरवारी रेल फाटक पर एक पुल का निर्माण किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(15) श्री राजनरायन बुधौलिया द्वारा दिल्ली और बुंदेलखंड के मध्य चलने वाली उत्तर प्रदेश संपर्क क्रांति एक्सप्रेस (गाड़ी सं॰ 2447-2448) की आवृत्ति को बढ़ाए जाने तथा महोबा और खजुराहो के बीच एक रेल सेवा आरंभ किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(16) श्री आलोक कुमार मेहता द्वारा बिहार के नून नदी परियोजना को पूरा करने के काम में तेजी लाए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(17) श्री ई॰ जी॰ सुगावनम द्वारा श्रीलंका में तमिलों के हितों के सुरक्षोपाय किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(18) प्रो॰ एम॰ रामदास द्वारा पुडुचेरी को गृह मंत्रालय द्वारा गठित केन्द्रीय वित्त आयोग अथवा वित्त आयोग के दायरे में लाए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(19) श्री हेमलाल मुर्मू द्वारा झारखंड के साहेबगंज तथा बिहार के मनिहारी को जोड़ने के लिए गंगा नदी पर पुल बनाए जाने के निर्माण के कार्य में तेजी लाए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(20) श्री रामदास बंडु आठवले द्वारा संसद में महिलाओं के लिए आरक्षण प्रदान किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(सभा में व्यवधान के कारण लोक सभा अपराह्न 1.08 बजे स्थगित हुई और अपराह्न 2.00 बजे पुनः समवेत हुई)

अपराह्न 2.01 बजे

14. अनुदानों की अनुपूरक मांगे (रेल) — 2008-2009

लिया गया समय: 4 मिनट

कार्य की निम्नलिखित मदों पर चर्चा की गई:—

(एक) अनुदानों की अनुपूरक मांगे (रेल) — 2008-2009

(दो) रेल अभिसमय समिति (2004) के नौवें प्रतिवेदन की सिफारिशों के अनुमोदन संबंधी संकल्प।

वर्ष 2008-2009 के लिए बजट (रेल) – 2008-09 के संबंध में अनुदानों की अनुपूरक मांग संख्या 16 के संबंध में अनुदानों की अनुपूरक मांगों (रेल) की मुद्रित सूची के कॉलम 3 के अंतर्गत दर्शाई गई राशि के लिए पूरी-पूरी स्वीकृत हुई।

श्री लालू प्रसाद द्वारा निम्नलिखित संकल्प पेश किया गया, जो स्वीकृत हुआ:—

''कि यह सभा रेल उपक्रम द्वारा सामान्य राजस्व, आदि को संदेय लाभांश की दर की समीक्षा करने हेतु नियुक्त की गई रेल अभिसमय समिति (2004) के 9वें प्रतिवेदन जिसे 20 अक्तूबर, 2008 को लोक सभा में प्रस्तुत किया गया था, के पैरा 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55 और 56 में अंतर्विष्ट सिफारिशों का अनुमोदन करती है।''

15. सरकारी विधेयक — पुर:स्थापित

विनियोग (रेल) संख्यांक 5 विधेयक, 2008

16. सरकारी विधेयक — पारित

विनियोग (रेल) संख्यांक 5 विधेयक, 2008

विधेयक पर विचार किए जाने के लिए श्री लालू प्रसाद द्वारा पेश किया गया प्रस्ताव स्वीकृत हुआ और विधेयक पर खंड-वार विचार आरम्भ हुआ।

खंड 2 और 3 स्वीकृत हुए।

अनुसूची स्वीकृत हुई।

खंड 1, अधिनियमन सूत्र और विधेयक का पूरा नाम भी स्वीकृत हुए।

श्री लालू प्रसाद ने प्रस्ताव किया कि विधेयक पारित किया जाए।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ और विधेयक पारित किया गया।

अपराह्न 2.05 बजे

17. **सरकारी विधेयक — पारित**

लिया गया समय: 3 मिनट

ग्राम न्यायालय विधेयक, 2008, राज्य सभा द्वारा यथापारित:—

श्री हंसराज भारद्वाज ने विधेयक पर विचार किए जाने का प्रस्ताव पेश किया।

विधेयक पर विचार किए जाने के लिए श्री हंसराज भारद्वाज द्वारा पेश किया गया प्रस्ताव स्वीकृत हुआ और विधेयक पर खंड-वार विचार आरम्भ हुआ।

खंड 2 से 40 स्वीकृत हुए।

पहली और दूसरी अनुसूचियां स्वीकृत हुईं।

खंड 1, अधिनियमन सूत्र और विधेयक का पूरा नाम भी स्वीकृत हुए।

श्री हंसराज भारद्वाज ने प्रस्ताव किया कि विधेयक पारित किया जाए।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ और विधेयक पारित किया गया।

(सभा में व्यवधान के कारण लोक सभा अपराह्न 2.08 बजे स्थगित हुई और अपराह्न 3.00 बजे पुन: समवेत हुई)

अपराह्न 3.03 बजे

18. **सरकारी विधेयक — पारित**

लिया गया समय: 21 मिनट

सूचना प्रौद्योगिकी (संशोधन) विधेयक, 2006

श्री ए॰ राजा ने विधेयक पर विचार किए जाने का प्रस्ताव पेश किया।

विधेयक पर विचार किए जाने के लिए श्री ए॰ राजा द्वारा पेश किया गया प्रस्ताव स्वीकृत हुआ और विधेयक पर खंड-वार विचार आरम्भ हुआ।

खंड 2 और 3 स्वीकृत हुए।

खंड 4, यथासंशोधित, स्वीकृत हुआ।

खंड 5 से 7 स्वीकृत हुए।

श्री ए॰ राजा ने नियम 388 के अधीन निम्नलिखित प्रस्ताव पेश किया:—

''कि यह सभा, लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्यसंचालन नियमों के नियम 80 के खंड (एक) को, जहां तक उसमें यह अपेक्षा की गई है संशोधन विधेयक की व्याप्ति के भीतर होगा और जिस खंड से उसका संबंध हो, उसके विषय से सुसंगत होगा, सूचना प्रौद्योगिकी (संशोधन) विधेयक, 2006 की सरकारी संशोधन संख्या 12 को लागू करने के संबंध में, निलंबित करती है और यह कि इस संशोधन को पेश करने की अनुमति दी जाए।''

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

नए खण्ड 7क के अंत:स्थापन के लिए एक संशोधन स्वीकृत हुआ।

नए खण्ड 7क भी स्वीकृत हुआ।

खण्ड 8 से 10 स्वीकृत हुए।

श्री ए॰ राजा ने नियम 388 के अधीन निम्नलिखित प्रस्ताव पेश किया:—

'' कि यह सभा, लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्यसंचालन नियमों के नियम 80 के खंड (एक) को, जहां तक उसमें यह अपेक्षा की गई है संशोधन विधेयक की व्याप्ति के भीतर होगा और जिस खण्ड से उसका संबंध हो, उसके विषय से सुसंगत होगा, सूचना प्रौद्योगिकी (संशोधन) विधेयक, 2006 की सरकारी संशोधन संख्या 13 को लागू करने के संबंध में, निलंबित करती है और यह कि इस संशोधन को पेश करने की अनुमति दी जाए।''

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

नए खण्ड 10क के अंत:स्थापन के लिए एक संशोधन स्वीकृत हुआ।

नया खण्ड 10क भी स्वीकृत हुआ।

खण्ड 11 से 18 स्वीकृत हुए।

खण्ड 19 यथासंशोधित, स्वीकृत हुआ।

खण्ड 20 यथासंशोधित, स्वीकृत हुआ।

खण्ड 21 यथासंशोधित, स्वीकृत हुआ।

खण्ड 22 और 23 स्वीकृत हुए।

खण्ड 24, यथासंशोधित, स्वीकृत हुआ।

खण्ड 25 से 28 स्वीकृत हुए।

खण्ड 29 अस्वीकृत हुआ।

खण्ड 30 स्वीकृत हुआ।

खण्ड 31, यथासंशोधित, स्वीकृत हुआ।

खण्ड 32 स्वीकृत हुआ।

खण्ड 33, यथासंशोधित, स्वीकृत हुआ।

खण्ड 34 स्वीकृत हुआ।

खण्ड 35, यथासंशोधित, स्वीकृत हुआ।

खण्ड 36, यथासंशोधित, स्वीकृत हुआ।

खण्ड 37, यथासंशोधित, स्वीकृत हुआ।

श्री ए॰ राजा ने नियम 388 के अधीन निम्नलिखित प्रस्ताव पेश किया:—

''कि यह सभा, लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्यसंचालन नियमों के नियम 80 के खंड (एक) को, जहां तक उसमें यह अपेक्षा की गई है संशोधन विधेयक की व्याप्ति के भीतर होगा और जिस खण्ड से उसका संबंध हो, उसके विषय से सुसंगत होगा, सूचना प्रौद्योगिकी (संशोधन) विधेयक, 2006 की सरकारी संशोधन संख्या 41 को लागू करने के संबंध में, निलंबित करती है और यह कि इस संशोधन को पेश करने की अनुमति दी जाए।''

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

नए खण्ड 37क के अंत:स्थापन के लिए एक संशोधन स्वीकृत हुआ।

नया खण्ड 37क भी स्वीकृत हुआ।

खण्ड 38, यथासंशोधित, स्वीकृत हुआ।

खण्ड 39, यथासंशोधित, स्वीकृत हुआ।

खण्ड 40 से 43 स्वीकृत हुए।

खण्ड 44, यथासंशोधित, स्वीकृत हुआ।

खण्ड 45, यथासंशोधित, स्वीकृत हुआ।

खण्ड 46, से 48 स्वीकृत हुए।

खण्ड 49, यथासंशोधित, स्वीकृत हुआ।

खण्ड 50, स्वीकृत हुआ।

खण्ड 51, अस्वीकृत हुआ।

खण्ड 1, यथासंशोधित, स्वीकृत हुआ।

अधिनियमन सूत्र, यथासंशोधित, स्वीकृत हुआ।

विधेयक का पूरा नाम भी स्वीकृत हुआ।

श्री ए॰ राजा ने प्रस्ताव किया कि विधेयक, यथासंशोधित, पारित किया जाए।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ और विधेयक, यथासंशोधित, पारित किया गया।

अपराह्न 3.24 बजे

19. **सरकारी विधेयक—पारित**

लिया गया समय: 2 मिनट

उच्चतम न्यायालय (न्यायाधीश संख्या) संशोधन विधेयक, 2008

श्री हंसराज भारद्वाज ने विधेयक पर विचार किए जाने का प्रस्ताव पेश किया।

विधेयक पर विचार किए जाने के लिए श्री हंसराज भारद्वाज द्वारा पेश किया गया प्रस्ताव स्वीकृत हुआ और विधेयक पर खंड-वार विचार आरम्भ हुआ।

खंड 2 स्वीकृत हुआ।

खंड 1, अधिनियमन सूत्र और विधेयक का पूरा नाम भी स्वीकृत हुए।

श्री हंसराज भारद्वाज ने प्रस्ताव किया कि विधेयक पारित किया जाए।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ और विधेयक पारित किया गया।

(सभा में व्यवधान के कारण लोक सभा पूरे दिन के लिए स्थगित हुई)

अपराह्न 3.26 बजे

(लोक सभा मंगलवार, 23 दिसम्बर, 2008 के पूर्वाह्न 11 बजे तक के लिए स्थगित हुई।)

पी॰ डी॰ टी॰ आचारी
महासचिव।

GMGIPMRND—4635LS(S-5)—22-12-2008.

लोक सभा

समाचार—भाग 1

(कार्यवाही का संक्षिप्त वृत्तांत)

मंगलवार, 23 दिसम्बर, 2008/2 पौष, 1930 (शक)

संख्या 322

पूर्वाह्न 11.00 बजे

1. निधन संबंधी उल्लेख

अध्यक्ष ने सर्वश्री बलदेव सिंह जसरोटिया, सदस्य, छठी लोक सभा और अशफाक हुसैन, सदस्य, सातवीं लोक सभा के निधन के बारे में उल्लेख किया।

तत्पश्चात्, सदस्यगण दिवंगत आत्माओं के सम्मान में थोड़ी देर मौन खड़े रहे।

(सभा में व्यवधान के कारण लोक सभा पूर्वाह्न 11.12 बजे स्थगित हुई तथा मध्याह्न 12.00 बजे पुन: समवेत हुई)

2. प्रश्न

सभा में व्यवधान के कारण तारांकित प्रश्नों को मौखिक उत्तर के लिए नहीं लिया जा सका। अत: आज की कार्य-सूची में सम्मिलित तारांकित प्रश्न संख्या 341—360 को अतारांकित माना गया और उनके उत्तर अतारांकित प्रश्न संख्या 3379—3501, 3503—3538 और 3540—3608 के उत्तरों के साथ आज के कार्यवाही वृतांत में मुद्रित किए जायेंगे।

मध्याह्न 12 बजे

3. सभा पटल पर रखे गए पत्र

निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखे गए:—

(1) (एक) दिल्ली विकास प्राधिकरण, नई दिल्ली के वर्ष 2007-2008 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) दिल्ली विकास प्राधिकरण, नई दिल्ली के वर्ष 2007-2008 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(2) दिल्ली विकास अधिनियम, 1957 की धारा 57 के अंतर्गत जारी अधिसूचना संख्या का॰आ॰ 1452(अ) जो 16 जून, 2008 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था और जिसके द्वारा 24 मार्च, 2008 की अधिसूचना संख्या का॰आ॰ 683(अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(3) कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 619क के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)—

(एक) नार्थ ईस्टर्न रिजनल एग्रीकल्चरल मार्केटिंग कारपोरेशन लिमिटेड, गुवाहाटी के वर्ष 2007-2008 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण।

(दो) नार्थ ईस्टर्न रिजनल एग्रीकल्चरल मार्केटिंग कारपोरेशन लिमिटेड, गुवाहाटी का वर्ष 2007-2008 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

(4) कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 619क के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)—

(क) (एक) सेतुसमुद्रम कारपोरेशन लिमिटेड, चेन्नई के वर्ष 2007-2008 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) सेतुसमुद्रम कारपोरेशन लिमिटेड, चेन्नई का वर्ष 2007-2008 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

(5) (एक) सीमेन्स प्रोविडेन्ट फण्ड आर्गेनाइजेशन, मुंबई के वर्ष 2007-2008 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) सीमेन्स प्रोविडेन्ट फण्ड आर्गेनाइजेशन, मुंबई के वर्ष 2007-2008 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(6) (एक) विशाखापत्तनम पोर्ट ट्रस्ट, विशाखापत्तनम के वर्ष 2007-2008 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(दो) विशाखापत्तनम पोर्ट ट्रस्ट, विशाखापत्तनम के वर्ष 2007-2008 के लेखापरीक्षित लेखाओं पर सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(7) (एक) न्यू मंगलोर पोर्ट ट्रस्ट, मंगलोर के वर्ष 2007-2008 के वार्षिक लेखाओं, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(दो) न्यू मंगलोर पोर्ट ट्रस्ट, मंगलोर के वर्ष 2007-2008 के लेखापरीक्षित लेखाओं पर सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(8) (एक) मुंबई पोर्ट ट्रस्ट पेंशन फण्ड ट्रस्ट, मुंबई के वर्ष 2007-2008 के वार्षिक लेखाओं, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(दो) मुंबई पोर्ट ट्रस्ट पेंशन फण्ड ट्रस्ट, मुंबई के वर्ष 2007-2008 के लेखापरीक्षित लेखाओं पर सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(9) (एक) कोचीन पोर्ट ट्रस्ट, कोचीन के वर्ष 2007-2008 के वार्षिक प्रशासनिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) कोचीन पोर्ट ट्रस्ट, कोचीन के वर्ष 2007-2008 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(10) (एक) कांडला पोर्ट ट्रस्ट के वर्ष 2007-2008 के वार्षिक प्रशासनिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) कांडला पोर्ट ट्रस्ट के वर्ष 2007-2008 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(11) (एक) पारादीप पोर्ट ट्रस्ट, पारादीप के वर्ष 2007-2008 के वार्षिक प्रशासनिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) पारादीप पोर्ट ट्रस्ट, पारादीप के वर्ष 2007-2008 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(12) (एक) मुर्मूगाव पोर्ट ट्रस्ट, मुर्मूगाव के वर्ष 2007-2008 के वार्षिक प्रशासनिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) मुर्मूगाव पोर्ट ट्रस्ट, मुर्मूगाव के वर्ष 2007-2008 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(13) (एक) टैरिफ अथारिटी फार मेजर पोर्ट्स, मुंबई के वर्ष 2007-2008 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(दो) टैरिफ अथारिटी फार मेजर पोर्ट्स, मुंबई के वर्ष 2007-2008 के लेखापरीक्षित लेखाओं पर सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(14) (एक) मुंबई पोर्ट ट्रस्ट, मुंबई के वर्ष 2007-2008 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(दो) मुंबई पोर्ट ट्रस्ट, मुंबई के वर्ष 2007-2008 के लेखापरीक्षित लेखाओं की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(15) (एक) पारादीप पोर्ट ट्रस्ट, पारादीप के वर्ष 2007-2008 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(दो) पारादीप पोर्ट ट्रस्ट, पारादीप के वर्ष 2007-2008 के लेखापरीक्षित लेखाओं की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(16) (एक) मुर्मूगाव पोर्ट ट्रस्ट, मुर्मूगाव के वर्ष 2007-2008 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(दो) मुर्मूगाव पोर्ट ट्रस्ट, मुर्मूगाव के वर्ष 2007-2008 के लेखापरीक्षित लेखाओं की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(17) (एक) कोलकाता पोर्ट ट्रस्ट, कोलकाता के वर्ष 2007-2008 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(दो) कोलकाता पोर्ट ट्रस्ट, कोलकाता के वर्ष 2007-2008 के लेखापरीक्षित लेखाओं की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(18) (एक) कांडला पोर्ट ट्रस्ट के वर्ष 2007-2008 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(दो) कांडला पोर्ट ट्रस्ट के वर्ष 2007-2008 के लेखापरीक्षित लेखाओं की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(19) (एक) विशाखापत्तनम पोर्ट ट्रस्ट, विशाखापत्तनम के वर्ष 2007-2008 के वार्षिक प्रशासनिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) विशाखापत्तनम पोर्ट ट्रस्ट, विशाखापत्तनम के वर्ष 2007-2008 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(20) (एक) कोलकाता पोर्ट ट्रस्ट, कोलकाता के वर्ष 2007-2008 के वार्षिक प्रशासनिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) कोलकाता पोर्ट ट्रस्ट, कोलकाता के वर्ष 2007-2008 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(21) (एक) तूतीकोरिन पोर्ट ट्रस्ट, तूतीकोरिन के वर्ष 2007-2008 के वार्षिक प्रशासनिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) तूतीकोरिन पोर्ट ट्रस्ट, तूतीकोरिन के वर्ष 2007-2008 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(22) (एक) जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्ट, मुंबई के वर्ष 2007-2008 के वार्षिक प्रशासनिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्ट, मुंबई के वर्ष 2007-2008 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(23) (एक) न्यू मंगलोर पोर्ट ट्रस्ट, मंगलोर के वर्ष 2007-2008 के वार्षिक प्रशासनिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) न्यू मंगलोर पोर्ट ट्रस्ट, मंगलोर के वर्ष 2007-2008 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(24) (एक) चेन्नई पोर्ट ट्रस्ट, चेन्नई के वर्ष 2007-2008 के वार्षिक प्रशासनिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) चेन्नई पोर्ट ट्रस्ट, चेन्नई के वर्ष 2007-2008 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(तीन) चेन्नई पोर्ट ट्रस्ट, चेन्नई के वर्ष 2007-2008 के वार्षिक लेखाओं की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(25) (एक) जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्ट, मुंबई के वर्ष 2007-2008 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(दो) जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्ट, मुंबई के वर्ष 2007-2008 के लेखापरीक्षित लेखाओं की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(26) कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 619क की उपधारा (1) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)—

(क) (एक) हिन्दुस्तान कॉपर लिमिटेड, कोलकाता के वर्ष 2007-2008 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) हिन्दुस्तान कॉपर लिमिटेड, कोलकाता का वर्ष 2007-2008 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

(ख) (एक) भारत गोल्ड माइन्स लिमिटेड, औरगम के वर्ष 2007-2008 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) भारत गोल्ड माइन्स लिमिटेड, औरगम का वर्ष 2007-2008 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

(ग) (एक) नेशनल एल्युमिनियम कंपनी लिमिटेड, भुवनेश्वर के वर्ष 2007-2008 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) नेशनल एल्युमिनियम कंपनी लिमिटेड, भुवनेश्वर का वर्ष 2007-2008 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

(घ) (एक) मिनरल एक्सप्लोरेशन कारपोरेशन लिमिटेड, नागपुर के वर्ष 2007-2008 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) मिनरल एक्सप्लोरेशन कारपोरेशन लिमिटेड, नागपुर का वर्ष 2007-2008 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

(27) (एक) नेशनल इंस्टिट्यूट ऑफ रॉक मेकेनिक्स, कोलार गोल्ड फील्ड्स के वर्ष 2007-2008 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) नेशनल इंस्टिट्यूट ऑफ रॉक मेकेनिक्स, कोलार गोल्ड फील्ड्स के वर्ष 2007-2008 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(28) (एक) जवाहरलाल नेहरू एल्युमिनियम रिसर्च डेवलपमेंट एण्ड डिजाइन सेंटर, नागपुर के वर्ष 2007-2008 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) जवाहरलाल नेहरू एल्युमिनियम रिसर्च डेवलपमेंट एण्ड डिजाइन सेंटर, नागपुर के वर्ष 2007-2008 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(29) (एक) कयर बोर्ड, कोच्चि के वर्ष 2007-2008 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) कयर बोर्ड, कोच्चि के वर्ष 2007-2008 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(तीन) कयर बोर्ड, कोच्चि के वर्ष 2007-2008 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(30) कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 619क की उपधारा (1) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)—

(एक) सेंट्रल इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 2007-2008 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण।

(दो) सेंट्रल इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, नई दिल्ली का वर्ष 2007-2008 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

(31) कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 642 की उपधारा (3) के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)—

(एक) निवेशक शिक्षा और संरक्षण निधि (निवेशकों की जागरूकता और सुरक्षा) नियम, 2008 जो 14 नवम्बर, 2008 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा॰का॰नि॰ 787(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(दो) कंपनी (केन्द्रीय सरकार के) सामान्य नियम और प्रपत्र (दूसरा संशोधन) नियम, 2008 जो 14 नवम्बर, 2008 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा॰का॰नि॰ 788(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(तीन) कंपनी (केन्द्रीय सरकार के) सामान्य नियम और प्रपत्र (तीसरा संशोधन) नियम, 2008 जो 28 नवम्बर, 2008 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा॰का॰नि॰ 824(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(चार) कंपनी (केन्द्रीय सरकार के) सामान्य नियम और प्रपत्र (चौथा संशोधन) नियम, 2008 जो 4 दिसम्बर, 2008 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा॰का॰नि॰ 835(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(32) कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 619क की उपधारा(1) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)—

(एक) हाउसिंग एण्ड अर्बन डेवलपमेंट कारपोरेशन लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 2007-2008 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण।

(दो) हाउसिंग एण्ड अर्बन डेवलपमेंट कारपोरेशन लिमिटेड, नई दिल्ली का वर्ष 2007-2008 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

(33) कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 619क की उपधारा(1) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)—

(क) (एक) फर्टिलाईजर कारपोरेशन आफ इंडिया लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 2007-2008 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) फर्टिलाईजर कारपोरेशन आफ इंडिया लिमिटेड, नई दिल्ली का वर्ष 2007-2008 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

(ख) (एक) मद्रास फर्टिलाईजर्स लिमिटेड, तमिलनाडु के वर्ष 2007-2008 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) मद्रास फर्टिलाईजर्स लिमिटेड, तमिलनाडु का वर्ष 2007-2008 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

(ग) (एक) प्रोजेक्ट्स एण्ड डेवलपमेंट इंडिया लिमिटेड, नोएडा के वर्ष 2007-2008 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) प्रोजेक्ट्स एण्ड डेवलपमेंट इंडिया लिमिटेड, नोएडा का वर्ष 2007-2008 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

(34) (एक) सेंट्रल इंस्टिट्यूट आंफ प्लास्टिक्स इंजीनियरिंग एण्ड टेक्नालाजी, चेन्नई के वर्ष 2007-2008 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) सेंट्रल इंस्टिट्यूट ऑफ प्लास्टिक्स इंजीनियरिंग एण्ड टेक्नालाजी, चेन्नई के वर्ष 2007-2008 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(35) हिन्दुस्तान एंटीबायोटिक्स लिमिटेड के वर्ष 2007-2008 के वार्षिक प्रतिवेदन तथा लेखापरीक्षित लेखाओं को लेखा वर्ष की समाप्ति के पश्चात् नौ माह की निर्धारित अवधि के भीतर सभा पटल पर न रखे जाने के कारणों को बताने वाले विवरण की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(36) बंगाल केमिकल्स एण्ड फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड के वर्ष 2006-2007 के वार्षिक प्रतिवेदन तथा लेखापरीक्षित लेखाओं को लेखा वर्ष की समाप्ति के पश्चात् नौ माह की निर्धारित अवधि के भीतर सभा पटल पर न रखे जाने के कारणों को बताने वाले विवरण की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(37) (एक) ऑल इंडिया इंस्टिट्यूट आफ स्पीच एण्ड हीयरिंग, मैसूर के वर्ष 2007-2008 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) ऑल इंडिया इंस्टिट्यूट ऑफ स्पीच एण्ड हीयरिंग, मैसूर के वर्ष 2007-2008 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(38) (एक) नेशनल एकेडमी ऑफ मेडिकल साइंसेस, नई दिल्ली के वर्ष 2007-2008 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) नेशनल एकेडमी ऑफ मेडिकल साइंसेस, नई दिल्ली के वर्ष 2007-2008 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(39) (एक) महात्मा गांधी इंस्टिट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज, वर्धा के वर्ष 2007-2008 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) महात्मा गांधी इंस्टिट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज, वर्धा के वर्ष 2007-2008 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(40) (एक) नेशनल इंस्टिट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ एण्ड न्यूरो साइंसेज, बंगलौर के वर्ष 2007-2008 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) नेशनल इंस्टिट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ एण्ड न्यूरो साइंसेज, बंगलौर के वर्ष 2007-2008 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(41) (एक) फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया, नई दिल्ली के वर्ष 2007-2008 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया, नई दिल्ली के वर्ष 2007-2008 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(42) (एक) लोकोप्रिय गोपीनाथ बारदुलाई रिजनल इंस्टिट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ, तेजपुर के वर्ष 2007-2008 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) लोकोप्रिय गोपीनाथ बारदुलाई रिजनल इंस्टिट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ, तेजपुर के वर्ष 2007-2008 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(43) (एक) डेन्टल काउंसिल ऑफ इंडिया, नई दिल्ली के वर्ष 2007-2008 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) डेन्टल काउंसिल ऑफ इंडिया, नई दिल्ली के वर्ष 2007-2008 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(44) भारतीय नर्स परिषद अधिनियम, 1947 की धारा 16 की उपधारा (3) के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)—

(एक) बेसिक बी॰एससी॰ नर्सिंग पाठ्यक्रम-संशोधित विनियम, 2004 जो 2 सितम्बर, 2006 के भारत के साप्ताहिक राजपत्र में अधिसूचना संख्या एफ॰सं॰ 11-1/2006-आईएनसी में प्रकाशित हुए थे।

(दो) बेसिक बी॰एससी॰ नर्सिंग पाठ्यक्रम-संशोधित विनियम, 2001 जो 23 सितम्बर, 2006 के भारत के साप्ताहिक राजपत्र में अधिसूचना संख्या एफ॰सं॰ 11-1/2006-आईएनसी में प्रकाशित हुए थे।

(तीन) आपातकाल और आपदा नर्सिंग में बेसिकोत्तर डिप्लोमा विनियम, 2005 जो 2 जून, 2007 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या एफ॰सं॰ 11-1/2007-आईएनसी में प्रकाशित हुए थे।

(चार) कैंसरशास्त्र नर्सिंग में बेसिकोत्तर डिप्लोमा विनियम, 2005 जो 2 जून, 2007 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या एफ०सं० 11-1/2007-आईएनसी में प्रकाशित हुए थे।

(पांच) गहन देखरेख नर्सिंग में बेसिकोत्तर डिप्लोमा विनियम, 2005 जो 2 जून, 2007 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या एफ०सं० 11-1/2007-आईएनसी में प्रकाशित हुए थे।

(छह) नर्स सहायिका और मिडवाइव्स का संशोधित पाठ्यक्रम और विनियम, 2006 जो 2 जनवरी, 2007 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या एफ०सं० 11-1/2007-आईएनसी में प्रकाशित हुए थे।

(सात) स्नातकोत्तर विज्ञान (नर्सिंग), 2008 जो 15 अप्रैल, 2008 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या एफ०सं० 11-1/2007-आईएनसी में प्रकाशित हुए थे।

(आठ) नर्सिंग महाविद्यालय स्थापित करने हेतु विनियम जो 8 अक्तूबर, 2008 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या एफ०सं० 11-1/2007-आईएनसी में प्रकाशित हुए थे।

(45) मानव अंग प्रतिरोपण अधिनियम, 1994 की धारा 24 की उपधारा (3) के अंतर्गत मानव अंग प्रतिरोपण (संशोधन) नियम, 2008 जो 4 अगस्त, 2008 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा०का०नि० 571(अ) में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(46) कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 619क की उपधारा (1) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)—

(क) (एक) एचएससीसी (इंडिया) लिमिटेड, नोएडा के वर्ष 2007-2008 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) एचएससीसी (इंडिया) लिमिटेड, नोएडा का वर्ष 2007-2008 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

(ख) (एक) इंडियन मेडिसिन्स फार्मास्यूटिकल कारपोरेशन लिमिटेड, अल्मोड़ा के वर्ष 2006-2007 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) इंडियन मेडिसिन्स फार्मास्यूटिकल कारपोरेशन लिमिटेड, अल्मोड़ा का वर्ष 2006-2007 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

(47) उपर्युक्त (46) की मद संख्या (ख) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण(हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(48) (एक) पास्चर इंस्टिट्यूट आफ इंडिया, कून्नूर के वर्ष 2007-2008 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) पास्चर इंस्टिट्यूट आफ इंडिया, कून्नूर के वर्ष 2007-2008 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(49) (एक) इंटरनेशनल इंस्टिट्यूट फार पोपुलेशन साइंसेज, मुंबई के वर्ष 2007-2008 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) इंटरनेशनल इंस्टिट्यूट फार पोपुलेशन साइंसेज, मुंबई के वर्ष 2007-2008 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(50) (एक) सेंट्रल काउंसिल फार रिसर्च आयुर्वेद एण्ड सिद्ध, नई दिल्ली के वर्ष 2007-2008 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) सेंट्रल काउंसिल फार रिसर्च आयुर्वेद एण्ड सिद्ध, नई दिल्ली के वर्ष 2007-2008 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(तीन) सेंट्रल काउंसिल फार रिसर्च आयुर्वेद एण्ड सिद्ध, नई दिल्ली के वर्ष 2007-2008 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(51) (एक) नॉर्थ इस्टर्न इंदिरा गांधी रीजनल इंस्टिट्यूट ऑफ हेल्थ एण्ड मेडिकल साइंसेज, शिलांग के वर्ष 2006-2007 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) नॉर्थ इस्टर्न इंदिरा गांधी रीजनल इंस्टिट्यूट ऑफ हेल्थ एण्ड मेडिकल साइंसेज, शिलांग के वर्ष 2006-2007 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(52) उपर्युक्त (51) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(53) (एक) नॉर्थ इस्टर्न इंदिरा गांधी रीजनल इंस्टिट्यूट ऑफ हेल्थ एण्ड मेडिकल साइंसेज, शिलांग के वर्ष 2007-2008 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) नॉर्थ इस्टर्न इंदिरा गांधी रीनजल इंस्टिट्यूट ऑफ हेल्थ एण्ड मेडिकल साइंसेज, शिलांग के वर्ष 2007-2008 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(54) इंडियन रेड क्रॉस सोसायटी के वर्ष 2004-2005, 2005-2006, 2006-2007 और 2007-2008, इंडियन मेडिसिन्स फार्मास्यूटिकल कारपोरेशन लिमिटेड के वर्ष 2006-2007 और 2007-2008 तथा उसमें उल्लिखित 30 अन्य संगठनों के वर्ष 2007-2008 के वार्षिक प्रतिवेदन तथा लेखापरीक्षित लेखाओं का संबंधित लेखा वर्ष की समाप्ति के पश्चात् नौ माह की निर्धारित अवधि के भीतर सभा पटल पर न रखे जाने के कारणों को दर्शाने वाले विवरण की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

*(55) कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 619क की उपधारा (1) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(क) (एक) सिंगरेनी कोलियरीज कंपनी लिमिटेड, खम्माम के वर्ष 2007-2008 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) सिंगरेनी कोलियरीज कंपनी लिमिटेड, खम्माम का वर्ष 2007-2008 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

(ख) (एक) कोल इंडिया लिमिटेड, बर्दवान के वर्ष 2007-2008 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) कोल इंडिया लिमिटेड, बर्दवान का वर्ष 2007-2008 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

(56) कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 619क की उपधारा (1) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)—

(क) (एक) रिहैबिलिटेशन प्लांटेशंस लिमिटेड, पुनलूर के वर्ष 2007-2008 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

---

*अपराह्न 2.00 बजे

(दो) रिहैबिलिटेशन प्लांटेशंस लिमिटेड, पुनलूर का वर्ष 2007-2008 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

(ख) (एक) रेपको बैंक लिमिटेड, (रिपैट्रिएट्स कोआपरेटिव फाइनेंस एण्ड डेवलपमेंट बैंक लिमिटेड), चेन्नई के वर्ष 2007-2008 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति।

(दो) रेपको बैंक लिमिटेड, (रिपैट्रिएट्स कोआपरेटिव फाइनेंस एण्ड डेवलपमेंट बैंक लिमिटेड), चेन्नई का वर्ष 2007-2008 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

(57) राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 की धारा 10 के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)—

(एक) का॰आ॰ 2402(अ) जो 3 अक्तूबर, 2008 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो उड़ीसा राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 215 (पानीकोइली-रिमूली खण्ड) के निर्माण (चौड़ा करने/चार लेन वाला बनाने, आदि), अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।

(दो) का॰आ॰ 2588(अ) से का॰आ॰ 2590(अ) जो 3 नवम्बर, 2008 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जो पंजाब राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 1 (जालंधर-अमृतसर खण्ड) के विभिन्न भागों के निर्माण (चौड़ा करने/चार लेन वाला बनाने, आदि), अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।

(तीन) का॰आ॰ 2276(अ) जो 25 सितम्बर, 2008 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसमें 3 अप्रैल, 2008 की अधिसूचना संख्या का॰आ॰ 808(अ) का शुद्धिपत्र दिया हुआ है।

(चार) का॰आ॰ 2277(अ) जो 3 अप्रैल, 2008 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसमें 3 अप्रैल, 2008 की अधिसूचना संख्या का॰आ॰ 809(अ) का शुद्धिपत्र दिया हुआ है।

(पांच) का॰आ॰ 2465(अ) और का॰आ॰ 2466(अ) जो 17 अक्तूबर, 2008 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिसके द्वारा 22 जुलाई, 2008 की अधिसूचना संख्या का॰आ॰ 1747(अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं।

(छह) का॰आ॰ 2467(अ) जो 17 अक्तूबर, 2008 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो असम राज्य में बाईपास निर्माण तथा पुर:संरेखन सहित राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 54 (सिलचर-हरंगाजाव खण्ड) के निर्माण (चौड़ा करने/चार लेन वाला बनाने, आदि), अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।

(सात) का॰आ॰ 2514(अ) जो 24 अक्तूबर, 2008 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा 19 मई, 2004 की अधिसूचना संख्या का॰आ॰ 601(अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं।

(आठ) का॰आ॰ 2515(अ) जो 24 अक्तूबर, 2008 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो असम राज्य में लंका बाईपास के निर्माण सहित राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 54 के निर्माण (चौड़ा करने/चार लेन वाला बनाने, आदि), अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।

(नौ) का॰आ॰ 2516(अ) जो 24 अक्तूबर, 2008 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा 20 मई, 2004 की अधिसूचना संख्या का॰आ॰ 601(अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं।

(58) केन्द्रीय मोटर यान अधिनियम, 1988 की धारा 212 की उपधारा (4) के अंतर्गत केन्द्रीय मोटर यान (दूसरा संशोधन) नियम, 2008, जो 12 नवम्बर, 2008 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा॰का॰नि॰ 784(अ) में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(59) भारत-तिब्बत सीमा पुलिस बल अधिनियम, 1992 की धारा 156 की उप-धारा (3) के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)—

(एक) भारत-तिब्बत सीमा पुलिस बल (समूह 'ख' और 'ग' पद) हिन्दी अनुवादक भर्ती नियम, 2008, जो 7 जुलाई, 2008 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा॰का॰नि॰ 501(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(दो) भारत-तिब्बत सीमा पुलिस बल दूरसंचार संवर्ग (समूह 'क' और 'ख' पद) भर्ती (संशोधन) नियम, 2008, जो 7 जुलाई, 2008 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा॰का॰नि॰ 502(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(तीन) भारत-तिब्बत सीमा पुलिस बल, पशु परिवहन संवर्ग (अराजपत्रित) भर्ती (संशोधन) नियम, 2008, जो 20 जून, 2008 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा॰का॰नि॰ 468(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(चार) भारत-तिब्बत सीमा पुलिस बल, सामान्य ड्यूटी संवर्ग (समूह 'ख' और 'ग' पद) भर्ती (संशोधन) नियम, 2008, जो 20 नवम्बर, 2008 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा॰का॰नि॰ 804(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(60) उपर्युक्त (59) की मद संख्या (एक) से (तीन) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाले विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(61) सीमा सुरक्षा बल अधिनियम, 1968 की धारा 141 की उप-धारा (3) के अंतर्गत सीमा सुरक्षा बल, एयर विंग सूबेदार (स्टोर मैन) भर्ती नियम, 2007 जो 3 नवम्बर, 2007 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा॰का॰नि॰ 228 में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(62) उपर्युक्त (61) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(63) (एक) सिविल सर्विसेज सोसायटी, नई दिल्ली के वर्ष 2007-2008 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) सिविल सर्विसेज सोसायटी, नई दिल्ली के वर्ष 2007-2008 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(64) (एक) टाटा इंस्टिट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च, मुंबई के वर्ष 2007-2008 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) टाटा इंस्टिट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च, मुंबई के वर्ष 2007-2008 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(65) (एक) सेंट्रल सिविल सर्विसेज कल्चरल एण्ड स्पोर्ट्स बोर्ड, नई दिल्ली के वर्ष 2007-2008 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) सेंट्रल सिविल सर्विसेज कल्चरल एण्ड स्पोर्ट्स बोर्ड, नई दिल्ली के वर्ष 2007-2008 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(66) (एक) केन्द्रीय भंडार, नई दिल्ली के वर्ष 2007-2008 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) केन्द्रीय भण्डार, नई दिल्ली के वर्ष 2007-2008 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(67) केन्द्रीय सतर्कता आयोग अधिनियम, 2003 की धारा 14 की उपधारा (3) के अंतर्गत केन्द्रीय सतर्कता आयोग, नई दिल्ली के वर्ष 2007 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(68) अप्रैल, 2007-मार्च, 2008 तक की अवधि के लिए राष्ट्रीय ग्रामीण नियोजन गारंटी अधिनियम, 2005 के प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(69) (एक) राष्ट्रीय शिक्षा अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद, नई दिल्ली के वर्ष 2007-2008 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) राष्ट्रीय शिक्षा अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद, नई दिल्ली के वर्ष 2007-2008 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(तीन) राष्ट्रीय शिक्षा अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद, नई दिल्ली के वर्ष 2007-2008 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(70) (एक) सर्वशिक्षा अभियान, गंगटोक के वर्ष 2003-2004 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) सर्वशिक्षा अभियान, गंगटोक के वर्ष 2003-2004 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(71) उपर्युक्त (70) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(72) (एक) सेंट्रल तिब्बतन स्कूल्स एडमिनिस्ट्रेशन, दिल्ली के वर्ष 2007-2008 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) सेंट्रल तिब्बतन स्कूल्स एडमिनिस्ट्रेशन, दिल्ली के वर्ष 2007-2008 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(तीन) सेंट्रल तिब्बतन स्कूल्स एडमिनिस्ट्रेशन, दिल्ली के वर्ष 2007-2008 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(73) राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद अधिनियम, 1993 की धारा 33 के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)—

(एक) राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद (कार्यकारी समिति को प्रकार्यों का समनुदेशन) विनियम, 2007 जो 20 अगस्त, 2007 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या एफ॰सं॰ 34-2/2005/एनसीटीई/सीडीएन में प्रकाशित हुए थे।

(दो) राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद (मानदण्ड और प्रक्रिया मान्यता) विनियम, 2007 जो 10 दिसम्बर, 2007 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या एफ॰सं॰ 51-1/2007/एनसीटीई/(एन एण्ड एस) में प्रकाशित हुए थे।

(74) उपर्युक्त (73) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाले दो विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(75) (एक) नेशनल इंस्टिट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग, नोएडा के वर्ष 2007-2008 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) नेशनल इंस्टिट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग, नोएडा के वर्ष 2007-2008 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(तीन) नेशनल इंस्टिट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग, नोएडा के वर्ष 2007-2008 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(76) आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 296 के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):—

(एक) आयकर (सातवां संशोधन) नियम, 2008 जो 10 अक्तूबर, 2008 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या का॰आ॰ 2431(अ) में प्रकाशित हुए थे तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(दो) आयकर (आठवां संशोधन) नियम, 2008 जो 22 अक्तूबर, 2008 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या का॰आ॰ 2498(अ) में प्रकाशित हुए थे तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(77) आयकर अधिनियम, 1961 के अंतर्गत जारी अधिसूचना संख्या का॰आ॰ 2085(अ) जो 21 अगस्त, 2008 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जिसके द्वारा उक्त अधिनियम की धारा 194ञ के प्रयोजनार्थ उसमें उल्लिखित व्यक्तियों द्वारा दी गई सेवाओं को ''व्यावसायिक सेवाओं'' के रूप में खेलकूद गतिविधियों के संबंध

में अधिसूचित किया गया है, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(78) सीमा-शुल्क अधिनियम, 1962 की धारा 159 के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) :—

(एक) का॰आ॰ 2459(अ) जो 16 अक्तूबर, 2008 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा 3 अगस्त, 2001 की अधिसूचना संख्या 36/2001-सी॰शु॰ (एनटी) में कतिपय संशोधन किए गए हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(दो) का॰आ॰ 2526(अ) जो 24 अक्तूबर, 2008 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा 26 सितम्बर, 2008 की अधिसूचना संख्या 111/2008-सी॰शु॰ (एनटी) में कतिपय संशोधन किए गए हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(तीन) का॰आ॰ 2546(अ) जो 29 अक्तूबर, 2008 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो आयातित और निर्यात माल के मूल्यांकन प्रयोजनार्थ कतिपय विदेशी मुद्राओं को भारतीय मुद्रा में या भारतीय मुद्रा को विदेशी मुद्रा में परिवर्तन के लिए संशोधित विनिमय दरों के बारे में है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(चार) का॰आ॰ 2577(अ) जो 31 अक्तूबर, 2008 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा 3 अगस्त, 2001 की अधिसूचना संख्या 36/2001-सी॰शु॰ (एनटी) में कतिपय संशोधन किए गए हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(पांच) का॰आ॰ 2667(अ) जो 17 नवम्बर, 2008 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा 3 अगस्त, 2001 की अधिसूचना संख्या 36/2001-सी॰शु॰ (एनटी) में कतिपय संशोधन किए गए हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(छह) का॰आ॰ 2693(अ) जो 18 नवम्बर, 2008 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा 29 अक्तूबर, 2008 की अधिसूचना संख्या 115/2008-सी॰शु॰ (एनटी) में कतिपय संशोधन किए गए हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(सात) का॰आ॰ 2734(अ) जो 25 नवम्बर, 2008 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो आयातित और निर्यात माल के मूल्यांकन प्रयोजनार्थ

कतिपय विदेशी मुद्राओं को भारतीय मुद्रा में अथवा विलोमत: परिवर्तन के लिए संशोधित विनिमय दरों के बारे में है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(79) नि:शक्त व्यक्ति (समान अवसर, अधिकार संरक्षण और पूर्ण भागीदारी) अधिनियम, 1995 की धारा 73 की उपधारा (3) के अंतर्गत नि:शक्त व्यक्तियों के लिए मुख्य आयुक्त का कार्यालय भर्ती नियम, 2007 जो 2 अगस्त, 2007 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा॰का॰नि॰ 525(अ) में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(80) उपर्युक्त (79) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(81) भारतीय तार अधिनियम, 1885 की धारा 7 की उपधारा (5) के अंतर्गत रेडियो आवृति पहचान युक्ति (आरएफआईडी) के लिए आवृति बैण्ड 865-867 मेगाहर्ट्ज में न्यून विद्युत उपस्कर का प्रयोग (अनुज्ञापन अपेक्षा से छूट) संशोधन नियम, 2008 जो 30 जुलाई, 2008 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा॰का॰नि॰ 564(अ) में प्रकाशित हुए थे, एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(82) कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 619क की उपधारा (1) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)—

(क) (एक) भारत भारी उद्योग निगम लिमिटेड, कोलकाता तथा उसकी समनुषंगी के वर्ष 2007-2008 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) भारत भारी उद्योग निगम लिमिटेड, कोलकाता तथा उसकी समनुषंगी का वर्ष 2007-2008 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

(ख) (एक) एन्ड्रयू यूल एण्ड कंपनी लिमिटेड, कोलकाता तथा उसकी समनुषंगी के वर्ष 2007-2008 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) एन्ड्रयू यूल एण्ड कंपनी लिमिटेड, कोलकाता तथा उसकी समनुषंगी के वर्ष 2007-2008 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षिक की टिप्पणियां।

(83) जैव विविधता अधिनियम, 2002 की धारा 61 के अंतर्गत अधिसूचना संख्या का॰आ॰ 2708 (अ) जो 21 नवम्बर, 2008 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा उक्त अधिसूचना के कॉलम तीन में विनिर्दिष्ट न्यायाधिकार क्षेत्रों के भीतर जैव विविधता अधिनियम, 2002 के अंतर्गत दंडनीय अपराधों के संबंध

में शिकायतों को दर्ज करने के लिए अधिसूचना के कॉलम 2 में दिए गए अधिकारियों को प्राधिकृत किया गया है, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(84) कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 619क की उपधारा (1) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)—

(क) (एक) भारतीय साधारण बीमा निगम, मुंबई के वर्ष 2007-2008 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) भारतीय साधारण बीमा निगम, मुंबई का वर्ष 2007-2008 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षिक की टिप्पणियां।

(ख) (एक) न्यू इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड, मुंबई के वर्ष 2007-2008 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) न्यू इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड, मुंबई का वर्ष 2007-2008 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षिक की टिप्पणियां।

(85) मध्यवर्षीय समीक्षा 2008-2009 की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(86) बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) अधिनियम, 1970 की धारा 19 की उपधारा 4 के अंतर्गत पंजाब नेशनल 'बैंक अधिकारी कर्मचारी' (अनुशासन और अपील) (संशोधन) विनियम, 2008 जो 13 सितम्बर, 2008 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या पीएनबी/डीएसी/पी/2/2008 में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(87) भारतीय जीवन बीमा अधिनियम, 1956 की धारा 48 की उपधारा (3) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):—

(एक) भारतीय जीवन बीमा निगम अध्यक्ष (सेवा के कतिपय निबंधन और शर्तें) (संशोधन) नियम, 2008 जो 26 नवम्बर, 2008 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा०का०नि० 819(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(दो) भारतीय जीवन बीमा निगम प्रबंध निदेशक (सेवा के कतिपय निबंधन और शर्तों का पुनरीक्षण) (संशोधन) नियम, 2008 जो 26 नवम्बर, 2008 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा०का०नि० 820(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(88) बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण अधिनियम, 1999 की धारा 27 के अंतर्गत बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण (अध्यक्ष और अन्य सदस्यों को

संदेय वेतन और भत्ते तथा सेवा के अन्य निबंधन और शर्तें) संशोधन नियम, 2008 जो 1 दिसम्बर, 2008 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा॰का॰नि॰ 827(अ) में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(89) साधारण बीमा कारबार (राष्ट्रीयकरण) अधिनियम, 1972 की धारा 17 क (5) के अंतर्गत साधारण बीमा (अधिकारियों के वेतनमानों और सेवा की अन्य शर्तों का युक्तिकरण) संशोधन स्कीम, 2008 जो 26 नवम्बर, 2008 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या का॰आ॰ 2742 (अ) में प्रकाशित हुई थी, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(90) 31 मार्च, 2008 की स्थिति के अनुसार सरकारी क्षेत्र के बैंकों के कार्यकरण के बारे में समेकित प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(91) (एक) नेशनल इंस्टिट्यूट ऑफ डिजाईन के वर्ष 2007-2008 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) नेशनल इंस्टिट्यूट ऑफ डिजाईन के वर्ष 2007-2008 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(92) (एक) सेन्ट्रल मैन्यूफैक्चरिंग टेक्नीकल इंस्टिट्यूट, बंगलौर के वर्ष 2007-2008 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) सेन्ट्रल मैन्यूफैक्चरिंग टेक्नीकल इंस्टिट्यूट, बंगलौर के वर्ष 2007-2008 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(93) (एक) सेन्ट्रल पल्प रिसर्च इंस्टिट्यूट, सहारनपुर के वर्ष 2007-2008 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) सेन्ट्रल पल्प रिसर्च इंस्टिट्यूट, सहारनपुर के वर्ष 2007-2008 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(94) (एक) भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, कानपुर के वर्ष 2006-2007 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, कानपुर के वर्ष 2006-2007 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(तीन) भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, कानपुर के वर्ष 2006-2007 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(95) उपर्युक्त (94) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(96) (एक) नेशनल काउंसिल ऑफ रूरल इंस्टिट्यूट, हैदराबाद के वर्ष 2007-2008 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) नेशनल काउंसिल ऑफ रूरल इंस्टिट्यूट, हैदराबाद के वर्ष 2007-2008 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(97) (एक) नेशनल काउंसिल फॉर प्रमोशन ऑफ सिन्धी लैंग्वेज, बड़ोदरा के वर्ष 2005-2006 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) नेशनल काउंसिल फॉर प्रमोशन ऑफ सिन्धी लैंग्वेज, बड़ोदरा के वर्ष 2005-2006 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(तीन) नेशनल काउंसिल फॉर प्रमोशन ऑफ सिन्धी लैंग्वेज, बड़ोदरा के वर्ष 2005-2006 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(चार) नेशनल काउंसिल फॉर प्रमोशन ऑफ सिन्धी लैंग्वेज, बड़ोदरा के वर्ष 2005-2006 के लेखापरीक्षित लेखाओं की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(98) उपर्युक्त (97) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(99) (एक) नेशनल इंस्टिट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, पटना के वर्ष 2005-2006 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) नेशनल इंस्टिट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, पटना के वर्ष 2005-2006 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(100) उपर्युक्त (99) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(101) (एक) नेशनल इंस्टिट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, पटना के वर्ष 2006-2007 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) नेशनल इंस्टिट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, पटना के वर्ष 2006-2007 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(102) उपर्युक्त (101) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(103) (एक) नेशनल इंस्टिट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, मद्रास के वर्ष 2007-2008 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) नेशनल इंस्टिट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, मद्रास के वर्ष 2007-2008 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(104) (एक) नेशनल इंस्टिट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, कानपुर के वर्ष 2007-2008 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) नेशनल इंस्टिट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, कानपुर के वर्ष 2007-2008 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(105) (एक) नेशनल इंस्टिट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, खड़गपुर के वर्ष 2007-2008 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) नेशनल इंस्टिट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, खड़गपुर के वर्ष 2007-2008 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(106) (एक) नेशनल इंस्टिट्यूट ऑफ टेक्नालॉजी, कानपुर के वर्ष 2007-2008 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) नेशनल इंस्टिट्यूट ऑफ टेक्नालॉजी, कानपुर के वर्ष 2007-2008 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(107) (एक) मौलाना आजाद राष्ट्रीय उर्दू विश्वविद्यालय, हैदराबाद के वर्ष 2007-2008 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) मौलाना आजाद राष्ट्रीय उर्दू विश्वविद्यालय, हैदराबाद के वर्ष 2007–2008 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(तीन) मौलाना आजाद राष्ट्रीय उर्दू विश्वविद्यालय, हैदराबाद के वर्ष 2007–2008 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(108) (एक) इंडियन काउंसिल ऑफ सोशल साइंस रिसर्च, नई दिल्ली के वर्ष 2007–2008 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) इंडियन काउंसिल ऑफ सोशल साइंस रिसर्च, नई दिल्ली के वर्ष 2007–2008 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(109) पांडिचेरी विश्वविद्यालय, पांडिचेरी के वर्ष 2007–2008 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(110) जामिया मिलिया इस्लामिया, नई दिल्ली के वर्ष 2007–2008 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(111) तेजपुर विश्वविद्यालय के वर्ष 2007–2008 के वार्षिक प्रतिवेदन और लेखा परीक्षित लेखाओं के लेखा वर्ष की समाप्ति के पश्चात् 9 महीनों की निर्धारित अवधि के भीतर सभा पटल पर न रखे जाने के कारणों को बताने वाले विवरण की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(112) राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान अधिनियम, 2007 के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)—

(एक) का॰आ॰ 893(अ) जो 17 अप्रैल, 2008 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा सभी संस्थानों के लिए राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान अधिनियम, 2007 की अनुसूची के कॉलम 3 में विनिर्दिष्ट परिषद की स्थापना की गई है जिसमें उसमें उल्लिखित अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और सदस्य और सदस्य सचिव होंगे।

(दो) राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान (एनआईटी) (रजिस्ट्रार) भर्ती नियम, 2008 जो 1 जुलाई, 2008 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा॰का॰नि॰ 488(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(तीन) का॰आ॰ 1128(अ) जो 13 मई, 2008 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, जमशेदपुर (झारखण्ड) के निदेशक के पद का अस्थायी प्रभार राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, राउरकेला (उड़ीसा) के निदेशक को सौंपे जाने का उपबंध किया गया है।

(चार) अधिसूचना संख्या 22-7-2006 टीएस-तीन जो 19 जुलाई, 2008 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिसके द्वारा उसमें उल्लिखित एनआईआईटी में निदेशक के पद को ग्रहण करने की तारीख से 5 वर्ष की अवधि के लिए कालावधि आधार पर, या अगले आदेशों तक नियुक्त किया गया है।

(113) कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 619क की उपधारा (1) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)—

(क) (एक) एक्सपोर्ट क्रेडिट गारंटी कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, मुंबई के वर्ष 2007-2008 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) एक्सपोर्ट क्रेडिट गारंटी कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, मुंबई का वर्ष 2007-2008 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

(ख) (एक) स्टेट ट्रेडिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 2007-2008 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) स्टेट ट्रेडिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 2007-2008 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

(114) (एक) चाय बोर्ड, कोलकाता के वर्ष 2007-2008 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) चाय बोर्ड, कोलकाता के वर्ष 2007-2008 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(115) (एक) इंडियन डायमंड इंस्टिट्यूट, सूरत के वर्ष 2007-2008 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) इंडियन डायमंड इंस्टिट्यूट, सूरत के वर्ष 2007-2008 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(116) (एक) जेम एण्ड ज्वेलरी एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल, मुम्बई के वर्ष 2007-2008 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) जेम एण्ड ज्वेलरी एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल, मुम्बई के वर्ष 2007-2008 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(117) (एक) मेरीन प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट डेवलपमेंट ऑथोरिटी, कोचि के वर्ष 2007-2008 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) मेरीन प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट डेवलपमेंट ऑथोरिटी, कोचि के वर्ष 2007-2008 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(118) (एक) एग्रीकल्चरल एण्ड प्रोसेस्ड फूड प्रोडक्ट्स डेवलपमेंट ऑथारिटी, नई दिल्ली के वर्ष 2007-2008 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) एग्रीकल्चरल एण्ड प्रोसेस्ड फूड प्रोडक्ट्स डेवलपमेंट ऑथारिटी, नई दिल्ली के वर्ष 2007-2008 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(तीन) एग्रीकल्चरल एण्ड प्रोसेस्ड फूड प्रोडक्ट्स डेवलपमेंट ऑथारिटी, नई दिल्ली के वर्ष 2007-2008 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(119) (एक) कॉफी बोर्ड, बंगलौर के वर्ष 2007-2008 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) कॉफी बोर्ड, बंगलौर के वर्ष 2007-2008 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(तीन) कॉफी बोर्ड, बंगलौर के वर्ष 2007-2008 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(120) (एक) रबड़ बोर्ड, कोट्टायम के वर्ष 2007-2008 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) रबड़ बोर्ड, कोट्टायम के वर्ष 2007-2008 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(तीन) रबड़ बोर्ड, कोट्टायम के वर्ष 2007–2008 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(121) विशेष आर्थिक जोन अधिनियम, 2005 की धारा 55 की उपधारा (3) के अंतर्गत विशेष आर्थिक जोन (संशोधन) नियम, 2008 जो 14 नवम्बर, 2008 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या का॰आ॰ 2661(अ) में प्रकाशित हुए थे की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(122) (एक) इंडियन प्लाईवुड इंडस्ट्रीज रिसर्च एण्ड ट्रेनिंग इंस्टिट्यूट, बंगलौर के वर्ष 2007–2008 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) इंडियन प्लाईवुड इंडस्ट्रीज रिसर्च एण्ड ट्रेनिंग इंस्टिट्यूट, बंगलौर के वर्ष 2007–2008 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(123) (एक) इंडियन काउंसिल ऑफ फॉरेस्ट्री रिसर्च एण्ड एजूकेशन, देहरादून के वर्ष 2007–2008 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) इंडियन काउंसिल ऑफ फॉरेस्ट्री रिसर्च एण्ड एजूकेशन, देहरादून के वर्ष 2007–2008 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(124) (एक) सेन्ट्रल जू ऑथारिटी, नई दिल्ली के वर्ष 2007–2008 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) सेन्ट्रल जू ऑथारिटी, नई दिल्ली के वर्ष 2007–2008 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(125) (एक) पद्मजा नायडु हिमालयन जूलॉजिकल पार्क, दार्जिलिंग के वर्ष 2006–2007 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) पद्मजा नायडु हिमालयन जूलॉजिकल पार्क, दार्जिलिंग के वर्ष 2006–2007 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(126) उपर्युक्त (125) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(127) (एक) वाईल्ड लाईफ इंस्टिट्यूट ऑफ इंडिया, देहरादून के वर्ष 2006-2007 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) वाईल्ड लाईफ इंस्टिट्यूट ऑफ इंडिया, देहरादून के वर्ष 2006-2007 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(128) उपर्युक्त (127) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

4. **लोक सभा की सदस्यता से त्यागपत्र**

अध्यक्ष ने सभा को सूचित किया कि उन्हें श्री गौरीशंकर चतुर्भुज बिसेन, जो कि मध्य प्रदेश के बालाघाट संसदीय निर्वाचन क्षेत्र के निर्वाचित सदस्य हैं, से लोक सभा की सदस्यता से त्यागपत्र देने संबंधी 22 दिसम्बर, 2008 का पत्र प्राप्त हुआ और यह कि उन्होंने 22 दिसम्बर, 2008 से उनका त्यागपत्र स्वीकार कर लिया है।

5. **राज्य सभा से संदेश**

महासचिव ने राज्य सभा से प्राप्त निम्नलिखित संदेशों की सूचना दी:—

(1) कि राज्य सभा ने 22 दिसम्बर, 2008 को हुई अपनी बैठक में दक्षिण एशियाई विश्वविद्यालय विधेयक, 2008 को पारित कर दिया है।

(2) कि राज्य सभा ने 22 दिसम्बर, 2008 को हुई अपनी बैठक में संविधान (अनुसूचित जनजातियां) (संघ राज्यक्षेत्र) आदेश (संशोधन) विधेयक, 2008 को पारित कर दिया है।

(3) कि राज्य सभा को लोक सभा द्वारा 19 दिसम्बर, 2008 को पारित विनियोग (संख्यांक 4) विधेयक, 2008 के संबंध में लोक सभा को कोई भी सिफारिश नहीं करनी है।

6. **राज्य सभा द्वारा यथापारित विधेयक—सभा पटल पर रखे गए**

(एक) दक्षिण एशियाई विश्वविद्यालय विधेयक, 2008

(दो) संविधान (अनुसूचित जनजातियां) (संघ राज्यक्षेत्र) आदेश (संशोधन) विधेयक, 2008.

7. **याचिका समिति के प्रतिवेदन**

श्री सैयद शाहनवाज हुसैन ने याचिका समिति के निम्नलिखित प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत किए:—

(1) निम्नलिखित विषयों के बारे में 46वां प्रतिवेदन:—

(क) मुरी, जिला रांची (झारखण्ड) के समीप स्थित हिन्डालको फैक्ट्री से उत्पन्न प्रदूषण के बारे में श्री बसुदेव आचार्य, संसद सदस्य की ओर से पर्यावरण और वन मंत्रालय से संबंधित याचिका।

(ख) हिन्दुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड, नासिक डिवीजन, ओजार, नासिक द्वारा नियोजित आकस्मिक कर्मकारों को हैदराबाद डिवीजन में नियोजित कर्मकारों के समतुल्य प्रसुविधाएं दिए जाने के बारे में श्री बसुदेव आचार्य, संसद सदस्य की ओर से रक्षा मंत्रालय से संबंधित याचिका।

(2) नागर विमानन मंत्रालय तथा रेल मंत्रालय से संबंधित अभ्यावेदनों के बारे में 47वां प्रतिवेदन।

8. **खाद्य, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण संबंधी स्थायी समिति के प्रतिवेदन**

श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव ने उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय (उपभोक्ता मामले विभाग) से संबंधित ''आवश्यक वस्तुओं के मूल्य में वृद्धि—गेहूं के आयात पर विशेष बल सहित कारण और प्रभाव तथा चोर बाजारी की रोकथाम का प्रवर्तन तथा आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1980 की आपूर्ति का अनुरक्षण'' विषय पर खाद्य, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण संबंधी स्थायी समिति का 27वां प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत किया।

9. **रेल संबंधी स्थायी समिति का प्रतिवेदन**

श्री बसुदेव आचार्य ने 'विशेष रेल संरक्षा' निधि की समीक्षा के बारे में रेल संबंधी स्थायी समिति का 41वां प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रजी संस्करण) प्रस्तुत किया।

10. **मंत्रियों द्वारा वक्तव्य**

(1) खान मंत्री ने खान मंत्रालय से संबंधित अनुदानों की मांगों (क्रमश: 2007-08 और 2008-09) के बारे में कोयला और इस्पात संबंधी स्थायी समिति के 29वें और 32वें प्रतिवेदनों में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति के बारे में एक वक्तव्य (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखा।

(2) सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्री ने सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय से संबंधित अनुदानों की मांगों (क्रमश: 2006-07, 2007-08 और 2008-09) के बारे में उद्योग संबंधी स्थायी समिति के 206वें, 207वें और 210वें प्रतिवेदनों में

अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति के बारे में एक वक्तव्य (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखा।

(3) भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्री की ओर से रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री और खान मंत्रालय में राज्य मंत्री ने लोक उद्यम विभाग, भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय से संबंधित अनुदानों की मांगों (2007-08) के बारे में उद्योग संबंधी स्थायी समिति के 202वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति के बारे में एक वक्तव्य (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखा।

(4) मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री ने उच्चतर शिक्षा विभाग, मानव संसाधन विकास मंत्रालय से संबंधित मानव संसाधन विकास संबंधी स्थायी समिति के 196वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति के बारे में एक वक्तव्य (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखा।

(5) पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री ने पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय से संबंधित ''सीएनजी और एलएनजी समेत प्राकृतिक गैस की आपूर्ति, वितरण और विपणन'' के बारे में पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस संबंधी स्थायी समिति के 16वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति के बारे में एक वक्तव्य देंगे।

(6) गृह मंत्री ने उन परिस्थितियों के बारे में एक वक्तव्य दिया जो श्री हेमंत करकरे और मुंबई पुलिस के अन्य अधिकारियों की शहादत का कारण बनीं। उन्होंने अपने लिखित वक्तव्य का कुछ भाग सभा पटल पर भी रखा।

(सभा में व्यवधान के कारण लोक सभा अपराह्न 12.15 बजे स्थगित हुई तथा अपराह्न 2.00 बजे पुन: समवेत हुई)

अपराह्न 2.02 बजे

11. **नियम 377 के अधीन मामले**

अध्यक्षपीठ के निदेशानुसार, निम्नलिखित सदस्यों ने नियम 377 के अधीन उनके द्वारा उठाए जाने वाले मामलों, जैसा कि प्रत्येक सदस्य के नाम के आगे दर्शाया गया है, पर अपने वक्तव्य सभा पटल पर रखे:—

1. डा॰ करण सिंह यादव द्वारा रेवाड़ी-अलवर लाइन पर जगाता बसई गांव के निकट रेलवे क्रासिंग पर चौबीसों घंटे पैदल यात्रियों तथा वाहनों के आवागमन की अनुमति प्रदान किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

2. श्री लक्ष्मण सिंह द्वारा मध्य प्रदेश के राजगढ़ जिले में राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना के कार्यान्वयन में तेजी लाए जाने की आवश्यकता के बारे में।

3. श्री भानु प्रताप सिंह वर्मा द्वारा उत्तर प्रदेश के कानपुर देहात में पुखराया रेलवे स्टेशन पर कोचीन एक्सप्रेस तथा पुष्पक एक्सप्रेस ट्रेनों का ठहराव दिए जाने की आवश्यकता के बारे में।

4. श्रीमती जयाबेन बी॰ ठक्कर द्वारा सीमेंट उद्योगों के लिए पत्तन सुविधाओं के विकास हेतु गुजरात के कोरी क्रीक क्षेत्र में निजी कंपनियों द्वारा सर्वेक्षण और अन्वेषण कराए जाने के लिए गुजरात सरकार को अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

5. श्री शिशुपाल एन॰ पटले द्वारा भारत संचार निगम लिमिटेड की दूरसंचार नितियों में पारदर्शिता लाए जाने की आवश्यकता के बारे में।

6. श्री सैयद शाहनवाज हुसैन द्वारा देश में 'मंजूषा चित्रकारी' के जीर्णोद्धार और संवर्धन के लिए कदम उठाए जाने की आवश्यकता के बारे में।

7. श्री सुनील खां द्वारा देश में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के लिए वार्ता मंच की स्थापना किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

8. श्री पी॰ मोहन द्वारा दक्षिण रेलवे में त्रिचेंडूर से होते हुए तिरूनेलवेली तथा चेन्नई को जोड़ने वाली रेलगाड़ी चलाए जाने की आवश्यकता के बारे में।

9. श्री रामजीलाल सुमन द्वारा 1971 के युद्ध में शहीद हुए लोगों के परिवारों के लिए आवास सुविधाएं बरकरार रखे जाने की आवश्यकता के बारे में।

10. श्री भर्तृहरि महताब द्वारा उड़ीसा में बाढ़ प्रभावित तथा गरीबी रेखा से नीचे जीवन-यापन कर रहे परिवारों के लिए इंदिरा आवास योजना के अंतर्गत 2 लाख अतिरिक्त आवासों हेतु विशेष सहायता उपलब्ध कराए जाने की आवश्यकता के बारे में।

11. श्री चेंगरा सुरेन्द्रन द्वारा देश में इस्पात के मूल्य में कमी लाए जाने की आवश्यकता के बारे में।

12. श्री किन्जरपु येरननायडु द्वारा आंध्र प्रदेश में भारतीय कपास निगम द्वारा कपास की खरीद नहीं किए जाने की वजह से परेशानी का सामना कर रहे कपास उत्पादकों से कपास की खरीद किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

13. श्री मुन्शी राम द्वारा खड़ी फसलों को नुकसान पहुँचाने की वजह से 'जंगली सुअर' और 'माह्या' को संरक्षित जानवरों की सूची से निकाल दिए जाने की आवश्यकता के बारे में।

14. डा॰ अरुण कुमार शर्मा द्वारा गोरखा लोगों के समग्र विकास करने के लिए एक आयोग का गठन किए जाने तथा उनके त्यौहार 'भातृ दितीया' को राष्ट्रीय अवकाश घोषित किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

अपराह्न 2.03 बजे

12. **सरकारी विधेयक—पारित**

स्नानकोत्तर आयुर्विज्ञान शिक्षा और अनुसंधान संस्थान, चंडीगढ़ (संशोधन) विधेयक, 2008, राज्य सभा द्वारा यथापारित

लिया गया समय: 2 मिनट

डा॰ अंबुमणि रामदास की ओर से श्रीमती पानाबाका लक्ष्मी ने विधेयक पर विचार किए जाने का प्रस्ताव पेश किया।

विधेयक पर विचार किए जाने का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ और विधेयक पर खंड-वार विचार आरम्भ हुआ।

खंड 2 और 3 स्वीकृत हुए।

खंड 1, अधिनियमन सूत्र और विधेयक का पूरा नाम भी स्वीकृत हुए।

श्रीमती पानाबाका लक्ष्मी ने प्रस्ताव किया कि विधेयक पारित किया जाए।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ और विधेयक पारित किया गया।

13. **सरकारी विधेयक—पारित**

भ्रष्टाचार निवारण (संशोधन) विधेयक, 2008

लिया गया समय: 1 मिनट

श्री पृथ्वीराज चव्हाण ने विधेयक पर विचार किए जाने का प्रस्ताव पेश किया।

विधेयक पर विचार किए जाने का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ और विधेयक पर खंड-वार विचार आरम्भ हुआ।

खंड 2 से 7 स्वीकृत हुए।

खंड 1, अधिनियमन सूत्र और विधेयक का पूरा नाम भी स्वीकृत हुए।

श्री पृथ्वीराज चव्हाण ने प्रस्ताव किया कि विधेयक पारित किया जाए।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ और विधेयक पारित किया गया।

14. **सरकारी विधेयक—पारित**

संविधान (अनुसूचित जातियां) (संघ राज्यक्षेत्र) आदेश (संशोधन) विधेयक, 2008, राज्य सभा द्वारा यथापारित।

लिया गया समय: 2 मिनट

श्री पी॰ आर॰ किन्डिया की ओर से डा॰ रामेश्वर उरांव ने विधेयक पर विचार किए जाने का प्रस्ताव पेश किया।

विधेयक पर विचार किए जाने का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ और विधेयक पर खंड-वार विचार आरम्भ हुआ।

खंड 2 स्वीकृत हुआ।

खंड 1, अधिनियमन सूत्र और विधेयक का पूरा नाम भी स्वीकृत हुए।

डा॰ रामेश्वर उरांव ने प्रस्ताव किया कि विधेयक पारित किया जाए।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ और विधेयक पारित किया गया।

15. **सरकारी विधेयक—पारित**

दक्षिण एशियाई विश्वविद्यालय विधेयक, 2008, राज्य सभा द्वारा यथापारित।

लिया गया समय: 2 मिनट

श्री प्रणब मुखर्जी ने विधेयक पर विचार किए जाने का प्रस्ताव पेश किया।

विधेयक पर विचार किए जाने का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ और विधेयक पर खंड-वार विचार आरम्भ हुआ।

खंड 2 से 32 स्वीकृत हुए।

अनुसूची स्वीकृत हुई।

खंड 1, अधिनियमन सूत्र उद्देशिका और विधेयक का पूरा नाम भी स्वीकृत हुए।

श्री प्रणव मुखर्जी ने प्रस्ताव किया कि विधेयक पारित किया जाए।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ और विधेयक पारित किया गया।

16. **सरकारी विधेयक—पारित**

दंड प्रक्रिया संहिता (संशोधन) विधेयक, 2008, राज्य सभा द्वारा यथापारित।

लिया गया समय: 2 मिनट

श्री पी॰ चिदम्बरम ने विधेयक पर विचार किए जाने का प्रस्ताव पेश किया।

विधेयक पर विचार किए जाने का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ और विधेयक पर खंड-वार विचार आरम्भ हुआ।

खंड 2 और 32 स्वीकृत हुए।

खंड 1, अधिनियमन सूत्र और विधेयक का पूरा नाम भी स्वीकृत हुए।

श्री पी॰ चिदम्बरम ने प्रस्ताव किया कि विधेयक पारित किया जाए।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ और विधेयक पारित किया गया।

17. **सरकारी विधेयक—पारित**

सांख्यिकी संग्रहण विधेयक, 2008, राज्य सभा द्वारा यथापारित।

लिया गया समय: 2 मिनट

श्री जी॰ के॰ वासन ने विधेयक पर विचार किए जाने का प्रस्ताव पेश किया।

विधेयक पर विचार किए जाने का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ और विधेयक पर खंड-वार विचार आरम्भ हुआ।

खंड 2 से 34 स्वीकृत हुए।

खंड 1, अधिनियमन सूत्र और विधेयक का पूरा नाम भी स्वीकृत हुए।

श्री जी॰ के॰ वासन ने प्रस्ताव किया कि विधेयक पारित किया जाए।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ और विधेयक पारित किया गया।

18. **सरकारी विधेयक — पारित**

कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण (संशोधन) विधेयक, 2008, राज्य सभा द्वारा यथापारित।

लिया गया समय: 1 मिनट

श्री जयराम रमेश ने विधेयक पर विचार किए जाने का प्रस्ताव पेश किया।

विधेयक पर विचार किए जाने का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ और विधेयक पर खंड-वार विचार आरम्भ हुआ।

खंड 2 से 7 स्वीकृत हुए।

खंड 1, अधिनियमन सूत्र और विधेयक का पूरा नाम भी स्वीकृत हुए।

श्री जयराम रमेश ने प्रस्ताव किया कि विधेयक पारित किया जाए।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ और विधेयक पारित किया गया।

19. **सरकारी विधेयक—पारित**

प्रतिकरात्मक वनरोपण निधि विधेयक, 2008

लिया गया समय: 3 मिनट

श्री एस॰ रघुपति ने विधेयक पर विचार किए जाने का प्रस्ताव पेश किया।

विधेयक पर विचार किए जाने का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ और विधेयक पर खंड-वार विचार आरम्भ हुआ।

खंड 2 से 21 स्वीकृत हुए।

खंड 1, अधिनियमन सूत्र, उद्देशिका और विधेयक का पूरा नाम भी स्वीकृत हुए।

श्री एस॰ रघुपति ने प्रस्ताव किया कि विधेयक पारित किया जाए।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ और विधेयक पारित किया गया।

(सभा में व्यवधान के कारण लोक सभा अपराह्न 2.18 बजे स्थगित हुई और अपराह्न 4.00 बजे पुनः समवेत हुई)

अपराह्न 4.00 बजे

20. **विदाई संबंधी उल्लेख**

अध्यक्ष ने चौदहवीं लोक सभा के चौदहवें सत्र के दूसरे भाग के समापन पर विदाई संबंधी उल्लेख किया।

अपराह्न 4.07 बजे

21. **राष्ट्रगीत**

राष्ट्रगीत की धुन बजाई गई।

अपराह्न 4.08 बजे

(लोक सभा अपराह्न 4.08 बजे अनिश्चितकाल के लिए स्थगित हुई)

पी॰ डी॰ टी॰ आचारी
महासचिव।

GMGIPMRND—4672LS(S-5)—23-12-2008.